00057

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
वर्ष 2013-14 के लिए

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2015 की प्रतिवेदन सं. 1
(वित्तीय लेखापरीक्षा)

00057

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

वर्ष 2013-14 के लिए

संघ सरकार

संघ सरकार के लेखे

2015 की प्रतिवेदन सं. 1

(वित्तीय लेखापरीक्षा)

विषय सूची

पैरा सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	ix
	विशिष्टताएं	xi
	अध्याय-1: संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2013-14 का विहंगावलोकन	
1.1	प्रस्तावना	1
1.1.2	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान मुख्य वित्तीय मापदंडों पर निष्पादन	4
1.2	संसाधनों का सृजन	5
1.2.1	राजस्व प्राप्तियां	6
1.2.2	प्रमुख राजस्व संबंधित मापदंडों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर	6
1.2.3	कर राजस्व	7
1.2.4	गैर-कर राजस्व	9
1.2.5	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	10
1.3	व्यय विश्लेषण	11
1.3.1	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	12
1.3.2	राजस्व व्यय का विश्लेषण	13
(क)	राजस्व व्यय की अधिकता	13
(ख)	राजस्व व्यय के प्रमुख घटक	15
1.3.3	पूंजीगत व्यय का विश्लेषण	20
1.3.4	योजनागत व्यय का विश्लेषण	21
1.3.5	योजनागत व्यय के मुख्य घटक	23
1.3.6	सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम-पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय	24
1.3.7	मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात	26
1.3.8	भारतीय समेकित निधि से व्यय का ब्यौरा (ई-लेखा डाटा)	27
1.4	व्यय का समय विश्लेषण	30
1.5	ऋण एवं घाटा सूचक	33
1.5.1	घाटे के प्रकार	37
(क)	राजस्व घाटा	37
(ख)	राजकोषीय घाटा	39
(ग)	प्राथमिक घाटा	42

1.5.2	बाह्य ऋण: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता	42
1.6	संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि	43
	अध्याय-2: लेखाओं पर टिप्पणियां	
2.1	पारदर्शिता के मुद्दे	47
2.1.1	संघ के वित्त लेखों में बारहवें, तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न करना	47
2.1.2	सरकारी लेखों में अपारदर्शिता	49
2.1.3	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	50
2.1.4	सीमाशुल्क प्राप्तियों को कम बताया जाना तथा राज्यों को कम आवंटन	53
2.2	लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ	54
2.2.1	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	54
2.2.2	अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग	58
2.2.3	बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में विसंगतियां तथा निरंतर प्रतिकूल शेष	60
2.2.4	शिक्षा उपकर का लेखा-जोखा	62
(क)	प्राथमिक शिक्षा उपकर	62
(ख)	माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर	63
2.2.5	नवीकरण आरक्षित निधि के अंतरण को गलत दर्शाया जाना	63
2.2.6	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि	65
2.2.7	महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत शेषों का अनियमित प्रतिधारण	66
2.2.8	आयकर कल्याण निधि	66
2.2.9	सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क कल्याण निधि	71
2.2.10	लोक लेखे में केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.) को उपकर का कम अंतरण	78
2.2.11	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि का बंद न होना	79
2.3	सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे	80
2.3.1	कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में विसंगति	80
2.3.2	कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति	81
2.3.3	प्राप्त ब्याज को न दर्शाया जाना	82
2.3.4	प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना	83
2.3.5	पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना	84
2.3.6	निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमा/अन्य निधि	85
2.3.7	बाह्य ऋण के लेखांकन को कम बताना	86
2.3.8	बाह्य ऋण का वर्तमान दर पर असंगत दर्शाया जाना	87
2.3.9	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी निधि में से अधिक आहरण	88
2.3.10	अन्य विसंगतियां	89

(क)	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में निवेश का अधूरा दर्शाया जाना	89
(ख)	संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-15 में विसंगतियां/ भिन्नताएं	91
(ग)	प्रदान किए गए ऋणों के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप न देना	92
2.4	लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक	93
2.4.1	मुख्य उचंत लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष	94
(क)	वे.ले.का. उचंत	97
(ख)	उचंत लेखा (सिविल)	98
(ग)	विदेशों में क्रय हेतु उचंत लेखा	99
(घ)	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत (सा.क्षे.बैं. उचंत)	100
(ङ)	रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय (के.ले.का.)	101
2.4.2	ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	102
2.4.3	'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष	103
2.4.4	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न करना	105
2.4.5	विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति	106
2.4.6	हानियां तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना	107
	अध्याय-3: विनियोग लेखे: 2013-14	
3.1	संवैधानिक प्रावधान	109
3.2	2013-14 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश	110
3.3	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	113
3.4	अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग	115
3.5	अनुदानों में निरंतर आधिक्य	120
3.6	लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय	122
3.7	₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत (खण्ड-वार)	123
3.8	बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)	125
3.9	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदानवार)	126
3.10	अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक)	126
3.11	अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदानवार)	129
3.12	लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)	131
3.13	लघु/उपशीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹ 5 करोड़ से अधिक)	131
3.14	उपशीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	132
3.15	संपूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)	132
3.16	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ या अधिक की बचत	133
3.17	निरंतर बचत (उप-शीर्ष वार)	135

3.18	मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय	136
3.19	रक्षा सेवाएं	140
3.19.1	निरंतर बचतें	140
3.19.2	रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण	141
	अध्याय-4: विनियोग लेखे: लेखाओं पर टिप्पणियां	
4.1	के.प्र.क.बो. द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय का लगातार उल्लंघन	143
4.2	बजट सीमा के बिना किया गया व्यय	144
4.3	मात्रात्मक छूट (मा.छू.) के माध्यम से गैर सार्वजनिक निधि में निधियों का अंतरण	145
4.4	संवर्धन प्रावधानों हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता	147
4.4.1	उद्देश्य शीर्ष '31 सहायता अनुदान सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन	147
4.4.2	उद्देश्य शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों' के सृजन हेतु अनुदान के प्रावधान का संवर्धन	150
4.4.3	विषय शीर्ष '36- सहायता अनुदान वेतन' के प्रावधान का संवर्धन	151
4.4.4	विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' के प्रावधान का संवर्धन	152
4.4.5	विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रति प्रावधान का संवर्धन	154
4.5	प्रभारित व्यय का दत्तमत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	160
4.6	पूंजी लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण	161
4.6.1	पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	162
4.6.2	राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण	165
4.6.3	₹450 करोड़ की राशि का पूंजी प्रभाग में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर व्यय को गलत दर्ज किया जाना	168
4.6.4	गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	170
	गलत वर्गीकरण का प्रभाव	176
4.7	अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले	177
4.7.1	भारतीय लोक लेखे की बजाय भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना	177
4.7.2	विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना	179
4.7.3	अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्षों में गलत वर्गीकरण	180
4.7.4	अन्य देशों को दी जा रही सहायता को दर्ज करने हेतु वस्तु शीर्ष 'अंशदान' का प्रचालन	197
4.7.5	'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना	200
4.7.6	लेखे के गलत लघु शीर्ष के अन्तर्गत बुकिंग	201
4.8	अंतरिक्ष विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेश	202

4.9	एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन	204
4.10	विषय शीर्ष के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति	206
4.11	सरकारी राशि को सरकारी लेखाओं से बाहर रखना	207
4.12	सूचना तकनीकी पर किये गये व्यय का प्रकटीकरण न होना	209
4.13	रक्षा सेवाएं (अनुदान 22 से 27)	210
4.13.1	गलत तकनीकी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करना	210
	अध्याय 5: सहायता अनुदान: एक विश्लेषण	
5.1	प्रस्तावना	213
5.2	व्यय की प्रवृत्ति	213
5.2.1	प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान	215
5.2.2	योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान	217
5.3	योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति	217
5.3.1	कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) के लेखों में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष	220
5.3.2	सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रबंधन	222
5.4	उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प)	225
5.5	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सहायता अनुदानों पर व्यय की विस्तृत जांच	227
5.5.1	लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	227
	अनुदान सं.89 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
5.5.2	प्रस्तावना	228
5.5.3	बजट एवं व्यय	230
5.5.4	सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह	231
5.5.5	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय तथा पंजीकृत समितियां आदि संस्थाओं के संबंध में संस्वीकृत एवं जारी किये गये अनुदान	233
5.5.6	सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का गैर-अनुरक्षण	234
5.5.7	सहायता अनुदान रजिस्टर का गैर- अनुरक्षण	236
5.5.8	अनुमोदन प्रक्रिया में कमियां	236
(क)	अनुदानों के प्राधिकृत तथा निर्गम के बीच विलम्ब	236
(ख)	मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना प्रदर्शित न करना	237
(ग)	संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना	238
(घ)	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में आवश्यक सूचनाओं को न दर्शाया जाना	239
5.5.9	सहायता अनुदानों पर योजनागत व्यय से संबंधित डाटा के स्रोतों में विसंगतियां	240
5.5.10	जारी किए गए अनुदानों की निगरानी	241

(क)	स्वायत्त निकायों की समकक्ष समीक्षा न किया जाना	241
(ख)	निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया	243
(ग)	त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण	243
(घ)	वार्षिक प्रतिवेदनों के द्वारा संसद को ब्यौरों की सूचना न देना	245
(ङ)	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.)	245
	अनुदान सं. 66- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का मंत्रालय	
5.5.11	प्रस्तावना	247
5.5.12	राजस्व लेखे पर प्रावधान एवं व्यय	248
5.5.13	अनुदानों पर वस्तु शीर्ष-वार व्यय	249
5.5.14	सहायता अनुदान पर माह-वार व्यय का प्रवाह	249
5.5.15	अस्तित्वों के अनुसार व्यय-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय, पंजीकृत समितियां आदि	250
5.5.16	मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों में से अनुदानग्राहियों द्वारा ₹ 222.97 करोड़ के मूल्य की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन का आश्वासन न देना	252
5.5.17	₹ 5 करोड़ से अधिक का सहायता अनुदान जारी किए जाने के मामले में समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) हस्ताक्षरित नहीं किया जाना	253
5.5.18	अनुदान जारी करने तथा प्राधिकरण के बीच विलंब	254
5.5.19	₹ 438.45 करोड़ के अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना जारी अनुदान	255
5.5.20	उपयोग प्रमाणपत्रों में ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय का प्रकटीकरण न होना	257
5.5.21	उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)	258
5.5.22	निष्पादन सह उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखापरीक्षित विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	259
5.5.23	अनुदानग्राही निकायों से पर्याप्त प्रस्तावों के बिना बजटों की तैयारी	260
5.5.24	अनुदान रजिस्टर के अनुरक्षण में विसंगतियां	262
5.5.25	मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का गैर-प्रकटीकरण	262
5.5.26	वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से संसद को विवरणों की सूचना न दिया जाना	263
5.5.27	स्वायत्त संगठनों की पीयर समीक्षा नहीं की गई	264
5.5.28	त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण	265
5.5.29	कोर्पस निधि सृजित न करना	266
5.5.30	आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा सहायता का तरीका न बताया जाना	267
5.6	निष्कर्ष	267
	अनुबंध	
	अनुबंध 1.1	271
	अनुबंध 1.2	282
	अनुबंध 2.1	296

	अनुबंध 2.2	297
	अनुबंध 2.3	298
	अनुबंध 2.4	301
	अनुबंध 2.5	302
	अनुबंध 2.6	307
	अनुबंध 2.7	309
	अनुबंध 3.1	310
	अनुबंध 3.2	312
	अनुबंध 3.3	313
	अनुबंध 3.4	314
	अनुबंध 3.5	321
	अनुबंध 3.6	326
	अनुबंध 3.7	331
	अनुबंध 3.8	332
	अनुबंध 3.9	337
	अनुबंध 3.10	339
	अनुबंध 3.11	341
	अनुबंध 3.12	342
	अनुबंध 3.13	344
	अनुबंध 3.14	352
	अनुबंध 3.15	371
	अनुबंध 4.1	374
	अनुबंध 4.2	378
	अनुबंध 4.3	385
	अनुबंध 5.1	388
	अनुबंध 5.2	389
	अनुबंध 5.3	390
	अनुबंध 5.4	392
	शब्दावली	**393**

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखों की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियां पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित है। संघ सरकार के लिए, वैज्ञानिक विभागों, रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं- वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।

विशिष्टताएं

संघ सरकार के वित्त एवं लेखे: 2013-14

यह प्रतिवेदन संघ के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर चर्चा करता है तथा वर्ष 2013-14 के लिए संघ सरकार के वित्त का विश्लेषण करता है। इसमें विनियोग लेखे का विश्लेषण तथा वर्ष 2013-14 के संघ सरकार के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां भी सम्मिलित की गई हैं।

विशिष्टताएं

संघ सरकार के लेखाओं पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियां

- 2013-14 में संघ सरकार की वित्तीय स्थिति को प्राथमिक रूप से, पिछले वर्ष से कर राजस्व प्राप्तियों (10 प्रतिशत) तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (28 प्रतिशत) दोंनों में पर्याप्त वृद्धि के कारण सकल राजस्व प्राप्तियों में 14 प्रतिशत की वृद्धि के द्वारा वर्णित किया गया था।

  (पैरा 1.2, 1.2.3 एवं 1.2.4)

- पूँजीगत व्यय, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय समेकन पथ में वर्ष के लिए निर्धारित 3.9 प्रतिशत के स्तर से बहुत नीचे, स.घ.उ. का 1.76 प्रतिशत था। कुल पूंजीगत व्यय में से 40 प्रतिशत रक्षा द्वारा दर्ज किया गया था।

  (पैरा 1.1.2 एवं 1.3.3)

- सिविल मंत्रालयों के योजनागत व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि कुल योजनागत व्यय का 75 प्रतिशत सहायता अनुदान भुगतान के रूप में था। सबसे अधिक योजनागत व्यय कर रहे 10 मंत्रालयों/ विभागों में से पांच में 98 प्रतिशत सहायता अनुदान के संवितरण के रूप में था।

  (पैरा 1.3.5 एवं 1.3.7)

- दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उगाही के प्रति ₹7,896.39 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (सा.से.दा. निधि) को केवल ₹2,163.45 करोड़ का अंतरण किया। यह कथित उद्देश्यों की ओर संवितरण किया गया था। सा.से.दा. निधि में शेष राशि के गैर हस्तान्तरण के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सा.से.दा. निधि के अंत शेष को ₹5,732.94 करोड़ तक कम बताया गया। 2002-03 से 2013-14 के दौरान सा.से.दा. निधि के अंतशेष में कुल मिलाकर ₹33,682.86 करोड़ कम बताया गया था।

(पैरा 2.2.1)

- कुल ₹4,876.71 करोड़ के अनुसंधान तथा विकास उपकर का 1996-97 से 2013-14 की अवधि के दौरान संग्रहण किया गया था। इसमें से केवल ₹542.41 करोड़ (11.12 प्रतिशत) का उपयोग कथित उपकर के उगाही के उद्दश्यों के प्रति किया गया था।

(पैरा 2.2.2)

- बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि (निधि) से प्राप्तियों से काफी अधिक मात्रा में व्यय होने के कारण वर्षों से निधि में शेष प्रतिकूल हो गया था। 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था, जो 2008-09 में (-) ₹53.51 करोड़ से 2013-14 में (-) ₹196.16 करोड़ तक लगातार बढ़ा।

(पैरा 2.2.3)

- भा.स.नि. में प्राथमिक शिक्षा उपकर के रूप में ₹1,30,599 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति केवल ₹1,19,197 करोड़ का, भारत की समेकित निधि में ₹11,402 करोड़ की राशि का शेष छोड़ते हुए, 2004-05 से 2013-14 के दौरान चयनित योजनाओं

पर व्यय को पूरा करने के लिए लोक निधि में प्रारम्भिक शिक्षा कोष को अंतरण किया गया था।

(पैरा 2.2.4)

- निर्धारितियों से कुल ₹222.56 करोड़ के अग्रिम भुगतानों की प्राप्तियों का लोक लेखे से भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) को अतंरण न करने के परिणामस्वरूप 2013-14 में भारत सरकार की सीमा शुल्क प्राप्तियों को समान राशि से कम बताया गया। चूंकि सीमा शुल्क प्राप्तियाँ केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांटे जाने वाले करो के विभाज्य पूल का भाग बनतीं है इसलिए भा.स.नि. को राशि का क्रेडिट न किया जाना वर्ष 2013-14 के दौरान राज्यो को बांटे जाने योग्य करों के कम हस्तांतरण को सूचित करता है।

(पैरा 2.1.4)

- केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि से ₹23.42 करोड़ में से ₹15.89 करोड़ तथा विशेष उपकरण निधि से ₹43.01 करोड़ में से ₹13.80 करोड़ के अनियमित व्यय किए। इस प्रकार, ₹66.43 करोड़ के कुल व्यय में से ₹29.69 करोड़ का अनियमित व्यय उस उद्देश्य/लक्ष्य के विरूध्द था जिसके लिए संबंधित निधियों को सृजित किया गया था तथा समय-समय पर जारी वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के भी विरूध्द था।

(पैरा 2.2.9)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, विधि द्वारा किए गए विनियोजनों के अलावा, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। तथापि, 2013-14 के दौरान भा.स.नि. से प्राधिकृत राशि से ₹3,493.06 करोड़ तक (सिविल मंत्रालयों/विभागों के तीन अनुदानों/विनियोगों के तीन खंडों में ₹39.59 करोड़; रेल

मंत्रालय की 12 अनुदानों/विनियोजनों के 19 खंडों में ₹2719.75 करोड़ तथा रक्षा सेवाओं की तीन अनुदानों के चार खंडों में ₹733.72 करोड़) के अधिक संवितरण किए गए थे जिसका संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अंतर्गत नियमन करने की आवश्यकता थी।

(पैरा 3.4)

- अनुदान अथवा विनियोग में बचत त्रूटिपूर्ण बजट बनाने तथा निष्पादन में कमी का सूचक है। 78 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाएं) के 102 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत थी जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 102 मामलों में कुल मिलाकर बचतें ₹7,45,510 करोड़ की थी।

(पैरा 3.7 एवं अनुबंध 3.5)

- पिछले तीन वर्षों (2011-14) के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के 64 अनुभागो में ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचतें थी। तीन वर्षों की अवधि के दौरान कुछ अनुदान/विनियोगों में बड़ी निरन्तर बचतें, ऋण का पुनर्भुगतान, आर्थिक मामले विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, विद्युत मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय आदि।

(पैरा 3.7)

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 (3) में यह व्यवस्था है कि भारत की समेकित निधि से विधि द्वारा किए गए विनियोजन के अलावा, कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) ने वर्ष 2013-14 के दौरान संसद के अनुमोदन के बिना ₹6,598 करोड़ राशि के प्रतिदायों के

ब्याज पर व्यय किया। पिछले छः वर्षो से आवश्यक विनियोजनों के माध्यम से संसद से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर ₹42,903 करोड़ का व्यय किया था।

(पैरा 4.1)

- किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को 'सहायता अनुदान' में भारत की समेकित निधि से पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान का आवर्धन केवल संसद की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है। पांच अनुदानों के 12 मामलों में 2013-14 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा बिना संसदीय पूर्वानुमति प्राप्त किए विभिन्न निकायों/ प्राधिकरणों को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करके ₹110.71 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार, तीन अनुदानों के पांच मामलों में, ₹171.99 करोड़ का वर्तमान प्रावधानों के उल्लंघन में बिना संसदीय पुर्वानुमति के विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों' का आवर्धन किया गया था। इसके अतिरिक्त, दो अनुदानों के दो मामलों में कुल ₹1.37 करोड़ की निधियों का संसद की पूर्वानुमति के बिना विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' को आवर्धन किया गया था। इन सभी अधिक व्ययों ने नई सेवा/सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया।

(पैरा 4.4.1, 4.4.2 तथा 4.4.3)

- विषय शीर्ष 'आर्थिक सहायताओं' में पुनर्विनियोजन द्वारा वर्तमान विनियोगों में प्रावधान के आवर्धन हेतु संसद की पूर्वानुमति आवश्यक होती हैं यदि अतिरिक्तता संसद द्वारा पहले से दत्तमत विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो। औद्योगिक नीति तथा उन्नयन विभाग से संबंधित अनुदान सं.12 संबंध में तीन मामलों में 2013-14 के दौरान संसदीय पूर्वानुमति लिए बिना ₹149.99

करोड़ का अधिक व्यय किया गया था। इस अधिक व्यय ने नई सेवा/सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया था।

(पैरा 4.4.4)

- इस तथ्य के बावजूद कि आवर्धन नए कार्यों के लिए है या मौजूदा कार्यों के लिए न.से./से.न.सा. के मामलों के सम्बन्ध में विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' तथा '53-मुख्य कार्य' के अन्तर्गत सभी मामले ₹2.5 करोड़ से अधिक की निधियों में या विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक का आवर्धन पहले दत्तमत थे, दोनों में जो कम हो, के लिए संसद की पूर्वानुमति अपेक्षित थी। 11 अनुदानों के 60 मामलों में 2013-14 के दौरान संसदीय पूर्वानुमति के बिना मंत्रालयों/विभागों द्वारा ₹4863.57 करोड़ का इन विषय शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का आवर्धन करने हेतु अधिक व्यय किया गया था। इस अधिक व्यय ने नई सेवा/सेवा के नए साधन की सीमाओं को आकर्षित किया था।

(पैरा 4.4.5)

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 (3) (एफ) के अनुसार कोई भी राशि, जिसे किसी न्यायालय अथवा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या अधिनिर्णय को सतुंष्ट करना अपेक्षित है, भारत की समेकित निधि पर भारित होगी। दो अनुदानों के दो मामलो में, प्रभारित प्रवृत्ति के ₹124.26 करोड़ के व्यय को गलत प्रकार से वर्गीकृत किया था तथा संवैधानिक निर्देशों के उल्लघंन में दत्तमत्त व्यय के रूप मे दर्ज किया गया था।

(पैरा 4.5)

- विभिन्न विभागों/मंत्रालयों ने राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा विपरीत में गलत वर्गीकरण किया। गलत वर्गीकरण का परिणाम ₹3174.40 करोड़ तक पूंजीगत व्यय के अतिकथन

तथा ₹1504.69 करोड़ तक पूंजीगत व्यय के कम बताए जाने में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹1669.71 करोड़ के पूंजीगत व्यय का अधिक बताया जाना हुआ। संगत रूप से राजस्व घाटे को वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹1669.71 करोड़ की समान राशि तक कम बताया गया था।

(पैरा 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 तथा 4.6.4)

- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, छठी श्रेणी अर्थात् विषय शीर्ष तक व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों को निर्धारित करता है। 23 अनुदानों/विनियोगों के 48 मामलों में कुल व्यय ₹3873.43 करोड़ को विनियोग की कई प्राथमिक इकाईयों में गलत वर्गीकृत किया गया था।

(पैरा 4.7.3)

- लोक प्रशासन के स्थानातरंण प्रतिमान ने नई तथा सदैव विकसित पद्धतियों के माध्यम से सार्वजनिक माल की सुपूदर्गी को मिलाया है। सहायता अनुदान मे, ऋण पुनर्भुगतान के अपवाद के साथ, संघ सरकार के लिए व्यय की एकमात्र सबसे बड़ी मद के रूप मे संघटित किया। सहायता अनुदान ने 2013-14 के दौरान संघ सरकार के कुल राजस्व के 28 प्रतिशत से अधिक को संघटित किया। समितियों, गै.स.सं., ट्रस्टों को योजनागत सहायता अनुदान जारी करने की पर्याप्त राशि हेतु नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा छूट उन्मुक्त और प्रतिबंधित है।

(पैरा 5.1, 5.2 तथा 5.3.2)

- वर्ष 2013-14 के लिए, संघ सरकार ने, राज्य सरकार के बजट के बाहर, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों,

समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹1,12,708 करोड़ की केन्द्रीय योजनागत सहायता का अंतरण किया। सरकारी लेखे के बाहर अनुरक्षित इनके लेखाओं में अव्ययित शेषों की कुल राशि अनिर्धारणीय थी। इसलिए, सरकारी व्यय, जैसा कि लेखाओं में दर्शाया गया था, को उस सीमा तक अधिक बताया गया।

(पैरा 5.3.1)

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा जारी सहायता के संबंध मे अनुदान पर व्यय के विस्तृत विश्लेषण ने किए गए व्यय की गुणवत्ता के संबंध में त्रुटिपूर्ण नियंत्रण तंत्र तथा अपर्याप्त आश्वासन को प्रकट किया।

(पैरा 5.5)

1: संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2013-14 का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में संघ प्रस्तुत किए गए सरकार के वार्षिक लेखे, जिसमें वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों से बनाये जाते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से प्राप्तियों तथा भुगतानों की विवरणों को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में व्यय तथा परिणामत: आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरणों को दर्शाते हैं।

पेटिका 1.1: संघ सरकार निधियां एवं लोक लेखा

समेकित निधि	•संघ सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, राजकोषीय बिलों के निर्गम द्वारा उठाए गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन मिलकर एक समेकित निधि निर्मित करते हैं जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित की गई भारत की समेकित निधि कहा जाता है।
आकस्मिक निधि	•संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में है जो उन्हें, संसद से प्राधिकार प्राप्त हो जाने तक अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। •इस प्रकार किये गये व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है। जिसके पश्चात आकस्मिकता आहरित अग्रिमों की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा	•समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। •इस प्रकार प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से किए जाते हैं।

1.1.1 वर्ष 2013-14 सकल घरेलु उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि[1] से मापे गये आर्थिक विकास में सुधार के लिये उल्लेखनीय रहा जिस दौरान विकास दर पिछले वर्ष के 5.1 *प्रतिशत* की तुलना में 2012-13 में 6.9 *प्रतिशत* रही। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (के.सां.का.) ने नई स.घ.उ. श्रृंखला जारी की जिसमें आधार वर्ष 2004-05 से 2011-12 स्थांनातरित कर दिया गया। वस्तुत: पिछले वर्ष के अनुमान[2] की तुलना से 2011-12 के लिए स.घ.उ. के स्तर के लिए प्रमुख आकलन वास्तव में 2 *प्रतिशत* कम है।

2011-12 में स.घ.उ. के 5.86 *प्रतिशत* से 2012-13 में 4.95 प्रतिशत तथा 2013-14 में 4.44 *प्रतिशत* तक की गिरावट के साथ राजकोषीय घाटे के स्तर पर भी सुधार पाया गया था। वर्तमान वर्ष के दौरान यह सुधार प्रमुख रूप से गैर ऋण प्राप्ति में पिछले वर्ष से 14.73 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा वास्तविक व्यय में 10.73 *प्रतिशत* की कम वृद्धि हुआ है।

इस पृष्ठभूमि में, यह अध्याय वित्त लेखे में सम्मिलित आंकड़ों पर आधारित संघ सरकार के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **तालिका 1.1** वर्ष 2013-14 के लिए संघ सरकार की प्राप्तियों संवितरणों तथा उधारों की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के लेन-देन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां		व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)				
राजस्व प्राप्तियां*	1217794 (1055891)	**राजस्व घाटा 357303 (364582)**	राजस्व व्यय	1575097 (1420473)
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	29368 (25889)		पूंजीगत व्यय	168844 (150382)
कर्जों की वसूली	24549 (26624)		ऋण तथा अग्रिम	31000 (32063)
कुल गैर ऋण प्राप्तियां	1271711 (1108404)	**राजकोषीय घाटा 503230 (494514)**	वास्तविक व्यय	1774941 (1602918)
लोक ऋण	3994966 (3968038)		लोक ऋण	3511291 (3426893)
भा.स.नि. में कुल प्राप्तियां	5266677 (5076442)	**भा.स.नि. में कमी 19555 (अधिशेष 46631)**	भा.स.नि. से कुल व्यय	5286232 (5029811)

[1] 30 जनवरी 2015 को सी.एस.ओ. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, स्थिर (2011-12) मूल्यों पर स.घ.उ. के आकलनों पिछले वर्ष से 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्तमान मूल्यों पर यह वृद्धि 13.6 *प्रतिशत* तक बढ़े।

[2] आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15

आकस्मिकता निधि				
प्राप्तियां	0		विनियोग	0
लोक लेखा				
लघु बचतें	407541 (381315)		लघु बचतें	389826 (375092)
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	127520 (117117)		आरक्षित एवं निक्षेप निधि	124057 (117529)
जमा	113712 (113974)		जमा	101028 (107536)
अग्रिम	37895 (33424)		अग्रिम	25035 (37140)
उचन्त लेख	2744 (11832)		उचन्त लेखे	13110 (16275)
प्रेषण	3548 (3122)		प्रेषण	1182 (2831)
कुल लोक लेखे	692960 (660784)	**लोक लेखा में अधिशेष 38722 (4381)**	कुल लोक लेखे	654238 (656403)
आरंभिक रोकड़ शेष	68451 (17439)	**नकद रोकड़ शेष में वृद्धि 19167 (51012)**	रोकड़ अंत:शेष अंत नकद	87618 (68451)
लोक लेखा आधिक्य (आपूर्ति)		38722	(भा.स.नि. में) घाटा+रोकड़ शेष में वृद्धि	
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)		517537	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष	
वार्षिक देयताएं (मांग)		517537	राजकोषीय घाटा (+) रोकड़ में वृद्धि (-) (अग्रिम+ उचन्त+ प्रेषण) का निवल संवितरण	

**राज्य को सौंपे गये करों एवं शुल्कों के आंकड़े शामिल नहीं है (2013-14 के लिए ₹3,18,230 करोड़, 2012-13 के लिए ₹2,91,547 करोड़)*

नोट: (1) कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2012-13 हेतु समान आंकड़ों को दर्शाते हैं।

(2) 2013-14 के लिए राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय ₹6,598 करोड़ से कम हैं क्योंकि करों की वापसी पर ब्याज पर हुए व्यय को त्रुटिवश व्यय के बजाय 'राजस्व में कटौती' के रूप में दर्शाया गया था। विवरण के लिए कृपया इस प्रतिवेदन के पैरा 4.1 का संदर्भ लें।

पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान राजस्व व्यय में हुई ₹1,54,624 करोड़ (10.89 *प्रतिशत*) की वृद्धि के प्रति निवल राजस्व प्राप्ति में ₹1,61,903 करोड़ (15.33 *प्रतिशत*) की वृद्धि द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान संघ सरकार के राजस्व घाटे को ₹7,279 करोड़ से कम करने में मदद मिली परन्तु उसी अवधि के दौरान ₹17,399 करोड़ की वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा पिछले वर्षों से ₹8,716 करोड़ पूंजीगत व्यय में अधिक हो गया। 2013-14 के दौरान लोक ऋण के रूप में सरकार द्वारा सकल उधार पिछले वर्ष की तुलना में ₹26,928 करोड़ अधिक था।

भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में ₹19,555 करोड़ के घाटे के एवं लोक लेखे में ₹38,722 करोड़ के अधिशेष के संयुक्त प्रभाव का परिणाम वित्तीय

वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर संघ सरकार के रोकड़ शेषों में ₹19,167 करोड़ की वृद्धि में हुआ।

1.1.2 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान मुख्य वित्तीय मापदंडों पर निष्पादन

तेरहवें वित्त आयोग (13 वें वि.आ.) की रिपोर्ट द्वारा उल्लिखित आकलनों की तुलना में सकल घरेलु उत्पाद (स.घ.उ.) की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार हेतु मुख्य राजकोषीय सकलों को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 1.2: अनुशंसित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ तथा वास्तविक प्रदर्शन

(स.घ.उ. की प्रतिशतता)

मापदंड	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित				वित्तीय लेखे के अनुसार वास्तविक निष्पादन		
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व घाटा	2.3	1.2	0.0	-0.5	4.47	3.65	3.15
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	0.6	0.8	0.9	1.0	0.62	0.53	0.48
पूंजीगत व्यय	3.1	3.8	3.9	4.5	2.01	1.83	1.76
राजकोषीय घाटा	4.8	4.2	3.0	3.0	5.86	4.95	4.44
ऋण (वर्ष के अंत तक समायोजित देयताएं)	52.5	50.5	47.5	44.8	47.00	47.12	46.36

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, ऋणों के अलावा कोई भी मापदंड 13वें वि.आ. द्वारा 2013-14 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के समीप नहीं था। वर्ष 2013-14 हेतु राजस्व घाटा स.घ.उ. का 3.15 प्रतिशत था। 13वें वि.आ. द्वारा निर्धारित पूर्ण रूप से समाप्त कर दिये जाने का अनुमान था। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति तथा पूंजीगत व्यय में भी पिछले वर्ष की तुलना में तुलनात्मक खराबी स्पष्ट थी। वर्तमान वर्ष में पूंजीगत व्यय 13वें वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधे से भी कम था। वर्तमान वर्ष में ऋण स.घ.उ. के 46.36 प्रतिशत पर रहा जो 47.5 प्रतिशत के अनुशंसित लक्ष्य से कम था तथा इसने पिछले वर्षों से 76 आधार अंकों की कटौती भी देखी गयी।

1.2 संसाधनों का सृजन

राजस्व तथा पूंजीगत, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो संघ सरकार के संसाधन निर्मित करते हैं। कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा कुछ बाह्य एजेंसियों से सहायता अनुदान को मिलाकर राजस्व प्राप्तियां बनती हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक हैं-ऋण प्राप्तियां जो भविष्य में पुनर्भुगतान बाध्यताओं को सृजित करती है तथा गैर-ऋण प्राप्तियां जिनमें विनिवेश तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियां शामिल है जिससे वास्तविक अथवा संभावित परिसंपत्तियों में कटौती होती हैं।

जैसा कि **चार्ट 1.3** से देखा जा सकता है कि स.घ.उ. की तुलना में सकल प्राप्तियों के अनुपात में पिछले तीन वर्षों में स्थिर गिरावट दर्शाई है तथा यह अनुपात स.घ.उ. के 55.34 *प्रतिशत* पर रहा। वर्ष 2012-13 में 15.59 *प्रतिशत* की तुलना में सकल राजस्व प्राप्तियों में केवल 14 *प्रतिशत* की वृद्धि 2013-14 परन्तु, सकल प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान 4.13 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। सकल प्राप्ति की तुलना में सकल ऋण प्राप्ति 2013-14 हेतु 63.64 *प्रतिशत* रही जो 2012-13 में 65.82 प्रतिशत थी इससे बजट को संतुलित करने हेतु ऋण पर निरंतर निर्भरता का पता चलता है।

तालिका 1.3: संसाधन एवं स.घ.उ.

(₹करोड़ में)

वर्ष	सकल राजस्व प्राप्तियां* (1)	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2)	सकल ऋण प्राप्तियां (3)	लोक लेखे में सकल उपार्जन (4)	सकल प्राप्तियां (1+2+3 +4) (5)	स.घ.उ.@ (6)	सकल प्राप्तियां/स.घ.उ. (7)
2011-12	1165691 (20%)	54906 (1%)	4063177 (69%)	620667 (11%)	5904441	8832012	66.85
2012-13	1347438 (22%)	52513 (1%)	3968038 (66%)	660784 (11%)	6028773	9988540	60.36
2013-14	1536024 (24%)	53917 (1%)	3994966 (64%)	692960 (11%)	6277867	11345056	55.34

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े (2013-14 के लिए, ₹3,18,230 करोड़) सम्मिलित हैं । इस घटक को हटाने से ₹12,17,794 करोड़ का निवल राजस्व प्राप्तियां होती हैं। जैसा कि* ***तालिका 1.1* *में दिखाया गया है।*

@ *स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (के.सां.का.) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस नोट दिनांक* 30 *जनवरी* 2015

चार्ट 1.1: सकल प्राप्तियां एवं स.घ.उ. से सम्बन्धित प्रवृत्ति

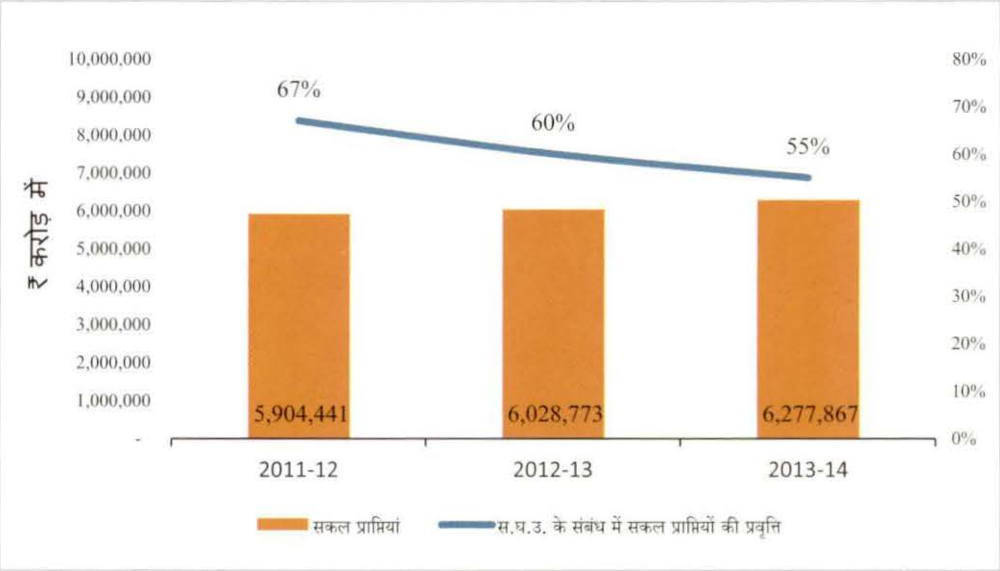

1.2.1 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां जिसके प्रमुख संघटक कर एवं गैर-कर प्राप्तियां होती हैं, राजस्व की सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं क्योंकि इन प्राप्तियों द्वारा किसी तरह की भविष्य देयताओं की बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की चर्चा आगामी पैरों में की गई है।

1.2.2 प्रमुख राजस्व संबंधित मापदंडों के बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों के बीच अंतर

यथार्थवादी बजटीय अनुमानों का निरूपण व्यय नियंत्रण तथा रोकड़ एवं ऋण प्रबन्धन हेतु महत्वपूर्ण है। चार्ट 1.2 दर्शाता है कि कर राजस्व संघटकों से सकल प्राप्तियां अनुमानित स्तर से कम थी। विशेष रूप से, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर बजट अनुमानें से क्रमश: 13.90 *प्रतिशत* तथा 14.08 *प्रतिशत* पिछड़ गए। गैर कर राजस्व क्षेत्र में ब्याज तथा लाभ एवं लाभांश से प्राप्तियां ब.अ. से क्रमश: 33.46 *प्रतिशत* तथा 22.44 *प्रतिशत* अधिक थीं।

चार्ट 1.2 बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक मुख्य राजस्व संघटक

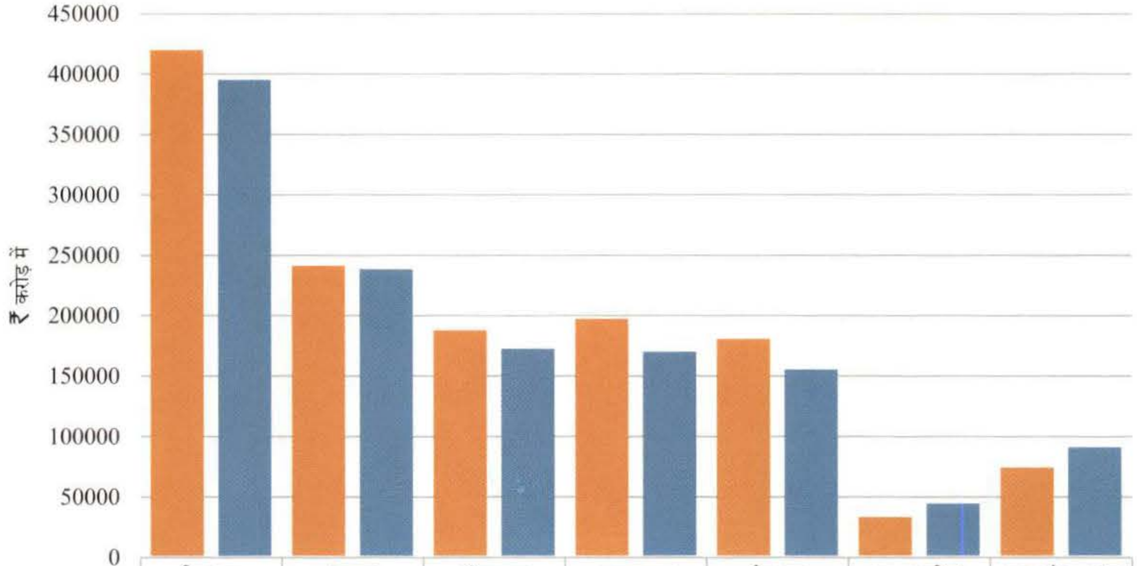

	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पादशुल्क	सेवा कर	ब्याज प्राप्तियां	लाभ और लाभांश
बजट अनुमान	419520	240919	187308	196805	180141	32990	73866
वास्तविक	394678	237870	172085	169455	154780	44027	90442

1.2.3 कर राजस्व

चार्ट 1.4: कम राजस्व के घटक (सकल)

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आय कर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य *	स.घ.उ.
2011-12	889118	322816	164525	149328	144901	97509	10039	8832012
2012-13	1036461	356326	196844	165346	175845	132601	9499	9988540
2013-14	1138996	394678	237870	172085	169455	154780	10128	11345056
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)								
2011-12	12.08	8.08	18.28	9.95	5.23	37.31	(-) 8.64	@
2012-13	16.57	10.38	19.64	10.73	21.36	35.99	(-)5.38	13.09
2013-14	9.89	10.76	20.84	4.08	(-)3.63	16.73	6.62	13.58

 # राज्यों / सं.शा.क्षे.को दिए गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।

** अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, संपत्ति कर, उपहारकर, अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिग रोकड़ लेन-देन कर आदि शामिल हैं।*

@ स.घ.उ. का आधार वर्ष 2011-12 के रूप में परिवर्तन होने के कारण आंकड़ा उपलब्ध नहीं।

जैसा कि **तालिका 1.4** से स्पष्ट है उत्पाद शुल्कों की वृद्धि दर जो 2012-13 में 21.36 *प्रतिशत* से 2013-14 में (-) 3.63 *प्रतिशत* तक रह गयी, में गिरावट

के रूख के बावजूद कर राजस्व क्षेत्र के अन्य संघटकों में समग्र वृद्धि के परिणामस्वरूप सकल कर राजस्व में 9.89 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। सकल करों में वृद्धि वर्तमान वर्ष हेतु स.घ.उ. की वृद्धि से कम थी जो पिछले वर्ष का रूख पलटने का संकेत देता है। आयकर तथा निगम कर ने 2011-14 के दौरान एक निरंतर वृद्धि का रूख बनाये रखा। आयकर की वृद्धि दर (20.84 *प्रतिशत*) 2013-14 में कर राजस्व की वृद्धि दर (9.89 *प्रतिशत*) से अधिक था। इसने पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान स.घ.उ. को वृद्धि दर को भी पीछे छोड़ा। सेवा कर में वृद्धि 2012-13 में 35.99 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 16.73 प्रतिशत तक नीचे आ गयी।

2012-13 तथा 2013-14 के दौरान कर राजस्वों के घटकों के सापेक्ष योगदानों की तुलना, आयकर (दो *प्रतिशत*) तथा निगम कर (एक *प्रतिशत*) अंशों में आंशिक वृद्धि को दर्शाती है। जैसा कि चार्ट 1.3 में स्पष्ट किया गया है, दूसरी ओर, उत्पाद शुल्क (दो *प्रतिशत*) तथा सीमा शुल्क (एक *प्रतिशत*) के हिस्सों में गिरावट थी।

चार्ट 1.3: कर राजस्व के घटक (सकल)

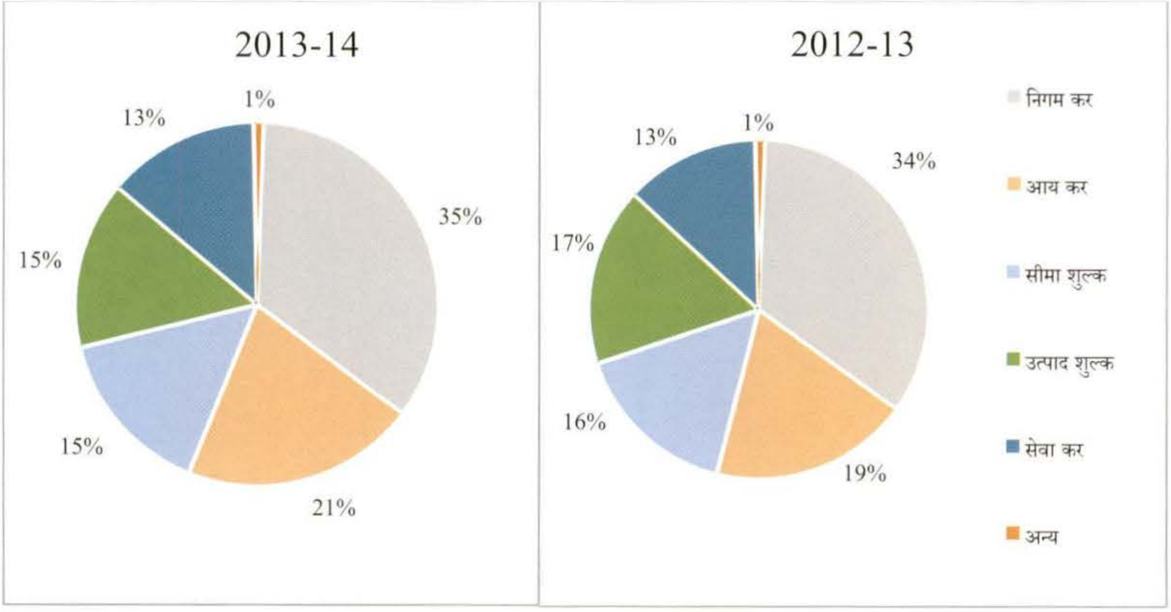

1.2.4 गैर-कर राजस्व

तालिका 1.5 दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान, गैर-कर राजस्व का सबसे बड़ा अंश (57 *प्रतिशत*) विभिन्न विभागों जो आम जनता को आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं। द्वारा लगाए गए उपभोक्ता प्रभारों से आया है। ब्याज प्राप्तियां गैर कर राजस्व का 11 *प्रतिशत* रही जबकि लाभांश तथा लाभ का योगादान लगभग 23 *प्रतिशत* रहा। गैर-कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 2012-13 में 12.44 *प्रतिशत* से बढ़कर 2013-14 में 27.67 *प्रतिशत* हो गयी। यह मुख्यत: लाभांश एवं लाभ से प्राप्तियों (68.23 *प्रतिशत*) में महत्वपूर्ण वृद्धि सामाजिक सेवाओं के सिवाय लगभग सभी घटकों की प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि के कारण थी।

सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों ने सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण उपायों से ₹3,594 करोड़ की एक बार की प्राप्ति के कारण 2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान 387.75 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की परंतु 2013-14 में यह 72.69 *प्रतिशत* नीचे आ गई। गैर-कर राजस्व की तुलना में सामाजिक सेवाओं के सापेक्ष अंश नगण्य रहा।

तालिका 1.5: गैर-कर राजस्व-उप संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(₹ करोड़ में)

अवधि	कुल गैर कर राजस्व#	ब्याज प्राप्तियां	लाभ एवं लाभांश	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	शासकीय तथा अन्य कार्य**
2011-12	276573	40054	50609	988	158283	26639
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	18	नगण्य	57	10
2012-13	310977	38860	53762	4819	184662	28874
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	13	17	2	59	9
2013-14	397028	44027	90442	1316	227661	33582
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	11	23	नगण्य	57	9
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
2011-12	(-)22.89	13.47	5.45	21.38	(-)36.24	1.20
2012-13	12.44	(-)2.98	6.23	387.75	16.67	8.39
2013-14	27.67	13.30	68.23	(-)72.69	23.29	16.31

नोट: सापेक्ष अंशों के आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक तक दिखाया गया है इसलिए कुल योग हमेशा 100 नहीं भी हो सकता है। नगण्य उन आंकड़ों को दर्शाता है जहां उप-घटक का अंश गैर-कर राजस्व के 0.5 प्रतिशत से कम है।

 # अंतर्राष्ट्रीय ऐजेन्सियों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान तथा अंशदान शामिल है। सामाजिक सेवाएं: शिक्षा, स्वास्थ्य जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि। आर्थिक सेवा: डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वनिकी, वृक्षारोपण, खाद्य संचयन तथा भंडारण, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता, प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा सरकारी विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम की प्राप्तियां।

*** राजकोषीय सेवाएं तथा सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, रक्षा, अन्य प्रशासनिक सेवाएं, सहायता-अनुदान तथा अंशदान आदि)*

2013-14 के दौरान, लाभांश एवं लाभ से प्राप्तियां ₹73,866 करोड़ की अनुमानित थीं जिसे बाद में संशोधित अनुमान चरण पर ₹88,188 करोड़ तक बढ़ा दिया परंतु वास्तविक प्राप्तियां ₹90,442 करोड़ की हुई जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 68.23 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत वृद्धि हेतु उत्तरदायी मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम/क्रियाकलाप थे: (i) 'पेट्रोलियम से लाभ' जो 2012-13 में ₹9,366.61 करोड़ से 2013-14 में ₹11,368.67 करोड़ (21.37 *प्रतिशत*) तक बढ़ा (ii) सड़क एवं पुल-सड़कों पर पथकर जो 2012-13 में ₹3,894 करोड़ से 2013-14 से ₹5,144.67 करोड़ (32.12 *प्रतिशत*) तक बढ़ा (iii) अन्य संचार सेवाएं जो 2012-13 में ₹18,902 करोड़ से 2013-14 में ₹40,113.76 करोड़ (112.22 *प्रतिशत*) तक बढ़ा।

1.2.5 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

विविध पूंजीगत प्राप्तियों (बोनस शेयर, विनिवेश आदि) तथा ऋण एवं पेशगियों की वसूली से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, बनती हैं। तालिका 1.6 में विविध पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत किया गया। 2012-13 के दौरान, विविध पूंजीगत प्राप्तियों से प्राप्तियां वर्तमान वर्ष की तुलना में बजट अनुमानों के अधिक निकट थीं। ऋणों की वसूली, पिछले वर्षों के जैसे बजट अनुमानों, से अधिक रही, जिससे आकलनों के निर्धारण में कमी पता चलती है।

तालिका 1.6 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति से वसूली

अवधि	विविध पूंजीगत प्राप्ति			ऋणों की वसूली		
	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक वसूली* (वा.प्रा.)	*वा.* की ब.अ. से प्रतिशतता	बजट अनुमान (ब.अ.)	वास्तविक वसूली (वा.प्रा.)	*वा.व.* की ब.अ. से प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)			*(₹ करोड़ में)*		
2011-12	40000	16471	41.18	26510	36818	138.88
2012-13	30000	25408	84.69	23095	26624	115.28
2013-14	55814	29368	52.62	22054	24549	111.31

**बोनस शेयरों से प्राप्तियां शामिल नहीं है।*

1.3 व्यय विश्लेषण

भारत सरकार की समेकित निधि से तथा लोक लेखे से 2013-14 के लिए भारत सरकार के कुल संवितरण ₹ 59,40,470 करोड़ के थे। जैसा कि **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है, कुल संवितरण के तीन मुख्य घटक हैं।

चार्ट 1.4: कुल संवितरणों के घटक तालिका

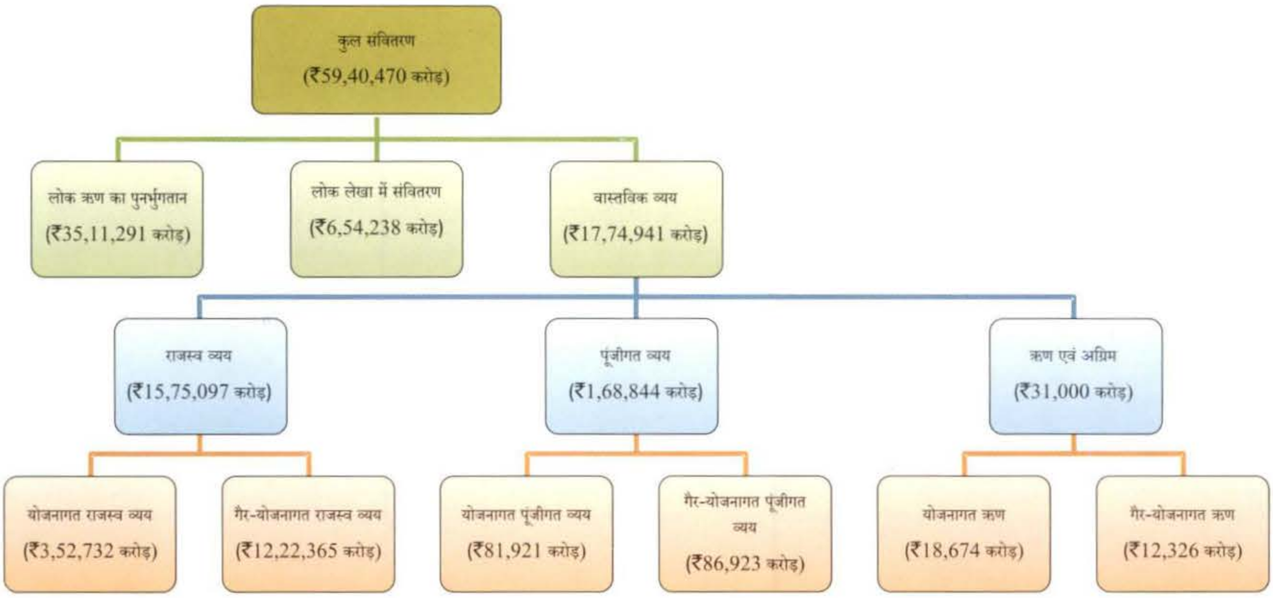

2013-14 में, सरकार के कुल संवितरण ₹56,86,214 करोड़ के पिछले वर्ष के संवितरणों से 4.47 *प्रतिशत* तक बढ़े। भा.स.नि. से 88.99 *प्रतिशत* (लोक ऋण का पुनर्भुगतान 59.11 *प्रतिशत* तथा वास्तविक व्यय 29.88 *प्रतिशत*) था। शेष 11.01 प्रतिशत संवितरण लोक लेखे से था।

नीचे **तालिका 1.7** सरकार द्वारा किए गए संवितरणों के मुख्य घटकों के अंश को दर्शाती है। जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है कि कुल संवितरण के संघटकों ने 2011-14 के दौरान सुधार देखा। कुल संवितरण में ऋण के पुनर्भुगतान का अनुपात 2011-12 के दौरान 62.06 *प्रतिशत* से 2013-14 में 59.11 *प्रतिशत* तक घट गया है। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक व्यय का अंश 26.33 *प्रतिशत* से 29.88 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। 2011-14 के दौरान लोक लेखा संवितरण लगभग 11 *प्रतिशत* पर वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में

राजस्व व्यय लगभग 88 प्रतिशत पर रहा। वास्तविक व्यय के प्रति योजनागत व्यय का अनुपात 2011-12 में 27.81 *प्रतिशत* से 2013-14 में 25.54 प्रतिशत तक घटा है।

1.7: कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का अंश

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14
कुल संवितरण (कु.सं.) (प्रतिशत में)	100.00	100.00	100.00
कु.सं. के घटकों की कु.सं. से प्रतिशतता			
ऋण का पुनर्भुगतान	62.06	60.27	59.11
लोक लेखा से संवितरण	11.61	11.54	11.01
वास्तविक व्यय (वा.व्य.)	26.33	28.19	29.88
वा.व्य. के घटकों की वा.व्य. से प्रतिशतता			
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	88.01	88.62	88.74
पूंजीगत व्यय (पूं.व्य.)	9.40	9.38	9.51
कर्जों एवं पेशगियां (क.प.)	2.59	2.00	1.75
रा.व्य. के घटकों की रा.व्य. से प्रतिशतता			
योजनागत राजस्व व्यय	25.57	23.18	22.39
गैर योजनागत पूंजीगत	74.43	76.82	77.61
पूं.व्य. के घटकों की पूं.व्य. से प्रतिशतता			
योजनागत राजस्व व्यय	41.98	45.24	48.52
गैर योजनागत पूंजीगत व्यय	58.02	54.76	51.48
क.पे. घटकों की क.पे. से प्रतिशतता			
योजनागत कर्जे	52.35	51.13	60.24
गैर योजनागत कर्जे	47.65	48.87	39.76
योजनागत व्यय की वा.व्य. से प्रतिशतता	27.81	25.80	25.54
गैर-योजनागत व्यय की वा.व्य. से प्रतिशतता	72.19	74.20	74.46

1.3.1 राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय वह वर्तमान व्यय है, जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन का परिणाम नहीं होता। यह केवल सरकार के नियमित परिचालन के लिए होता है जिसमें अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि शामिल होते हैं। राज्य सरकारों अथवा अन्य निकायों या प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों को भी राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों

के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयर पूंजी में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियां शामिल हैं। **चार्ट 1.5** पूंजीगत व्यय के ऊपर राजस्व व्यय के प्रभुत्व को दर्शाता है। वर्ष 2011-12 में पूंजीगत व्यय का अंश 12 *प्रतिशत* था तथा राजस्व व्यय 88 *प्रतिशत* पर था। तथापि, अगले वर्ष में पूंजीगत लेखा व्यय 11 *प्रतिशत* रह गया तथा 2013-14 में उसी स्तर पर रहा। वास्तविक आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में 1.90 *प्रतिशत* की नकारात्मक वृद्धि के पश्चात इसने 2013-14 में 9.54 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

चार्ट 1.5: पूंजीगत व्यय के साथ राजस्व व्यय की तुलना

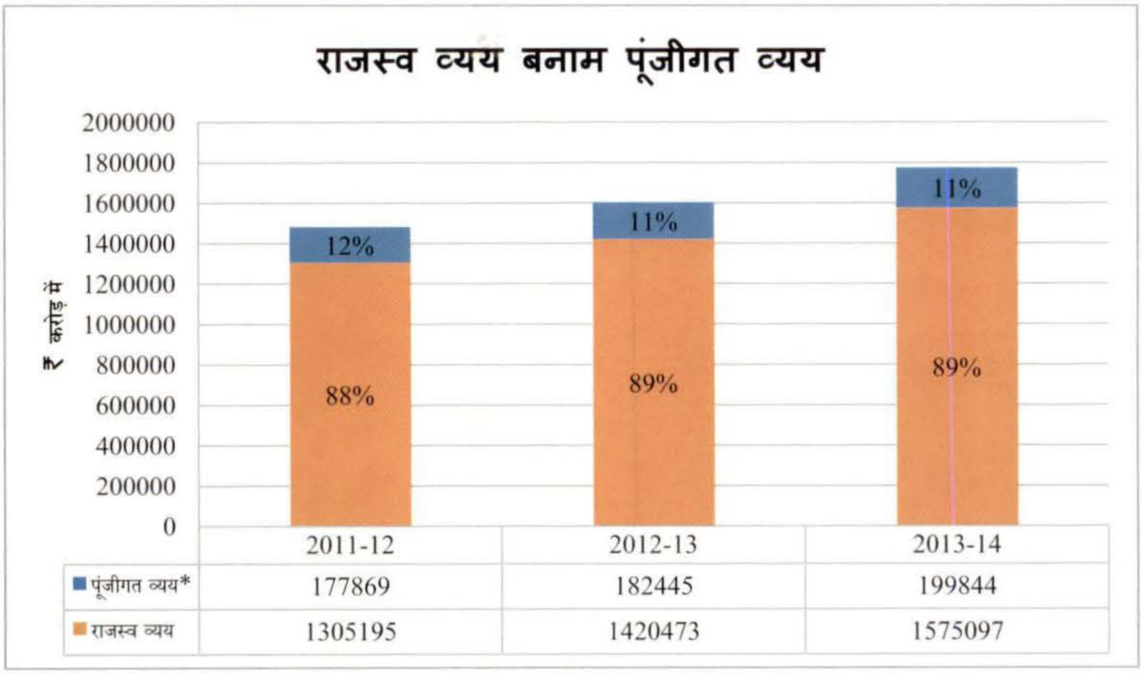

** ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।*

2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का अंश लगभग 88.62 *प्रतिशत* था जो बाद में 2013-14 के दौरान 88.74 *प्रतिशत* तक मामूली बढ़ा।

1.3.2 राजस्व व्यय का विश्लेषण

(क) राजस्व व्यय की अधिकता

जैसा ऊपर देखा गया कि सरकारी व्यय का अधिकांश भाग राजस्व व्यय की ओर जाता है। जिससे प्राय: सरकार की नई परिसंपत्तियां का निर्माण नहीं

होता तथा इससे सरकारी मशीनरी का नियमित परिचालन तथा रखरखाव किया जाता है। वर्ष 2013-14 का कुल राजस्व ₹15,75,097 करोड़ था। जैसा कि **चार्ट 1.6** में दिखाया गया है, राजस्व व्यय का लगभग दो तिहाई तीन संघटकों अर्थात् सहायता अनुदान, ब्याज भुगतान तथा आर्थिक सहायता की ओर था।

चार्ट 1.6: राजस्व व्यय के मुख्य घटक

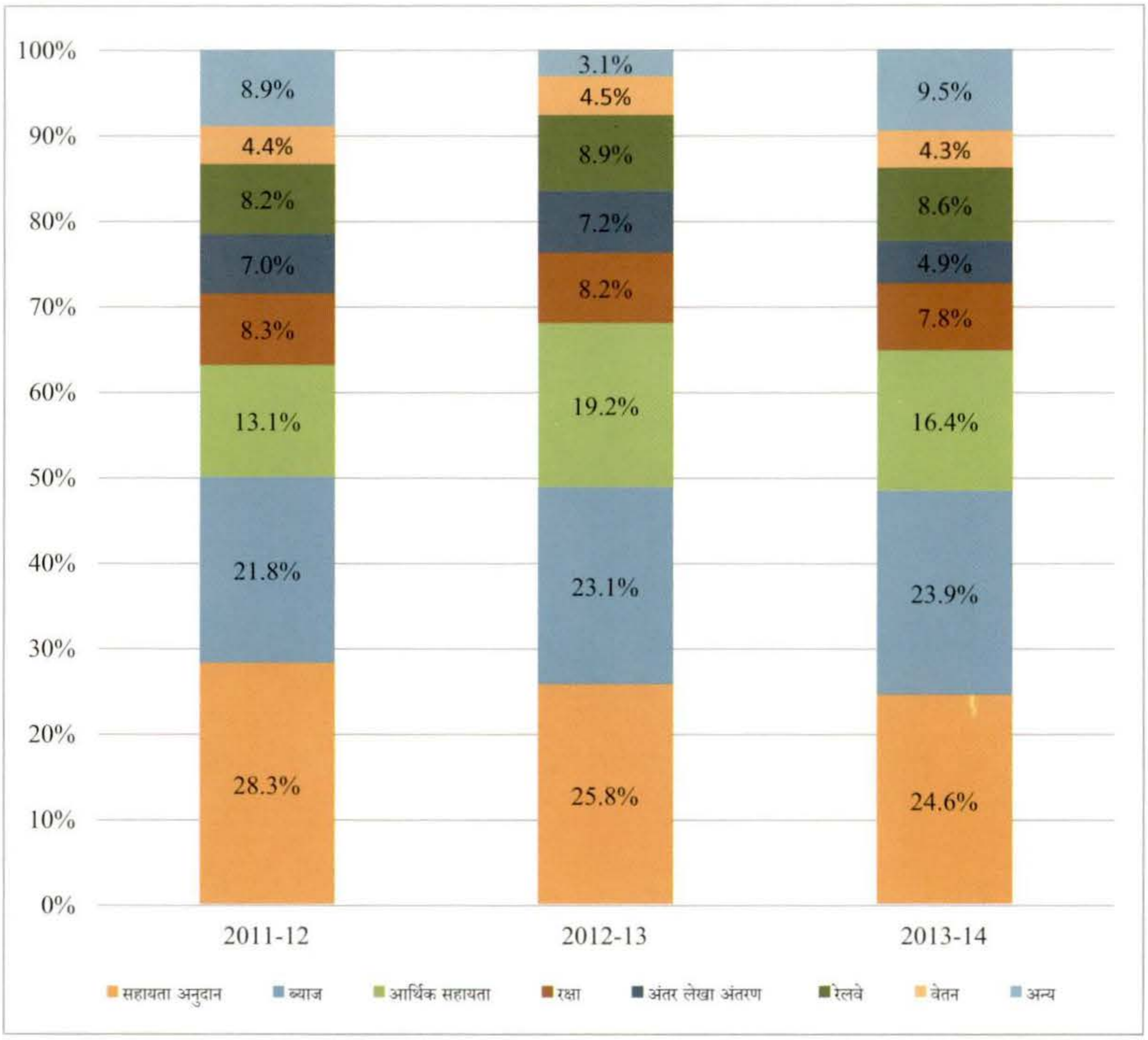

स्रोत: सहायता अनुदान नवम्बर 2014 को 'इ-लेखा' डाटा डम्प से प्राप्त किया गया है। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।
नोट: *2011-12* के दौरान गलत वर्गीकरण के कारण *₹65,000* करोड़ की राशि की आर्थिक सहायता को आर्थिक सहायता में गिना नहीं गया। मुख्य शीर्ष '2048' एवं 2049' के नीचे विषय शीर्ष 45 के अंतर्गत आंकड़े केवल ब्याज' पर व्यय के लिए गए थे। 'रक्षा' रक्षा मंत्रालय से संबंधित सिविल अनुदानों को शामिल नहीं करता है। अन्य' निवल 'कटौती वसूलियां'।

राजस्व व्यय 2012-13 के दौरान 8.83 प्रतिशत के प्रति चालू वर्ष के दौरान 10.89 प्रतिशत तक बढ़ गया। वचनबद्ध तथा अनिवार्य व्यय जैसे कि ब्याज

भुगतान, पेंशन, वेतन तथा रक्षा संबंधित व्यय राजस्व व्यय का मुख्य अंश लेता है।

(ख) राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

सहायता अनुदान: सामान्य तथा पूंजी सृजन दोनों के लिए सहायता अनुदान राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों तथा विदेशी सरकारों को दी गई है। भारत की समेकित निधि से अनुदान निकायों/प्राधिकरणों/हस्तियों को दोनों उद्देश्यों तथा वेतनों के भुगतान हेतु भी दी जाती है। अनुदानों को उसी उद्देश्य जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए हैं, उपयोग किया जाना होता है तथा शेष अप्रयुक्त राशियों को अभ्यर्पित अथवा आवर्ती अनुदानों के मामले में भविष्य में समायोजित किया जाना होता है। सार्वजनिक वितरण के नए मॉडलों के संदर्भ मे, सहायता अनुदान सिविल मंत्रालय के लिए राजस्व व्यय का अति महत्वपूर्ण घटक बन गया है जैसा कि **चार्ट 1.6** से स्पष्ट है। पिछले दो वर्षों से राजस्व व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात 2011-12 में 28.3 *प्रतिशत* तक अधिक था परंतु 2013-14 में 24.6 *प्रतिशत* तक घट गया है।

ब्याज भुगतान: चार्ट 1.6 के अनुसार, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का दूसरा बड़ा घटक है। यह लोक ऋण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों पर ब्याज तथा सरकार की अन्य ब्याज सहित देयताओं जिसमें बीमा तथा पेंशन निधियों, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज आदि शामिल हैं, का भुगतान करने की व्यवस्था करता है। **तालिका 1.8** के अनुसार राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2011-12 में 21.99 *प्रतिशत* था जो चालू वर्ष में 25.09 *प्रतिशत* तक बढ़ गया। बढ़ते हुए ब्याज भुगतानों का अंश अन्य व्यय में से परिपूर्णता को दर्शाता है। 2012-13 में 15.05 *प्रतिशत* की वृद्धि के प्रति 2013-14 में ब्याज भुगतान की वृद्धि 19.70 *प्रतिशत* थी।

तालिका 1.8: संघ सरकार वित्त लेखे में राजस्व व्यय का ब्याज भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	ब्याज भुगतान*	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान का राजस्व व्यय से अनुपात
2011-12	286982	1305195	21.99
2012-13	330171	1420473	23.24
2013-14	395200	1575097	25.09

**ऋण की कटौती अथवा परिहार पर व्यय शामिल है।*

जैसा कि **चार्ट 1.7** में दर्शाया गया है, आंतरिक ऋण (₹3,44,893 करोड़) के कारण ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों का 87 *प्रतिशत* है।

चार्ट 1.7: ब्याज व्यय के प्रमुख घटक

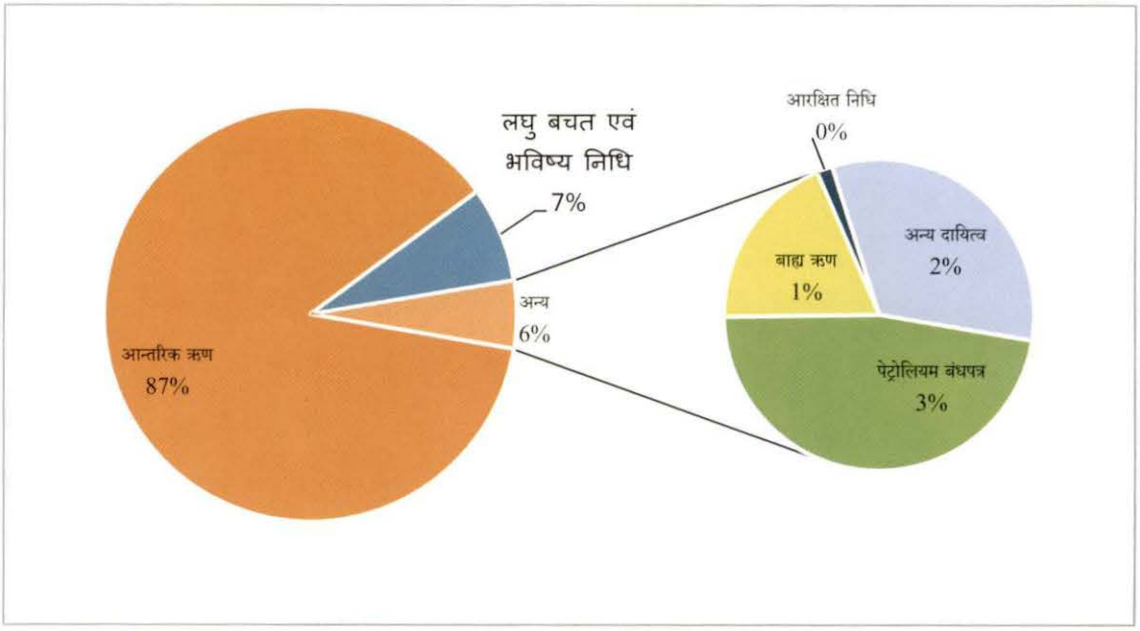

स्रोत: संघ सरकार वित्त लेखा 2013-14

कुल ब्याज भुगतान (ऋण की सर्विसिंग सहित ₹3,95,200 *करोड़, आंतरिक ऋण पर ब्याज* ₹3,44,893 *करोड़, बाह्य ऋण पर ब्याज :* ₹3,880 *करोड़, लघु बचत एवं भविष्य निधि पर ब्याज:* ₹29,426 *करोड़, पेट्रोलियम बंध पत्रों पर ब्याज :* ₹9,849 *करोड में, रिजर्व निधि पर ब्याज* ₹342 *करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :* ₹6,810 *करोड़।*

आर्थिक सहायताएं: आर्थिक सहायताएं आर्थिक लाभ (जैसे कर भत्ता या शुल्क छूट) या वित्तीय सहायता (जैसे नकद अनुदान या आसान ऋण) को प्रदर्शित करती है जो सरकार द्वारा किसी वस्तु के बाजार मूल्य को इसके लागत मूल्य

से कम करने के लिए प्रदान की जाती है। **तालिका 1.9** आर्थिक सहायताओं जिसे सरकार ने सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था, की स्थिति दर्शाती है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का बढ़ा हिस्सा खाद्य, उरर्वक एवं पेट्रोलियम आर्थिक सहायता की ओर है।

तालिका 1.9: संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक बाध्यताएं

अवधि	खाद्य	उर्वरक@ (यूरिया)	उर्वरक# (विनियंत्रित)	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता	अन्य *	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता (क)	आर्थिक सहायता (ख)
	(₹ करोड़ में)						प्रतिशतता	
2011-12	72822	33924	36108	68481	6567	217902	2.47	16.69
2012-13	85000	35132	30576	96880	9591	257179	2.57	18.11
2013-14	92000	38038	29427	85378	9902	254745	2.25	16.17

@ देशी एव आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

 # विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

** अन्य में ब्याज आर्थिक सहायता, नेफेड को दिया गया अनुदान, मुद्रा नुकसान के लिए मुआवजा, हज अध्यायों के लिए आर्थिक सहायता के लिए आदि।*

(क) सं.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में *(ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में*

विनियंत्रित उरर्वकों तथा पेट्रोलियम पर आर्थिक सहायताएं पिछले वर्ष से 2013-14 में क्रमश: ₹1,149 करोड़ तथा ₹11,502 करोड़ तक कम हुई थी।

2013-14 तथा 2012-13 में सरकार द्वारा दी गई सुस्पष्ट आर्थिक सहायता के घटक पाई **चार्ट 1.8** में भी दर्शाए गए हैं। जैसा कि **चार्ट 1.8** तथा **तालिका 1.9** से देखा जा सकता है, आर्थिक सहायताओं में 2012-13 के दौरान स.घ.उ. के औसतन 2.57 *प्रतिशत* से 2013-14 में 2.25 *प्रतिशत* तक की आंशिक कमी हुई। 2013-14 में, सरकार द्वारा प्रदत्त सुस्पष्ट आर्थिक सहायता स.घ.उ. का 2.25 *प्रतिशत* बनती है। उर्वरक (विनियंत्रित) आर्थिक सहायताओं का अंश 2012-13 एवं 2013-14 में 12 *प्रतिशत* के स्तर पर बना रहा। पेट्रोलियम आर्थिक सहायताओं के अंश में 38 *प्रतिशत* से 33 *प्रतिशत* तक कमी हुई। हालांकि, दूसरी ओर खाद्य आर्थिक सहायताओं का अंश 33 *प्रतिशत* से 36 *प्रतिशत* तक बढ़ा।

चार्ट 1.8: सुस्पष्ट आर्थिक सहायताओं के घटक

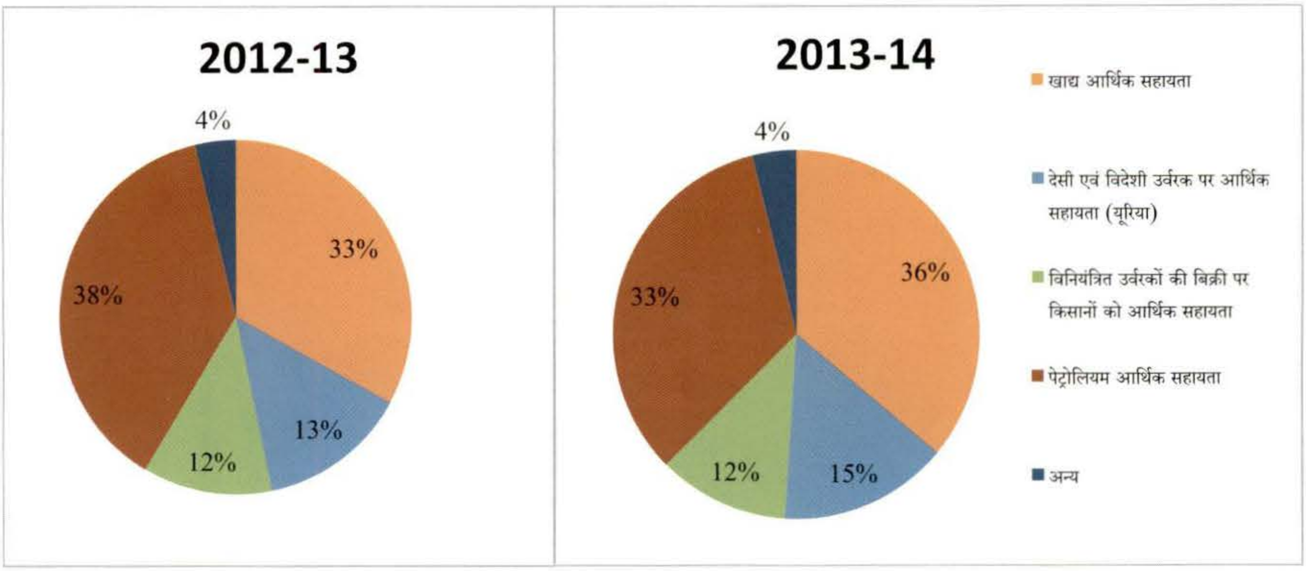

आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा प्रदान करके भी उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को सामान्यत: अस्पष्ट आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, सा.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अस्पष्ट आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। **तालिका 1.9** में प्रदर्शित 'आर्थिक सहायताएं' केवल सुस्पष्ट आर्थिक सहायताओं से संबंधित है जिनके लिए संबंधित वर्षों के संघ बजट में आबंटन किए जाते हैं।

पेंशन भुगतान: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय 2011-12 में ₹61,166 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹74,896 करोड़ हो गया जिसमें 2011-14 में 22.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। **चार्ट 1.9**, 2011-14 की अवधि की स्थिति को दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विचाराधीन रक्षा पेंशनों के मामले में, पेंशन भुगतानों में 21.11 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई तथा यह ₹45,499 करोड़ था। रक्षा पेंशन भुगतान संघ सरकार द्वारा किए गए कुल पेंशन भुगतान का 61-62 *प्रतिशत* था। 2011-12 में सिविल पेंशन ₹23,597 करोड़

रही, 2013-14 में बढ़कर ₹29,397 करोड़ हो गई और उसमें विचाराधीन अवधि (अर्थात 2011-14) में 24.58 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज हुई।

चार्ट 1.9: पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय

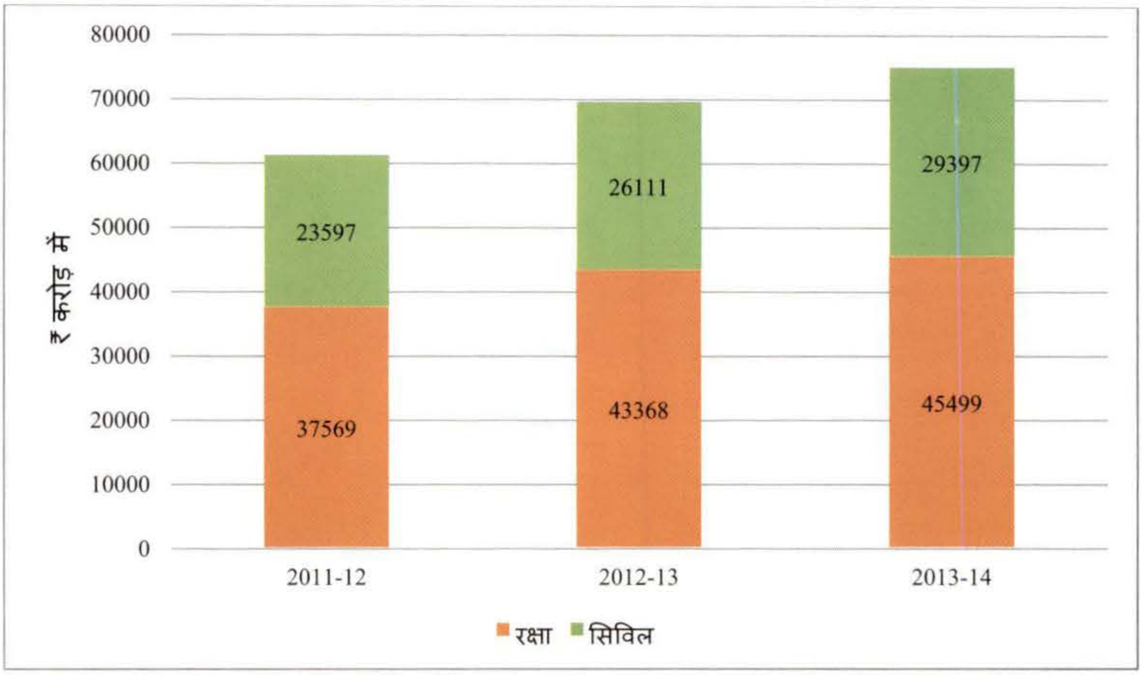

रक्षा व्यय: जैसा कि **चार्ट 1.10** में दर्शाया गया है, रक्षा क्षेत्र के राजस्व व्यय में, थल सेना (₹87751 करोड), नौसेना (₹13472 करोड़), वायु सेना (₹20,160 करोड़), आयुध कारखाने (₹2,811 करोड़) अनुसंधान एवं विकास (₹5,696 करोड़) रक्षा पेंशन (₹45,499 करोड़) तथा रक्षा मंत्रालय (₹15,733 करोड़)[3] के व्यय शामिल हैं। 2013-14 में यह केन्द्रीय सरकार के कुल राजस्व व्यय का 12.13 *प्रतिशत* था।

[3] स्रोत: अनुदान-20 के विनियोग लेखे - रक्षा मंत्रालय

चार्ट 1.10: 2013-14 की अवधि में रक्षा पर व्यय

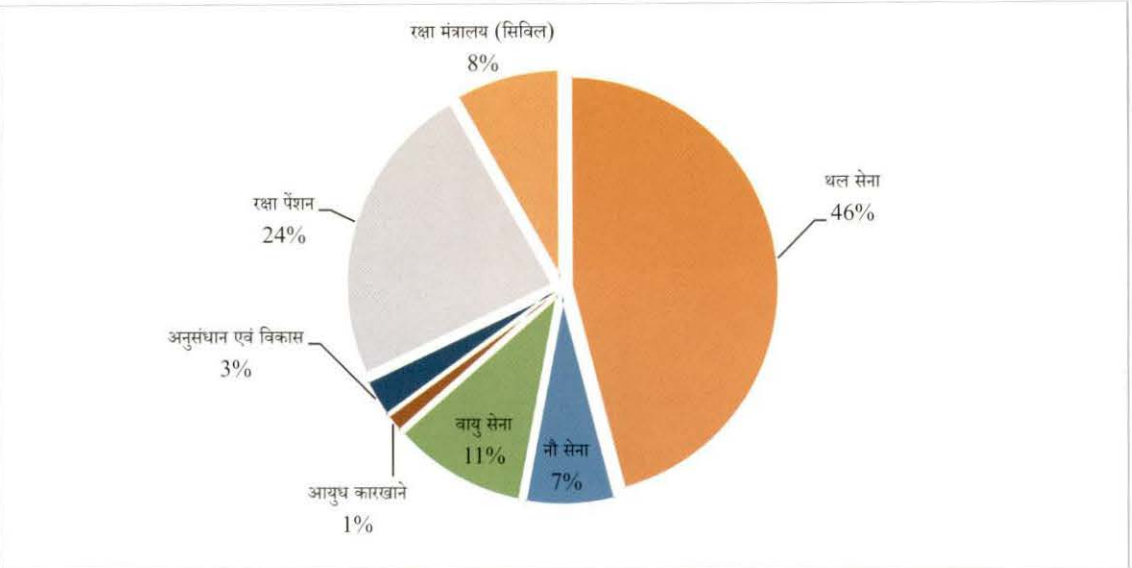

1.3.3 पूंजीगत व्यय का विश्लेषण

पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) जो परिसंपत्ति अर्जन पर किए गए व्यय का तथा मौजूदा परिसंपत्तियों के उपयोग में वृद्धि करने का सूचक है, पिछले वर्ष में ₹17,399 करोड़ (9.54 *प्रतिशत*) तक बढ़ा तथा 2013-14 में ₹1,99,844 करोड़ (₹31000 करोड़ ऋण तथा अग्रिम को शामिल करते हुए) रहा। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2012-13 में 9.38 *प्रतिशत* से 2013-14 में 9.51 *प्रतिशत* तक सीमांत रूप से बढ़ा है (तालिका 1.7)। फिर भी केन्द्र सरकार का ऋण तथा आगम में अंश कुल व्यय के 2 प्रतिशत से 1.75 प्रतिशत घटा है।

चार्ट 1.11: 2013-14 में पूंजीगत व्यय वित्तिय वर्ष मुख्य क्षेत्र का आंबटन

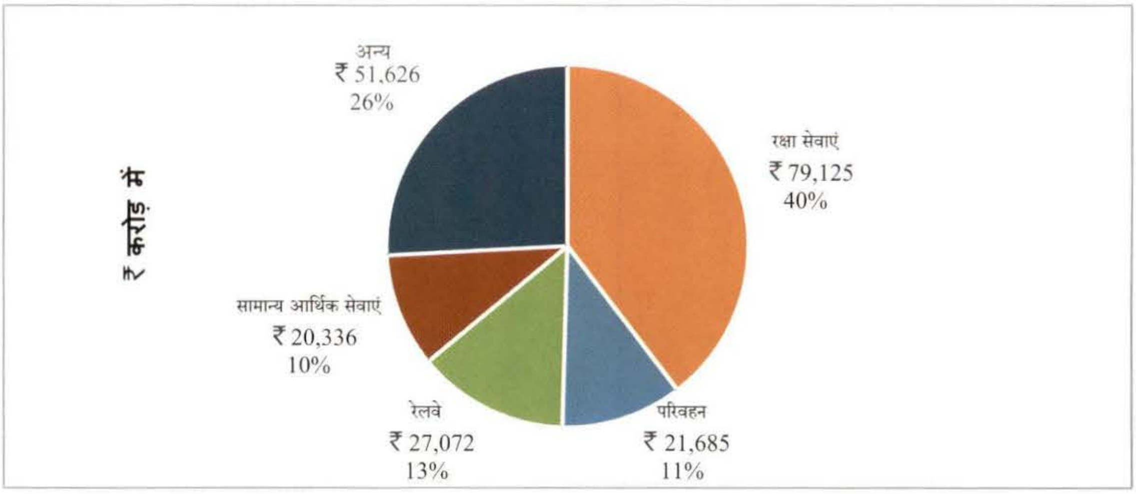

चार्ट 1.11 दर्शाता है कि रक्षा सेवाओं, परिवहन, रेलवे तथा सामान्य आर्थिक सेवाओं ने चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय का 74 *प्रतिशत* व्यय दर्ज किया।

- सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रम बैंक में निवेशित ₹16,100 करोड़ (79 *प्रतिशत*), एशियाई विकास बैंक में निवेश के रूप में ₹279 करोड़ (1.37 *प्रतिशत*) तथा पुनर्निर्माण तथा विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक में निवेश के प्रति ₹231 करोड़ (1.14 *प्रतिशत*) था।
- अन्य के मामले में, व्यय का मुख्य खण्ड राज्य प्लान योजना हेतु कर्जों के अंतर्गत ब्लाक कर्ज (₹11,000 करोड़) तथा शहरी विकास के अंतर्गत स्थानीय निाकयों, नगरपालिकाओं आदि हेतु कर्जे (₹4,633 करोड़) के कारण था।

1.3.4 योजनागत व्यय का विश्लेषण

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और गैर योजनागत में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय, सामान्यत: नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है तथा इसमें राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय समाविष्ट होते हैं। दूसरी ओर गैर योजनागत व्यय सामान्यत: पहले

से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए समर्पित होता है। तथापि, योजनागत तथा गैर योजनागत व्यय दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि इससे सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क का विस्तार और पूंजी निर्माण होता है। **चार्ट 1.12** सरकार के योजनागत और गैर योजनागत व्यय का ब्यौरा दर्शाता है। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय 2011-12 के दौरान 28 *प्रतिशत* था परंतु 2013-14 में 26 *प्रतिशत* के स्तर तक घटा।

चार्ट 1.12: योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय का विश्लेषण

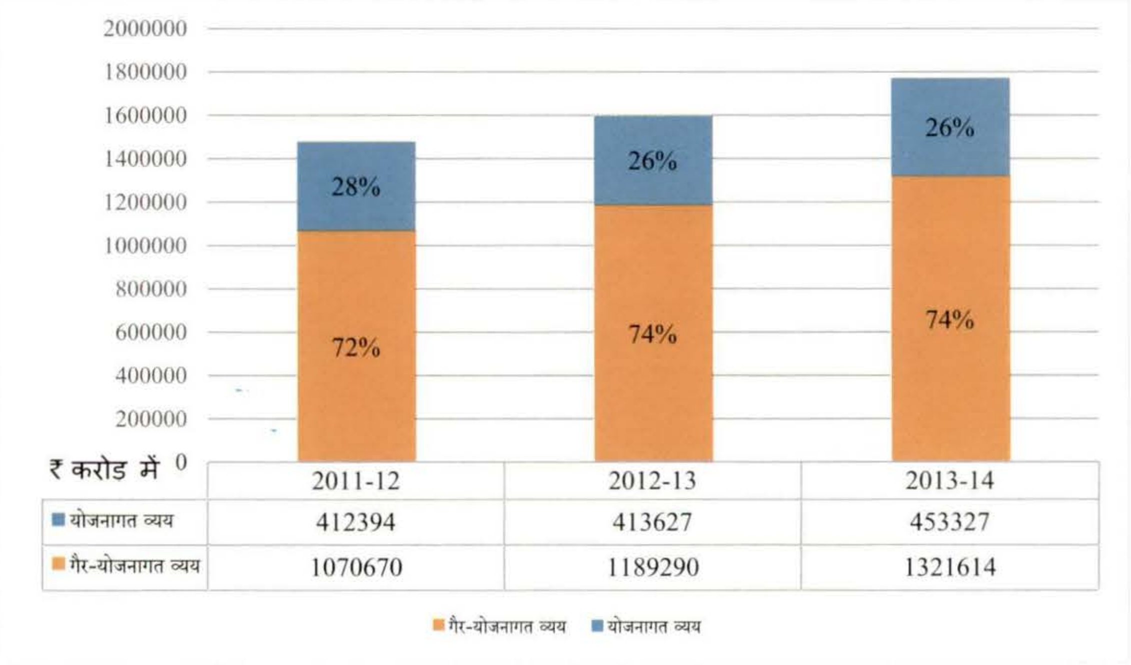

1.3.5 योजनागत व्यय के मुख्य घटक

जैसा कि **चार्ट 1.13** से देखा जा सकता है कि योजनागत व्यय का 89 *प्रतिशत* सहायता अनुदान, निवेश, ऋणों एवं आर्थिक सहायता पर खर्च होता है। 2011-12 की तुलना में, 2013-14 के दौरान सहायता अनुदान पर किया गया व्यय सिविल मंत्रालयों के मामले में कुल योजनागत व्यय के 75 प्रतिशत पर स्थिर रहा था। योजनागत व्यय के मंत्रालय-वार/अनुदान-वार घटक **अनुबंध 1.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.13: योजनागत व्यय के घटक

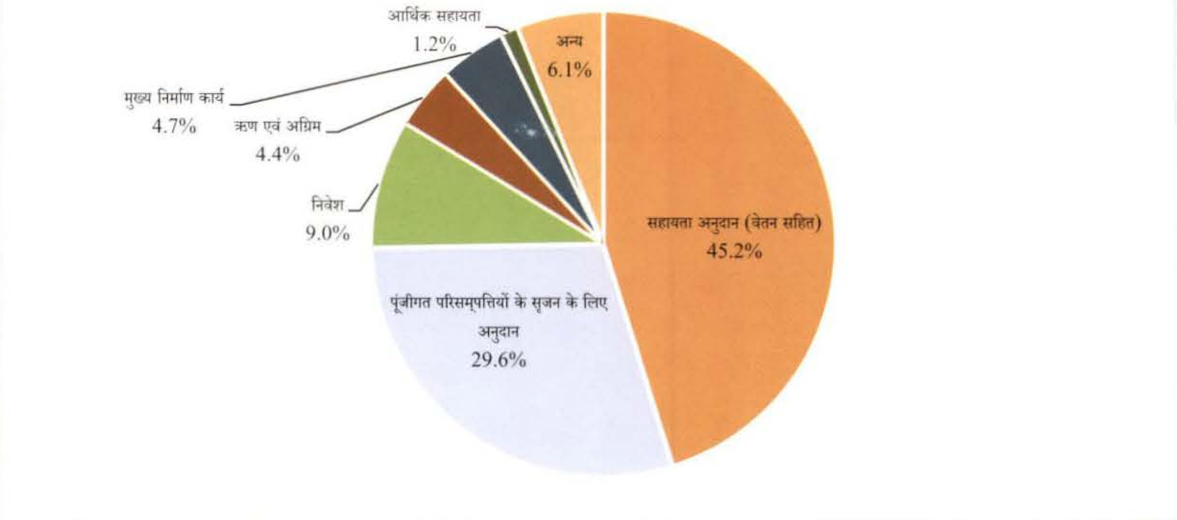

स्रोत: 24 नवम्बर 2014 को ई-लेखा द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा(संख्या 22 से 27), डाक (सं.13), रेलवे एवं विनियोग ऋण का पुनर्भुगतान (सं 37) से संबंधित अनुदानों को छोड़कर। जर्नल प्रविष्टियां, अंतर-लेखा अंतरण (व.शी. 63) तथा कम वसूलियां (व.शी. 70) शामिल नहीं हैं।

चार्ट 1.14 सहायता अुनदान (पूंजीगत सृजन तथा वेतन हेतु सहायता अनुदान सहित) को कुल योजनागत व्यय, जोकि 2011-12 के दौरान 75.22 *प्रतिशत* था तथा 2013-14 में 74.72 *प्रतिशत* तक घटा था, के अनुपात के रूप में दर्शाता है।

चार्ट 1.14: कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत सहायता अनुदान

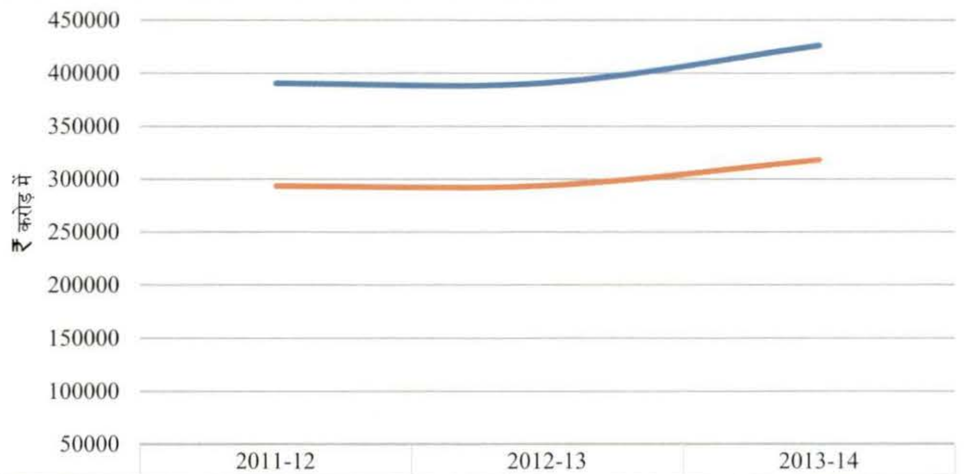

	2011-12	2012-13	2013-14
योजनागत सहायता अनुदान	293481	293995	318211
कुल योजनागत व्यय	390168	390752	425868

स्रोत: 24 नवम्बर 2014 को 'ई-लेखा' द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा, डाक, तथा रेलवे अनुदानों को छोड़कर) जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है।

1.3.6 सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम-पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय

संघ सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्य विकास प्राथमिकताओं पर लक्ष्य कर रही है। नीचे **चार्ट 1.15** 2011-14 की अवधि के दौरान इन मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय को दर्शाता है।

चार्ट 1.15: मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय

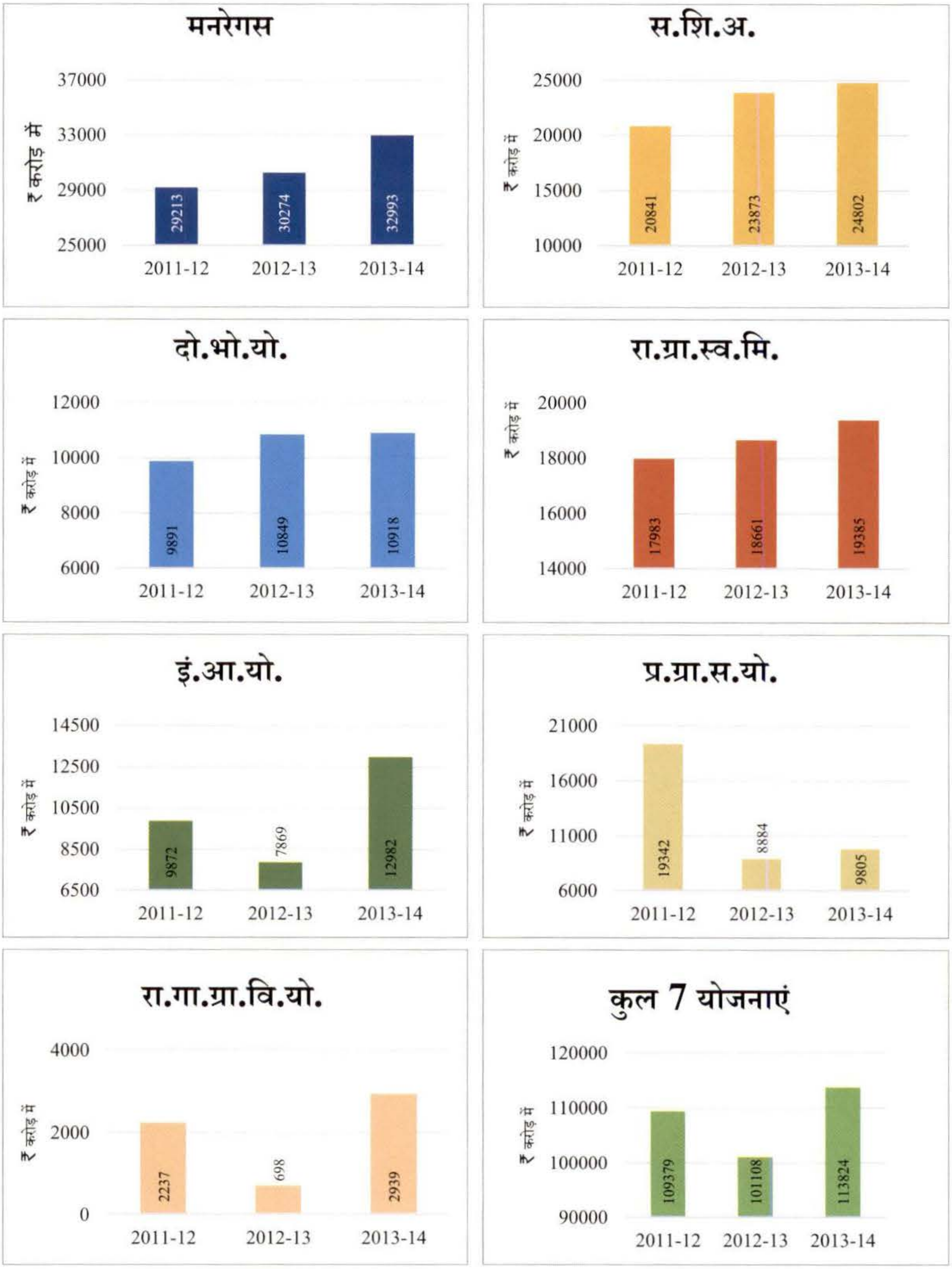

स.शि.अ.=सर्व शिक्षा अभियान, दो.भो.यो.=दोपहर के भोजन की योजना, मनरेगस=महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-रा.ग्रा.स्व.मि.=राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, रा.गा.ग्रा.वि.यो.=राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इं.आ.यो.=इंदिरा आवास योजना, प्र.मं.ग्रा.स.यो.=प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रा.ग्रा.स्वा.मि.= राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

तालिका 1.10 में दर्शायी गई सात प्रमुख योजनाओं पर कुल व्यय 2011-12 में ₹1,09,379 करोड़ से 2012-13 में ₹ 1,01,108 करोड़ तक घट गया तथा फिर बाद में 2013-14 में ₹1,13,824 करोड़ तक बढ़ गया (2011-12 से 4.06 *प्रतिशत* अधिक)। **चार्ट 1.15** तथा **तालिका 1.10** से यह देखा जा सकता है कि सभी मुख्य योजनाओं ने, जब उनकी पिछले वर्ष से तुलना की गई, व्यय में वृद्धि दर्ज की गई। बजट अनुमानों से तुलना में इन योजनाओं में गिरावट देखी गई तथा प्र.मं.ग्रा.स.यो. में 54.82 *प्रतिशत* की अधिकतम गिरावट।

तालिका 1.10: संघ सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम पर योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

		स.शि.अ.	दो.भो.यो.	मनरेगस	रा.गां.ग्रा.वि.यो.	इं.आ.यो.	प्र.मं.ग्रा.स.यो.	रा.ग्रा.स्वा.मि.	कुल
2011-12	ब.अ.	20413	10061	40000	6000	10000	20000	19838	126312
	वास्तविक	20841	9891	29213	2237	9872	19342	17983	109379
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	2.10	(-)1.69	(-)26.97	(-)62.72	(-)1.28	(-)3.29	(-)9.35	(-)13.41
2012-13	ब.अ.	24243	11643	33000	4900	11075	24000	22799	131660
	वास्तविक	23873	10849	30274	698	7869	8884	18661	101108
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)1.53	(-)6.82	(-)8.26	(-)85.76	(-)28.95	(-)62.98	(-)18.15	(-)23.21
2013-14	ब.अ.	26358	12879	33000	4500	15184	21700	23148	145769
	वास्तविक	24802	10918	32993	2939	12982	9805	19385	113824
	ब.अ. से विचलन (प्रतिशत में)	(-)5.90	(-)15.23	(-)0.02	(-)34.69	(-)14.50	(-)54.82	(-)16.26	(-)21.91

1.3.7 मुख्य मंत्रालयों में योजनागत व्यय में सहायता अनुदान का अनुपात

चार्ट 1.16 2013-14 में वृहत् योजनागत व्यय वाले 10 मंत्रालयों/विभागों हेतु योजनागत व्यय के भीतर सहायता अनुदान के अनुपात को दर्शाता है।

चार्ट 1.16: मुख्य मंत्रालयों/विभागों में कुल योजनागत व्यय के अनुपात के रूप में सहायता अनुदान (पूंजीगत सृजन हेतु सहायता अनुदान सहित)

	रा.सं.शा.क्षे.स.अ.	ग्रा.वि.	स्कू.शि.सा.	स्वा.प.क.	स.प.रा.	कृ.स.	म.बा.वि.	वि.से.	पे.ज.आ.	उ.शि.
स.अ.*	74559	57946	43659	19987	3252	15743	17806	784	11837	13931
अन्य*	11000	677	26	2490	20394	2947	144	16883	98	252
स.अ. % के रूप में	87.14%	98.85%	99.94%	88.92%	13.75%	84.23%	99.20%	4.44%	99.18%	98.22%

** राशि ₹ करोड़ में*

नोट: स.अ=सहायता अनुदान; यो.व्य=योजनागत व्यय,, ग्रा.वि =ग्रामीण विकास, रा.सं.शा.क्षे.स.अ. = राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, स्कू.शि.सा.=स्कूली शिक्षा, एवं साक्षरता, स.प.रा.=सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, स्वा.प.क.=स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृ.स.=कृषि एवं सहकारिता, म.बा.वि.=महिला एवं बाल विकास, वि.से.=वित्तीय सेवाएं, पे.ज.आ.=पेय जल आपूर्ति, उ.शि.=उच्चतर शिक्षा।

स्रोत: दिनांक 24 नवम्बर 2014 को 'ई-लेखा' पोर्टल से लिया गया डाटा डम्प। जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है। अंतर-लेखा अंतरण एवं कम वसूलियों वस्तु शीर्षों को छोड़कर।

जैसा कि स्पष्ट है, कि ग्रामीण विकास, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता, महिला एवं बाल विकास, पेय जल आपूर्ति तथा उच्चतर शिक्षा मंत्रालय/विभागों में लगभग समग्र योजनागत व्यय निकायों/प्राधिकरणों/राज्य सरकारों को सहायता अनुदान का संवितरण था।

1.3.8 भारतीय समेकित निधि से व्यय का ब्यौरा (ई-लेखा डाटा)

चूंकि वित्त लेखा में घटक वार व्यय के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। आगामी पैराग्राफ में ई-लेखा का प्रयोग कुछ विश्लेषण में पूरक के रूप में किया गया है। ई-लेखा, जो कि भुगतान एवं लेखा कार्यालयों तथा अन्य आफलाइन इंटरफेस, पर कॉमपेक्ट पर बनाया जाता है, मॉनीटरिंग तंत्र एवं मूल्य वृद्धित

रिपोर्टिंग के लिए दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के एकीकरण के साथ सार लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करते हैं।

वित्त लेखा में व्यय आंकड़ों की निवल वसूलियां दर्शाई गई हैं और इस प्रकार ई-लेखा में आंकड़े जहां भी लिए गए हैं, निवल वसूलियों के रूप में लिए गए हैं। समय पर ई - लेखा का अद्यतन न किए जाने के कारण ई लेखा प्राप्त संघटकों की संख्या का डाटा वित्त लेखा में उपलब्ध डाटा के साथ भिन्न था।

भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) से व्यय का सबसे बड़ा घटक सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान की ओर था। जैसा कि **चार्ट 1.17** में देखा जा सकता है, भा.स.नि. से कुल व्यय में से सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान का अंश 2012-13 में 68 प्रतिशत से 2013-14 में 65 प्रतिशत तक बहुत कम घटा है।

रक्षा सेवाओं पर व्यय 2012-13 में ₹ 1,86,984 से 2013-14 में ₹ 2,09,015 करोड़ तक बढ़ा। इस अवधि में कुल व्यय में इसके अंश में भी 3.7 *प्रतिशत* से 3.9 *प्रतिशत* तक की थोड़ी सी वृद्धि हुई थी। रक्षा सेवाओं पर राज्य व्यय के विवरण **चार्ट 1.10** में दर्शाए गए हैं।

2011-12 में अन्य प्रभारों में ₹ 65,000 करोड़ की आर्थिक सहायता के गलत वर्गीकरण (जैसा कि 2013 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में इंगित किया गया है) के कारण वर्ष 2012-13 में आर्थिक सहायताओं पर व्यय तथा अंश में काफी वृद्धि देखी गई थी। आर्थिक सहायताओं पर व्यय में थोड़ी सी वृद्धि हुई तथा 2013-14 में यह ₹ 2,72,009 करोड़ पर रही।

रेलवे के मामले में यद्यपि औसत व्यय 2011-12 से 2.6 *प्रतिशत* से 2013-14 में 3.2 *प्रतिशत* तक लगातार बढ़ रहा था।

चार्ट 1.17: भारत की समेकित निधि से किए गए व्यय का ब्यौरा

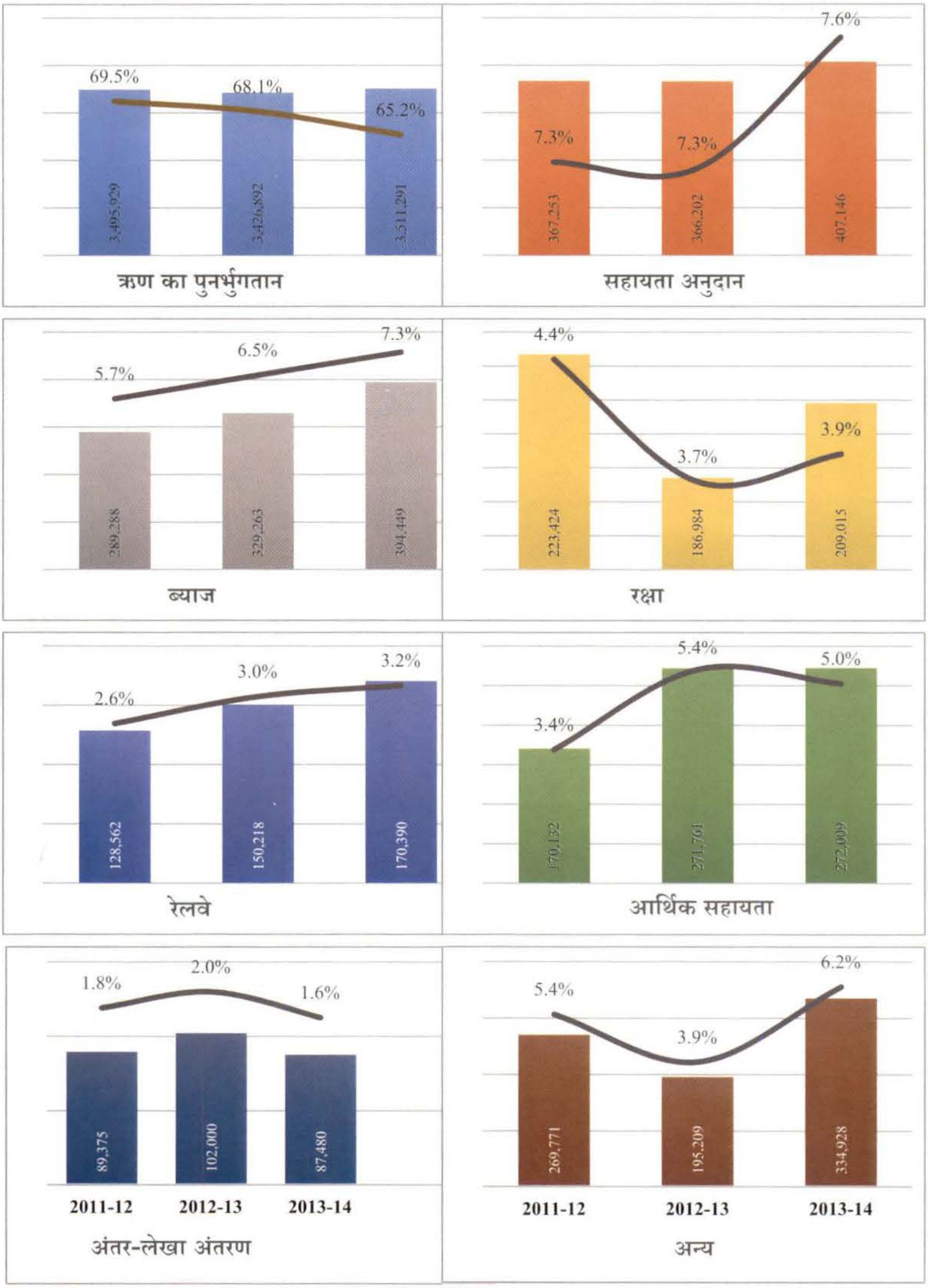

स्रोत: 24 नवम्बर 2014 को प्रदत्त 'ई-लेखा' डाटा डम्प। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है। नोट: चार्ट में दी गई राशि करोड़ में है। प्रवृत्ति रेखा भा.स.नि. से कुल व्यय में प्रतिशत अंश को दर्शाती है। गलत वर्गीकरण के कारण 2011-12 के दौरान ₹65,000 करोड़ की 'आर्थिक सहायता' को आर्थिक सहायता के अंतर्गत नहीं माना गया है। 'ब्याज' पर व्यय हेतु केवल मुख्य शीर्षों '2048' एवं '2049' के नीचे विषय शीर्ष '45' के अंतर्गत दिए गए आंकड़ों को लिया गया था। 'रक्षा' में रक्षा मंत्रालय से संबंधित सिविल अनुदान शामिल नहीं हैं। 'कटौती वसूलियाँ' का निवल अन्य है।

1.4 व्यय का समय विश्लेषण

व्यय प्रबंधन का एक मुख्य पहलू वर्ष की समाप्ति की ओर व्यय के घनत्व से बचना है। वित्त मंत्रालय ने मार्च माह तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय को बजट अनुमानों के क्रमश: 15 *प्रतिशत* तथा 33 *प्रतिशत* तक सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए। नीचे **चार्ट 1.18** दर्शाता है कि कैसे कुल व्यय तथा इसमें योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय (रक्षा, रेलवे, डाक एवं दूरसंचार को छोड़कर अन्य मंत्रालय विभाग) का वित्तीय वर्ष में संवितरण हुआ।

चार्ट 1.18: व्यय का माह वार प्रवाह (प्रतिशत में)

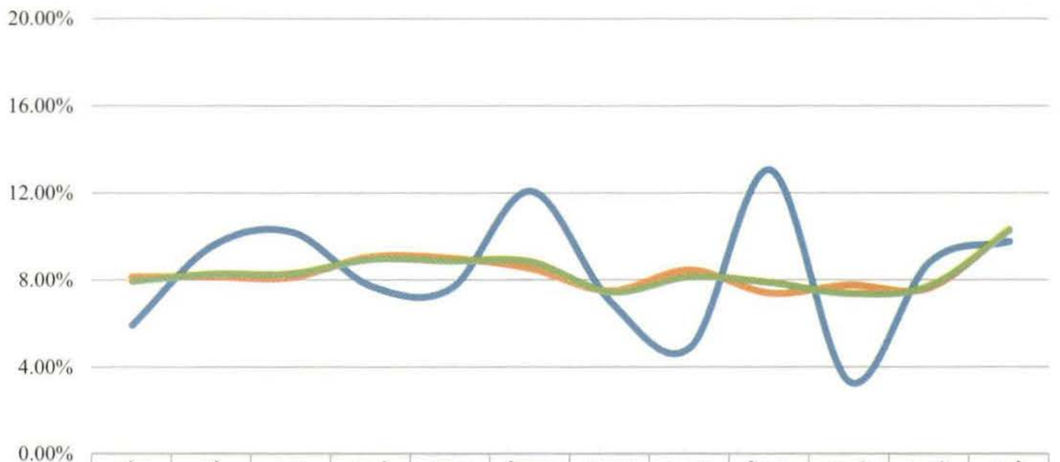

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
गैर-योजनागत	8.13%	8.15%	8.11%	9.06%	9.00%	8.53%	7.49%	8.45%	7.39%	7.75%	7.62%	10.31%
योजनागत	5.93%	9.56%	10.21%	7.72%	7.61%	12.08%	7.02%	4.90%	13.06%	3.32%	8.82%	9.77%
भा.सं.नि.#	7.94%	8.27%	8.29%	8.95%	8.88%	8.84%	7.45%	8.14%	7.88%	7.37%	7.72%	10.27%

 # भा.सं.नि. = भारत की समेकित निधि (इस चार्ट में अंतर लेखा अंतरण को शामिल न किए जाने के कारण भा.सं.नि. से माह-वार व्यय की प्रतिशतता अनुबंध 1-ख के साथ मेल नहीं खा सकती है)

नोट: 24 नवम्बर 2014 को 'ई-लेखा' द्वारा प्रदत्त डाटा डम्प (रक्षा (संख्या 22 से 27), डाक (सं. 13), रेलवे एवं विनियोग ऋण का पुनर्भुगतान (सं. 37) से संबंधित अनुदानों को छोड़कर। जर्नल प्रविष्टियां, अंतर/लेखा अंतरण (व.शी. 63) तथा कम वसूलियां (व.शी. 70) शामिल नहीं है।

सिविल मंत्रालयों[4] हेतु भारत की समेकित निधि से सरकार के कुल व्यय का विश्लेषण दर्शाता है कि कुल वार्षिक व्यय का 10 *प्रतिशत* एवं 25 *प्रतिशत* मार्च 2014 तथा वर्ष 2013-14 के अंतिम तिमाही में किया गया था। मार्च 2014 में योजनागत व्यय एवं गैर योजनागत व्यय दोनों में वृद्धि देखी गई थी। योजनागत व्यय 2013 के जून, सितम्बर तथा दिसम्बर माह की तिमाही में ऊंचाई पर था तथा मार्च 2014 में कुल योजनागत व्यय के 10 *प्रतिशत* की सुस्पष्ट वृद्धि को दर्शाता है। गैर-योजनागत व्यय जो वार्षिक व्यय का प्रत्येक माह औसत 7 से 9 *प्रतिशत* के बीच रहा, मार्च 2014 में, कुल गैर-योजनागत व्यय के 10 *प्रतिशत* तक की साधारण वृद्धि को दर्शाता है।

मंत्रालय/विभाग वार समय विश्लेषण: तालिका 1.11 में एक पृथक्कृत विश्लेषण दर्शाता है कि मार्च 2014 में नौ अनुदानों के मामले में कुल व्यय का 22 *प्रतिशत* से ऊपर व्यय किया गया था। राजस्व विभाग के मामले में कुल व्यय का 80 *प्रतिशत* मार्च 2014 में किया गया था। मंत्रालय-वार/ अनुदान-वार व्यय का समय विश्लेषण **अनुबंध 1.2** में दिया गया है.

तालिका 1.11: मार्च 2014 में किए गए व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	अनुदान का नाम	कुल व्यय	मार्च में व्यय (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च में व्यय की प्रतिशतता (अनुपूरक लेखे सहित)	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस व्यय की प्रतिशतता
042	राजस्व विभाग	2553.37	2037.65	80	1994.91	78
010	कोयला मंत्रालय	1329.45	318.81	24	245.33	18
045	विनिवेश विभाग	26.90	12.71	47	2.28	नगण्य
051	भारी उद्योग विभाग	1377.19	500.81	36	229.71	17
088	पोत परिवहन विभाग	1870.20	578.78	31	8.11	नगण्य

[4] डाक अनुदान सं. 13), रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27) तथा ऋण पुनर्भुगतान (अनुदान सं. 37) को छोड़कर

012	औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	1343.08	347.04	26	8.36	1
005	परमाणु ऊर्जा योजनाएं	4057.38	1060.52	26	उ.न.	उ.न.
061	सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय	2828.22	630.69	22	448.62	16
070	प्रवासी भारतीय मामला मंत्रालय	84.80	18.82	22	11.54	14

नोट: 'ई-लेखा' पोर्टल दिनांक 24 नवम्बर 2014 से लिए गए डाटा (रक्षा, डाक एवं रेलवे से संबंधित अनुदान के अलावा)। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

उन मंत्रालयों जहां वित्त वर्ष के अंतिम दिन को एक महत्वपूर्ण धनराशि खर्च की गई थी, के संबंध में आगे एक विश्लेषण ने उद्घाटित किया-

- मार्च 2014 में राजस्व विभाग द्वारा किए गए ₹2,037.65 करोड़ के कुल व्यय में से ₹1,981.04 करोड़ की राशि का व्यय विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत किया गया था।

विषय शीर्षवार समय विश्लेषण: संघ सरकार के लेखाओं के कोडिंग प्रतिमान के अनुसार एक उपशीर्ष योजनाओं को प्रस्तुत करता है, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को प्रस्तुत करता है तथा विषय शीर्ष अंतिम शीर्षों (अर्थात वेतन, मजदूरी, सेवानिवृत्ति प्रभार, पुरस्कार, आदि) को प्रस्तुत करता है जिन पर व्यय किया गया है। सिविल मंत्रालयों में विषय शीर्ष स्तर पर व्यय की जांच ने प्रकट किया कि वित्त वर्ष के अंत में कई विषय शीर्षों में उल्लेखनीय व्यय घनत्व था। कुछ विषय शीर्ष जिनमें मार्च 2014 के माह में काफी व्यय किया गया था। उन्हें **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: मार्च 2014 में हुए विषय शीर्ष व्यय का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय की प्रतिशतता
63	अंतर लेखा अंतरण	87557.56	50680.46	58	10573.59	12
05	पुरस्कार	58.76	27.31	46	6.90	12

विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का विवरण	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय	मार्च के अंतिम दिवस पर व्यय की प्रतिशतता
28	व्यावसायिक सेवाएं	3541.97	1532.71	43	78.48	2
52	मशीनरी एवं उपकरण	4444.48	1455.49	33	142.19	3
26	विज्ञापन एवं प्रचार	1866.85	587.87	31	199.25	11
51	मोटर वाहन	500.54	136.60	27	35.41	7
30	अन्य अनुबन्धित सेवाएं	2063.38	513.96	25	24.38	1
27	लघु निर्माण कार्य	5427.20	1304.70	24	434.17	8
25	कपड़ा और तंबू	593.62	132.22	22	22.88	4s

नोट: 'ई-लेखा' पोर्टल दिनांक 24 नवम्बर 2014 से लिए गए डाटा। रक्षा (अनुदान सं. 22 से 27), डाक (अनुदान सं. 13), रेलवे से संबंधित अनुदान शामिल नहीं है। जर्नल प्रविष्टियां शामिल नहीं है।

सरकार को मुख्य रूप से निवेशों, विज्ञापन एवं प्रचार, वित्त वर्ष के अंत में मुख्य कार्य एवं अन्य प्रभारों के मामले में अधिक व्यय हेतु कारणों की जांच करनी चाहिए।

1.5 ऋण एवं घाटा सूचक

बॉक्स 1.2: भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं

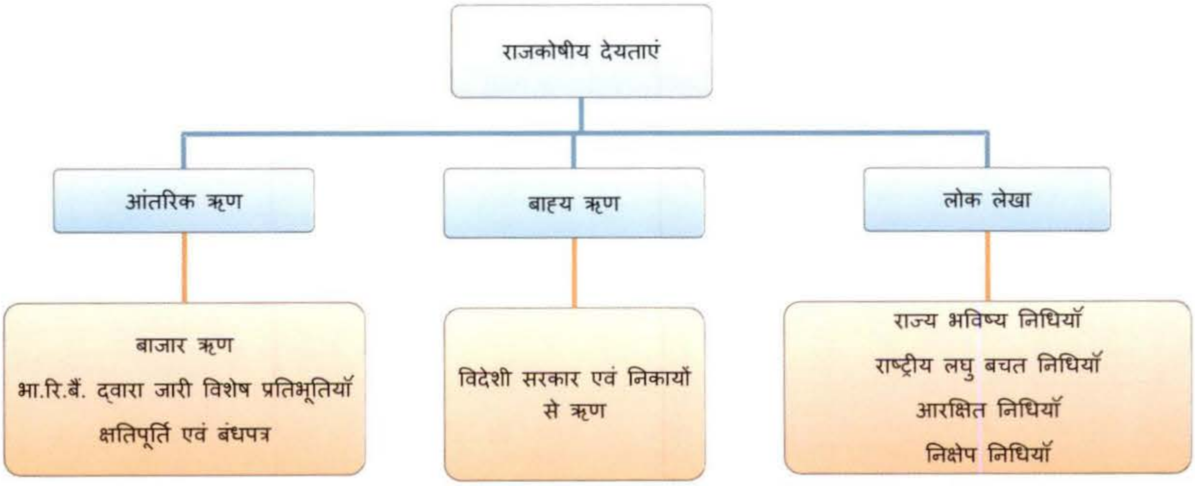

यद्यपि बजट के संतुलन हेतु ऋण पर निर्भरता से नहीं बचा जा सकता, संघ सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्वों तथा बजट प्रबंधन (रा.उ.प्र.ब.) अधिनियम, 2003 के माध्यम से उधारों पर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की तथा राज्य सरकारों को राजकोषीय सुधार विधान के माध्यम से अपनी देयताओं पर सीमाएं निर्धारित करने हेतु प्रोत्साहित किया। रा.सु.ब.प्र. नियम निर्धारित करते हैं कि केन्द्र सरकार वित्त वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. के 9 *प्रतिशत,* से अधिक अतिरिक्त देयताओं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) को स्वीकार नहीं करेगी और आने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष में स.घ.उ. 9 प्रतिशत की सीमा को स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशत से उत्तरोत्तर घटाया जाना था। 2013-14 में जुटाई गई ₹5,52,724 करोड़ तक की राशि की अतिरिक्त देयताएं स.घ.उ. के 4.87 *प्रतिशत* थीं, जो कि राजकोषीय कानून की शर्तों से मेल नहीं खाता। चूंकि रा.उ.ब.प्र. विधान में अतिरिक्त उधारी के लिए कोई न्यूनतम सीमा तय नहीं की गई थी, इस ध्यानाकर्षक विधान में कुछ खामियाँ थीं।

तालिका 1.13 2013-14 की अवधि में सरकार की कुल देयताओं, दोनों वर्तमान विनिमय दर तथा ऐतिहासिक दर (ऐसी दर जिस पर मूलत: ऋण लिया गया) को दर्शाती है। वर्तमान दर पर कुल देयताएं स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में घटती हुई प्रवृत्ति को दिखाती है तथा यह 2011-12 में 47 प्रतिशत से 2013-14 में 46.36 प्रतिशत तक कम हुई है। 2012-13 के दौरान आंतरिक ऋण की वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि से अधिक तेज थी, जो एक दयनीय ऋण स्थिति को दिखाती है। 2013-14 में, कुल ऋण की वृद्धि दर 11.74 प्रतिशत थी जबकि स.घ.उ. की वृद्धि दर 13.6 प्रतिशत थी। 2013-14 में कुल ऋण स.घ.उ. का 46-36 प्रतिशत था जो संगत वित्त वर्ष के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 47.5 प्रतिशत के स्तर से काफी कम था।

चार्ट 1.22 स.घ.उ. में वृद्धि की तुलना में कुल देयताओं में प्रतिशत वृद्धि

*2011-12 में स.घ.उ. की वृद्धि स.घ.उ. के आधार वर्ष में संशोधन किए जाने के कारण उपलब्ध नहीं थी।

तालिका 1.13: राजकोषीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

अवधि	संघ सरकार के आन्तिरिक ऋण (1)	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) (2)	लोक लेखा* (3)	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर) (1+2+3)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) (4)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर) (1+3+4)
2011-12	3230622 (36.58)	170088 (1.93)	597765 (6.77)	3998475 (45.27)	322897 (3.66)	4151284 (47.00)
2012-13	3764566 (37.69)	177289 (1.77)	610016 (6.11)	4551871 (45.57)	332004 (3.32)	4706586 (47.12)
2013-14	4240767 (37.38)	184581 (1.63)	644060# (5.68)	5069407 (44.68)	374483 (3.30)	5259310 (46.36)
संबंधित भाग में औसत वार्षिक दर का बदलाव						
2011-14	1.09	-8.09	-8.42	-0.65	-4.98	-0.69

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े स.घ.उ. की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

*1999-2000 *से लोक लेखा देयताएं राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के प्रसार तक लघु बचतों के कारण देयताओं को शामिल नहीं करती हैं।*

31 मार्च 2014 तक लोक लेखा में बकाया देयताओं को ₹6,44,059.71 करोड़ दर्शाया गया था। तथापि, लोक लेखा में बकाया देयताएं का अनुमान ₹12,68,854.39 करोड़ था, लघु बचतों भविष्य निधि आदि के खाते में ₹11,12,803.27 करोड़ था। निर्धारित निधियों एवं जमाओं में ₹1,56,051.12 करोड़ था, जिसे सरकार के सामान्य नगद

शेष में शामिल कर लिया गया था। लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि के कारण बकाया देयताएं ₹11,12,803.27 करोड़ थी, विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में समायोजन से संबंधित निवेश ₹5,19,145.06 करोड़, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में ₹1,500 करोड़, निजी निधि प्रबंधकों के साथ डाक घर बीमा निधि में ₹24,773.56 करोड़, एवं संघ वित्त लेखा में राष्ट्रीय लघु बचत निधि के संचालन में संचित घाटा ₹79,376.06 करोड़ का था जिसके कारण निवल लोक लेखा देयताएं ₹6,44,059.71 करोड़ थी। इस पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए, 31 मार्च 2014 तक संघ सरकार की कुल देयताएं चालू दर पर ₹58,84,104.65 करोड़ थी, जो स.घ.उ. के 51.86 प्रतिशत थी।

चार्ट 1.20 राजकोषीय देयताओं के घटक

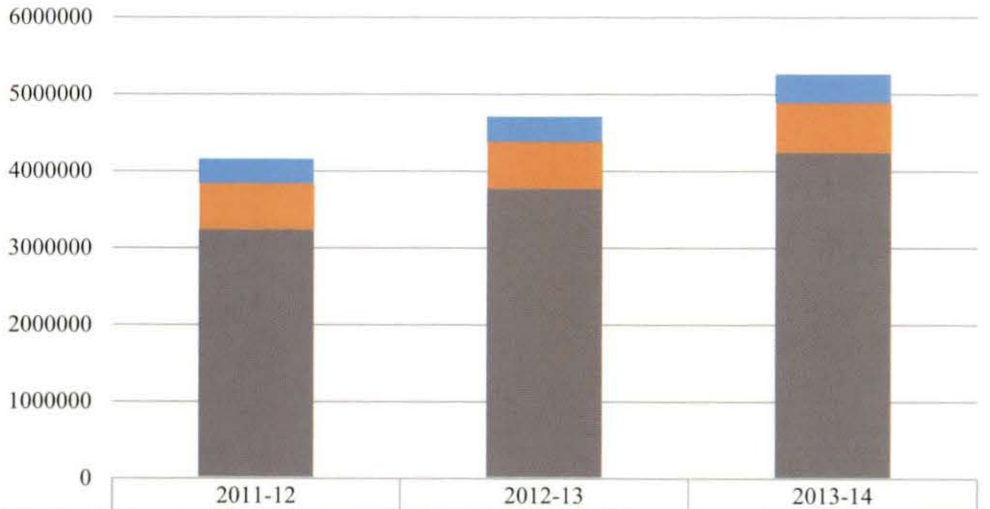

	2011-12	2012-13	2013-14
वर्तमान दर पर बाह्य ऋण	322897	332004	374483
लोक लेखा	597765	610016	644060
आन्तरिक ऋण	3230622	3764566	4240767

चार्ट 1.20 से यह स्पष्ट होता है कि 2011-14 की अवधि के राजकोषीय देयताओं के तीनों घटक लगभग एक समान गतिवर्धक थे, किंतु इसके घटकों की वार्षिक वृद्धि विशेषत: बाह्य ऋण में, समय के अनुरूप भिन्न-भिन्न थे। जबकि आंतरिक ऋण व स.घ.उ. के अनुपात में बदलाव में वार्षिक औसत दर 1.09 *प्रतिशत* के साथ सार्थक नकारात्मक बदलाव दर अर्थात (-) 8.42 *प्रतिशत* तथा अन्य दो घटकों के लिए(-) 4.98 *प्रतिशत* थी **(तालिका 1.16)**।

तालिका 1.14: गैर-ऋण प्राप्ति तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	आंतरिक ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान	बाह्य ऋण पर ब्याज का पुनर्भुगतान	लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान	कुल गैर-ऋण प्राप्तियां
2011-12	3482343	242569	13586	3501	3741999	96518
2012-13	3410785	281891	16108	4019	3712803	110840
2013-14	3493167	344893	18124	3880	3860064	127171

तालिका 1.14 दर्शाती है कि 2011-12 के दौरान लोक ऋण का पुनर्भुगतान की लागत ₹ 37,41,999 यानि गैर-ऋण प्राप्तियों का 388 प्रतिशत थी जो 2013-14 में 304 प्रतिशत तक घट गई। इसके अतिरिक्त, 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति लोक ऋण का कुल पुनर्भुगतान का अनुपात 411 प्रतिशत तक था, जो 2013-14 में 317 प्रतिशत तक घट गया है। निरपेक्ष रूप में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण का कुल पुनर्भुगतान ₹1,47,261 तक बढ़ गया था और कुल गैर ऋण प्राप्तियां ₹1,63,307 करोड़ तक बढ़ गई थीं।

1.5.1 घाटे के प्रकार

बॉक्स 1.3: घाटे के प्रकार

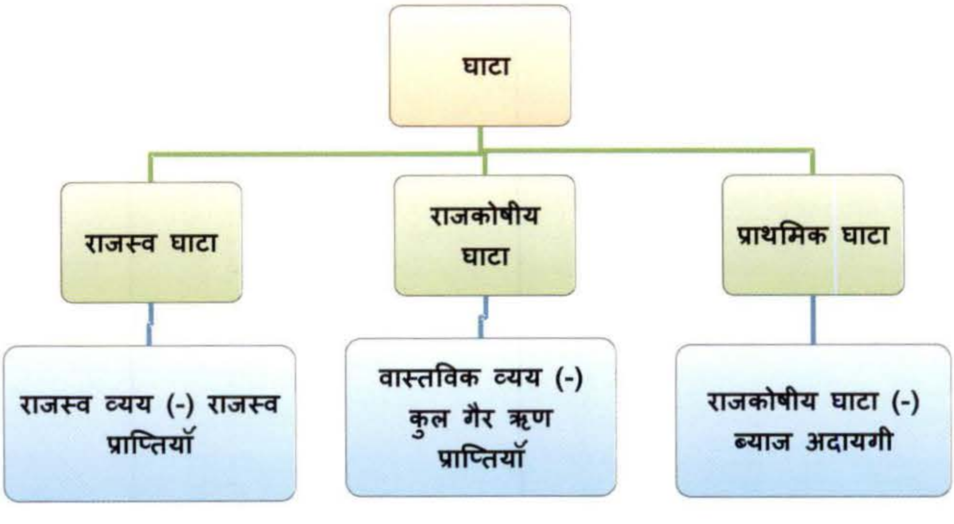

(क) राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा बिना तदनुरूप पूंजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि का कारण बनता है। अत: राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का

कोई भी परिसंपत्ति बैक अप नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन कारणों से, राजस्व घाटा साधारणतः कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य मापदंड **तालिका 1.15** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.15: राजस्व घाटा तथा उसके मापदण्ड

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा		
	(₹ करोड़ में)			स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
2011-12	910277	1305195	394918	4.47	43.38	30.26
2012-13	1055891	1420473	364582	3.65	34.53	25.67
2013-14	1217794	1575097	357303	3.15	29.34	22.68

तालिका 1.15 दर्शाती है कि 2011-12 में राजस्व घाटा ₹3,94,918 करोड़ के स्तर पर था तथा तब से इसने कम होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया तथा 2013-14 में ₹ 3,57,303 करोड़ के स्तर तक कम हुआ। वर्ष 2013-14 में राजस्व घाटे में सुधार को राजस्व प्राप्तियों में 15.33 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी एवं राजस्व व्यय में 10.89 *प्रतिशत* की बढ़ोतरी के कारण से कहा जा सकता है।

स.घ.उ. के संबंध में, राजस्व घाटा 2011-12 में 4.47 *प्रतिशत* के स्तर पर पहुंच गया। तथापि, धीमी प्रवृत्ति का साक्षी है तथा 2013-14 में यह 3.15 प्रतिशत तक पहुंच गया।

चार्ट 1.21 राजस्व घाटा एवं इसमें स.घ.उ. की प्रतिशतता

(ख) राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों के ऊपर वास्तविक व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के अपेक्षित उधारों तथा इसके बकाया ऋण के प्रति वृद्धि को भी इंगित करता है। यह सामान्यत: सरकार की निवल वर्धनीय देयताओं अथवा राजस्व तथा व्यय के मध्य बजटीय अन्तर को पाटने के लिए इसके द्वारा लिए गए अतिरिक्त लोक ऋण को प्रस्तुत करता है। कमी को अतिरिक्त लोक ऋण (आंतरिक अथवा बाह्य) या लोक लेखे से अधिशेष निधियों के प्रयोग द्वारा पूरा किया जा सकता है। मुख्य राजकोषीय मापदंडों के सापेक्ष घाटे की अधिशेष प्रवृत्ति के साथ साथ राजकोषीय घाटा प्रवृत्ति **तालिका 1.16** में इंगित की गई है।

तालिका 1.16: राजकोषीय घाटा तथा इसके मापदण्ड

अवधि	गैर ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा		
	(₹ करोड़ में)			स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	वास्तविक व्यय
2011-12	965183	1483064	517881	5.86	53.66	34.92
2012-13	1108404	1602918	494514	4.95	44.61	30.85
2013-14	1271711	1774941	503230	4.44	39.57	28.35

समग्र राजकोषीय घाटा 2011-12 में ₹ 5,17,881 करोड़ था। राजकोषीय घाटे में, 2012-13 में 4.95 *प्रतिशत* की तुलना में चालू वर्ष में स.घ.उ. के 4.44 प्रतिशत का सुधार देखा गया। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे से स.घ.उ. के अनुपात में सुधार मुख्य रूप से वास्तविक संवितरण में 10.73 *प्रतिशत* की वृद्धि के विरूद्ध कुल गैर-ऋण प्राप्ति में 14.73 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था।

चार्ट 1.22 राजकोषीय घाटा एवं इसके मापदण्ड

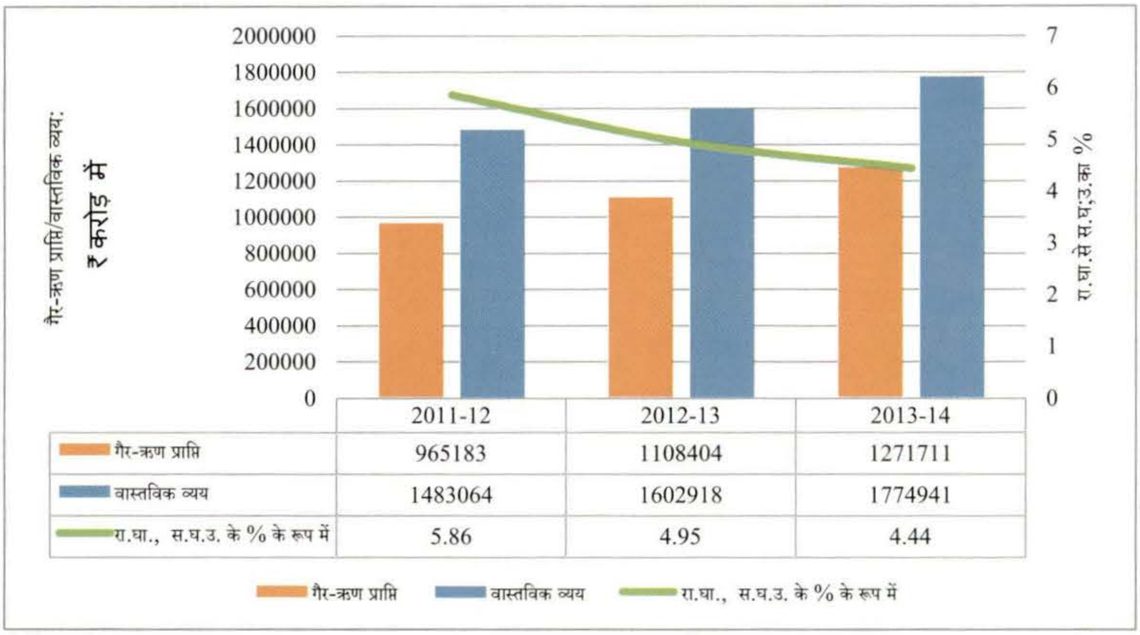

	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-ऋण प्राप्ति	965183	1108404	1271711
वास्तविक व्यय	1483064	1602918	1774941
रा.घा., स.घ.उ. के % के रूप में	5.86	4.95	4.44

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश वास्तविक व्यय भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए अथवा पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों को वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। **तालिका 1.17** 2011-14 अवधियों हेतु राजकोषीय घाटे के संघटकों की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.17: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत में)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
2011-12	76.26	23.44	0.30
2012-13	73.73	25.17	1.10
2013-14	71.00	27.72	1.28

जैसाकि उपरोक्त **तालिका 1.17** से देखा जा सकता है कि राजकोषीय घाटे का बड़ा भाग राजस्व घाटे को वित्तपोषित करने के प्रति जाता है। 2011-14 के दौरान राजकोषीय घाटे के घटक के रूप में निवल पूंजीगत व्यय के संबंधित अंश में थोड़ा सा सुधार था। निवल पूंजीगत व्यय को 2013-14 में राजकोषीय घाटे के 29 *प्रतिशत* तथा राजस्व घाटे के प्रति 71 *प्रतिशत* बताया गया। प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि सरकार के चालू राजस्व (गैर-ऋण प्राप्ति) का एक वृहत *प्रतिशत* ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन भुगतान (प्रतिबद्ध व्यय के घटक) में खर्च हो जाता है। यह 2013-14 के लिए कुल गैर-ऋण प्राप्ति के 47.49 *प्रतिशत* के स्तर पर ही रहा।

निम्न **तालिका 1.18** वर्ष 2013-14 में पूर्व वर्षो में बजट के साथ रखे गए मध्य अवधि राजकोषीय नीति विवरणों (म.अ.रा.नि.वि.) में मुख्य राजकोषीय मापदंडों-राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लिए तय किए गए लक्ष्य प्रस्तुत करती है बजट 2012-13 में, वर्तमान वर्ष में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में वृद्धि 0.7 तथा 1.0 प्रतिशत थी, जो आगे 2013-14 के अनुमानों में क्रमश: 3.3 तथा 4.8 प्रतिशत तक बढ़ी थी। वास्तविक संदर्भ में, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा दोनों बजट अनुमानों 2013-14 में दर्शाई गई निर्दिष्ट सीमा से नीचे था।

तालिका 1.18: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों के समक्ष परिणाम
(स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2011-12 में वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2012-13 में वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. में बजट अनुमान 2013-14	वास्तविक स्तर
राजस्व घाटा	2.1	2.8	3.3	3.15
राजकोषीय घाटा	3.5	4.5	4.8	4.44

(ग) प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटे को राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा कर मापा जाता है। यह वर्तमान वर्ष के राजकोषीय परिचालन का मापक है जिसमें पूर्व में उधार ली गई राशियों के कारण सृजित ब्याज भुगतान की देयता शामिल नहीं है।

पिछले पाँच वर्षों के प्राथमिक घाटे की प्रवृत्ति **तालिका 1.19** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.19: प्राथमिक घाटा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजकोषीय घाटा	कुल ब्याज भुगतान*	प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. के प्रतिशत में
2011-12	517881	286982	230899	2.61
2012-13	494514	330171	164343	1.65
2013-14	503230	395200	108030	0.95

* ऋण की कटौती या परिहार पर व्यय सम्मिलत है।

1.5.2 बाह्य ऋण: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

31 मार्च 2014 को, अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता ₹2,20,277 करोड़ थी। **चार्ट 1.23** विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनाहरित शेष दर्शाता है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास (₹39,661 करोड़), परमाणु ऊर्जा (₹30,110 करोड़), सड़कें (₹28.586 करोड़), रेल (₹20,275 करोड़), विद्युत (₹17,112 करोड़), जल संसाधन प्रबंधन (₹12,520 करोड़) एवं पर्यावरण तथा वानिकी (₹11,634 करोड़) क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे।

चार्ट 1.23: अप्रयुक्त प्रतिबद्ध बाह्य सहायता

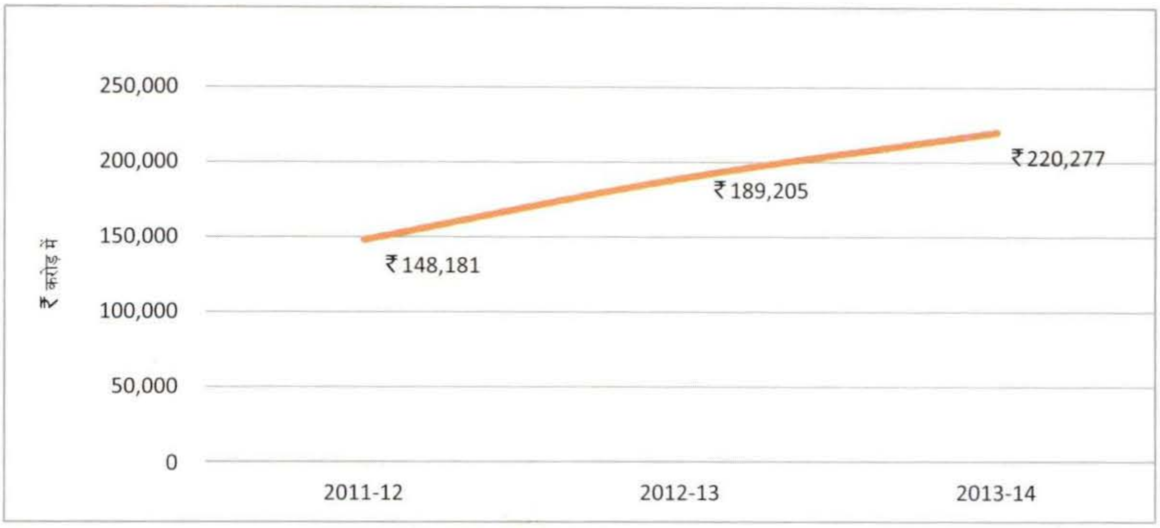

अनाहरित बाह्य सहायता पर प्रतिबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निधारित मूल राशि पर दिये जाते हैं। चूंकि प्रतिबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। **तालिका 1.20** सहायता राशि के बाद की तिथियों में आहरण के पुनर्निधारण के लिए तीन वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निकायों/सरकारों को भुगतान किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों को दर्शाती है।

तालिका 1.20: प्रतिबद्ध प्रभार

(₹करोड़ में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	जापान	जर्मनी	अ.वु.वि.बैं.	कुल
2011-12	42.30	20.82	6.24	13.92	83.28
2012-13	47.18	25.67	7.43	12.24	92.52
2013-14	47.46	49.99	9.78	10.09	117.32

स्रोत: सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक

ए.वि.बैं. = एशियाई विकास बैंक

अ.पु.वि.बैं. = अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक

यह निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करते हैं जिसका परिणाम 2013-14 में ₹117.32 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

1.6 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटियाँ दे सकती हैं, यदि कोई है, जो विधि से संसद द्वारा निर्धारित की

गई है। संघ सरकार द्वारा (i) उधारों का पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज का भुगतान (ii) अंश पूंजी का पुनर्भुगतान तथा न्यूनतम लाभांश का भुगतान (iii) सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ शासित क्षेत्रों, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी संस्थानों आदि के लिए क्रेडिट आधार पर सामग्रियों तथा उपकरणों के आपूर्तियों हेतु करार के प्रति भुगतान आदि गारंटी दी जाती है। यह गारंटियाँ भा.स.नि. पर आकस्मिक देयता स्थापित करती है। 31 मार्च 2014 को बकाया कुल गारंटियाँ ₹2,49,503 करोड़ थीं।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि सभी जोखिमों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। जहां गारंटियां परम्परागत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, वहां चूक होने की स्थिति में, सरकार के ऋणों में वृद्धि की सम्भावना रहती है। अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और गारंटियों को आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में गारंटियों का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। चार्ट 1.24 तथा तालिका 1.21, 2011-14 वित्तीय वर्षों के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि, बकाया गारंटीकृत राशियां तथा बकाया बाह्य गारंटियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

चार्ट: 1.24 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

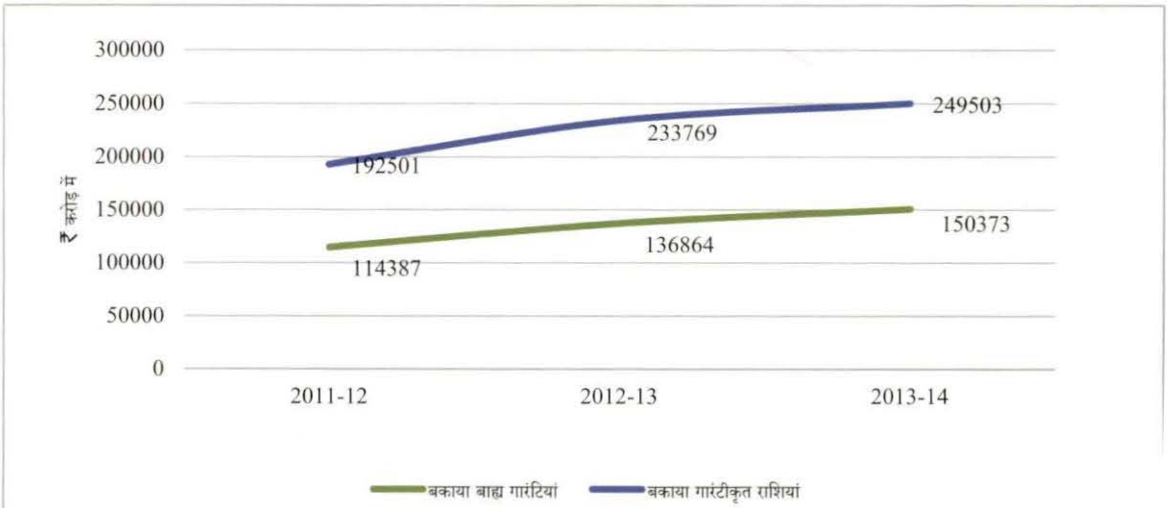

तालिका 1.21: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹करोड़ रूपयों में)

	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011-12	203056	192501	114387	59.42
2012-13	242915	233769	136864	58.55
2013-14	270629	249503	150373	60.27

गारंटियॉ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से उधार लेने अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से मुद्रा उधार लेने योग्य बनाने हेतु दी जाती है। 2013-14 में, 31 मार्च 2014 तक बकाया गारंटीकृत राशि (₹2,49,503 करोड़) में से 60 *प्रतिशत* विदेशी कर्जदाता संस्थाओं को गई, 29 *प्रतिशत* आर.बी.आई./बैंकों/ औद्योगिक वित्त निगमों आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 11 *प्रतिशत* शेयरपूंजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान हेतु तथा बंधपत्रों, उधारों एवं डिबेंचर/काउण्टर गारंटी आदि के लिए गई। वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य मंत्रालयों/विभागों जिनको गारंटी प्रदान की गई उनमें से उपभोक्ता मामलों, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा एवं स्टील के मंत्रालय/विभाग थे। मंत्रालयों द्वारा अद्यतन गारंटी रजिस्टरों का अनुरक्षण सरकार के जोखिम की प्रमात्रा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रा.उ.ब.प्र. नियमावली 2004 के नियम 3(3) में अनुबंधित है कि केन्द्र सरकार को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में स.घ.उ. के 0.5 *प्रतिशत* से अधिक गारंटियां नहीं देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रा.उ.ब.प्र. नियम 2004 के नियम 6(1)(व) के अनुपालन में केन्द्र सरकार के लिए राजकोषीय संचालन में वृहत् पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय गारंटियों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक है। प्राप्ति वजट 2014-15 में संलग्न इस प्रकटीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ₹55,062,03 करोड़ की गारंटियॉ स्वीकृत की गई थी, जो अनुमानित स.घ.उ. के 5 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत थी। आधार वर्ष 2011-12 के स.घ.उ. के नई श्रेणी के अनुसार 2013-14 के दौरान स्वीकृत गारंटियॉ भी 0.5 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत

थी।किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में वह गारंटी जो बकाया है उसे आगामी वर्षों में आगे लाया जाएगा क्योंकि उसे कभी भी भुनाया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष में गारंटी भुनाए जाने की संभाव्यता के जोखिम अनुमान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी विशेष वर्ष में गारंटी राशि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हैं।

2013-14 में, कुल बकाया गारंटियाँ स.घ.उ. का 2.20 *प्रतिशत* तथा 2013-14 में संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 20.49 *प्रतिशत* थीं।

2: लेखाओं पर टिप्पणियां

संघ वित्त लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में महत्वपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियाँ अनुवर्ती पैरों में दी गई हैं। विनियोग लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3, 4 तथा 5 में सम्मिलित किया गया है। सरकारी खर्च पर नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां, अनुपालना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट कर संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

2.1 पारदर्शिता के मुद्दे

2.1.1 संघ के वित्त लेखों में बारहवें, तेरहवें तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का समावेश न करना

बारहवें वित्त आयोग ने, नवम्बर 2004 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अधिक पारदर्शिता लाने एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने हेतु रोकड़ से लेखांकन को प्रोद्भूत आधार पर करने से संबंधित लम्बित परिवर्तन के चलते संघ सरकार के लेखाओं में आठ अतिरिक्त विवरणियों/सूचनाओं को शामिल करने की अनुशंसा की थी। अनुशंसा को सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया था।

तेरहवें वित्त आयोग ने पाया था कि वित्त लेखे सभी परिशिष्टों को समावेशित नहीं करते तथा अनुशंसा की, कि (पैरा 7.134 में) वित्त लेखाओं के लिए परिशिष्टों की सूची का बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप मानकीकरण किया जाए एवं इनका अनुपालन सभी राज्यों में किया जाए।

चौदहवें वित्त आयोग ने दिसम्बर 2014 के अपने प्रतिवेदन में प्रोद्भवन आधारित लेखांकन में परिवर्तन हेतु पूर्व आयोगों के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए संघ एवं राज्य सरकारों के वित्त लेखे में विभिन्न विवरणियों को शामिल करने को दोहराया (पैरा 17.14 में)।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विवरणियाँ निम्न के संबंध में थीं :

(i) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की दी गई आर्थिक सहायता; (ii) विभिन्न विभागों/इकाइयों द्वारा वेतन पर व्यय; (iii) पेंशनभोगियों की विस्तृत जानकारी एवं सरकारी पेंशन पर व्यय; (iv) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताएं; (v)ऋण तथा अन्य देयताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची; (vi) सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन को शामिल करते हुए सरकार के अधिकार में रखी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि या कमी; (vii) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर, सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों के प्रभाव तथा (viii) वेतन तथा गैर वेतन भाग को अलग दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय।

वर्ष 2013-14 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने उजागर किया कि बारहवें एवं तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इस बात का उल्लेख प्रासंगिक है कि (क) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताएं तथा (ख) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित, वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर, सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों के प्रभाव पर दर्शाई गई विवरणियों को छोड़कर अधिकतर राज्यों ने अपने लेखाओं में उपरोक्त सभी विवरणियों को समाविष्ट कर लिया था।

वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में लगातार यह उल्लेखित किया गया था परंतु दस वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई थी।

जैसा कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ सरकार के वर्ष 2010-11 हेतु लेखे पर प्रतिवेदन में इंगित किया गया, राज्य सरकारों की वित्तीय विवरणियों में बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति उत्साहजनक है। तथापि, संघ सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अनुपालना नहीं हुई है।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि इनमें से अधिकांश विवरणियां पहले से ही ई-लेखा, एक दृष्टि में लेखे, वित्त लेखे तथा विभिन्न बजट दस्तावेजों में सार्वजनिक क्षेत्र में थीं। इनमें से कुछ विवरणियां उपचय लेखाकरण से संबंधित हैं जिसे नकद आधारित लेखाओं की मौजूदा संरचना में शामिल नहीं किया जा सकता था।

ले.म.नि. का उत्तर विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि वित्त लेखाओं में सं. (V) 'ऋण एवं अन्य देयताएं के साथ-साथ पुनर्भगतान सारणी' पर केवल एक विवरणी उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय को संघ के वित्त लेखाओं में उपर्युक्त अतिरिक्त विवरणियों को शामिल करने हेतु एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

2.1.2 सरकारी लेखों में अपारदर्शिता

संघ सरकार वित्त लेखे 2013-14 की संवीक्षा ने उजागर किया कि लेखों के 16 मुख्य शीर्षों (जो सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के अतंर्गत कुल ₹14,073.67 करोड़ के व्यय को लेखों में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अतंर्गत वर्गीकृत किया गया था, जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक था। यह लेखे में भारी अपारदर्शिता की मात्रा को दर्शाता है। कुछ कार्याकलाप जिनमें व्यय में अपारदर्शिता विद्यमान है वे अन्य सामाजिक सेवाएँ, कृषि वित्तीय संस्थान, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, नागरिक उड्डयन, पूर्वोतर क्षेत्र, मृदा एवं जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, गैर-फैरस खनन तथा धातुकर्मीय उद्योगों पर पूंजीगत परिव्ययष अन्य दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, तथा विदेशी व्यापार एंव निर्यात प्रोत्साहन पर पूंजीगत परिव्यय आदि हैं। 16 मुख्य शीर्षों के विवरण **अनुबंध-2.1** में दिए गए हैं।

कुछ महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय जैसे किसानों को अल्प अवधि ऋण पर ब्याज से छूट (₹6,000 करोड़), राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (₹2,593.89 करोड़), असम गैस क्रेकर परिसर को आर्थिक सहायता (₹976.96 करोड़), हज चार्टर के

परिचालन हेतु सब्सिडी (₹680 करोड़), अन्य संबंधित गतिविधियाँ (₹677.60 करोड़), राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (₹536.30 करोड़), अवसंरचना विकास हेतु सहायता की योजना-व्यवहार्यता अंतर निधीयन (₹450 करोड़) को वित्त लेखों में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया था बल्कि लघु शीर्ष, 'अन्य व्यय' में जोड़ा गया था।

इस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 को समाप्त संघ सरकार के लेखाओं पर प्रतिवेदनों में लगातार इस अनुशंसा के साथ टिप्पणी की गई थी कि इस कमी का निदान करने के लिए सरकारी लेखे की सरंचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए जिससे वित्तीय रिपोर्ट देने में अधिक पारदर्शिता को प्राप्त किया जा सके। एक अंतरिम उपाय के रूप में, ले.म.नि. ने वित्त लेखे में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत विलीन महत्वपूर्ण पहलों के ब्यौरों को वित्त लेखे में फुट नोटों के माध्यम से दर्शाया है। सरकार के वर्तमान कार्यकलापों को दर्शाने के लिए लेखे की पुनर्संरचना की बजाए सरकार के भारी व्यय को स्पष्ट ढ़ंग से दर्ज करने के लिए कुछ नये लघु शीर्ष खोलने हेतु टुकड़ों में की गई कार्यवाही मदद नहीं कर सकती है।

ले.म.नि. ने उत्तर (मार्च 2015) दिया कि वे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को ब.अ./स.अ. तैयार करने के चरण पर लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत प्रावधान करते समय सावधानी बरतने तथा भारी व्यय के मामले में नए लघु शीर्षों को खोले जाने हेतु लगातार सलाह दे रहे थे।

2.1.3 सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने जनवरी 2005[1] में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया जाए।

[1] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.ज्ञा.सं. एफ.1 (30)-बी (ए.सी.)/2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

चौदह नियामक निकायों एवं स्वायत्त निकायों, जो अपने क्षेत्र विशेष में नियामक के रूप में कार्य करते हैं, के वार्षिक लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जनवरी 2005 में जारी उपरोक्त अनुदेशों के विपरीत ये निकाय मार्च 2014 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज, लाईसेंस शुल्क की प्राप्ति, कोष निधि आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹5,917.44 करोड़ की निधियों को, सरकारी लेखाओं से बाहर रख रहे थे। ऐसे निकायों तथा उनके द्वारा रखी गई निधियों को **अनुबंध 2.2** में दर्शाया गया है।

नियामक निकायों, नामत: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) तथा पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पे.नि.नि.वि.प्रा.), के संबंध में इस मुद्दे पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष समाप्ति 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 हेतु संघ सरकार के लेखों पर प्रतिवेदनों में टिप्पणियाँ की गई थीं।

वित्त मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया (सितम्बर 2011) कि सरकारी लेखे में निधि को प्रचालित करने हेतु भारतीय लोक लेखे के ब्याज वहन न करने वाले वर्ग में मुख्य शीर्ष '8235-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत क्रमश: 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) निधि' तथा 'बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.) निधि' के नाम से अलग निधियाँ खोली जाएंगी। इसने आगे बताया (फरवरी 2014) कि 'बी.नि.वि.प्रा. अधिनियम की धारा 16 के अनुसार', प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी शुल्क एवं प्रभार, केन्द्रीय सरकार द्वारा तय किये ऐसे अन्य स्त्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशियां बी.नि.वि.प्रा. निधि का भाग होगी। भा.प्र.वि.बो. निधि तथा बी.नि.वि.प्रा. निधि को सरकारी लेखे में लेखाबद्ध करने हेतु दो वर्षों से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी, मंत्रालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) वित्त मंत्रालय ने बताया (दिसबंर 2014) कि लोक लेखे में भा.प्र.वि.बो. सामान्य निधि से संबंधित मामले को अंतिम राय लेने हेतु कानूनी मामले विभाग को प्रेंषित कर दिया था। आ.का.वि. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इसने जुलाई 2010 में पहले ही कानूनी मामले विभाग की राय ले ली है जिसमें विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सलाह दी थी कि भा.प्र.वि.बो. द्वारा प्राप्त सभी निधियाँ लोकधन है तथा भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी लोकधन लोक लेखे का भाग होगा जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित किया गया है। भा.प्र.वि.बो. अधिनियम, 1992 की धारा 15 जे.ए. के तहत दण्डों के माध्यम से भा.प्र.वि.बो. द्वारा वसूल की गई सभी राशियां भा.स.नि. को क्रेडिट की जानी चाहिए।

भारतीय चिकित्सा परिषद् (भा.चि.प.) के संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2014) कि आधिक्य निधि का उपयोग स्टाफ मकानों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद के लिए किया जाएगा तथा ₹50 करोड़ की राशि का 2014-15 में भा.चि.प. स्टाफ पेंशन निधि लेखे को अतंरण किया गया था।

इसके अतिरिक्त, भारतीय नर्सिंग परिषद (भा.न.प.) ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि वह अपने स्वयं की कार्यालय बिल्डिंग की खरीद हेतु आधिक्य निधि का उपयोग करेगी तथा वह ₹25 करोड़ की लागत पर एक परियोजना 'नर्सों हेतु कम्प्यूटर लाईव पंजिका' का विचार कर रहा था।

भा.चि.प. के संबंध में मंत्रालय का उत्तर तथा भा.न.प. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है। इन निकायों द्वारा किए गए नियामक कार्यों से उत्पन्न राजस्व को सरकारी लेखाओं का भाग बनना चाहिए तथा इन निकायों द्वारा किए गए व्यय को बजटीय प्रक्रिया की सीमा के अंदर लाया जाना चाहिए जिससे संसदीय संवीक्षा के माध्यम से पारित किया जा सके। इसलिए, नियामक निकायों के पास पड़ी आधिक्य निधियों को लोक लेखे में प्रकट हो रही केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग निधि, भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण निधि

आदि की तर्ज पर उपयुक्त लेखांकन प्रक्रिया/नियमावली तैयार करके सरकारी लेखाओं में लाया जाना चाहिए।

2.1.4 सीमाशुल्क प्राप्तियों को कम बताया जाना तथा राज्यों को कम आवंटन

निर्धारत प्रक्रिया के अनुसार, उद्ग्रहित अग्रिम सीमाशुल्क प्राप्ति, जो आगामी अवधि से संबंधित हो, को लोक लेखे के अंतर्गत प्रतीक्षारत उचंत शीर्ष[2] में रखा जाता है। राशि को भारत की समेकित निधि (स.नि.) में उस वर्ष क्रेडिट किया जाता है जिस वर्ष से संग्रहित अग्रिम कर संबंधित होता है।

वित्त लेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रारम्भिक शेष के रूप में प्रतीक्षारत उचंत शीर्ष के अंतर्गत ₹222.56 करोड़ उपलब्ध था। इसे वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भारत की समेकित निधि में सीमा शुल्क प्राप्ति के रूप में लेखांकित किया जाना था। तथापि, यह राशि उचंत लेखे में लेखांकित हुई। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2013-14 में भारत सरकार की सीमाशुल्क प्राप्तियों को ₹222.56 करोड़ से कम बताया गया। सीमाशुल्क प्राप्तियों के रुप में संग्रहित राशि वितरणीय कर संग्रह का हिस्सा है जिसका वितरण केन्द्र तथा राज्य के बीच किया जाता है। इस राशि का भारत की समेकित निधि में क्रेडिट न होने का तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में वित्त आयोग द्वारा निदेशित राज्यों को आवंटन में कमी होना है।

इस मामले पर 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी, परंतु लोक लेखे से पूर्ण शेष का भा.स.नि. में उपयुक्त प्राप्ति शीर्ष में निपटान करने हेतु कोई सुधारत्मक कार्रवाई नहीं की गयी थी।

राजस्व विभाग के.सी.उ.शु. ने बताया (नवम्बर 2014) कि ₹143.44 करोड़ की राशि का अप्रैल 2013 में निपटान कर दिया गया था। इसने आगे बताया कि

[2] 8658-136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमाशुल्क प्राप्तियाॅ

कथित शीर्ष के अंतर्गत बाकि शेष का निपटान करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

2.2 लोक लेखे के संबंध में अभ्युक्तियाँ

2.2.1 सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व (सा.से.दा.) निधि[3] को अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (रा.टे.नी.) 1999 में सार्वभौमिक सेवा उद्देश्यों के महत्व को प्राप्त करने हेतु स्थापित किया गया था। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 ने सा.से.दा. निधि को सांविधिक महत्व दिया तथा निर्धारित किया कि निधि का उपयोग केवल आधारभूत टेलीग्राफ सेवाओं को पहुँच प्रदान करते हुए सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने हेतु किया जाना है, यथा, सार्वजनिक दूरसंचार एवं सूचना सेवाएं तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू टेलीफोन का प्रावधान जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करे। इसमें ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान, चरणबद्ध रूप से गाँवों में ब्रॉडबैंड जुड़ाव का प्रावधान ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीकॉम क्षेत्र में नए प्रौद्योगिकीय विकासों के प्रवर्तन को प्रोत्साहन आदि की अवसंरचनाओं के विकास पर बल देना आदि विचारित थे। सा.से.दा. निधि को पूरा करने के लिए संसाधनों को "सार्वभौमिक पहुँच उगाही" (सा.प.उ.) के माध्यम से एकत्र किया जाना था। सा.से.दा. से संबंधित क्रियाकलापों का कार्यान्वयन पात्र सेवादाताओं द्वारा किया जाना था, जिन्हें नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त होनी है।

इस निधि का प्रबंधन दूरसंचार विभाग (दू.वि.) द्वारा किया जाता है। सा.से.दा. के प्रति प्राप्त उगाही को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है, तथा बाद में केन्द्र सरकार समय-समय पर कथित उद्देश्यों के प्रति

[3] 8235.118 सा.से.दा. निधि

विशिष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए भारत के लोक लेखा में सा.से.दा. निधि की प्राप्तियां जमा करती है तथा यह एक गैर-व्यपगत निधि है।

सा.से.दा. निधि में शेषो के कम बताए जाने के मामले पर वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के संघ सरकार के लेखे पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी। लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा 2009-10) में भी वित्त मंत्रालय द्वारा निधियाँ, जो केवल सा.से.दा. क्रियाकलापों के लिए है, से अन्य कार्यक्रमों के लिए विपथन को अस्वीकृत किया था।

पहले के वर्षों के दौरान सा.से.दा. निधि पर नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के बावजूद यह पाया गया था कि दु.वि. ने वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वभौमिक पहुँच उगाही के प्रति ₹7896.39 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से लोक लेखे में सा.से.दा. निधि को केवल ₹2,163.45 करोड़ का अंतरण किया था। उगाही के कम अतंरण का परिणाम वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सा.से.दा. निधि के अंत शेष को ₹5732.94 करोड़ तक कम बताए जाने में हुआ। सा.से.दा. निधि में अतं शेष का समग्र कम कथन 31 मार्च 2014 को ₹33,682.86 करोड़ की सीमा तक था।

इसके अतिरिक्त, 2002-03 से 2013-14 के दौरान ₹ 58,579.35 करोड़ के कुल उगाही संग्रहण के प्रति इन अवधियों के दौरान निधि से केवल ₹ 24,896.49 करोड़ (ग्रामीण दायित्वों को पूरा करने हेतु 2002-03 से 2005-06 की अवधि में भा.सं.नि.लि. को कुल ₹ 6,948.64 करोड़ के लाइसेंस शुल्क एवं स्पैक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति को ध्यान में रखते हुए जैसा दर्शाया गया है) आर्थिक सहायता का संवितरण किया गया था ₹ 33,682.86 करोड़ की शेष उगाही का सा.से.दा. को अतंरण नहीं किया गया था तथा इसका उपयोग कथित उद्देश्यों, जिसके लिए उगाही थी, से अलग उद्देश्यो हेतु किया गया था। सा.शे.क्ष. की स्थापना से ही इसके उद्देश्यों के लिए संग्रहित उगाही तथा इसके उपयोग के ब्यौरे **चार्ट 2.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2.1: सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

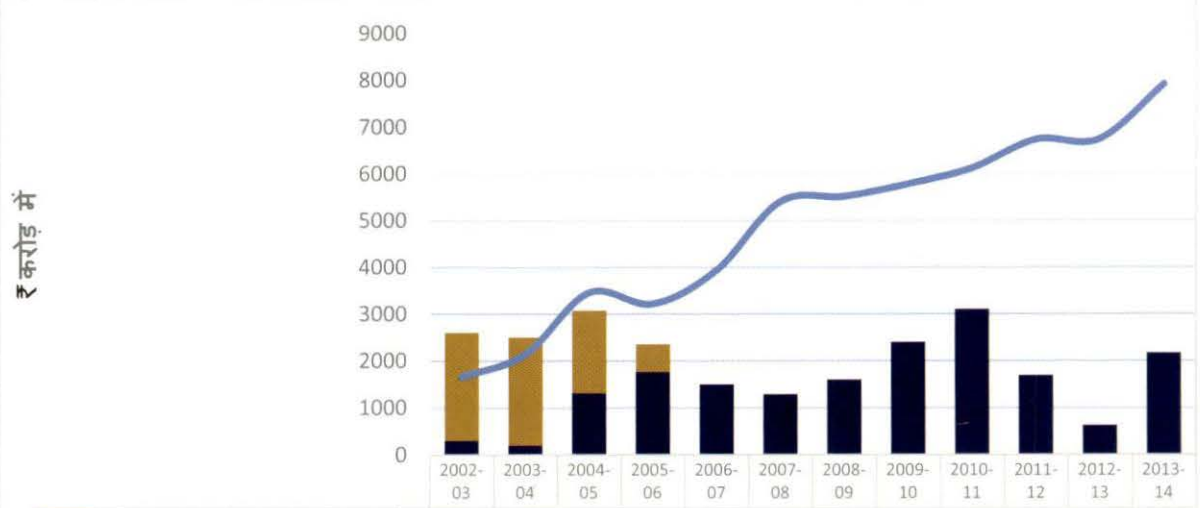

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भा.सं.नि.लि. से लाइसेंस शुल्क एवं स्पैक्ट्रम प्रभारों की प्रतिपूर्ति	2300	2300	1756.68	582.96	0	0	0	0	0	0	0	0
संवितरण	300	200	1314.59	1766.85	1500	1290	1600	2400	3100	1687.96	625	2163.45
सा.प.उ. संग्रहण	1653.61	2143.22	3457.73	3215.13	3940.73	5405.8	5515.14	5778	6114.56	6723.57	6735.47	7896.39

लो.ले.स. ने अपने चौदहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोकसभा 2009-10) में शामिल अपनी अनुशंसाओं में पाया कि सरकार को सा.प.उ. के रूप में एकत्रित पूरी राशि को सा.से.दा. निधि में क्रेडिट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी जबकि मुख्य रूप से निधि का उपयोग केवल सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए होना चाहिए था।

इस प्रकार, संबंधित वर्षों के वित्त लेखा में सा.से.दा. निधि के अंतर्गत 'शून्य' शेष दर्शाना लो.ले.स. की अनुशंसाओ के उल्लघंन में था जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करती थी कि सा.प.उ. के रूप में एकत्रित पूर्ण राशि का सा.से.दा. निधि को क्रेडिट किया जाना चाहिए।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग ने अपने उत्तर (नवम्बर 2014) में बताया कि:

i) तथ्यों एवं आकड़ो पर सहमत है परंतु सा.प.उ. के अतंर्गत पूर्ण सग्रंहण का सा.से.दा. निधि को अतंरण स्वत: नहीं होता है। इसकी बजाए, निधि को क्रेडिट वह राशि की जाएगी, जिसे भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम,

2003 के प्रावधानों के अनुसार ससंदीय स्वीकृतियों के माध्यम से प्राप्त किया गया हो।

ii) मामले को लो.ले.स. की चिंताओ को सूचित करते हुए मई 2012 के दौरान वित्त मंत्रालय (वि.मं.) के साथ उठाया गया था। समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि सा.से.दा. निधि को अतंरण विभाग की आवश्यकता तथा किसी भी वित्तीय वर्ष में विभाग की व्यय करने की क्षमता तथा सरकारी देयता को समाहित लोक लेखे में रखी अप्रयुक्त निधियों के आधार पर किया गया था। भा.ता. अधिनियम, 1885 के संशोधन को स्वीकृत करते समय मंत्रीमण्डल ने दू.वि. को सा.से.दा. निधि को अतंरित की जाने वाली राशी को अंतिम रूप देते समय वि.मं. से सलाह करने का निर्देश दिया था।

iii) बाद में, वि.मं. को फिर से इस मामले में सिफारिश की गई थी तथा वि.मं. ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि सरकार पर राष्ट्रीय ऑपटिकल फाईबर नेटवर्क (रा.आ.फा.ने.) के कार्यान्वयन हेतु ₹20,100 करोड़ की प्रतिबद्धता थी जिसे सा.से.दा. निधि से वित्तपोषित किया जाना था। जब कभी योजना प्रारम्भ होती है तो सरकार सा.से.दा. निधि के माध्यम से इस योजना हेतु निधियां प्रदान करने के लिए बाध्य होगी। कैबिनेट सचिवालय ने निर्देश दिया (जुलाई 2003) कि दू.वि. सा.से.दा. निधि को अंतरित की जाने वाली राशि को अंतिम रूप देते समय वि.मं. से परामर्श करे। भा.ता. अधिनियम 2003 की धारा व 9ख भी निर्दिष्ट करती है 'धारा 4 के अतंर्गत सार्वभौमिक दायित्व के प्रति प्राप्त कुल धन को पहले भारत की समेकित निधि को क्रेडिट तथा केन्द्र सरकार, यदि संसद इस संबंध में विधि द्वारा किए गए विनियोग से प्रावधान करती है तो, ऐसी प्राप्तियों का केवल सार्वभौमिक सेवा दायित्वों हेतु उपयोग किए जाने के लिए समय-समय पर विधि को क्रेडिट करेगी'। वह यह नहीं कहता था कि ऐसी सभी प्राप्तियों को निधियों को क्रेडिट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोक लेखे में धन को अवरोधित रखना संसाधनो को उपयोग करने का सबसे

विवेकपूर्ण तरीका नहीं होगा तथा इस दृष्टांत में, वि.मं. विधिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा था।

iv) यह प्रत्याशित है कि सा.से.दा.नि. को उपचयो की राशि का वर्तमान में चल रही योजनाओं के साथ-साथ सा.से.दा. निधि की नई योजनाओं जैसे कि रा.आ.फा.ने., वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में उत्तरपूर्वी क्षेत्रों हेतु मोबाइल संचार सेवाओं की योजना के वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन में उपयोग किया जाएगा।

मंत्रालय/विभाग का उत्तर इस तथ्य के दृष्टांत से स्वीकार्य नहीं है कि एक विशिष्ट उद्देश्य उगाही होने से, उगाही के पूर्ण संग्रहण को, प्रारम्भ में भा.स.नि. को क्रेडिट किए जाने के पश्चात, लोक लेखे में सा.से.दा. को अतिरिक्त किया जाना चाहिए। योजना के अतंर्गत कथित उद्देश्यों पर व्यय को पूरा करने के पश्चात सा.से.दा. निधि को पारदर्शी रूप से अप्रयुक्त शेषों में दर्शाया जाना चाहिए।

2.2.2 अनुसंधान तथा विकास उपकर निधि के अंतर्गत संग्रहित उपकर का कम उपयोग

1986 में अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम को विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रौद्योगिकी के आयात करने तथा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने तथा उसके साथ संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों हेतु किए गए सभी भुगतानों पर उपकर की उगाही तथा संग्रहण के प्रावधान हेतु लागू किया गया था। अधिनियम की धारा 3 प्रौद्योगिकी के आयात के प्रति किए गए सभी भुगतानों पर उद्ग्रहित तथा संग्रहित किए जाने वाले उपकर के संग्रहण की ऐसी दरों जो 5 प्रतिशत से अधिक न हों, जैसा कि केन्द्र सरकार राजपत्र में, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, का प्रावधान करती है।

अधिनियम ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (प्रौ.वि.बो.) द्वारा संचालित की जाने वाली प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुप्रयोग हेतु एक निधि के सृजन को समर्थ

किया। निधि का अनुरक्षण सरकारी लेखे से बाहर किया जाता है। निधि को अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम 1986 जैसा कि 1995 में संशोधित किया गया, के अंतर्गत औघोगिक मामलों द्वारा प्रौद्योगिकी के आयात पर सरकार द्वारा संग्रहित उपकर से, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों से क्रेडिट किया जाता है। विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास उपकर संग्रहण का प्रबंधन किया जाता है। अधिनियम की धारा 4 उदग्रहित तथा संग्रहित उपकर की प्राप्ति को प्रारम्भ में भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाना अपेक्षित करती है तथा सरकार, संसद की स्वीकृति से विकास बैंक (इस मामले में पहले भारतीय औघोगिक विकास बैंक) को निधि के उद्देश्य हेतु उपयोग किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसी राशि अदा करगी।

तालिका 2.1 में दिए गए आंकड़ों में यह पाया गया है कि 1996-97 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान ₹4876.71 करोड़ की सीमा तक का उपकर संग्रहित किया गया था। इसमें से, उसी अवधि के दौरान प्रौ.वि.बो. को सहायता अनुदान के रूप में ₹542.41 करोड़ (11.12 प्रतिशत) मात्र संवितरित किए गए थे। प्रौ.वि.बो. ने, इसके बदले सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक अनुप्रयोग का प्रयास कर रहे अथवा घरेलू अनुप्रयोग को विस्तृत करने हेतु आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित औद्योगिक मामलों हेतु ₹1,217.77 करोड़ की वित्तीय सहायता तथा ऋण संवितरित किए।

तालिका 2.1: अनुसंधान एवं विकास उपकर का संग्रहण तथा इसका उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहित उपकर	प्रौ.वि.बो., को जारी अनुदान	प्रो.वि.बो. द्वारा उघोगो को किए गए संवितरण
1996-97	80.13	29.97	शून्य
1997-98	81.42	49.93	30.14
1998-99	81.10	27.99	36.99
1999-00	88.93	50.00	85.23
2000-01	98.91	62.79	101.73
2001-02	95.30	57.00	53.44
2002-03	99.47	56.00	107.11

वर्ष	संग्रहित उपकर	प्रौ.वि.बो., को जारी अनुदान	प्रो.वि.बो. द्वारा उद्योगो को किए गए संवितरण
2003-04	133.74	53.65	53.86
2004-05	53.98	48.10	57.91
2005-06	176.61	42.66	89.23
2006-07	186.56	4.32	74.98
2007-08	254.09	19.00	63.01
2008-09	310.33	0.00	81.60
2009-10	418.22	0.00	55.04
2010-11	592.22	5.00	64.19
2011-12	702.54	0.00	48.00
2012-13	685.62	22.50	116.21
2013-14	737.54	13.50	99.10
कुल	**4876.71**	**542.41**	**1217.77**

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि अधिनियम के अंतर्गत उपकर का संग्रहण काफी अधिक है। तथापि, प्रत्याशित उद्देश्यों हेतु उपकर प्राप्ति का उपयोग इष्टतम नहीं है। इस प्रकार उपकर प्राप्ति का वर्षों से सरकार के राजस्व घाटे का वित्तपोषण करने हेतु आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। अपेक्षित उद्देश्यों हेतु प्राप्ति के कम उपयोग तथा उपकर की उगाही की दर के मुद्दे को पिछले वर्ष भी उठाया गया था, तथापि प्रवृति वैसी ही बनी हुई है।

2.2.3 बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में विसंगतियां तथा निरंतर प्रतिकूल शेष

लोक लेखे[4] के अतंर्गत बीड़ी श्रमिक क्ल्याण निधि को बीड़ी स्थापनाओं में लगे व्यक्तियों के कल्याण को प्रोत्साहित करने हेतु उपायों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 सृजित किया गया था। इस उद्देश्य हेतु, सरकार ने उत्पादित बीड़ियों पर उत्पाद शुल्क के रूप में एक उपकर को प्रारम्भ किया। उपकर के संग्रहण को प्रांरम्भ में भा.स.नि. से क्रेडिट किया जाता है तथा बाद में विनियोग के माध्यम से लोक लेखे में बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है।

[4] मु.शीर्ष 8229.200 - अन्य विकास तथा कल्याण निधि

निधियों में से प्राप्तियों से काफी अधिक व्यय होने के कारण वर्षों से बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में प्रतिकूल शेष हुआ था। 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि में व्यय, प्राप्तियों तथा अंत शेष के संबंध में समग्र स्थिति को **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

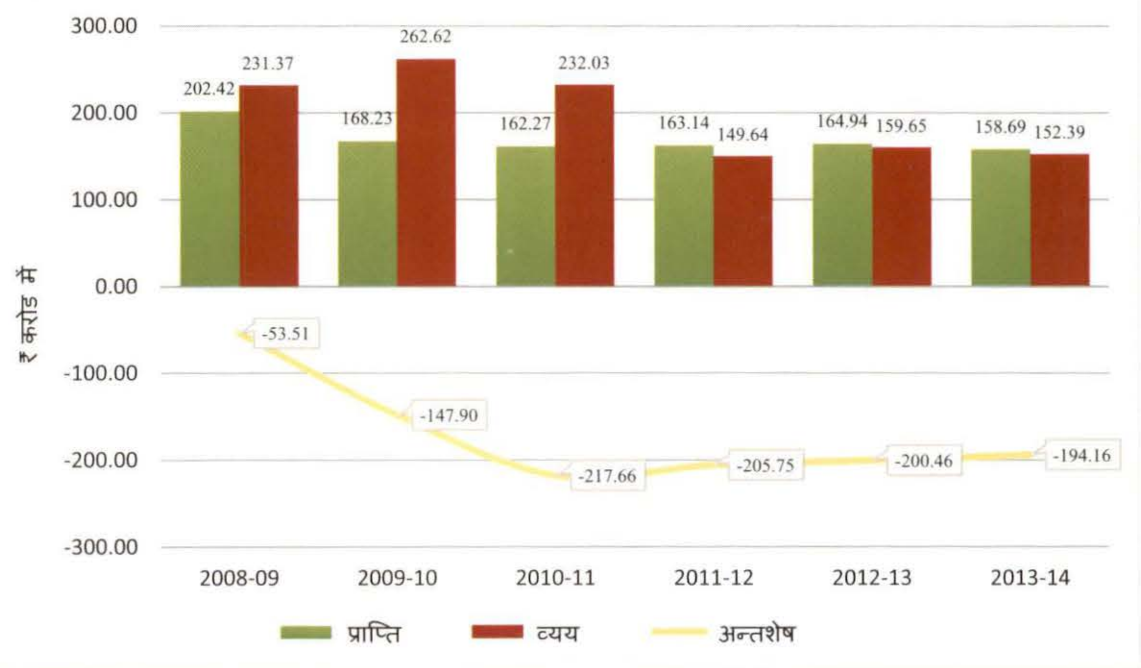

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान निधि में निरंतर प्रतिकूल शेष था, जो कि 2008-09 में ₹(-)53.51 करोड़ से 2011-12 में ₹(-) 205.75 करोड़ तक लगातार बढ़ा है। 2012-13 में यह ₹(-)200.46 करोड़ कम हुआ तथा बाद में 2013-14 में यह ₹(-) 194.16 करोड़ तक घटा।

इस मामले पर वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 की समाप्ति पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संघ सरकार के लेखे पर प्रतिवेदन में टिप्पणी भी की गयी थी।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से सहमत हुआ (फरवरी 2015) तथा बताया कि मंत्रालय भविष्य में प्रतिकूल शेषों को कम करने के लिए उपचारी उपायों की खोज कर रहा था।

2.2.4 शिक्षा उपकर का लेखा-जोखा

(क) प्राथमिक शिक्षा उपकर

प्राथमिक शिक्षा हेतु गैर-व्यपगत निधि को प्रारम्भिक शिक्षा कोष[5] (प्रा.शि.को.) के रूप में जाना जाता है जिसे लोक लेखे में आरक्षित निधियों के गैर-कर वाले अनुभाग के अतंर्गत 2005-06 में क्रेडिट किया गया था। यह निधि सर्वशिक्षा अभियान योजना तथा दोपहर के भोजन की योजनों के अतंर्गत प्रारम्भिक शिक्षा हेतु व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। 2004 के वित्त अधिनियम (सं.2) के माध्यम से सभी केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा उपकर को वसूली की गई थी। उपकर संग्रहण को प्रारम्भ में भा.स.नि. को क्रेडिट किया जाता है तथा बाद में ससंदीय प्राधिकरण प्राप्त करने के पश्चात इसे प्राथमिक शिक्षा पर व्यय को वित्तपोषित करने हेतु प्रा.शि.को. को अतंरित किया जाता है।

मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.), मानव ससांधन विकास विभाग राजस्व विभाग में ले.म.नि. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उप्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समन्वय से प्रा.शि.को. के लेखाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है।

2004-05 से 2013-14 की अवधि के संघ के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि भा.स.नि. में प्राथमिक शिक्षा उपकर के ₹1,30,599 करोड़ के कुल सग्रंहण के प्रति प्रा.शि.को. को केवल ₹1,19,197 करोड़ का अतंरण किया गया था जिसका परिणाम ₹11,402 करोड़ के कम अतंरण में हुआ। 2004-14 की अवधि के दौरान, कुछ वर्षों में अतंरण एकत्रित उपकर से अधिक था जबकि कुछ वर्षों में यह एकत्रित उपकर से कम था जैसा **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, मानव संसाधन विकास विभाग के मु.ले.नि. तथा राजस्व विभाग में ले.म.नि., केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बीच कोई समाधान नहीं है

[5] मुख्य शीर्ष 8229.127 प्रारम्भिक शिक्षा कोष

चार्ट 2.3: प्राथमिक शिक्षा उपकर का सग्रंहण तथा प्रा.शि.को. को इसका अतंरण

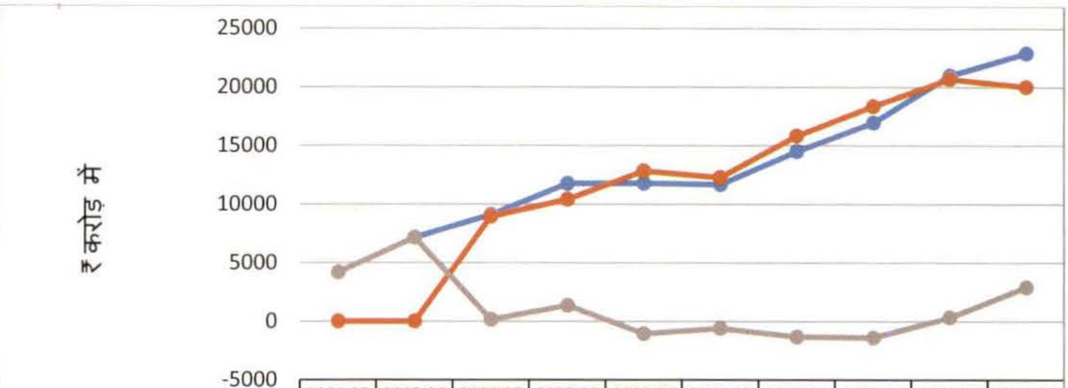

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
कुल उपकर संग्रहण	4177	7136	9069	11722	11741	11623	14451	16899	20946	22837
प्रा.शि.को. को अन्तरण	0	0	8935	10393	12817	12258	15805	18334	20667	19988
कम/अधिक अंतरण	4177	7136	134	1329	-1076	-635	-1354	-1435	279	2848

नकारात्मक आकड़े प्रा.शि.को. को अधिक अतंरण को दर्शाते है।

(ख) माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर (मा.उ.शि.उ.) को माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्त अधिनियम 2007 में प्रारम्भ किया गया था।

2006-14 की अवधि के संघ के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹52,268.65 करोड़ के मा.उ.शि.उ. का कुल सग्रंहण किया गया था। तथापि, प्राथमिक शिक्षा उपकर में प्रा.शि.को. के सृजन को अलग करने के मुकाबले में न तो इसमें उ.मा.शि.उ. की प्राप्तियों को मॉनीटर करने हेतु एक नामित निधि नहीं है और न ही चयनित योजनाएं है जिन पर उपकर प्राप्तियों का व्यय किया जाना था। परिणामस्वरूप, माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य को सहायता हेतु उपकर के उपयोग जैसा कि वित्त अधिनियम में अभिकल्पित है, संघ के लेखाओं से पारदर्शीरूप से पता लगाने योग्य नहीं था।

2.2.5 नवीकरण आरक्षित निधि के अंतरण को गलत दर्शाया जाना

अनुदान सं. 25-आयुध फैक्ट्री में, भारतीय समेकित निधि (भा.स.नि.) '2079.00.797-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन (न.प्र.) निधि में अंतरण' से शीर्ष के

माध्यम से, लोक लेखे में शीर्ष '8226.102' में 2013-14 हेतु संघ वित्त लेखे के विवरण सं. 13 में ₹375 करोड़ की राशि अंतरित की गयी थी। इसके अतिरिक्त, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन पर शीर्ष 2079.00.106-नवीकरण एवं प्रतिस्थापन के अंतर्गत ₹697.01 करोड़ का व्यय किया गया था तथा लोक लेखा में नवीकरण एवं प्रतिस्थापन निधि से राशि पूर्ण की गई थी।

तथापि, वि.व. 2013-14 हेतु संघ लेखे के विवरण सं.9 में ₹(-)322.01 करोड़ की राशि भा.स.नि. से लोक लेखे में शीर्ष 2079.00.797-न.प्र. निधि में अतंरण के अतंर्गत अतंरित राशि के साथ व्यय की निवल राशि द्वारा गलत प्रकार से अतंरित करना दिखाया गया था। रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय अतंरण विवरण (के.अं.वि.) में भी, इस अतंरण को गलत प्रकार से दर्शाया गया था। लोक लेखा में अतंरण की निवल राशि दिखाने के बजाय, के.अं.वि. और विवरणी सं. 9 में इन अतंरणो को सही दर्शाया जाना (i) ₹375 करोड़ की राशि का लोक लेखा में अंतरण कर देना, (ii) मुख्य शीर्ष 2079 के अतंर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष को नवीकरण एवं प्रतिस्थापन पर ₹697.01 करोड़ वास्तविक व्यय को दर्ज एवं खर्च करना, और (iii) मुख्य शीर्ष 2079 के अतंर्गत कुल ₹697.01 करोड़ का उपयुक्त लघु शीर्ष 'घटायी हुई राशि को रिजर्व निधि से पूर्ण करने' का परिचालन करना होना चाहिए था।

यह लेखांकन प्रक्रिया संकेत करेगी कि 2013-14 में नवीकरण एंव प्रतिस्थापन पर ₹697.01 करोड़ का व्यय किया गया था, जिसे चिन्हित निधि में पहले से उपलब्ध शेषों में से ₹322.01 करोड़ की सीमा तक आंशिक रूप से वित्तपोषित किया गया था तथा जो वित्त लेखे की विवरणी सं.13 में नवीकरण एंव आरक्षित निधि को 2013-14 में अंतरित ₹375 करोड़ की राशि से अधिक था।

इस मामले पर टिप्पणी नि.म.ले. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12 की सं. 1 का पैरा 2.3.9; 2013 की सं. 1 का पैरा 2.2.4; 2014 की सं. 1 का पैरा 2.2.4) में लगातार प्रकाशित हो रही थी परंतु ले.म.नि. द्वारा रक्षा

मंत्रालय में र.ले.म.नि. के साथ समन्वय से कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे।

2.2.6 राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

आयात किए गए कोयले तथा भारत में उत्पादन किए गए कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर की उगाही करके स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं परिवर्तनात्मक परियोजनाओं के निधीयन हेतु 2010-11 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (रा.स्व.ऊ.नि.) की स्थापना की गई थी।

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान स्वच्छ ऊर्जा उपकर[6] संग्रहण, कुल ₹ 9,780.92 करोड़ का संग्रहण किया गया था। इसके विपरीत, लोक लेखा में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि[7] को केवल ₹ 4,216.46 करोड़ का ही अंतरण हुआ था। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु चिन्हित निधि से ₹ 5,564.46 करोड़ के उपकर का कम अंतरण हुआ, जैसा **तालिका** 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2: स्वस्छ ऊर्जा उपकर

(₹करोड़ में)

वर्ष	संग्रहित स्वच्छ ऊर्जा उपकर (0038.03.112)	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में अंतरण (2810.797)	उपकर का कम अंतरण
2010-11	1066.46	--	1066.46
2011-12	2579.55	1066.46	1513.09
2012-13	3053.19	1500.00	1553.19
2013-14	3081.72	1650.00	1431.72
योग	**9780.92**	**4216.46**	**5564.46**

2013 तथा 2014 के म.नि.ले.प. प्रतिवेदन सं.1 में मामले को इंगित किये जाने के बावजूद, 2013-14 में ₹1,431.72 करोड़ तक कम अतंरण था।

म.ले.नि. ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि वित्त मंत्रालय से उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था, पिछला अनुस्मारक नवम्बर 2014 में भेजा गया था तथा उचित समय में अंतिम स्थिति बता दी जाएगी।

[6] मु.शी. 0038.03.112- स्वच्छ ऊर्जा उपकर

[7] मु.शी. 8235.129- राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि

2.2.7 महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत शेषों का अनियमित प्रतिधारण

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनमें बचत आदत को बढ़ावा देने के लिए महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा योजना का नोडल अभिकरण होने से, अक्टूबर 1993 में महिला समृद्धि योजना (म.स.यो.) को शुरू किया गया था। योजना के अतंर्गत, 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाली ग्रामीण महिलाएं अपने स्वंय के क्षेत्र के ग्रामीण डाक घर में अपना बचत खाता खोल सकती है। जमा का शीर्ष 8013.101- ग्रामीण महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत लोक लेखे में हिसाब रखा गया था।

योजना को इस शर्त के साथ जुलाई 2001 से बंद कर दिया गया था कि म.स.यो. खाते को या तो बचत बैंक खाते में परिवर्तित किया जाए या फिर आहरण की अनुमति प्रदान करके खाते को बंद किया जाए। तथापि, यह पाया गया था कि 31 मार्च 2014 को शीर्ष 8013.60.101-ग्रामीण महिला समृद्धि योजना के अतंर्गत ₹3.10 करोड़ की राशि पड़ी थी। खातो को बचत बैंक खातों में परिवर्तित करने या खातो को बदं करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

इंगित किए जाने पर, डाक विभाग ने बताया कि संबंधित वे.ले.का. को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

2.2.8 आयकर कल्याण निधि

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने तीन वर्षों की अवधि तक 2006-07 एंव 2007-08 में ₹30 करोड़ प्रत्येक तथा 2008-09 में ₹40 करोड़ के तीन भागों में अतंरित ₹100 करोड़ के कार्पस के साथ आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया गया था। निधि को (i) आयकर विभाग के कर्मचारियों के कल्याण, मनोरंजन तथा अन्य बाह्य गतिविधियों के उन्नयन, (ii)चोट अथवा दुर्घटना जैसी आकस्मिकताओं के दौरान कर्माचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, (iii) मृत कर्माचारियों/अधिकारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान प्रदान करने, (iv) कर्माचारियों को आपातकालीन एवं गम्भीर संकट हेतु, जो कि के.स.स्वा.यो. प्रतिपूर्ति नियमावली के अंतर्गत पूर्णत: प्रतिपूर्ति योग्य नहीं

है, जोखिम बीमा सहित चिकित्सा अनुरक्षण के विभीन्न प्रकारों को प्रदान करने तथा (v) कर्माचारियों के उपयोग हेतु अवकाश गृहों का निर्माण करने/किराए पर लेने/पट्टे पर लेने/साजसज्जा/अनुरक्षण आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सृजित किया गया था। कार्पस निधि पर एकत्रित ब्याज तथा अन्य संवृद्धियो, जैसा आयकर कल्याण निधि नियमावली 2007 के पैरा 3 में निर्दिष्ट है, को उपर्युक्त उद्देश्यों पर व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाना था।

नि.म.ले.प. निधि के सृजन इस निधि द्वारा आच्छदित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल करने तथा सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित करने के आधार पर सहमत नहीं थे। लोक लेखे के ब्याज वहन करने वाले वर्गों के अंतर्गत निधि का सृजन सम्पति की अग्रिम खरीद के मामलें में सरकार द्वारा अदा की गई क्षतिपूर्ति से अधिक नीलामी से प्राप्त आधिक्य राशि के 10 प्रतिशत के व्यय, जिसे अन्यथा भा.स.नि. को क्रेडिट जाता है, के अतिरिक्त राजकोष को ब्याज की आवर्ती देयता का भार डालता है। चूंकि निधि का उपयोग, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों की तरह मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार, यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तियों के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती जब तक कि व्यय मान्यता प्राप्त नीति या रीतियों के अनुसरण में नहीं हो। इसके अतिरिक्त, यदि उद्देश्य कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार के सदस्यों, जिन्होने अन्वेषण/गिरफ्तारी कार्रवाई के दौरान क्षति/मृत्यु का सामना किया हो, को आवृत करने तथा कर्मचारियों के लिए उच्च जोखिम बीमे के प्रावधान को शामिल करने हेतु भारत सरकार की निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत प्रावधान को शामिल करने हेतु भारत सरकार की निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत प्रावधान किया जा सकता है या ऐसे उद्देश्यों हेतु किसी भी योजना के प्रावधानों में सम्मिलित किया जा सकता है। उल्लेखित अन्य उद्देश्यों को मंत्रालय की अनुदानों हेतु

माँग में मानक विषय शीर्षों 'पुरस्कार', 'चिकित्सा उपचार', 'कार्यालय व्यय', 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

इस मामले पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2008-09, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.-1 में टिप्पणी की गई थी। सितम्बर 2010 की अपनी कार्रवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया कि निधि का सृजन जनवरी 1998 में विस्तृत जांच के पश्चात किया गया था। इसने यह भी बताया कि निधि के सृजन की उत्पत्ति स्वैच्छिक आय घोषणा योजना-97, जिसमें सामान्य कर संग्रहण से अधिक, लगभग ₹10,700 करोड़ के अतिरिक्त कर का संग्रहण किया गया था, के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में निहित है। मंत्रालय ने बाद में बताया (जून 2014) कि निधि की प्रकृति को स्पष्ट रूप से संसद को प्रस्तुत तथा उसके द्वारा सहमत 1998-99 के बजट प्रस्तावों के संबंध में प्रस्तुत किया गया था; अत: इसकी पुन: स्वीकृति पंजीकृत नीति अथवा रीतियों के प्रतिकूल होगी क्योंकि कैबिनेट के निर्णय स्वयं किसी भी योजना पर सरकारी नीति को दर्शाते हैं। उसने यह भी बताया कि महा लेखा नियंत्रक के सहयोग से प्र. मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा अभिकल्पित लेखांकन की अत्यंत सविस्तार योजना के दृष्टिकोण से यह भी संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि निधि के उपयोग को संसद को प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की तरह मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा। इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा उपलब्ध तथा संचालित समान निधियों के साथ समानान्तर भी देखा जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि निधि को ऐसे व्यय के उद्देश्य तथा कार्यप्रणाली के संबंध में सरकार के अंतर्गत विस्तृत जांच के पश्चात सृजित किया गया था इसलिए निधि को समाप्त किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। मंत्रालय ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2014) कि ₹100 करोड़ की संचित निधि से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा प्रारम्भ से ही इस निधि में कोई ब्याज भी क्रेडिट नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि के.प्र.क.बो. ने आ.क.नि. का सृजन करने हेतु उनकी स्वीकृति की मांग करते हुए अप्रैल 1998 में "कैबिनेट हेतु नोट" प्रस्तुत किया था। जून 1998 में सचिव (राजस्व) ने पाया कि आ.क.नि. को सृजित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा बजट दस्तावेज के एक भाग के रूप में स्वीकृत किया गया था। तथापि, मई 2003 में सचिव (व्यय) ने कैबिनेट की स्पष्ट स्वीकृति कि मांग हेतु प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में, जनवरी 2006 में सचिव (व्यय) द्वारा इस आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था कि बजट प्रस्ताव संसद में बहस और चर्चा से गुजरेंगे तथा इसे कैबिनेट की मौन स्वीकृति के रूप में माना जाना था। तथापि, के.प्र.क.बो. में यह दर्शाने के लिए कोई अभिलेख नहीं थे कि अप्रैल 1998 में प्रस्तुत प्रारम्भिक नोट के संबंध में कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। वर्तमान मामले में, विधि का सृजन करने हेतु कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रक्रिया से समझौता किया गया था तथा कथित स्वीकृति को कैबिनेट की सुस्पष्ट स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता।

निधि को स्थापित करने के अंतर्निहित उद्देश्य, स्टाफ कल्याण, मनोरंजन एंव बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा, आपात स्थिति हेतु विभिन्न प्रकार के चिकित्सा रखरखाव प्रदान करना, पर्यटकों की रूचि वाले स्थानों पर अवकाश गृहो का निर्माण/किराए पर लेना/पट्टे पर लेना तथा विभागीय अतिथि गृह, आवासीय परिसरों के निर्माण/किराए पर लेने के लिए विभाग के अधिकारियों/स्टाफ को अनुपुरक कर्जों की वृद्धि आदि थे। कर्मचारियों के एक वर्ग के संबंध में निधि से पूरा किए जाने वाले प्रस्तावित उपर्युक्त व्यय का औचित्य संदिग्ध रहता है क्योंकि सरकार के पास सभी केन्द्रीय सरकारी कर्माचारियों तथा उनके परिवारों के लाभ हेतु पहले से ही अलग प्रावधान अथवा योजनाएं हैं जो आयकर विभाग के अधिकारियों/स्टाफ को भी शामिल करती हैं। प्रस्तावित कल्याण उपायों पर व्यय के अनुमानों को एक नामित कल्याण निधि से इन व्ययों का वित्तपोषण का सहारा लिए बिना विभाग की अनुदानों हेतु संबधित मांगो में व्यय की प्रकृति के सुसंगत उपयुक्त विषय शीर्षों के अतंर्गत अनुमानों की

ससंदीय स्वीकृति प्राप्त करके विभाग की सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है जैसा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 8 के तहत निर्धारित है। विभिन्न मदों हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता जो या तो आमतौर पर लागू नियमावली के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदत से अधिक हो या फिर कुल मिलाकर नए विषयों पर हो, वित्तीय औचित्य के मानको के उल्लंघन में है। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली भी लोगों के एक वर्ग अथवा व्यक्तिगत के लाभ हेतु लोकधन से व्यय को अनुमत नहीं करती है। अन्य विभाग में अनुरूप प्रकृति के एक निधि की केवल उपस्थिति अन्य विभागों में निष्पादन प्रोत्साहन एवं पारिश्रमिक हेतु एक समान निधि स्थापित करने का आधार नहीं है। लेखापरीक्षा का तर्क है कि लोक लेखे में किसी आ.वि.नि. को संचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा कल्याण गतिविधियों पर व्यय, जैसा विभाग द्वारा विचार किया गया था, को उपयुक्त विषय शीर्षों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है तथा यदि व्यय योजना में शामिल होता है तथा वित्तीय औचित्य के मानको को पूरा करता है जैसा विभिन्न वित्तीय नियमावालियों में निर्धारित है, तो ऐसे व्यय को सीधे भारत की समेकित निधि को डेबिट किया जा सकता है। लोक लेखे में खोली गई आ.क.नि. को बंद किया जाए तथा शेष को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाए।

प्रत्युतर में, के.प्र.क.बो. ने बताया (दिसंबर 2014) कि विभाग में, लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियो पर विचार करने के पश्चात, जून 2014 में मॉनीटरिंग कक्ष, व्यय विभाग को पिछले पैरा पर अंतिम क.रि. पहले ही प्रस्तुत कर दी थी। उसने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा अब प्रस्तुत पैरे ने पहले की अभ्युक्तियों को दोहराया जिसे पर पहले ही विचार किया गया तथा क.रि. में उत्तर दिया गया था।

फिर भी मंत्रालय का उत्तर यह स्वीकार नहीं करता है कि लेखापरीक्षा ने किसी भी स्तर पर आ.क.नि. को जारी रखने के विभाग के कार्य को सहमति दी थी। वास्तव में, क.रि. के उत्तर में भी लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों

ने स्पष्ट रूप से आ.क.नि. के समापन तथा कथित निधि में उपलब्ध शेष को भारत की समेकित निधि में डालने का समर्थन किया था जिसकी अनुपालना की जानी चाहिए।

2.2.9 सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क कल्याण निधि

निधियों का सृजन: सरकारी कर्माचारियों को पारिश्रमिक प्रदान करने से संबंधित नीतियों तथा प्रक्रियों के उदारीकरण के एक भाग के रूप में, विभाग ने वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग एफ.सं.13011/3/85-एड.वी. दिनाँक 30 मार्च 1985 के माध्यम से तीन निधियों नामत: (i) सीमा शुल्क कल्याण निधि, (ii) निष्पादन पुरस्कार निधि, तथा (iii) तस्करी-निरोधी उपकरण के अधिग्रहण हेतु सीमा शुल्क विशेष निधि का सृजन करने का निर्णय लिया। तीन निधियों के सृजन हेतु राष्ट्रपति की संस्वीकृति वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. 711/8/86- सी.यू.एस. (ए.एस.) दिनाँक 20 जनवरी 1987 के माध्यम से प्रदान की गई थी। रीति के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एंव सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.बो.) प्रत्येक वित्तीय वर्ष संबंधित मुख्य शीर्ष को डेबिट करके उस राशि के बराबर जिसे इन तीन निधियो के लिए सरकार द्वारा बजट में संस्वीकृत किया गया हो, अतंरण प्रविष्टि करने हेतु उत्तरदायी है।

निधियों के उद्देश्य: निधि के उद्देश्य स्टाफ कल्याण को बढ़ावा, मनोरंजन क्लबों/पुस्तकालयों की स्थापना; कर्मचारियों के बच्चो हेतु छात्रवृति; आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन सुविधा; दुर्घटना, ऑपरेशन अथवा कार्रवाई के परिणाम से हुई मृत्यु अथवा क्षतियों के मामलों में अनुग्रह-भुगतान; बाढ़, भूकम्प, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई कठनाईयों का निपटान तथा विशेष प्रवृति के तस्करी विरोधी उपकरणों का प्रापण आदि थे।

वित्तपोषण का साधन: तीन निधियों के वित्तपोषण का साधन सीमा शुल्क/उत्पादन शुल्क द्वारा जब्त माल की बिक्री प्राप्तियों तथा 1985-86 के आगे से अपील/संशोधन में वसूली तथा रखे गए जुर्मानों, दण्डो जिसे मुख्य

लेखा नियंत्रक, के.उ.सी.बो. तथा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा सत्यापित तथा सुनिश्चित किया गया है, के 10 प्रतिशत का अतंरण है। तीन निधियो के बीच 10 प्रतिशत के क्रेडिट का संवितरण सीमा शुल्क कल्याण निधि के एक प्रतिशत, निष्पादन पुरस्कार निधि को चार प्रतिशत तथा तस्कर निरोधी उपकरणों के अधिग्रहण हेतु सीमा शुल्क विशेष निधि को पांच प्रतिशत था।

निधियों का विलयन: एकल आस्तित्व बनाने के लिए सीमा शुल्क कल्याण निधि तथा निष्पादन पुरस्कार निधि मंत्रालय के आदेश सं.712/1/2005-सी.यू.एस (ए.एस.), दिनाँक 12 अक्तूबर 2006 के माध्यम से विलयन कर दिया गया था, जिसे सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क कल्याण निधि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, 12 अक्तूबर 2006 से (i) सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क कल्याण निधि तथा (ii) तस्करी निरोधी उपकरण के अधिग्रहण हेतु विशेष निधि के बीच निधियों का आवंटन 1:1 के अनुपात में रहा है अर्थात् दो निधियों के बीच 10 प्रतिशत के क्रेडिट का संवितरण दोनों में से प्रत्येक को पांच प्रतिशत है।

निधियों की लेखांकन प्रक्रिया में निम्नलिशित शामिल है:

- मु.ले.नि. जब्त माल, वसूले गए जुर्मानों, दण्डों की राशि को सूचित करता है।
- अ.वि.मॉ. में मुख्य शीर्ष 2037 (सीमा शुल्क) से लघु शीर्ष (आरक्षित निधि एवं जमा लेखा) को 10 प्रतिशत राशि अंतरित की जाती है।
- शासी निकाय द्वारा पी.डी. लेखाओं को बजट की गई राशि के अतंरण हेतु प्राप्त मंत्रालय की संस्वीकृति।
- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र गठनों से प्राप्त प्रस्ताव जिसकी परामर्शी समिति द्वारा उचित प्रकार से सिफारिश की गई हो।
- समेकित वित्त इकाई के सहयोग के पश्चात शासी निकाय द्वारा संस्वीकृत राशि।

जब्त/कुर्क माल की बिक्री प्राप्तियों तथा 2008-09 से 2013-14 के दौरान निधियों को अंतरित राशि के ब्यौरे **तालिका 2.3** में दिए गए हैं:

तालिका 2.3: निधि का स्रोत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जब्त/कुर्क माल की बिक्री प्राप्ति की राशि	बिक्री प्राप्तियों की 10 प्रतिशत राशि	सीमा शुल्क एंव उत्पाद शुल्क कल्याण निधि को अंतरित 5 प्रतिशत	सीमा शुल्क विशेष उपकरण निधि को अंतरित 5 प्रतिशत
2008-09	105.25	10.52	5.26	5.26
2009-10	85.32	8.53	**4.27	**4.27
2010-11	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0
2012-13	70.82	*5.58	2.79	2.79
2013-14	0	0	0	0
योग	**261.39**	**24.63**	**12.32**	**12.32**

* मंत्रालय के पत्र दिनांक 06 मार्च 2013 के अनुसार

** पूर्णांकित करने के कारण ₹0.01 करोड़ के आँकड़े में अंतर

2008-09 से 2013-14 के दौरान निधियों में लेन-देनों तथा शेषों, जैसे के.उ.सी.बो. द्वारा प्रदान किया गया, के ब्यौरों को नीचे **तालिका 2.4** में दर्शाया किया गया है:

तालिका 2.4: निधियों का लेन-देन

(₹ करोड़ में)

निधि का नाम	वर्ष	अन्य शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंत शेष
सीमा शुल्क एंव केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि	2008-09	108.94	5.26	2.24	111.96
	2009-10	111.96	4.27	2.89	113.34
	2010-11	113.34	0	2.81	110.53
	2011-12	110.53	0	2.75	107.78
	2012-13	107.78	2.79	6.92	103.65
	2013-14	103.65	0	5.81	97.84
		योग	**12.32**	**23.42**	
विशेष उपकरण निधि	2008-09	53.26	5.26	1.49*	57.03
	2009-10	57.03	4.27	14.04*	47.26
	2010-11	47.26	0	7.51*	39.75
	2011-12	39.75	0	4.15*	35.6
	2012-13	35.6	2.79	6.21*	32.18
	2013-14	32.18	0	9.61*	22.57
		कुल	**12.32**	**43.01**	

**संवितरित राशि में प्रतिदाय घटाकर संस्वीकृत राशि शामिल है।*

तथापि, उपर्युक्त निधि के संबंध में के.उ.सी.बी. द्वारा प्रदत्त आँकड़े वित्त लेखे में प्रकट हो रहे आँकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। वर्ष 2013-14 हेतु, वित्त लेखे के अनुसार अथ शेष, अंत शेष तथा लेन-देनों का ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है जो अभिलेखों के दो सेटों के बीच काफी विभिन्नताओं का दर्शाता है।.

तालिका 2.5: वित्त लेखे तथा विभाग की बहियों में असंगति/अंतर

निधि का नाम	अथ शेष			प्राप्ति			संवितरण			अंत शेष		
	वि.ले. के अनुसार	के.उ.सी.बो. के अनुसार	अंतर	वि.ले. के अनुसार	के.उ.सी.बो. के अनुसार	अंतर	वि.ले. के अनुसार	के.उ.सी.बो. के अनुसार	अंतर	वि.ले.के अनुसार	के.उ.सी. बो. के अनुसार	अंतर
सीमा शुल्क एंव उत्पाद शुल्क कल्याण निधि	105.08	103.65	1.43	1.68	0	1.68	8.01	5.81	2.20	98.76	97.84	0.92
विशेष उपकरण निधि	33.01	32.18	0.83	0	0	0	9.49	9.61	(-)0.12	23.52	22.57	0.95

इन दो निधियों से वित्तपोषित व्यय की नमूना जांच की गई थीं तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का नीचे संक्षिप्त विवरण दिया गया है:

(I) सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क कल्याण निधि

(i) पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग के का.आ.सं. 38/37/08-पें.पें.क.(ए.) दिनाँक 2 सितंबर 2008 के अनुसार-केन्द्र सरकारी असैनिक कर्मचारियों के परिवारों, जो सरकारी दायित्वों के निष्पादन, आतंकी हमले अथवा प्राकृतिक आपदा के दौरान मारे गए हैं, को कल्याण निधि में से एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति देय है यह पाया गया था कि कल्याण निधि में से विभाग ने 2008-09 से 2013-14 के दौरान दुर्घटना के कारण/आतंकी हिंसा को आरोपणीय या दायित्वों के निष्पादन के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में ₹25 लाख, प्राकृतिक मृत्यु के 350 मामलों के संबंध में ₹381.50 लाख का अनुग्रह भुगतान तथा खिलाड़ियों के 7 मामलों के संबंध में ₹20.02 लाख का 3 मामलों में अनुग्रह भुगतान किया। तथापि, ₹381.50 लाख तथा ₹20.02 लाख के भुगतान कल्याण निधि से भुगतान हेतु का.प्र.वि. की अधिसूचना के

अंतर्गत शामिल नहीं थे तथा इस प्रकार इनका परिणाम अनियमित भुगतान में हुआ।

(ii) विभाग के इतिहास के संबंध में जानकारी को प्रोत्साहित करने के लिए पंजी, गोवा में एक संग्रहालय की स्थापना पर कल्याण निधि से ₹715 लाख का व्यय किया गया था, जिसे सामान्य बजट प्रक्रिया से वित्तपोषित किया जा सकता था।

(iii) 2008-09 से 2013-14 के दौरान, निजी अस्पतालों से उपचार पर चिकित्सा सहायता व्यय के 919 मामलों में कल्याण निधि से ₹472.75 लाख का व्यय किया गया था। वह कर्मचारी के.स.स्वा.यो. (एम.ए.)/के.स.स्वा.यो. नियमावली के अंतर्गत भी आवृत्त थे तथा व्यय को सामान्य बजटीय प्रक्रिया से वित्तपोषित किया जा सकता था।

(iv) विभाग के पत्र सं. 712/1/2005-सी.यू.एस.(ए.एस.), दिनांक 12.10.2006 के अनुसार, अक्टूबर 2006 में निष्पादन पुरस्कार निधि का सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि के साथ विलयन कर दिया गया था। दो निधियों के विलयन के बावजूद, निष्पादन पुरस्कार निधि को 2013-14 तक वित्त लेखे में दर्शाया जाना जारी था। उपरोक्त आदेश के प्रतिकूल 2012-13 तक कल्याण निधि के अंश का सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि के बजाए अनियमित रूप से निष्पादन पुरस्कार निधि को अंतरण भी किया जा रहा था।

(II) सीमा शुल्क विशेष उपकरण निधि

(i) वित्त मंत्रालय ने दिसंबर 1999 में "कम से कम समय में विशेष प्रवृत्ति के तस्करी निरोधी उपकरणों तथा तस्करी निरोधी/अपवंचन निरोधी उद्देश्य हेतु वाहनों के प्रापण" के लिए अधिसूचना जारी की। शासी निकाय, लॉजिस्टिक्स, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क ने 2008-09 से 2013-14 के दौरान विशेष उपकरण के अनुरक्षण/उन्नयन हेतु

उपकरण के प्रापण हेतु स्थापित विशेष उपकरण निधि में से ₹15 करोड़ की संस्वीकृति जारी की। वित्तीय सलाहकार (वित्त) यह बताते हुए कि "विशेष उपकरण निधि" केवल उपकरण के प्रापण के लिए ही थी, लेन-देन से असहमत (मार्च 2013) थे। अनुरक्षण व्यय को विशेष गोपनीय निधि (वि.गो.नि.) से पूरा किया जाना चाहिए था, जिसका उस सीमा तक सवंर्धन किया जाना अपेक्षित था। विभाग ने उपकरण के अनुरक्षण/उन्नयन हेतु ₹13.49 करोड़ का व्यय किया जो अनियमित था।

(ii) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को विभाग की स्वीकृति सूची के अनुसार तस्करी निरोध हेतु एक विशेष उपकरण के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। नई दिल्ली तथा चेन्नई में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के प्रापण एवं संस्थापना हेतु विशेष उपकरण निधि में से अनियमित रूप से ₹0.32 करोड़ का व्यय किया गया था।

(iii) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के 28 अक्टूबर 2005 के अनुदेश के अनुसार बचत खाते/चालू खाते में पड़े शेषों का तुरंत निजी जमा खाते में अंतरण किया जाना था। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि राजस्व खुफिया निदेशालय को 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान विशेष उपकरण निधि में से ₹15 करोड़ का आबंटन किया गया था। यह पाया गया था कि राजस्व खुफिया निदेशालय निजी जमा खाते के बजाए अभी भी बचत खाता चला रहा था। इस प्रकार, राजस्व खुफिया निदेशालय ने अक्टूबर 2005 में जारी उपर्युक्त अनुदेशों के विपरीत कुल ₹15 करोड़ की निधियों को सरकारी लेखे से बाहर रखा।

(iv) शासी निकाय, लॉजिस्टिक्स निदेशालय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने 2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान विशेष तस्करी निरोधी उपकरण के प्रापण अथवा उनके अनुरक्षण हेतु ₹43.01[8] करोड़

[8] संवितरित राशि में प्रतिदाय घटाकर संस्वीकृत राशि शामिल है।

की संस्वीकृतियां जारी की। विभाग ने केवल ₹11.00 करोड़ उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया। ₹32.01 करोड़ की संस्वीकृतियों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों को नवम्बर-2014 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उपरोक्त नमूना जांचों ने प्रकट किया कि विभाग ने सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि से ₹23.42 करोड़ में से ₹15.89 करोड़ तथा विशेष उपकरण निधियों से ₹43.01 करोड़ में से ₹13.80 करोड़ के अनियमित व्यय किए थे। इस प्रकार, ₹66.43 करोड़ के कुल व्यय में से ₹29.69 करोड़ का अनियमित व्यय उन उद्देश्यों/लक्ष्यों के प्रतिकूल था जिसके लिए संबंधित निधियों का सृजन किया गया था तथा समय-समय पर जारी वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के भी प्रतिकूल था।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने विशेष उपकरण निधियों के बजाए सामान्य बजट में से पेट्रोलिंग समुद्रीय जलयानों, कन्टेनर स्कैनरों आदि जैसे कुछ अन्य तस्करी निरोधी विशेष उपकरण का प्रापण किया। इस प्रकार, विभाग में प्रापण के दो स्रोत थे जिन्हें आमतौर पर सामान्य बजटीय प्रक्रिया से वित्तपोषित किया जाना था।

इसलिए, यह देखा जा सकता था कि के.उ.सी.बो. की कल्याण निधि से वित्तपोषित लगभग सभी कल्याण गतिविधियों का, अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को, उन विभागों में किसी भी कल्याण निधि का सृजन किए बिना, सामान्य बजटीय प्रक्रिया तथा वर्तमान नियमावली, जो ऐसे व्यय को नियंत्रित करती है, के माध्यम पहले से ही विस्तार किया जा रहा है। चूंकि सामान्य वित्तीय नियमावली लोगों के एक वर्ग के लाभ हेतु लोक धन से व्यय को अनुमत नहीं करती है इसलिए सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि को जारी रखना आवश्यक नहीं है। कल्याण गतिविधियों को विभाग की सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित किया जा सकता है।

2.2.10 लोक लेखे में केन्द्रीय सड़क निधि (के.स.नि.) को उपकर का कम अंतरण

केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2004 के पैरा 4 के अनुसार, धारा 3 के तहत् वसूले उपकर की प्राप्तियों को पहले भारत की समेकित निधि में क्रेडिट किया जाएगा तथा अगर संसद इस संबंध में विधि द्वारा किए विनियोग के माध्यम से प्रावधान करती है तो केन्द्र सरकार, संग्रहण के व्ययों की कटौती करने के पश्चात केवल इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु उपयोग किए जाने के लिए समय-समय पर ऐसी प्राप्तियों का के.स.नि. को क्रेडिट कर सकती है।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 8[9] तथा विवरणी सं. 13[10] की जांच ने प्रकट किया कि ₹92,224.39 करोड़ के कुल संग्रहण के प्रति लोक लेखे में के.स. नि (शीर्ष 8224.00.101) को ₹88,544.45 करोड़ का अंतरण किया गया था जैसा **तालिका 2.6** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 2.6: लोक लेखे में चिन्हित निधियों को उपकरों का कम अंतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मोटर स्पीरिट पर उत्पाद शुल्क	एच.एस.डी. तेल पर उत्पाद शुल्क	के.स.नि. को अंतरण	कम अंतरण
2009-10	3487.07	12717.00	14400.00	1804.07
2010-11	3561.67	13639.39	16600.00	601.06
2011-12	3744.22	14617.83	18677.00	-314.95
2012-13	4098.00	15881.29	19433.73	545.56
2013-14	4712.00	15765.92	19433.72	1044.20
योग	**19602.96**	**72621.43**	**88544.45**	**3679.94**

स्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे (शीर्ष: 0038.03.106 एवं 0038.03.107)

स्वदेशी मोटर स्पिरिट तथा उच्च गति डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों की वसूली तथा संग्रहण राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

---

9 विवरणी सं. 8: राजस्व प्राप्ति के विस्तृत लेखा एवं लघु शीर्षों द्वारा पूंजीगत प्राप्तियां

10 विवरणी सं. 13: ऋण, जमा, धन प्रेषणों तथा आकस्मिकता निधि के संबंध में लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों तथा शेषों की विवरणी

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि इसका परिणाम ₹3,679.94 करोड़ की उपकर प्राप्तियों के कम अंतरण में हुआ है।

आर्थिक कार्य विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि बजट प्रभाग द्वारा बजट अनुमानों हेतु उपकर संग्रहण के आँकड़े राजस्व विभाग से प्राप्त किए गए थे। अब तक, यह प्रक्रिया योजना आयोग को, इस अनुरोध के साथ कि उपकर समर्थित आवंटनो का पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया था, इन अनुमानों को प्रदान करने के लिए थी। योजना आयोग तथा तदनुसार मंत्रालय/विभाग निधि के अंतरण तथा इसके योजना निधियन हेतु प्रावधान करता है।

चूंकि ये विशेष उद्देश्य उपकर हैं इसलिए पूर्ण उपकर संग्रहण को लोक लेखे में नामित निधि को अंतरित किया जाना चाहिए।

2.2.11 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि का बंद न होना

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) की स्थापना गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1995 दिनाँक 28 सितंबर 2010 के अनुसार की गई थी। इसके दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (रा.आ.आ.नि.) का राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (रा.आ.प्र.नि.) के साथ विलयन किया जाना था। 2013-14 के संघ सरकार के वित्त लेखे की संवीक्षा पर यह पाया गया था कि शीर्ष 8235.119-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को विवरणी सं.-13 में ₹1,484.78 करोड़ के अंत शेष के साथ अभी भी दर्शाया जा रहा है।

आगे ₹3,546.07 करोड़ की राशि को शीर्ष 0038.03.108 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क के अंतर्गत प्राप्ति के रूप में दर्शाया गया है तथा इस राशि के प्रति ₹4,649.94 करोड़ का विवरणी सं.-13 में शीर्ष 8235.125 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि को अंतरण किया गया था जिसका परिणाम वर्ष 2013-14 के दौरान कथित निधि में ₹1,103.87 करोड़ के शुल्क का अधिक अंतरण में हुआ।

म.ले.नि. ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि मंत्रालय को संदर्भ दे दिया गया था तथा तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.3 सत्यता एवं समाधान संबंधी मुद्दे

2.3.1 कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में विसंगति

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि में केन्द्र सरकार के अंशदान को भारत सरकार के लोक लेखे में रखा जाना होता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संघ सरकार के लेखाओं में भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा आवश्यक समायोजनों हेतु अंशदान (तथा उस पर ब्याज) को सरकार के अंश के संबंध में संस्वीकृतियां जारी करता है। संस्वीकृतियों की प्रतियाँ इसके वार्षिक लेखे में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने हेतु केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) (क.भ.नि.सं.) को भी प्रेषित की जाती हैं। इस प्रकार, कर्मचारी पेंशन निधि को पेंशन अंशदान के सरकारी अंश का शेष, जैसा कि लोक लेखे में दर्शाया जाता है तथा क.भ.नि.सं. के लेखे में अंकित अंशदान से मिलना चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखे के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे में अंकित ₹36,939.04 करोड़ के प्रति पेंशन निधि को केन्द्र सरकार का अंशदान (ब्याज सहित) ₹36,809.06 करोड़ था। उस वर्ष में दोनों वित्तीय दस्तावेजों में ₹129.98 करोड़ का अंतर था।

वर्ष 2013-14 के लिए संघ सरकार वित्त लेखे में दर्शाया गया शेष ₹71,449.59 करोड़ है तथा क.भ.नि.सं. के तुलन-पत्र के अनुसार शेष ₹71,319.61 करोड़ है। अतः ₹129.98 करोड़ का वही अंतर वित्तीय वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक जारी था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2011) कि मंत्रालय की संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी ने भारतीय रिजर्व बैंक को 1971 से हो

रहे लेखांकन का ब्यौरा देने के लिए अनुरोध किया है तथा जैसे ही भारतीय रिजर्व बैंक से ब्यौरा मिल जाएगा संघ सरकार के वित्त लेखे एवं क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखाओं में समाधान कर लिया जाएगा। तदनुसार संघ सरकार के वित्त लेखे तथा/अथवा क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंगे।

मंत्रालय ने आगे बताया (दिसंबर 2014) कि शीघ्र अनुपालन हेतु क.भ.नि.सं., मंत्रालय तथा भा.रि.बैं. द्वारा समाधान हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे।

तथापि, इस विषय पर वित्त वर्ष 2008-09, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में टिप्पणी किए जाने के बावजूद इस कमी को दूर करने हेतु कोई विवेकपूर्ण प्रगति नहीं की गई है।

2.3.2 कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा के शेषों में असंगति

वित्तीय वर्ष 2013-14 के वित्त लेखे के विवरणी 14[11] लोक लेखे में कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना[12] के विशेष जमा के अंतर्गत ₹1,594.61 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) द्वारा अनुरक्षित कर्मचारी बीमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976 (क.ज.स.बी.यो.) के तुलन पत्र में 31 मार्च 2014 तक ₹6,922.94 करोड़ का अंत शेष लोक लेखे में दर्शाया गया था। इस प्रकार, दोनों आंकड़ों में ₹5,328.33 करोड़ का अंतर था।

इस मामले को नि.म.ले.प. वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में भी इंगित किया गया था जब इन दोनों लेखाओं में ₹4,941.81 करोड़ का अंतर था। प्रधान लेखा कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया (जनवरी

[11] विवरणी 14 विवरणी सरकार के ऋण तथा ब्याज वहनीय दायित्व

[12] मुख्य शीर्ष 8012.124-कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के विशेष जमा

2012) कि दो लघु शीर्ष[13] इस प्रयोजन हेतु चलाये जा रहे थे। मंत्रालय के उत्तर के आधार पर, दो शीर्षों के अंतर्गत शेषों को ₹8,963.04 करोड़ तक परिकलित किया गया है। जिसमें 2013-14 की समाप्ति तक ₹2040.10 करोड़ का आधिक्य शेष है। मंत्रालय ने सरकार की किताबों तथा क.भ.नि.सं. की किताबों में दिख रहे अंतर को स्पष्ट नहीं किया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि शीर्ष 8012.00.124-कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना (क.ज.स.बी.यो.) के अंतर्गत प्रधान लेखा कार्यालय में उपलब्ध वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 के अनुसार, 2013-14 के दौरान शीर्ष 8342.00.124-कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना (क.ज.स.बी.यो.) तथा ₹6,922.94 करोड़ का शेष शीर्ष 8342.00.120 विविध जमा एवं ज.स.बी.यो. से संबंधित शेष था। इस प्रकार, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आंकड़ों के दो अलग सेटों की तुलना की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दो शीर्षों के अंतर्गत योग, जैसा वित्त लेखे 2013-14 में प्रकट हो रहा है, ₹8963.04 करोड़ (शीर्ष 8342.00.120 ₹7,368.43 करोड़ + शीर्ष 8012.00.124 ₹1,594.61 करोड़) होता है जबकि, क.भ.नि.सं. के किताबों में ₹6,922.94 करोड़ का अंत शेष है। संघ सरकार के वित्त लेखे तथा क.भ.नि.सं. की बहियों में शेषों का समाधान करने की आवश्यकता है।

2.3.3 प्राप्त ब्याज को न दर्शाया जाना

2013-14 के दौरान राष्ट्रीय लघु बचत निधि (विवरणी सं.16 की परिशिष्ट सं.1) में '8008.01.105-अन्य प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज' के अंतर्गत किसी प्रकार के ब्याज को प्राप्ति के रूप में नहीं दर्शाया गया है जबकि उसी शीर्ष के अंतर्गत 2012-13 में ₹135 करोड़ की आय को दर्शाया गया था।

---

[13] शीर्ष 8342.00.120- विवरणी सं. 13 में विविध जमाएं तथा 8012.00.124- विवरणी सं. 14 में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना का विशेष जमा।

म.नि.ले. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि ब्याज को दर्ज करने हेतु चेक/संस्वीकृति वित्त मंत्रालय में 31 मार्च 2014 के पश्चात प्राप्त की गई थी तथा इसलिए इसे 2013-14 हेतु लेखाओं में शामिल नहीं किया जा सका था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) को 'शून्य' ब्याज को दर्ज करने से पहले पूछताछ करनी चाहिए क्योंकि आ.का.वि. को ज्ञात था कि 2013-14 हेतु विवरणी सं.-16 में शीर्ष '8007.00.105-अन्य साधनों में निवेश' के अंतर्गत वर्ष के दौरान निवेश ₹1500 करोड़ रहा।

2.3.4 प्रतिभूति विमोचन निधि को राशि क्रेडिट न करना

संघ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2007-08 में भारतीय स्टेट बैंक (भा.स्टे.बै.) के राइट्स निर्गम में ₹9,996 करोड़ का निवेश किया था। नकद निर्गम की बजाय सरकार ने विशेष प्रतिभूतियाँ[14] जारी करते हुए लोक लेखे में देयता का सृजन कर दिया। इन प्रतिभूतियों का विमोचन एक भावी तिथि पर भारत की समेकित निधि[15] से लोक लेखे में निधियों के अन्तरण द्वारा 'प्रतिभूति विमोचन निधि' के सृजन के माध्यम से करना था।

लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2008-09 से 2013-14 के दौरान, प्रत्येक वर्ष में ₹625 करोड़ प्रतिभूति विमोचन निधि के अंश के कारण व्यय का लेखांकन हुआ था। ₹3,750 करोड़ की राशि को लोक लेखे में प्रतिभूति विमोचन निधि के रूप में इस एकमात्र उद्देश्य से क्रेडिट करना चाहिए था, कि भविष्य में कभी भा.स्टे.बैं. को विशेष प्रतिभूतियों के ₹9,996 करोड़ निर्मुक्त किए जा सकें।

आर्थिक कार्य विभाग के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि कथित निधि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 में मामले को इंगित किये जाने के बावजूद सृजित नहीं की गई थी परिणामस्वरूप ₹3,750 करोड़ एक उचंत शीर्ष में अभी तक पड़े थे।

[14] मु.शी. 8012.120 राष्ट्रीय बैंकों को जारी विशेष प्रतिभूतियां

[15] मु.शी. 3465.01.190.04-प्रतिभूति विमोचन निधि

मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि प्रतिभूति विमोचन निधि (प्र.वि.नि.) की प्रस्तावित लेखांकन प्रक्रिया का लंबित संशोधन नि.म.ले.प. की अभ्युक्तियों के आधार पर था तथा ₹3,750 करोड़ की राशि को 'उचंत लेखा सिविल' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। अगर नि.म.ले.प. की सहमति से एक बार प्र.वि.नि. हेतु लघु शीर्ष खोला जाता है तो राशि को उसी शीर्ष को अंतरित किया जाएगा।

मंत्रालय जल्दी से जल्दी लेखांकन प्रक्रिया को स्वीकृत करवाए तथा लेखाओं में पारदर्शिता के लिए व्यय को उपयुक्त शीर्ष में दर्ज करें।

2.3.5 पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण का गलत दर्शाया जाना

पोत परिवहन विकास निधि समिति (पो.प.वि.नि.स.) को 1986 से समाप्त कर दिया गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों एवं देयताएं पेा.प.वि.नि.स. (उन्मूलन) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के अनुसार केन्द्र सरकार को हस्तांतरित हो गयीं। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के संघ के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹(-) 231.71 करोड़ (डेबिट) का कुल ऋण, जैसाकि **तालिका 2.7** में ब्यौरा दिया गया है, अभी तक पो.प.वि.नि.स. के प्रति बकाये के रूप में दिखाया जा रहा था, जबकि पो.प.वि.नि.सा. की सभी परिसम्पत्तियॉ एवं देयताएं केन्द्र सरकार को पहले ही हस्तांतरित हो गयी थी।

तालिका 2.7: पो.प.वि.नि.स. को ऋणों का गलत चित्रण

शीर्ष का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
7052-01-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	53.83 डे.
7052-60-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	8.59 डे.
7052-02-101-पोत परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	(-)294.13 डे.
कुल	**(-)231.71 डे.**

लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.), वित्त मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि भारत सरकार ने पहले के एस.सी.आई.सी.आई. लि. को नियुक्त किया था, जिसका बाद में पो.प.वि.नि.स. पोर्टफोल्यो को प्रबंधित

करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने, जिसे शिपिंग/फिसिंग कम्पनियों से कर्जों की शीघ्र वसूली हेतु उपयुक्त समझा जाए, हेतु अपने नामित व्यक्ति के रूप में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ विलयन कर दिया गया था। उसने आगे बताया कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ने कर्जों का ब्यौरा दिए बिना मूलधन तथा उस पर ब्याज के रूप में धन को सरकारी खातों में वापस रख दिया। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से प्राप्त राशि को सरकारी कर्ज शीर्ष में जमा कर दिया गया था जिसका परिणाम अन्य शीर्षों में प्रतिकूल शेष में हुआ। इस मामले को समाधान हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक तथा वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ पहले ही उठाया गया था।

तथापि, तथ्य है कि वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसे इंगित किए जाने के बावजूद अनिर्णित रहता है।

2.3.6 निष्क्रिय आरक्षित निधियां/जमा/अन्य निधि

आरक्षित निधियां तथा जमा, लोक लेखे का एक हिस्सा होते हैं जिसमें उस संबंध में लेन-देनों को दर्ज किया जाता है जिसमें सरकार प्राप्त धन को वापस करने की देयता तथा उसमें से पुनर्भुगतान करती है। निष्क्रिय निधियां/ जमा ऐसी निधियां अथवा जमाओं को संघटित करते हैं जो लम्बी समय अवधि से संचालन में नहीं हैं। चूंकि आरक्षित निधि के गठन में आमतौर पर लोक लेखे में भारत की समेकित निधि से अंतरण शामिल होता है इसलिए लोक लेखे में निष्क्रिय निधियों को समाप्त किया जाना चाहिए तथा उसमें अंत शेष को भारत की समेकित निधि को वापस अंतरित किया जाना चाहिए।

वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने आरक्षित निधियों/जमाओं/अन्य निधियों के 47 मामले प्रकट किए जो पांच से 26 वर्षों के बीच की अवधि तक निष्क्रिय पड़े थे। इन मामलों को **अनुबंध 2.3** में दर्शाया गया है।

अनुबंध 2.3 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश मामले छोटी राशियों वाले थे तथा इसलिए उन्हें जारी रखना किसी तार्किक उद्देश्य को पूरा करना प्रकट नहीं करता है। इन मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इस प्रकार के शेषों के

भारत की समेकित निधि में जमा कर मामलों को बन्द किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

नि.म.ले.प. के 2013 तथा 2014 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में इस विषय में टिप्पणी की गयी थी, परंतु कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई थी।

ले.म.नि. ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि निष्क्रिय आरक्षित निधियों को विभिन्न विभागीय लेखाओं संगठनों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है और शेषों के परिसमापन/बट्टे खाते में डालने की समीक्षा करने के लिए संबंधित लेखांकन प्राधिकारियों से पहले ही अनुरोध किया गया था।

2.3.7 बाह्य ऋण के लेखांकन को कम बताना

ऋणदाता देशों अथवा विदेशी संस्थानों से भारत सरकार द्वारा प्राप्त बाह्य ऋणों को विनिमय की ऐतिहासिक दर, जो कि लेन-देन/प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित दर है, पर सरकारी लेखे में दर्ज किया जाता है। विनिमय दर में अनुवर्ती परिवर्तनों के कारण पुनर्भुगतान, लेखे के आधार पर परिकलित देय राशि से काफी अधिक है। इस अधिक भुगतान को प्रत्येक वर्ष नकारात्मक अंत शेष के रूप में लेखे में दर्शाया गया है। शेष ऋण, जिसे अभी तक पूरी तरह वापस नहीं किया गया है, सकारात्मक शेषों के साथ लेखे में दर्शाया गया। बाद में, जब बाह्य ऋण जोड़े जाते हैं नकारात्मक तथा सकारात्मक शेषों को निवल करने के कारण यह वास्तविक राशि से कम बताया जाता है।

इसी प्रकार, किसी विशेष देश से प्राप्त ऋण के शेष भी ऋण के सही आंकड़े नहीं दर्शाते क्योंकि एक विशेष देश कई परियोजनाओं हेतु ऋण देता है जिन्हें अलग से लेखांकित किया जाता है। इनमें से, कुछ परियोजनाओं पर ऋणों को पहले ही अदा किया जा चुका है परंतु विनिमय परिवर्तनों के कारण भुगतान अभी भी किए जा रहे हैं जिन्हें नकारात्मक शेष के रूप में दर्ज किया गया है। यह नकारात्मक शेष, जोड़े जाने पर, उस विशेष देश से बकाया ऋण के शेषों को कम दर्शाता है।

इस प्रकार, वित्त लेखे में दर्शायी गयी ₹1,84,580.75 करोड़ के बाह्य ऋण की राशि, बकाया बाह्य ऋण के वास्तविक आयाम को प्रदर्शित नहीं करती है। संघ के वित्त लेखे की विवरणी सं. 14 के नीचे दिये गये नोट के अनुसार, मार्च 2014 के अंत में वर्तमान दर पर बाह्य ऋण ₹3,74,483.34 करोड़ था। इस प्रकार, विनिमय की ऐतिहासिक दर पर लेखे में बाह्य ऋण को अंकित करना देयता का सही प्रतिबिंब नहीं है।

2013 तथा 2014 के प्रतिवेदन सं. 1 में यह इंगित किया गया था कि ले.म.नि. द्वारा बकाया बाह्य ऋण के ऐतिहासिक विनिमय दर पर वास्तविक आयाम दर्शाने हेतु एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। तथापि इस संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं दिखायी गयी है।

म.ले.नि. ने बताया (अक्तूबर 2014) कि नियंत्रक सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा को संदर्भित कर दिया गया था।

2.3.8 बाह्य ऋण का वर्तमान दर पर असंगत दर्शाया जाना

लघु शीर्ष 6002-296 तथा 6002-298 के अंतर्गत ₹6.15 करोड़ एवं ₹ 0.01 करोड़ के ऋण क्रमश: अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन तथा रक्षा प्रमाणपत्र के प्रति 31 मार्च 2014 को बकाया दिखाए गए थे। तथापि, वर्तमान दरों पर परिवर्तित विदेशी ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी इन ऋणों का वर्णन नहीं करती है। दूसरी ओर, इटली से वर्तमान दर पर कुल ₹2.31 करोड़ के विदेशी ऋण का शीर्ष 6002-बाह्य ऋण के अंतर्गत विनिमय की ऐतिहासिक दर पर उल्लेख नहीं किया गया है।

'अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन' तथा 'इटली' से विदेशी ऋणों के संबंध में म.ले.नि. ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि नियंत्रक सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा को संदर्भित कर दिया गया था।

विदेशी कर्ज के संबंध में-रक्षा प्रमाणपत्र, म.ले.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि शेष निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व (नि.ले.प.के.रा.) से

संबंधित था तथा इसलिए इसे विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋणों की विवरणी के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया था।

2.3.9 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी निधि में से अधिक आहरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) उस ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्यों को स्वैच्छिक शारीरिक कार्य करना होता है, को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों के श्रम-रोजगार की गारंटी से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने पर लक्षित है।

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के संघ के वित्त लेखाओं की संवीक्षा ने लोक लेखे में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी निधियों (8232.00.101) से किए गए संवितरण तथा नरेगस शीर्ष (2505.02.101) पर वास्तव में व्यय की गई तथा दर्ज राशि के बीच ₹5.29 करोड़ के अंतर को प्रकट किया। **तालिका 2.8** से यह देखा जा सकेगा कि योजना पर कुल व्यय, जो ₹1,28,320.09 करोड़ था के प्रति शीर्ष 8232.00.101 के माध्यम से लोक लेखे में निधि से कुल संवितरण ₹1,28,325.38 करोड़ था। इस प्रकार, निधि से ₹5.29 करोड़ का अधिक संवितरण ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के सरकार के अभिहित वायदे से अलग उद्देश्यों पर निधियों के संभावित उपयोग को दर्शाता है।

तालिका 2.8: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि में से अधिक आहरण

(₹करोड़ में)

वर्ष	निधि में से संवितरण (8232.00.101)	नरेगस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज व्यय (2505.02.101)	निधि में से अधिक अंतरण
2010-11	35841.49	35840.74	0.75
2011-12	29215.05	29212.92	2.13
2012-13	30274.72	30273.60	1.12
2013-14	32994.12	32992.83	1.29
कुल	**128325.38**	**128320.09**	**5.29**

इस मामले पर म.नि.ले.प. के वर्ष 2013 तथा 2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में टिप्पणी की गई थी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2015) कि संस्वीकृति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को निधियों की अंतिम आवश्यकता, जिसमें अन्य अभिकरणों जैसे कि वि.द्द.प्र.वि., के.लो.नि.वि. आदि के पक्ष में प्राधिकरण भी शामिल होते हैं, का निर्धारण करने के पश्चात जारी की जाती थी। अंत: लेखा अंतरण तथा वास्तविक व्यय के बीच अंतर इस तथ्य के कारण था कि व्यय प्राधिकरण से कम था। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया था कि प्राधिकरणों के प्रति वास्तविक व्यय को स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल ट्रांजेक्शन तैयार करते समय (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात) प्रधान लेखा कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित किया था तथा मनरेगा प्रभाग के प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को वर्ष के दौरान किए गए कुल प्राधिकरण के आधार पर संस्वीकृत जारी की थी। अंतर को समाप्त करने की संभाव्यता के संबंध में यह उत्तर दिया गया था कि प्रधान लेखा कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रति 31 मार्च 2015 को दर्ज वास्तविक व्यय को शामिल करेंगे न कि स्वयं प्राधिकरण के आंकड़े को। यह प्रत्याशित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि अंत:लेखा अंतरण तथा वास्तविक व्यय के बीच कार्यान्वयन अभिकरणों के अनुपूरक लेखाओं के माध्यम से कुछ समायोजन/सुधार करने के सिवाय उस सीमा तक ऐसा कोई अंतर उजागर न हो रहा हो।

2.3.10 अन्य विसंगतियां

(क) संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में निवेश का अधूरा दर्शाया जाना

वित्त लेखे की विवरणी सं.11 स्वायत्त निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों आदि में संघ सरकार के निवेश का ब्यौरा प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु विवरणी की संवीक्षा ने प्रकटीकरण के संबंध में कुछ विसंगतियों को प्रकट किया जिसका सार **तालिका 2.9** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, लेखाओं की मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची (मु.ल.शी.सू.) को सामान्य निर्देश के पैरा 4.2 के अनुसार

लघु शीर्ष 190- लोक क्षेत्र तथा अन्य उद्यमों में निवेश इक्विटी शेयर के लिए है। तथापि, कुछ मामलों में इक्विटी शेयरों में निवेश लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के माध्यम से किया गया है जो सामान्य निर्देश के प्रतिकूल है।

तालिका 2.9: लो.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के प्रकटीकरण में विसंगतियां

क्र.सं.	लो.क्षे.उ. का नाम	विसंगतियां	म.ले.नि./मंत्रालय का उत्तर/ लेखापरीक्षा टिप्पणियॉ
1.	उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	2013-14 में ₹4 करोड़ का निवेश किया गया था परंतु संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में ब्यौरे नहीं दर्शाए गए थे।	म.ले.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया था।
2.	बर्न स्टैंडर्ड लि. तथा ब्रैथवैट लि.	इन दोनों इकाइयों को पहले ही वित्तीय वर्ष 2010-11 में समाप्त कर दिया गया था तथा भारत भारी उद्योग लि. के साथ विलय कर दिया गया था। तथापि 2011-12 से विवरणी सं. 11 में इन दोनों इकाइयों के नवीन निवेश दर्शाए गए है। इस मामले पर 2013 के नि.म. ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा सं. 2.3.10 तथा 2014 की नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा. 2.3.14(ख) में भी टिप्पणी की गई थी।	म.ले.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि रेलवे मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया है। इसी प्रकार का उत्तर म.ले.नि. द्वारा 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था, बिना किसी उपचारात्मक उपाय किए हुए।
3.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	संघ सरकार के वित्त लेखे 2013-14 के अनुसार 31 मार्च 2014 को प्रगामी निवेश ₹304.01 करोड़ था जबकि महानियंत्रक रक्षा लेखा (म.नि.र.ले.) के अनुसार प्रगामी निवेश ₹301.99 करोड़ था।	म.ले.नि. तथा म.र.ले.नि. निवेश में अंतर का समाधान करें, जिसे पैरा 2.3.10(ङ) के माध्यम से नि.म.ले.प. के 2013 के प्रतिवेदन सं.1 में भी बताया गया था।

4.	हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि. बैंगलुरू	संघ सरकार के वित्त लेखे 2013-14 के अनुसार 31 मार्च 2014 को प्रगामी निवेश ₹120.54 करोड़ था जबकि म.र.ले.नि. के अनुसार प्रगामी निवेश ₹482 करोड़ था।	म.र.ले.नि. ने बताया (सितम्बर 2014) कि मामले को म.ले.नि. तथा संबंधित लेखा नियंत्रकों के साथ उठाया गया था। म.ले.नि. तथा म.र.ले.नि. निवेश में अंतर का समाधान करे।

उपरोक्त विसंगतियां दर्शाती है फार्म सी.ए.एम.-60 में 'निवेश पंजिका' जिसे निवेश हेतु निधियों के निर्गम के लिए उत्तरदायी प्रधान लेखा कार्यालय अथवा वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किया जाना अपेक्षित है, का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है, जो संघ सरकार के लेखाओं में त्रुटिपूर्ण/लम्बित प्रकटीकरण का कारण बना।

(ख) संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-15 में विसंगतियां/ भिन्नताएं

संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं. 15 की धारा 3 'अन्य ऋणी इकाइयों अथवा संस्थानों से बकायों में पुनर्भुगतान' को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त विवरणी का अतिरिक्त प्रकटीकरण वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋणों तथा अग्रिमों को दर्शाता है। कुछ मामलों में, बकाया ऋण पर बकायों पर ब्याज को न तो दर्शाया गया है और न ही संघ के वित्त लेखे 2013-14 में इसे न दर्शाए जाने हेतु कोई अभ्युक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया है। ऐसे मामलों के ब्यौरे **तालिका 2.10** में दिए गए हैं:

तालिका 2.10: विवरणी सं. 15 में विसंगतियां/भिन्नताएं

ऋणों के एरियरों के संबंध में न दर्शाया गया ब्याज			
क्र. सं.	इकाई का नाम	31 मार्च 2014 को बकाया कुल ऋण (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1.	श्री सीताराम चीनी कम्पनी; बैथालपुर, उत्तर प्रदेश	347.53	म.ले.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि मामले को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय के साथ उठाया गया था तथा तदनुसार लेखापरीक्षा को सूचित
2.	देवरिया चीनी मिल्स, देवरिया उत्तर प्रदेश	362.87	

3.	राजा बुलन चीनी लि. रामपुर, उत्तर प्रदेश	105.85	किया जाएगा।
धारा-3/अतिरिक्त प्रकटीकरण में अधूरा दर्शाना			
	विसंगतियां		**म.ले.नि./मंत्रालय का उत्तर**
4.	2013-14 की विवरणी सं. 15 का 'अतिरिक्त प्रकटीकरण' वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को दिए गए नए ऋणों तथा अग्रिमों को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ऐसे ऋणों की संख्या के संबंध में सूचना को दर्शाया नहीं गया है तथा एक फुट नोट, जो यह बताता हो कि सूचना प्रतीक्षित है, के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए इसी प्रकार की पद्धति को भी अपनाया गया था, जो अतिरिक्त प्रकटीकरण के उद्देश्य को खत्म करती है।		म.ले.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

(ग) प्रदान किए गए ऋणों के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप न देना

कर्जदारों को प्रदान किए गए ऋणों के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है जैसा वित्त लेखे 2013-14 की विवरणी सं. 15 में उजागर किया गया है। ब्यौरे **तालिका 2.11** में दिए गए हैं।

तालिका 2.11 : संस्थान जिनमें ऋणों के नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	ऋण की राशि	पूर्व अवधि जिससे संबंधित है	अभ्युक्तियां
राजीव गांधी कैंसर संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	29.29	1994-95	इस मामले को पहले भी 2000 के प्रतिवेदन सं. 1 में उजागर किया गया था। ऋण देने के 19 वर्षों के अंतराल के. पश्चात भी, ऋणों के नियम एवं शर्तों को आंतिम रूप नहीं दिया गया था। म.ले.नि. ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2014) कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियमों एवं शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए जून 2014 में मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया था।
मालदीव सरकार	624. 40	2011-12	कर्ज को पहली बार 2013-14 के वित्त लेखे के विवरणी सं. 15 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में दर्शाया गया था। म.ले.नि. ने बताया (अक्तूबर 2014) कि मामले को विदेश मंत्रालय के साथ उठाया गया था।

2.4 लेखाओं की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक

संघ सरकार के वित्त लेखे 2013-14 की परिशुद्धता पर कारकों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे (i) उचंत शीर्षों के अंतर्गत लेन-देनों की बड़ी संख्या का होना, जिनका अंतिम वर्गीकरण शेष है; (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषित धन (ऋ.ज.प्रे.) लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल बकायों की बढ़ती संख्या तथा मात्रा तथा (iii) उचंत शीर्ष में निपटान हेतु लंबित बकाया शेषों की निरन्तरता।

कार्यालय ले.म.नि. तथा छः प्रधान लेखा कार्यालयों (प्र.ले.का.) अर्थात केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.), सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आपूर्ति विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक (स.ले.ले.नि.) तथा विदेश मंत्रालय (वि.मं.) में पिछले

पांच वर्षों हेतु ऋण, जमा, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत एक सामान्य समीक्षा भी की थी। इन प्र.ले.का. को शेषों की सघनता और वर्ष-दर-वर्ष इनके जमा होते जाने के आधार पर चयन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.4.1 मुख्य उचंत लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष

उचंत शीर्ष नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अंतिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब लेखे के अन्तिम शीर्षों से संबंधित राशि उनमें दर्ज की जाती है। यदि ये राशियाँ समाशोधित नहीं होती हैं तो उचन्त शीर्ष के अंतर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को यह सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

उचंत शेषों हेतु बहीखाता भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) द्वारा उप/विस्तृत वर्गीकृत शीर्षवार के अंतर्गत, जैसा कि आवश्यक है तथा भुगतान लेखा कार्यालय द्वारा भु.ले.का. से आवधिक रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर अनुरक्षित किया जाता है। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को उचंत शेषों की समीक्षा करना तथा मॉनीटरिंग के उद्देश्य हेतु महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2014 को सिविल, रक्षा, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए संघ वित्त लेखे में उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कुल निवल शेष ₹24,844.21 करोड़ (डेबिट) था। इस शेष में सिविल के संबंध में ₹3,257.64 करोड़ (डेबिट), रक्षा के लिए ₹16,496.03 करोड़ (डेबिट), रेलवे ₹1,803.68 करोड़ (डेबिट), डाक के लिए ₹2,005.12 करोड़ (डेबिट), दूरसंचार के लिए ₹148.06 करोड़ (डेबिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को निर्यात योजना)

बंधपत्र, 2001 के संबंध में ₹1,133.68 करोड़ (डेबिट) शामिल है। वित्त लेखे उचंत शीर्ष के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं तथा इसलिए, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया की वास्तविक महत्ता, संसद को प्रस्तुत किये गए सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं हो पाती है। इन शीर्षों के अन्तर्गत सही शेष को विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत पृथक रूप से डेबिट और क्रेडिट को केवल संकलित करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेष को निवल करने से वित्त लेखे में उचंत शेषों की अत्यधिक न्यूनोक्ति होती है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर दोनों में होती है। पिछले पांच वर्षों के लिए सिविल मंत्रालय (मुख्य शीर्ष 8658) के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अन्तर्गत उचंत शीर्षों की स्थिति **तालिका 2.12** में दी गई है:

तालिका 2.12: सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत शेषों की स्थिति

(₹करोड़ में)

शीर्ष का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वे.ले.उचंत	2880.09	1172.22	3374.13	1131.37	3213.12	740.00	3348.71	331.95	2737.37	156.44
कुल	**डे. 1707.87**		**डे. 2242.76**		**डे. 2473.12**		**डे. 3016.76**		**डे. 2580.93**	
102-उचंत लेखे (सिविल)	1942.11	1447.74	1943.09	9781.95	2050.60	3409.87	1200.82	4039.04	1194.54	4670.36
कुल	**डे. 494.37**		**क्रे. 7838.86**		**क्रे. 1359.27**		**क्रे. 2838.22**		**क्रे. 3475.83**	
107-रोकड़ निपटान उचंत लेखे	371.03	16.57	374.62	19.81	363.32	36.10	404.99	36.34	497.97	36.34
कुल	**डे. 354.46**		**डे. 354.81**		**डे. 327.22**		**डे. 368.65**		**डे. 461.63**	
108-सा.क्षे.बैं. उचंत	2435.52	1775.10	3091.85	1052.85	2881.34	1292.70	4352.63	1104.38	5969.95	2988.75
कुल	**डे. 660.42**		**डे. 2039.00**		**डे. 1588.64**		**डे. 3248.25**		**डे. 2981.20**	

109-रिजर्व बैंक उचंत (मु.)	11.37	185.26	11.67	185.14	11.37	185.80	11.37	188.73	11.37	185.41
कुल	**क्रे. 173.89**		**क्रे. 173.47**		**क्रे. 174.43**		**क्रे. 177.36**		**क्रे. 174.04**	
110-रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय	92.02	128.83	28.52	193.74	45.50	65.52	59.07	114.38	58.39	502.62
कुल	**क्रे. 36.81**		**क्रे. 165.22**		**क्रे. 20.02**		**क्रे. 55.31**		**क्रे. 444.23**	
115-विदेश में क्रय इत्यादि हेतु उचंत लेखा	1894.85	--	940.82	--	661.19	-	504.63	52.00	1941.34	52.00
कुल	**डे. 1894.85**		**डे. 940.82**		**डे. 661.19**		**डे. 452.63**		**डे. 1889.34**	
129-सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखे	195.25	143.11	202.22	102.16	208.56	86.30	213.35	87.01	212.08	78.32
कुल	**डे. 52.14**		**डे. 100.06**		**डे. 122.26**		**डे. 126.34**		**डे. 133.76**	
136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियां	--	145.47	--	252.28	--	249.50	-	222.56	--	223.26
कुल	**क्रे. 145.47**		**क्रे. 252.28**		**क्रे. 249.50**		**क्रे. 222.56**		**क्रे. 223.26**	
138-अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक) युद्ध 1939 से संबंधित उचंत लेन-देन	2.88	100.70	36.28	294.80	5.82	243.39	1.38	481.96	51.98	593.43
कुल	**क्रे. 97.82**		**क्रे. 258.52**		**क्रे. 237.57**		**क्रे. 480.58**		**क्रे. 541.45**	

यह देखा जा सकता है कि रोकड़ निपटान उचंत लेखा, विदेश में खरीद आदि हेतु उचंत लेखे तथा सामग्री क्रय निपटान उचंत लेखे के अंतर्गत डेबिट शेषों में

पिछले वर्षों से 2013-14 में ₹1537.11 करोड़ तक बढ़े हैं। इसी प्रकार, उचंत लेखे सिविल, रिजर्व बैंक उचंत केन्द्रीय लेखा कार्यालय, प्राप्ति शीर्ष को अंतर्गत हेतु लंबित सीमा शुल्क प्राप्ति एवं अन्य नामित बैंकों (निजी क्षेत्र बैंक) शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट शेष पिछले वर्ष से 2013-14 में ₹1,088.09 करोड़ तक बढ़े हैं। ले.म.नि. द्वारा ऐसे शेषों के समाशोधन के निरोधक प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु उचन्त लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया था।

(क) वे.ले.का. उचंत

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अन्तर्गत वे.ले.का., संघ शासित क्षेत्रों के वे.ले.का. तथा महालेखाकार के खातों में हो रहे अन्त: विभागीय तथा अन्त: सरकारी लेन-देनों के समायोजन हेतु प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी के अधीन लघु शीर्ष 'वे.ले.का. उचंत' परिचालित किया जा रहा हो, की ओर से किसी अन्य लेखा अधिकारी द्वारा की गई वसूलियों का अथवा भुगतानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का समाशोधन 'ऋणात्मक क्रेडिट' द्वारा किया जाता है, जब लेखा अधिकारी जिसकी बही में आरम्भिक वसूली दर्ज की जाती है, के द्वारा चैक जारी किया जाता है 'वे.ले.का. उचंत' के अंतर्गत डेबिट का समाशोधन लेखा अधिकारी, जिसके ओर से भुगतान किया गया था, से चैक की प्राप्ति तथा वसूली होने पर 'ऋणात्मक डेबिट' द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ होगा कि किसी वे.ले.का. द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से भुगतान किए गए, जिनकी वसूली की जानी है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ होगा कि किसी वे.ले.का. द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से भुगतान प्राप्त किए गए हैं, जिनका भुगतान अभी किया जाना है।

मार्च 2014 की समाप्ति पर, इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष ₹2,737.37 करोड़ था तथा क्रेडिट शेष के अंतर्गत यह ₹156.44 करोड़ था। इस प्रकार कुल

₹2,893.81 करोड़ का शेष इस शीर्ष से निपटान की प्रतीक्षा में था। बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग ₹1,723.45 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹530.89 करोड़ (डेबिट), गृह मंत्रालय ₹118.56 करोड़ (डेबिट) तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹89.75 करोड़ (क्रेडिट) के संबंध में थे जो दर्शाता है कि इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वे.ले.का. की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को उनके द्वारा 31 मार्च 2014 तक अभी भी वसूल/अदा किया जाना था। वे.ले.का. उचंत के अंतर्गत बड़े डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उनका निरंतर संचयन महत्वपूर्ण नियंत्रण की कमियों को प्रदर्शित करता था।

प्रधान लेखा कार्यालय के लेखाओं की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1986-87 से पहले की अवधि से 2013-14 की अवधि तक के.प्र.क.बो. से संबंधित ₹0.03 करोड़ (डेबिट) तथा ₹3.99 करोड़ (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें (-) ₹358.34 करोड़ (डेबिट) तथा ₹352.50 करोड़ (क्रेडिट) शामिल थे जो पांच वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु लम्बित थे। वर्ष 2013-14 के अंत तक आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में (-) ₹0.46 करोड़ (डेबिट) तथा ₹1.68 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे। विदेश मंत्रालय में वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक ₹530.89 करोड़ (डेबिट) का शेष बकाया था। वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹89.75 करोड़ (क्रेडिट) का शेष बकाया था। वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक आपूर्ति विभाग में ₹1,723.35 करोड़ (डेबिट) का शेष बकाया था।

(ख) उचंत लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष लेन-देनों के लेखांकन हेतु संचालित किया जाता है जिसे निश्चित सूचना/दस्तावेजों अर्थात् वाऊचर चालान आदि की मांग हेतु व्यय अथवा प्राप्ति के अंतिम शीर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियां दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर पूर्व प्रतिलेखा डेबिट

या क्रेडिट द्वारा लघु शीर्ष को 'ऋणात्मक' डेबिट या 'ऋणात्मक' क्रेडिट द्वारा लेखे से संबंधित लघु/उप-लघु/मुख्य शीर्षों के प्रति समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष से तात्पर्य ऐसे भुगतान से है जिसे वाऊचर आदि जैसे विवरण के अभाव में अन्तिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका। बकाया क्रेडिट शेष से तात्पर्य प्राप्त की गई ऐसी राशि से है जिसे विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2014 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत शेष ₹4,670.36 करोड़ (क्रेडिट) तथा ₹1,194.54 करोड़ (डेबिट) था। ₹5,864.90 करोड़ के कुल शेष को समायोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित था जिसे उनके लेखा के अंतिम शीर्षों के प्रति दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष आर्थिक कार्य विभाग ₹3,959.93 करोड़ (क्रेडिट), आपूर्ति विभाग ₹597.57 करोड़ (डेबिट), विदेश मंत्रालय ₹598.14 करोड़ (क्रेडिट) तथा उच्चायोग ₹435.76 करोड़ (डेबिट) से संबंधित हैं।

के.प्र.क.बो. के प्रधान लेखा कार्यालय में वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक ₹2.79 करोड़ (डेबिट) तथा ₹0.40 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे, जिसमें ₹2.39 करोड़ (डेबिट) का डेबिट शेष तथा ₹0.15 करोड़ (क्रेडिट) का क्रेडिट शेष शामिल थे जो पांच वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु लंबित थे।

(ग) विदेशों में क्रय आदि हेतु उचंत लेखे

लघु शीर्ष 'विदेशों में क्रय आदि हेतु उचंत लेखे' नियंत्रक सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा (नि.स.ले. एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के लेखाओं में परिचालित होता है। सरकार दाता को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना प्राधिकारियों/आयातकों को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति सीधे ही भुगतान करने की तथा समकक्ष राशि को संबंधित मंत्रालय/आयातकों से भुगतान प्राप्त होने तक उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत रखने की सलाह देती है। यद्यपि सरकार द्वारा इन आयातों के लिए भुगतान पहले ही कर दिया गया

है फिर भी इस शीर्ष के अधीन डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी वसूल किया जाना है।

2013-14 में, इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष ₹1,941.34 करोड़ तथा क्रेडिट ₹52 करोड़ था। 31 मार्च 2014 को मुख्य देनदार हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹67.24 करोड़); पवन हंस लि. (₹57.44 करोड़); पाइराइटस, फॉसफेट्स एवं रसायन लि. (₹24.95 करोड़); कोल इंडिया लि. (₹23.18 करोड़) थे। यह भी पाया गया कि 2005 से विभिन्न संगठनों से ₹207.13 करोड़ बकाया थे। 2005 से बकाया राशि का विवरण दर्शाते हुए सूची **अनुबंध 2.4** में दी गई है।

नि.स.ले. एवं ले. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से यह पाया गया था कि तदन्तर भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी तक देय थे। नि.स.ले. एवं ले. द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत (सा.क्षे.बैं. उचंत)

सरकारी लेखा प्रणाली में निर्दिष्ट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करते हैं। जब एक बिल को भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह पहले अपने रोकड़ शेष से राशि का भुगतान करता है तथा इसके बाद केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर से जो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का लेखा अनुरक्षित करता है, प्रतिपूर्ति का दावा करता है। इसी प्रकार जब सरकारी प्राप्तियों का नामित/अधिकृत बैंक में भुगतान किया जाता है तो इन प्राप्तियों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं. नागपुर को देता है। बैंक द्वारा किये जाने वाले सरकारी लेन-देन को दर्ज करने में समय अंतराल होता है इसलिए प्रतीक्षारत अस्थाई समायोजन हेतु लेखे की सरकारी बही में लघु शीर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत परिचालित किया जाता है। (के.ले.अ.) भा.रि.बैं. नागपुर से लेखे की प्राप्ति पर सा.क्षे.बैं. उचंत के अन्तर्गत मूल दर्ज ऋणात्मक क्रेडिट/ऋणात्मक डेबिट, जैसा भी मामला हो, द्वारा समाशोधित किया जाता है। शेषों (दोनों क्रेडिट तथा डेबिट) का निपटान न्यूनतम संभावित समय में किया जाना अपेक्षित है अन्यथा भा.रि.बैं. के पास सरकारी रोकड़ शेष गलत स्थिति प्रस्तुत करेगा।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया सा.क्षे.बैं. शेष कुल ₹5,969.95 करोड़ (डेबिट) तथा ₹2,988.75 करोड़ (क्रेडिट) था। मार्च 2014 की समाप्ति तक ₹8,958.70 करोड़ के कुल शेष का निपटान किया जाना अपेक्षित था। विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे, वे आपूर्ति विभाग ₹278.16 करोड़ (डेबिट); के.प्र.म.बो. (व्यय) ₹120.31 करोड़ (डेबिट), सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ₹1,523.42 करोड़ (डेबिट), आर्थिक कार्य विभाग ₹4.36 करोड़ (डेबिट) तथा विदेश मंत्रालय ₹578.79 करोड़ (क्रेडिट) थे।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जॉच से उजागर हुआ कि के.प्र.क.बो. शेष में ₹(-)19,780.56 करोड़ (डेबिट) तथा ₹30,148.52 करोड़ (क्रेडिट) का शेष वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर बकाया थे, जिसमें 7 से 25 वर्षों तक लंबित निपटान के ₹1,962.74 करोड़ का डेबिट शेष तथा ₹(-)374.27 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹1,523.42 करोड़ (डेबिट) का शेष वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर बकाया था। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में ₹2.11 करोड़ (डेबिट) तथा ₹(-)2.25 करोड़ (क्रेडिट) के शेष वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक बकाया थे। आपूर्ति विभाग में ₹278.16 करोड़ (डेबिट) वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर बकाया था।

(ङ) रिजर्व बैंक उचंत, केन्द्रीय लेखा कार्यालय (के.ले.का.)

संघ सरकार के लेखाओं में राज्य सरकारों को कर्जों का भुगतान, सहायता अनुदान, आयकर भाग, और संघ उत्पाद शुल्क के भाग के भुगतान हेतु इस लघु शीर्ष को परिचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत किया जाता है

तो संबंधित व्यय शीर्ष डेबिट तथा इस उचंत शीर्ष को क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजन करते हुए भा.रि.बैं. से लेखे के मासिक विवरण की प्राप्ति पर लघु शीर्ष को '8675-भा.रि.बैं. के पास जमा 101-केन्द्रीय सिविल के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा क्रेडिट द्वारा ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय पर ऋण/ब्याज शीर्ष को क्रेडिट करके इस उचंत शीर्ष को डेबिट किया जाता है। केन्द्रीय लेखा अनुदान (के.ले.अ.) भा.रि.बैं., नागपुर से लेखे के मासिक विवरण प्राप्त होने पर उचंत शीर्ष को '8675-भा.रि.बैं.के पास जमा-101-केन्द्रीय सिविल' के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा क्रेडिट द्वारा ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। ₹561.01 करोड़ के कुल शेष जिसका निपटान किया जाना था, के साथ, 31 मार्च 2014 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹58.39 करोड़ (डेबिट) तथा ₹502.62 करोड़ (क्रेडिट) था। बकाया भा.रि.बैं. (के.ले.का.) उचंत शेष मुख्य रूप से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ₹19.14 करोड़ (डेबिट), आपूर्ति विभाग ₹28.21 करोड़ (डेबिट), शहरी विकास मंत्रालय ₹8.16 करोड़ (क्रेडिट), पोत परिवहन मंत्रालय ₹367.99 करोड़ (क्रेडिट) तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विभाग ₹73.57 करोड़ (क्रेडिट) के प्रति थे।

प्रधान लेखा कार्यालय में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि आपूर्ति विभाग में वर्ष 2013-14 के अंत में ₹28.21 करोड़ का निवल डेबिट शेष बकाया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹19.14 करोड़ (डेबिट) का शेष वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक बकाया था। विदेश मंत्रालय में ₹0.71 करोड़ (डेबिट) का शेष वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक बकाया था।

2.4.2 ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष वे ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ एक ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, किसी भी कर्ज

या अग्रिम लेखा शीर्ष के प्रति, एक ऋणात्मक शेष, वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2013-14 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों के 78 मामले हैं जिन्हें **अनुबंध-2.5** में दिया गया है। इनमें से, चार मामले वर्ष 2013-14 के दौरान प्रतिकूल हो गए तथा शेष 74 मामले पहले के वर्षों से बकाया थे। इनमें 5 वर्षों से कम से कम बकाया 42 मामले, 5 वर्षों से अधिक से बकाया 18 मामले, 10 वर्षों से अधिक पुराने 10 मामले तथा 20 वर्षों से अधिक पुराने 4 मामले शामिल थे। यद्यपि, वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष के फुटनोट उल्लेख करते थे कि ये जांचाधीन थे लेकिन म.ले.नि. तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसी जांचों के निष्कर्ष और उनके समाशोधन के लिए किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

2.4.3 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों, जो अन्ततः समाशोधित होते हैं, को आरम्भ में दर्ज करने के लिए यह मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष हैं। लेखाओं के विभागीकरण को योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं. या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे वे.ले.का./विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल प्रारूप में प्रस्तुत किए जाते हैं तब प्रक्रियाओं तथा निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी कर भुगतान को प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष '8670-चैक एवं बिल' में माह के दौरान वितरित चैकों की कुल राशि को क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/(के.ले.अ.) भा.रि.बैं., नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाते हुए तिथि-वार मासिक विवरण (ति.मा.वि.)/शेषों की मासिक विवरण की प्राप्ति होने पर जैसा भी मामला हो, 'शीर्ष 8670-चैक एवं बिल' को ऋणात्मक

क्रेडिट तथा उचंत शीर्ष '8658.108-पी.एस.बी. उचंत'/'8675-101-भा.रि.बैं. जमा-केन्द्रीय सिविल' को क्रेडिट प्रदान किया जाता है।

2013-14 के संघ के वित्त लेखे में भारी शेष 'चैक एवं बिल' के विभिन्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए थे जैसे विवरण **तालिका 2.13** में दिए गए हैं:

तालिका 2.13: 'चैक एवं बिल' शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

(₹करोड़ में)

8670.101	पूर्व लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट	0.43
8670.102	वेतन एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	9018.07
8670.103	विभागीय चैक	क्रेडिट	845.19
8670.104	खजाना चैक	क्रेडिट	4.62
8670.105	इरला चैक	क्रेडिट	0.59
8670.106	दूर संचार लेखा चैक	क्रेडिट	1221.97
8670.107	डाक चैक	क्रेडिट	11652.85
8670.108	रेलवे चैक	क्रेडिट	3044.14
8670.109	रक्षा चैक	क्रेडिट	1080.53
8670.110	इलेक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट	4.44
8670.111	वेतन एवं लेखा कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट	637.96
8670.112	प्र.संचार लेखे नियंत्रण कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक सलाहें	क्रेडिट	0.44

केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति एवं भुगतान) नियमावली, 1983 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट है कि चैक जारी करने की तिथि से तीन माह के भीतर किसी भी समय देय होगा। इसके अतिरिक्त नियम 47(2) में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के माह से छः माह की अवधि तक अदत्त शेष चैकों का भुगतान तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैकों के मामलों में, उन्हें '8670-चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापसी या रद्द किया जाना होता है, तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष व्यय जिसमें से वास्तविक रूप से डेबिट किया गया

था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखे में राशि को पुन: लिखा जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती हैं कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी रोकड़ शेष अधिक बताए गए तथा गलत स्थिति को दर्शाते हैं।

प्र.ले.का. में नमूना जांच ने प्रकट किया कि वि.मं. में ₹378.49 करोड़ की राशि के 3,751 चैक, आपूर्ति विभाग में ₹7.13 करोड़ की राशि के 854 चैक, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में ₹37,348.59 करोड़ की राशि के 888 चैक, तथा के.प्र.क.बो. में ₹16.31 करोड़ की राशि के 11,622 चैक छ: माह से अधिक समय तक बिना भुगतान किए रहे परंतु इन्हें प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा 31 मार्च 2014 तक निरस्त नहीं किया गया था

2.4.4 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा न करना

विभिन्न लेखा नियमावली के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, वे.ले.का. विभिन्न ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) शीर्षें के अन्तर्गत शेषों का सत्यापन करेगा और जहॉ कहीं भी आवश्यक है यह सुनिश्चित करने हेतु कि शेषों की यथातथ्यता उन व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा स्वीकार्य है जिनके द्वारा शेष रखे जाते हैं या जिसे देय हैं और गैर-समाधान विभिन्नताओं को दर्शाने वाले ब्यौरे एवं मामले जहां शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से प्रधान लेखा कार्यालय को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा अधिकारी द्वारा पूरे मंत्रालय/विभाग की समेकित रिपोर्ट को समस्त रूप से प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक महालेखा नियंत्रक को भेजा जाना अपेक्षित है। इस समीक्षा को करने का उद्देश्य लेखे के विभिन्न लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा ऋण, जमा एवं प्रेषण के आंकड़ों का समाधान करना है।

सिविल विभागों के संबंध में, वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के शेषों की समीक्षा कुल 72 प्र.ले.का. में से क्रमश: केवल 25, 21, 20, 20 एवं 11 विभागों में पूर्ण की गई थीं।

कुछ वर्षों से वित्त लेखे में प्रतिकूल शेषों की बड़ी संख्या समय पर समीक्षा करने तथा अनुपालना कार्यों में प्र.ले.का. की विफलता का सूचक है।

ले.म.नि. ने उत्तर दिया (मार्च 2015) कि उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेषों तथा प्रतिकूल शेषों का निपटान एक चालू प्रक्रिया थी तथा मंत्रालयों को उचंत तथा प्रतिकूल शेषों को निबटाने/निपटान करने हेतु शोधक कार्रवाई करने को कहा गया था।

2.4.5 विभागीय प्रबंधित सरकारी उपक्रम प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 का नियम 84 यह प्रावधान करता है कि विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक अथवा अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के सरकारी उपक्रम नि.म.ले.प. की सलाह से सरकार द्वारा निर्धारित अनुषंगी लेखे तथा प्रोफार्मा लेखे अनुरक्षित करेंगे।

मार्च 2014 तक वाणिज्यिक या अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के 38 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों को प्रोफॉर्मा लेखे, जिसमें सामान्यत: व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रेस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करती है, प्रकाशन विभाग केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है। विभागीय रूप से प्रबंधित केवल तीन सरकारी उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रोफार्मा लेखे तैयार किए थे। विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रमों द्वारा तैयार नवीनतम वार्षिक लेखाओं की उपलब्धता स्थिति को **अनुबंध-2.6** में दिया गया है।

तालिका 2.14: अवधि जिसके लिए प्रोफॉर्मा लेखे बकाया पड़े थे

प्रोफार्मा लेखे की तैयारी में विलम्ब	लेखा का वित्तीय वर्ष	उपक्रमों की संख्या
कोई विलम्ब नहीं	2013-14	3
एक वर्ष	2012-13	4
2-5 वर्ष	2007-08 से 2011-12	27
6 वर्ष एवं अधिक	2006-07 एवं पहले	4
	कुल	38

तालिका 2.14 दर्शाती है कि 5 उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे एक वर्ष तक विलंब में थे, जबकि 27 उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखे तैयार नहीं किए थे, में 2 वर्ष से 5 वर्ष तक विलंब था। प्रकाशन विभाग के मामले में, शहरी विकास मंत्रालय में, वित्तीय वर्ष 2000-01 से आगे के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे।

अद्यतित प्रोफॉर्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सकता। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था।

2.4.6 हानियॉं तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को बट्टे खाते में डालना/स्थगित करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 33 विचार करता है कि हानि के कारण तथा पहचान के ढंग का ध्यान किए बिना लोक धन, विभागीय राजस्व अथवा प्राप्तियां, रसीदी टिकटें, अफ़ीम, भण्डार अथवा सरकार द्वारा अथवा ओर से नियंत्रित अन्य सम्पत्ति की किसी भी हानि अथवा कमी को संबंधित अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अगले उच्च अधिकारी के साथ-साथ सांविधिक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा संबंधित प्रधान लेखा अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाएगा चाहे ऐसी हानि की उत्तरदायी पक्ष द्वारा पूर्ति कर दी

गई है। ₹2,000 से कम मूल्य वाली छोटी हानियों को सूचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय/विभागों द्‌वारा प्रदान की गई वर्ष 2013-14 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/स्थगित की गई हानियों तथा गैर-वसूलनीय प्राप्यों को **अनुबंध-2.7** में दिया गया है। अनुबंध से यह देखा जा सकता है कि 2013-14 के दौरान, 120 मामलों में, ₹160.46 लाख बट्टे खाते में डाले गए थे। वर्ष के दौरान, 14,108 मामलों में छोड़ी गई वसूलियां तथा किए गए अनुग्रह भुगतान कुल ₹331.86 लाख तक थे।

3: विनियोग लेखे: 2013-14

3.1 संवैधानिक प्रावधान

लोक सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान हेतु मांगों के पारित होने के तुरंत बाद, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत करती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत की गई सेवाओं पर संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) के साथ-साथ अनुच्छेद 273, 275(1) तथा 293(2) के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण को प्राधिकृत किया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यय के विवरणों को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) सिविल मंत्रालयों के 99 अनुदानों एवं विनियोजनों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेल तथा डाक विभाग अपने स्वयं के अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2013-14 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्नानुसार था:

मंत्रालय	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	99
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग	**122**

इस प्रतिवेदन में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाएं), पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निहित होती हैं जिनमें आवंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा विनियमन आवश्यक हो, अव्ययित प्रावधान जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अव्यवहारिक बजट तथा दो चयनित मंत्रालयों में सहायता अनुदान पर किए गए व्यय के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों के विश्लेषण शामिल होते हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर विवेचना की सुविधा हेतु सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सम्बन्धी अनुदानों/विनियोगों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार रेलवे विनियोगों के हवाले दिए गए हैं। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, 2013-14 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पृथक रूप से उपलब्ध है।

3.2 2013-14 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश

नीचे दिया गया **चार्ट 3.1** वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रेलवे तथा रक्षा के मध्य व्यय के वितरण को दर्शाता है। जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है कि 91.21 *प्रतिशत* तक का अधिकतम व्यय सिविल मंत्रालयों द्वारा, रेलवे द्वारा 4.64 *प्रतिशत*, रक्षा द्वारा 3.84 *प्रतिशत* किया गया था जबकि कुल सकल व्यय का 0.31 *प्रतिशत* डाक द्वारा किया गया।

चार्ट 3.1: वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा सेवाओं के मध्य व्यय का ब्यौरा

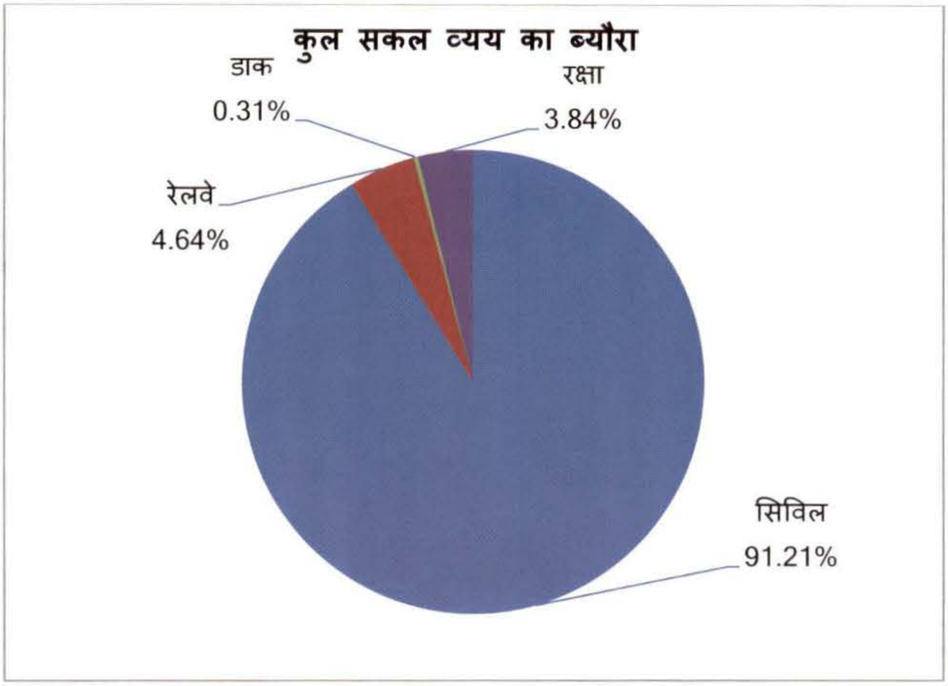

तालिका 3.1 वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, रेलवे, डाक तथा रक्षा के मध्य व्यय का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 3.1- वर्ष 2013-14 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

सिविल		रेलवे		डाक		रक्षा		कुल	
49,90,058		2,53,939		17,066		2,09,788		54,70,851	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1014393	3975665	253580	359	17065	1	209575	213	**1494613**	**3976238**
20.33%	79.67%	99.86%	0.14%	99.99%	0.01%	99.90%	0.10%	**27.32%**	**72.68%**

नीचे **तालिका 3.2** वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार के कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **अनुबंध 3.1** में सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.2: 2013-14 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)	कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता
सिविल	5715817.89	4990057.83	(-) 725760.06	12.70
डाक	17310.37	17065.68	(-) 244.69	1.41
रक्षा सेवाएं	217648.54	209788.52	(-) 7860.02	3.61
रेलवे	264394.88	253938.75	(-) 10456.13	3.95
कुल योग	**6215171.68**	**5470850.78**	**(-) 744320.90**	**11.98**

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹7,25,760 करोड़ की निवल बचत सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 99 विनियोगों/अनुदानों में ₹7,25,800 करोड़ की बचत तथा तीन विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹39.59 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

₹7,25,800 करोड़ के समग्र बचत में से सिविल मंत्रालयों/विभागों में अनुदान संख्या 38 विनियोग-ऋणों के पुनर्भुगतान के अंतर्गत पूँजीगत (प्रभारित) खण्ड में (₹5,02,957 करोड़), अनुदान संख्या 33-आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत पूंजीगत (दत्तमत) में (₹63,463 करोड़), अनुदान संख्या 36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत/प्रभारित) खण्डों में (₹25,928 करोड़), अनुदान संख्या 83- ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्ड में (₹15,817 करोड़), अनुदान संख्या 34- वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत पूँजीगत (दत्तमत) खंड (₹14,017 करोड़) में, अनुदान संख्या 59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्ड (₹10,153 करोड़) में तथा अनुदान संख्या 42- राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व (दत्तमत) खण्ड (₹7,537 करोड़) में भारी बचतें हुई थीं।

₹39.59 करोड़ के समग्र अधिक व्यय में से, अनुदान संख्या 20- रक्षा मंत्रालय (राजस्व दत्तमत) में ₹35.89 करोड़, अनुदान संख्या-21 रक्षा पेंशन (राजस्व

प्रभारित) में ₹0.75 करोड़ तथा अनुदान संख्या 32- विदेश मंत्रालय (पूँजीगत दत्तमत) में ₹2.95 करोड़ का अधिक व्यय दर्ज हुआ।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 99 अनुदानों के 201 खण्डों में बचतें और तीन अनुदानों के तीन खण्डों में आधिक्य; डाक विभाग के तीन खण्डों में बचतें; रेलवे[1] के 14 खण्डों में बचतें और 19 खण्डों में आधिक्य तथा रक्षा सेवाओं के आठ खण्डों में बचतें तथा चार खण्डों में आधिक्य थे। **अनुबंध 3.2** बचतों और आधिक्य के सार को दर्शाता है।

3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय वह व्यय हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) तथा 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय के अनुमानों को संसद के मत के अधीन नहीं लाया जा सकता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 113(1) में निर्धारित है, परंतु संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है। **अनुबंध 3.3** में 2000-2014 के वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की प्राधिकृत मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण दिखाया गया है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरणों के 70 *प्रतिशत* से 81 *प्रतिशत* तक भारत की समेकित निधि को प्रभारित थे।

2013-14 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹49,90,058 करोड़ के कुल संवितरण 2012-13 के दौरान किए गए ₹47,93,466 करोड़ के कुल संवितरण की तुलना में ₹1,96,592 करोड़ अधिक थे। यह 2000-01 के ₹5,66,042 करोड़ से 782 *प्रतिशत* अधिक था। प्रभारित संवितरण 2000-01 के ₹4,05,289 करोड़ से 881 *प्रतिशत* बढ़ कर 2013-14 में ₹39,75,665 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत संवितरण ₹1,60,753 करोड़ से

[1] रेलवे के अनुदान सं. 16- के चार राजस्व तथा चार प्रभारित खण्ड हैं।

531 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹10,14,393 करोड़ तक हो गए थे। 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 80 *प्रतिशत* थे।

मुख्य प्रभारित संवितरणों में, ₹35,11,291 करोड़ के विनियोग ऋण पुनर्भुगतान, ₹3,95,200 करोड़ के विनियोग ब्याज भुगतान तथा राज्य तथा संघ शासित सरकारों को ₹64,904 करोड़ के अंतरण सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण के अनुमान संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं, इसलिए संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश संघ सरकार सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरण के 20 *प्रतिशत* तक ही सीमित होती है। **चार्ट 3.2**, 2009-10 से 2013-14 के दौरान पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार में दत्तमत व्यय से प्रभारित व्यय की अधिकता को प्रकट करता है। तथापि सिविल, डाक, रक्षा सेवाएं और रेलवे को शामिल करते हुए, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भा.स.नि. से ₹54,70,851 करोड़ के कुल संवितरणों की पृष्ठभूमि के प्रति प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 73 *प्रतिशत* (₹39,76,238 करोड़) थी।

चार्ट 3.2: वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत खण्डों के अन्तर्गत व्यय

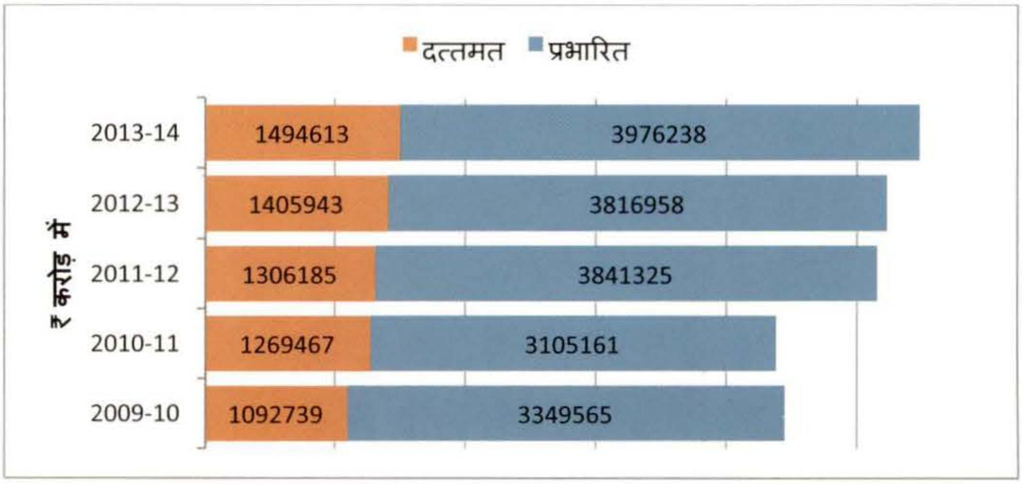

विनियोग लेखे 2013-14: एक विश्लेषण

3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग

संविधान के अनुच्छेद 114(3) के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन भारत की समेकित निधि से आहरित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 52(3) में अनुबंध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य हो जाए। **तालिका 3.3** में 2013-14 के दौरान भा.स.नि. में से प्राधिकृत संवितरण से ₹3493,06,46,212 (₹3493.06 करोड़) के आधिक्य का सारांश दिखाया गया है। सिविल मंत्रालयों/विभागों में तीन अनुदानों/विनियोगों के तीन खण्डों में ₹39,59,09,662 (₹39.59 करोड़), रेलवे के 12 अनुदानों/विनियोगों के 19 खण्डों में ₹2719,75,41,729 (₹2,719.75 करोड़) तथा रक्षा सेवाओं के तीन अनुदानों के चार खण्डों में ₹733,71,94,821 (₹733.72 करोड़) का अधिक संवितरण था।

तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

(राशि ₹ में)

		सिविल	रक्षा	रेलवे
दत्तमत	राजस्व	35,88,89,749	732,85,99,990	1854,69,72,730
	पूंजीगत	2,95,32,970	--	829,68,15,639
प्रभारित	राजस्व	74,86,943	85,94,831	22,39,52,699
	पूंजीगत	--	--	12,98,00,661
अनुदान/विनियोगों की संख्या		3	3	12
खंड		3	4	19
कुल आधिक्य		**39,59,09,662**	**733,71,94,821**	**2719,75,41,729**
कुल योग			**3493,06,46,212**	

अधिक व्यय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमित करना आवश्यक था, के विस्तृत ब्यौरे **तालिका 3.4** में दिए गए हैं।

तालिका 3.4: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आँकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
सिविल राजस्व (दत्तमत)				
1.	20-रक्षा मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	15696,62,00,000 15732,50,89,749 35,88,89,749	कारण प्रतीक्षित हैं। (मार्च 2015).
राजस्व **(प्रभारित)**				
2.	21-रक्षा पेंशन	विनियोग व्यय आधिक्य	4,23,00,000 4,97,86,943 74,86,943	मुख्यत: माननीय न्यायालय (सशस्त्र बल न्यायाधिकरण) की डिक्री के अनुपालन जो एक बाध्य व्यय है, के कारण।
पूंजीगत **(दत्तमत)**				
3.	32-विदेश मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	1893,50,00,000 1896,45,32,970 2,95,32,970	आधिक्य विनिमय दर परिवर्तन के कारण था।
रेलवे राजस्व (दत्तमत)				
1.	05-मोटिव पावर की मरम्मत और अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	4397,04,93,000 4464,46,66,342 67,41,73,342	स्टॉक से भंडार का अधिक आहरण, मजदूरी तथा सामग्रियों पर अधिक व्यय, अधिक आवधिक मरम्मत (आ.म.) क्रियाकलापों के कारण अधिक वर्कशॉप डेबिटों का समायोजन तथा वर्ष के दौरान अनुमान से अधिक संविदात्मक भुगतान करना।
2.	06-सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	10233,23,60,000 10330,64,11,236 97,40,51,236	वर्ष के दौरान आ.म. को मजदूरी तथा सामग्री पर अधिक व्यय होना, वर्कशॉप डेबिटों का अधिक समायोजन, अनुमानों से अधिक संविदात्मक भुगतान करना।
3.	08- प्रचालन खर्चे- रॉलिंग स्टॉक तथा उपकरण	अनुदान व्यय आधिक्य	8692,35,17,000 8797,44,55,905 105,09,38,905	स्टाफ लागत, अधिक प्रत्यक्ष खरीद के प्रति अधिक व्यय करना तथा अनुमान से अधिक संविदात्मक दायित्वों का भुगतान करना।
4.	10-प्रचालन खर्चे- ईंधन	अनुदान व्यय आधिक्य	28530,66,41,000 29214,21,50,268 683,55,09,268	वर्ष के दौरान अनुमान से अधिक हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) तेल की मूल लागत में वृद्धि, डीजल इंजनों के अधिक क्रियाकलापों हेतु एच एस डी तेल का अधिक उपभोग तथा बिक्री कर/उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों एवं उदग्रहणों के प्रति अधिक व्यय होना।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आँकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
5.	13-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	अनुदान व्यय आधिक्य	24797,13,12,000 25529,56,50,190 732,43,38,190	महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण पेंशन वितरण प्राधिकारियों से अधिक डेबिटों की प्राप्ति, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान- मामलों को अधिक संख्या में अंतिम रूप देना, पेंशन का चयन करने वालों को छुट्टी नकदीकरण तथा नव निर्दिष्ट अंशदान पेंशन योजना हेतु अनुमान से अधिक सरकार के योगदान के प्रति किया गया अधिक व्यय ।
6.	15-सामान्य राजस्वों को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए कर्जों का पुनर्भुगतान तथा पूंजीकरण से ऋण चुकाना .	अनुदान व्यय आधिक्य	7839,87,00,000 8008,66,61,789 168,79,61,789	रेलवे सम्मेलन समिति (2009) द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए अनुशंसित लाभांश की दर में 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक वृद्धि के कारण सामान्य राजस्वों को लाभांश का अधिक भुगतान।
राजस्व (प्रभारित)				
7.	*03*-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	*50,31,000* *88,78,888* *38,47,888*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किया जाना
8.	*04*-स्थाई मार्गों तथा निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*1,60,95,000* *2,34,41,216* *73,46,216*	
9.	*05*-चालन शक्ति की मरम्मत और अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*0* *4,76,961* *4,76,961*	
10.	*06*-सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*2,00,000* *8,71,243* *6,71,243*	
11.	*07*-संयंत्र तथा उपकरण की मरम्मत तथा अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	*61,000* *61,385* *385*	
12.	*08*-परिचालन खर्चे - रोलिंग स्टॉक तथा उपकरण	विनियोग व्यय आधिक्य	*11,56,000* *51,52,570* *39,96,570*	

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आँकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
13.	*09*-परिचालन खर्चे-ट्रैफिक	विनियोग व्यय आधिक्य	*3,75,000* *3,07,94,596* *3,04,19,596*	
14.	*10*- परिचालन खर्चे - ईंधन	विनियोग व्यय आधिक्य	*61,38,40,000* *78,92,23,182* *17,53,83,182*	
15.	*11*-स्टाफ कल्याण तथा सुविधाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	*2,25,000* *3,97,553* *1,72,553*	
16.	*13*-भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	विनियोग व्यय आधिक्य	*58,07,000* *74,45,105* *16,38,105*	
पूंजीगत (दत्तमत)				
17.	16-परिसम्पत्ति अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन-पूंजीगत	अनुदान व्यय आधिक्य	69618,75,85,000 70448,44,00,639 829,68,15,639	वर्ष के दौरान अनुमान से अधिक भण्डार बिलों, अवशिष्ट निर्माणकार्यों तथा निर्माणकार्य की प्रगति को अनुरूप करने के लिए अन्य विविध खर्चे करने, नई रेल, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपरों पर अधिक व्यय दर्ज करने, अधिक डेबिटों का समायोजन, भारतीय रेल वित्त निगम के पास पट्टा परिसंपत्तियों के पूंजीगत घटक का भुगतान, मशीनरी एवं संयंत्र मदों का अधिक अधिप्रापण, कच्चे माल की कीमत में परिवर्तन, ईंधन की खपत में वृद्धि तथा एच एस डी तेल के प्रति अधिक व्यय, सामान्य उद्देश्यों हेतु भण्डार का अधिक अधिप्रापण/प्राप्तियाँ तथा विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे से भण्डारों के डेबिटों का समायोजन होना।
पूंजीगत (प्रभारित)				
18.	*16*-परिसम्पत्ति अधिग्रहण, निर्माण तथा प्रतिस्थापन पूंजीगत	विनियोग व्यय आधिक्य	*150,00,00,000* *162,15,62,239* *12,15,62,239*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किया जाना
19.	*16*-रेलवे निधि (मूल्यह्रास आरक्षित	विनियोग व्यय आधिक्य	*3,50,50,000* *4,32,88,422*	अनुमान से अधिक आज्ञप्ति भुगतान किया जाना

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आँकड़े ₹ में		मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण
	निधि, विकास निधि, पूंजीगत निधि)		*82,38,422*	
रक्षा सेवाएं राजस्व (दत्तमत)				
1.	23 - रक्षा सेवाएं - नौसेना	अनुदान व्यय आधिक्य	13331,12,00,000 13451,52,30,532 120,40,30,532	वेतन एवं भत्तों, पेट्रोल, तेल तथा लुब्रिकैंट्स, अनुरक्षण पर व्यय बढ़ने तथा यू.एस. में फाइटर पायलट प्रशिक्षण तथा अल्पकालिक तदर्थ पाठयक्रमों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए।
2.	24 - रक्षा सेवाएं-वायुसेना	अनुदान व्यय आधिक्य	19929,17,00,000 20115,89,28,987 186,72,28,987	वेतन एवं भत्तों, विमान तथा अन्य परिसंपत्तियों के अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता, वायुवाहित तथा भूमि आधारित हथियारों की पुन:पूर्ति, कपड़ों तथा राशन मदों के अधिप्रापण, एविएशन टरबाइन फ्यूल का अधिप्रापण, बिजली तथा पानी के किराए पर बढ़ता हुआ व्यय, भवनों का अनुरक्षण, मरम्मत तथा रखरखाव, किराए, दर और करों के भुगतान के कारण।
3.	25 - रक्षा आयुध फैक्ट्रियॉ	अनुदान व्यय आधिक्य	3072,84,00,000 3498,57,40,471 425,73,40,471	छावनी प्रभारों हेतु आवश्यकता का बढ़ना
राजस्व (प्रभारित)				
4.	*25 - रक्षा आयुध फैक्ट्रियॉ*	विनियोग व्यय आधिक्य	*8,40,00,000* *9,25,94,831* *85,94,831*	न्यायालय मामलों का अनुमान से अधिक संख्या में निपटान होना।

अनुदान/विनियोग आंकड़ों में अनुपूरक अनुदान/विनियोग, यदि कोई हो तो, शामिल हैं।

रेलवे अनुदानों से संबंधित विस्तृत टिप्पणियाँ, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2013-14 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

3.5 अनुदानों में निरंतर आधिक्य

संवीक्षा में 2009-10 से 2013-14 तक की पाँच वर्षों की अवधि हेतु लगातार आधिक्य के पंजीबद्ध अनुदानों को लिया गया था। संवीक्षा से पता चला कि विश्लेषण के चार वर्षों की अवधि में से कम से कम दो वर्षों में तथा वर्ष 2013-14 में नौ अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 11 खंडों में निरंतर आधिक्य हुए थे। आवंटनों की तुलना में निरंतर आधिक्यों का अनुदानवार तथा वर्णवार विवरण नीचे **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: अनुदानों/विनियोगों में निरंतर आधिक्य

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सिविल पूंजीगत (दत्तमत)						
1.	32 - विदेश मंत्रालय-					
	आधिक्य	--	**26,97,65,506**	**7,23,26,294**	--	**2,95,32,970**
	व्यय		898,97,65,506	1398,23,26,294		1896,45,32,970
	अनुदान		872,00,00,000	1391,00,00,000		1893,50,00,000
सिविल राजस्व (प्रभारित)						
2.	21- रक्षा पेंशन-					
	आधिक्य	--	**10,74,960**	**28,54,467**	**3,99,60,400**	**74,86,943**
	व्यय		35,74,960	82,54,467	4,81,60,400	4,97,86,943
	विनियोग		25,00,000	54,00,000	82,00,000	4,23,00,000
रक्षा सेवाएं राजस्व (दत्तमत)						
3.	23-रक्षा सेवाएं-नौसेना					
	आधिक्य	**150,51,03,457**	**138,84,60,256**	--	--	**120,40,30,532**
	व्यय	9586,21,03,457	10141,36,60,256			13451,52,30,532
	अनुदान	9435,70,00,000	10002,52,00,000			13331,12,00,000

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
रेलवे						
राजस्व (दत्तमत)						
4.	05- चालन शक्ति की मरम्मत तथा अनुरक्षण					
	आधिक्य	**90,87,30,288**	**75,06,60,832**			**67,41,73,342**
	व्यय	3479,19,71,288	3423,60,13,832			4464,46,66,342
	अनुदान	3388,32,41,000	3348,53,53,000	--	--	4397,04,93,000
5.	06- सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण-					
	आधिक्य	**164,57,39,230**	**221,08,77,978**			**97,40,51,236**
	व्यय	7857,06,14,230	7799,58,75,978			10330,64,11,236
	अनुदान	7692,48,75,000	7578,49,98,000	--	--	10233,23,60,000
6.	08- परिचालन खर्चे-रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण-					
	आधिक्य	**36,30,60,599**	**189,88,89,127**		**28,17,03,579**	**105,09,38,905**
	व्यय	5983,59,00,599	6156,81,96,127		7888,94,97,579	8797,44,55,905
	अनुदान	5947,28,40,000	5966,93,07,000	--	7860,77,94,000	8692,35,17,000
7.	10 - परिचालन खर्चे- ईंधन -					
	आधिक्य	--	**398,08,55,127**	--	**658,82,43,046**	**683,55,09,268**
	व्यय		16771,04,34,127		22388,16,45,046	29214,21,50,268
	अनुदान		16372,95,79,000		21729,34,02,000	28530,66,41,000
8.	13- भविष्य निधि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-					
	आधिक्य	**1512,38,96,979**	**1403,97,51,918**	**769,61,68,663**	**981,95,20,896**	**732,43,38,190**
	व्यय	16911,20,69,979	16352,71,21,918	18326,96,73,663	21558,67,20,896	25529,56,50,190
	अनुदान	15398,81,73,000	14948,73,70,000	17557,35,05,000	20576,72,00,000	24797,13,12,000

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
रेलवे						
राजस्व (प्रभारित)						
9.	*03*- सामान्य अधीक्षण और सेवाएं -					
	आधिक्य	***24,21,286***	***20,97,842***	***27,29,201***	***41,82,995***	***38,47,888***
	व्यय	*34,79,286*	*36,49,842*	*30,34,201*	*42,73,995*	*88,78,888*
	विनियोग	*10,58,000*	*15,52,000*	*3,05,000*	*91,000*	*50,31,000*
10.	*08*- परिचालन खर्चे-रोलिंग स्टॉक एवं उपकरण-					
	आधिक्य		***51,277***		***4,96,123***	***39,96,570***
	व्यय		*8,72,277*		*4,96,123*	*51,52,570*
	विनियोग	--	*8,21,000*	--	*0*	*11,56,000*
11.	*13* - भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-					
	आधिक्य			***4,09,113***	***15,63,329***	***16,38,105***
	व्यय			*62,67,113*	*73,83,329*	*74,45,105*
	विनियोग	--	--	*58,58,000*	*58,20,000*	*58,07,000*

कई अनुदानों में वर्ष-दर-वर्ष आधिक्य होना चिंता का विषय है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिश के बावजूद उक्त अनुदानों में निरंतर आधिक्य देखे गए हैं। मंत्रालयों/विभागों ने ठोस प्रयास नहीं किए तथा अधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किए थे।

3.6 लघु/उपशीर्ष-वार आधिक्य व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 58(1) के अनुसार व्यय वहन करने वाले अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गए आवंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आवंटन से

अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आवंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि वर्ष 2013-14 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं में पाया गया कि 24 अनुदानों के 68 लघु/उपशीर्षों में, उपलब्ध प्रावधानों से ₹5 करोड़ तथा इससे अधिक का व्यय था। यद्यपि इन लघु/उप शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों से ₹5,048.92 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था लेकिन संबंधित अनुदान/विनियोग प्रबंधन अधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से किए गए अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाता है। लघु/उप शीर्षों, जिसमें अधिक व्यय किए गए थे, की सूची **अनुबंध 3.4** में दी गई है।

3.7 अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा, 1990-91) ने अपनी 60वीं रिपोर्ट (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतें होना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने तथा एक अनुदान या विनियोग में निष्पादन की कमी को दर्शाता है। अत: समिति ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक वर्ष अनुदान के एक खंड में ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा एक विस्तृत टिप्पणी भेजी जानी अपेक्षित थी।

वर्ष 2013-14 के वित्तीय वर्ष के दौरान 78 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे, रक्षा सेवाओं सहित) के 102 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत हुई थी जिसके लिए लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजनी आवश्यक थी। भारी बचतें इन अनुदानों: विनियोग ऋण के पुनर्भुगतान (₹5,02,957 करोड़), आर्थिक कार्य विभाग (₹63,651 करोड़), राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अंतरण (₹26,928 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹15,817 करोड़), वित्तीय सेवाएं विभाग (₹14,764 करोड़), विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹10,153 करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय (₹7,592 करोड़), राजस्व विभाग (₹7,537 करोड़), निधियों-मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि तथा पूंजीगत निधि (रेलवे) को पुनर्विनियोग (₹6,156 करोड़), योजना मंत्रालय (₹6,348 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹7,060 करोड़), विनियोग ब्याज भुगतान (₹5,301 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹5,450 करोड़), पंचायती राज मंत्रालय (₹3,739 करोड़), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (₹3,325 करोड़), कृषि अनुसंधान एवं सहकारिता विभाग (₹3,317 करोड़), भूमि संसाधन विभाग (₹3,277 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹3,484 करोड़), पुलिस (₹4,360 करोड़), महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय (₹2,601 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग (₹2,417 करोड़), दूरसंचार विभाग (₹4,304 करोड़), आदि में देखी गई थी। विभिन्न अनुदानों/विनियोग के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा इससे अधिक की बचतें **अनुबंध 3.5** में दी गई हैं।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों हेतु कुछ कारण 'कुछ योजनाओं को आरंभ करने में विफलता', 'उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना/करने में विलम्ब होना', 'कम दावों की प्राप्ति', 'परियोजनाओं/योजनाओं का अनुमोदन/अंतिम रूप न दिया जाना', 'राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों का पड़ा रहना', 'राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति', होना आदि बताए गए थे।

इसके अतिरिक्त 55 अनुदानों/विनियोगों के 64 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2011-12 से 2013-14) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरंतर बचतें थी जिनके विवरण **अनुबंध 3.6** में दिए गए हैं। बड़ी निरंतर बचतों वाले कुछ अनुदान, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पुलिस विद्यालय शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, अंतरिक्ष

विभाग, कपड़ा मंत्रालय, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, तथा निधियों-मूल्यह्रास आरक्षित निधि (रेलवे) के पुनर्विनियोग से संबंधित थे।

3.8 बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान हो, उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में संभावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के 99 अनुदानों/विनियोगों के 201 खण्डों के अंतर्गत ₹ 7,25,800 करोड़ की बचतें थीं। इसे तीन अनुदानों के तीन खण्डों के अंतर्गत ₹ 40 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रति संतुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹ 7,25,760 करोड़ की निवल बचत में हुआ। सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यर्पित राशियाँ निम्न **तालिका 3.6** में दर्शाई गई हैं।

तालिका 3.6: सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत बचतों और अभ्यर्पण के विवरण

(₹ करोड़ में)

	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अव्ययित प्रावधान में अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व					
दत्तमत	111045.80	102827.82	99537.95	89.63	8217.98
प्रभारित	13957.61	10592.70	10587.47	75.85	3364.91
योग: राजस्व	**125003.41**	**113420.52**	**110125.42**	**88.10**	**11582.89**
पूंजीगत					
दत्तमत	96791.04	93019.96	92390.11	95.45	3771.08
प्रभारित	504005.20	506324.28	506201.17*	100.44*	(-) 2319.08*
कुल जोड़ : पूंजीगत	**600796.24**	**599344.24**	**598591.28**	**99.63**	**3771.08**
कुल योग	**725799.65**	**712764.76**	**708716.70**	**97.65**	**15353.97**

*अभ्यर्पित राशि अव्ययित प्रावधान से अधिक है।

15 अनुदानों/विनियोगों के 16 खंडों में, अनुदानों के अंतर्गत अभ्यर्पित राशि-बचतों से अधिक थी। यह घटिया बजटीय प्रबंधन का सूचक है। ऐसे मामलों के विवरण **अनुबंध 3.7** में दिए गए हैं।

3.9 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदानवार)

67 अनुदानों/विनियोगों के 91 खण्डों जहॉ बचतें ₹100 करोड़ से अधिक हुई थीं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 का उल्लंघन करके वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 30/31 मार्च 2014) बचतें अभ्यर्पित की थी। बचतों, अभ्यर्पित न की गई राशियों, जो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत में व्यपगत हो गई थी, सहित अभ्यर्पणों के विवरण **अनुबंध 3.8** में दिए गए हैं।

3.10 अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण बहुत अधिक अनुपूरक अनुदानें (मूल प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक)

संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियॉ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद अनुच्छेद 114 के अंतर्गत उस वर्ष के उद्देश्य हेतु पहले बनाए गए प्राधिकार के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी प्राधिकृत करती है। व्यय के प्रारंभिक अनुमान तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार-विमर्श तथा बजट-पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात् बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है।

अनुच्छेद 114 के प्रावधान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा पर खर्च किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि, उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाई जाती है या अनुपूरक हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान कोई मांग

उत्पन्न हुई हो, अथवा चालू वित्त वर्ष के दौरान किसी नई सेवा, जिसका उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार न किया गया हो, पर अतिरिक्त व्यय पड़े तो अनुच्छेद 115(1)(क) के अनुसार उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाते हुए संसद में एक दूसरा विवरण (अनुपूरक मांग) प्रस्तुत किया जाता है।

निम्न **तालिका 3.7** 2013-14 के दौरान संघ सरकार के मंत्रालयों द्वारा प्राप्त अनुपूरक प्रावधान तथा मूल प्रावधान से उनकी प्रतिशतता दर्शाती है-

तालिका 3.7: मंत्रालय-वार मूल तथा अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता
सिविल	5651863.26	63954.63	5715817.89	1.13
डाक	17309.48	0.89	17310.37	0.01
रक्षा	209282.80	8365.74	217648.54	4.00
रेलवे	257245.22	7149.66	264394.88	2.78
कुल	**6135700.76**	**79470.92**	**6215171.68**	**1.30**

संवीक्षा से आगे प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सरकार के काफी मंत्रालयों/विभागों ने अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए जो मूल प्रावधानों से अपेक्षाकृत अधिक थे। वे मामले जिनमें अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान से 40 प्रतिशत तक बढ़ गए, **तालिका 3.8** में दिए गए हैं।

तालिका 3.8: अवास्तविक प्रारंभिक बजट बनाने के कारण प्राप्त बड़े अनुपूरक अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक की मूल प्रावधान से प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	7468.99	4000.00	54
2.	51- भारी उद्योग विभाग	461.41	469.56	102
3.	69-नई और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय	1434.05	1214.16	85

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	अनुपूरक की मूल प्रावधान से प्रतिशतता
राजस्व (प्रभारित)				
4.	11-वाणिज्य विभाग	0.50	0.82	164
5.	20-रक्षा मंत्रालय	0.26	0.22	85
6.	21-रक्षा पेंशन	0.69	3.54	513
7.	42-राजस्व विभाग	0.02	26.50	132500
8.	55-पुलिस	9.94	8.18	82
पूंजीगत (दत्तमत)				
9.	10-कोयला मंत्रालय	50.00	1672.00	3344
10.	48-आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होमियोपैथी (आयुष)	9.40	18.00	191
11.	51-भारी उद्योग विभाग	567.56	420.10	74
12.	67-खान मंत्रालय	246.53	103.14	42
13.	69-नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	99.50	100.00	101
14.	94-पर्यटन मंत्रालय	2.00	1.00	50
पूंजीगत (प्रभारित)				
15.	04-परमाणु ऊर्जा	1.00	10.00	1000
16.	55-पुलिस	2.92	4.59	157
17.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	10.00	20.00	200
18.	101-शहरी विकास विभाग	26.00	22.70	87
रक्षा सेवाएं				
राजस्व (दत्तमत)				
19.	25-रक्षा आयुध फैक्ट्रियाँ (दत्तमत)	1709.27	1363.57	80
राजस्व (प्रभारित)				
20.	24-वायु सेना (प्रभारित)	3.70	50.40	1362
21.	25-रक्षा आयुध फैक्ट्रियाँ (प्रभारित)	5.20	3.20	62

बड़े अनुपूरक दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने यथार्थवादी आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा यथार्थवादी बजटीय अनुमान सुनिश्चित करने

हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा तथा पूर्व-बजट बैठकें करने का तंत्र वांछित रूप से प्रभावी नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा 2013-14) में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि प्राप्त करने के बावजूद दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित व्यय से अधिक किए गए व्यय को नियमित करते हुए, पाया कि वित्त मंत्रालय का बजटीय प्रावधान के साथ व्यय के वृहत संगति को सुनिश्चित करने के लिए साधनों पर सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय अभ्यासों के अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। राजस्व-वर्ष के दौरान मूल बजट के अतिरिक्त तीन अनुपूरकों का चलन बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को कम करती है। बहुधा अभ्यास में ज्ञात व्ययों को मुख्य बजट में अनुवर्ती अनुपूरकों द्वारा करने के लिए दबा दिया जाता है। अनुपूरक बजट सामान्यत: अपरिहार्य लोकहित के लिए किए गए व्यय के अप्रत्याशित मदों अथवा योजनाओं के लिए होना चाहिए। अन्य राजस्व संघीय मॉडलों के आधार पर वित्त मंत्रालय को साधनों एवं एक ऐसे ढॉचे का विकास करना चाहिए जो विनियोग खर्चों पर संसद की पहुँच एवं देख-रेख को सुनिश्चित करते हुए बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को बनाए रखे।

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा वर्ष 2005-06 से आगे के मूल प्रावधानों के प्रति अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति **अनुबंध 3.9** में दी गई है।

3.11 अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदानवार)

आठ अनुदानों/विनियोगों में, जिनके ब्यौरे निम्न **तालिका 3.9** में दिए गए हैं, 2013-14 के दौरान ₹722.48 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे परन्तु तीन अनुदानों में अंतिम व्यय, मूल प्रावधानों से भी कम हुआ था। अत: प्राप्त किया गया अप्रयुक्त नकद अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का सूचक था।

'नकद अनुपूरक' प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालय/विभाग को, वर्ष के अंत में बचतों से बचने के लिए अनुदान के भीतर 'टोकन' या 'तकनीकी अनुपूरक' प्राप्त करके उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की संभावना को तलाशना चाहिए।

तालिका 3.9: अनावश्यक नकद अनुपूरक अनुदान बचतों का कारण बनी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	मूल प्रावधान	प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान	नकद अनुपूरक	संवितरण	बचत
सिविल अनुदान						
1.	10-कोयला मंत्रालय (राजस्व दत्तमत)	497.70	100.01	100.00	568.45	29.26
2.	11-वाणिज्य विभाग (राजस्व दत्तमत)	4383.77	58.08	4.00	4312.47	129.38
3.	19-संस्कृति मंत्रालय (राजस्व दत्तमत)	2023.00	102.06	2.00	1959.89	165.17
4.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग (राजस्व दत्तमत)	7468.99	4000.00	500.00	10722.45	746.54
5.	51-भारी उद्योग विभाग (पूंजीगत दत्तमत)	567.56	420.10	44.16	829.08	158.58
6.	88-जहाजरानी मंत्रालय (राजस्व दत्तमत)	1392.28	299.36	41.35	1491.04	200.60
7.	91-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (राजस्व दत्तमत)	4935.53	13.83	5.97	4839.77	109.59
8.	102- लोक निर्माण कार्य (पूंजीगत दत्तमत)	558.25	25.03	25.00	572.14	11.14
	कुल	**21827.08**	**5018.47**	**722.48**	**25295.29**	**1550.26**

वित्त मंत्रालय को ऐसे मामलों की समीक्षा करके इस संबंध में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए।

3.12 लघु/उपशीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

लेखाओं की जांच से प्रकट हुआ कि सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं के 14 अनुदानों/विनियोगों के 21 मामलों में कुल ₹613.95 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था, हालांकि लघु/उपशीर्षों, जिसमें पुनर्विनियोग द्वारा संवर्द्धन किया गया था, के अंतर्गत मूल प्रावधान, पर्याप्तता से अधिक था। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप शीर्षों के अंतर्गत बचत, इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। वे 21 मामले, जिनमें ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किए गए थे, **अनुबंध 3.10** में दिए गए हैं।

3.13 लघु/उपशीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

उसी तरह, लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि सिविल मंत्रालयों/विभागों,डाक और रक्षा सेवाओं के तीन अनुदानों/विनियोगों के छः मामलों में कुल ₹264.99 करोड़ की निधियों का अन्य शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किया गया था हालांकि इन छः लघु/उपशीर्षों के प्रत्येक में अंतिम संवितरण, पुनर्विनियोग से पहले भी, मूल प्रावधान से अधिक था। इन शीर्षों के प्रत्येक में पुनर्विनियोग के बाद उपलब्ध प्रावधान से आधिक्य पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था। ऐसे ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के विवरण **अनुबंध 3.11** में दिए गए हैं।

3.14 उपशीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने संसद को, विविध योजनाओं/क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग सूचित की थी लेकिन अन्ततः वे न केवल संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका एक भाग बल्कि संपूर्ण बजट प्रावधान खर्च करने में असमर्थ थे। सात अनुदानों/विनियोगों के सात लघु/उपशीर्षों, जिनमें मूल बजट प्रावधान के भाग सहित संपूर्ण अनुपूरक अनुदान, अव्ययित रहे, के विवरण **अनुबंध 3.12** में दिए गए हैं।

3.15 संपूर्ण प्रावधान की बचत (उपशीर्ष-वार)

47 अनुदानों/विनियोगों के 133 उप शीर्षों में, संसद द्वारा प्राधिकृत कुल ₹93,447.67 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान (₹10 करोड़ तथा अधिक) मंत्रालयों/विभागों द्वारा खर्च नहीं किया जा सका और अप्रयुक्त रहा। उक्त ₹56000 करोड़ की समस्त बचत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंशदान देने: ₹21,000 करोड़ सामाजिक तथा अवसंरचना विकास पूंजी निधि (₹7,000 करोड़) तथा राष्ट्रीय निवेश निधि (₹14,000 करोड़) में लोक लेखे में अंतरण से संबंधित थी।

संपूर्ण प्रावधान की बचत होना इस तथ्य का सूचक है कि अनुमान परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा करने के बाद नहीं बनाए गए थे। प्रमुख योजनाएं जो संपूर्ण प्रावधान के उपयोग न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुई, निम्न हैं:-

- विनियोग - ब्याज भुगतान: बैंक में धनराशि के जमा बाजार स्थिरकारी करण योजना पर दिया गया ब्याज/छूट (₹1,630.38 करोड़);
- भारी उद्योग विभाग-राष्ट्रीय स्वचालित परीक्षण तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना (₹341.94 करोड़);

- ग्रामीण विकास विभाग: 'मनरेगा श्रमिकों (₹200 करोड़) को राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना (रा.सु.बी.यो.) के अंतर्गत लाना;
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय: 'आम आदमी को समाहित करने के लिए अनुसंधान निधि (₹200 करोड़)
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय: 'अनुसूचित जाति के कल्याण-आर्थिक विकास' (₹100 करोड़);
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से तथा मुख्य भू-भाग बीच समुद्र के अन्दर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना' (₹153 करोड़);
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय: 'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (का.म.छा.) (₹200.01 करोड़); तथा
- पुलिस (गृह मंत्रालय): 'आधुनिकीकरण हेतु दिल्ली पुलिस को सहायता' (₹100.00 करोड़)।

उप शीर्षों जिनमें ₹10 करोड़ तथा इससे अधिक का समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा, के विवरण **अनुबंध 3.13** में दिए गए हैं।

3.16 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें थी जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को इंगित करती हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकताओं के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने, बल्कि कम संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को बजटीय अनुमान की व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। **अनुबंध 3.14,** एक उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट

प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक की तथा ₹100 करोड़ या अधिक की 166 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालय/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बचतें हुई:-

- **विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान:** भारत सरकार के नकद शेष में अर्थोपाय अग्रिमों का कम उपयोग होने तथा ओवर ड्राफ्ट के कारण 'अर्थोपाय अग्रिमों' (₹5,00,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत ₹2,57,575 करोड़ का अधिशेष रहा।
- **राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण**: ₹8,332 करोड़- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम के अंतर्गत (₹12,962 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों पर प्रावधान में कमी के कारण: ₹6,441 करोड़ 'जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' के अंतर्गत (₹14,000 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) राज्य सरकार से उपयोग प्रमाणपत्रों तथा सुधार कार्यसूची की प्राप्ति न होने के कारण बचतें रहीं।
- **राजस्व विभाग:** राज्य सरकारों से सी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के प्रति कम दावों की प्राप्ति होने के कारण राज्य सरकार को सी.एस.टी. समाप्त करने से राजस्व हानि शीर्ष के अंतर्गत (₹9,300 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) ₹7,359.49 करोड़ की बचत थी।
- **ग्रामीण विकास विभाग:** ₹6,524.69 करोड़ की बचत 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों आदि को सहायता' (₹11,221.69 करोड़ के बजटीकृत प्रावधान के प्रति) शीर्ष के अंतर्गत तथा ₹3,584.83 करोड़ की बचत 'ई.ए.पी. संघटक' के अंतर्गत (₹4,266 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) - राज्य सरकारों के पास पड़े पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता, कार्यान्वयन एजेंसियों से कम प्रस्तावों की

प्राप्ति और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान पर प्रावधान में कमी करने के कारण हुई।

- **उर्वरक विभाग-** ₹4,805.54 करोड़ - 'यूरिया के आयात' (₹20,158.84 करोड़ के बजट प्रावधान के विरूद्ध) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतों के कम होने तथा यूरिया का कम मात्रा में आयात होने के कारण।
- **विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग:** ₹4,440.76 करोड़ 'प्रारंभिक शिक्षा कोष में निधियों के अंतरण' के अंतर्गत (₹24,429 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) शिक्षा उप कर का कम संग्रहण होने के कारण;
- **कृषि एवं सहकारिता विभाग**: ₹3,054.43 करोड़ की बचतें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत (₹10,054.46 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण हुईं।
- **पंचायती राज मंत्रालय:** ₹2,399.30 करोड़ की बचत - पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान के अंतर्गत (₹4,216.50 करोड़ के बजटीय प्रावधान के प्रति) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमानों पर प्रवाधान में कमी करने के कारण हुई।

3.17 निरंतर बचत (उपशीर्ष-वार)

विनियोग लेखाओं की विस्तृत जॉच से पता चला कि तीन वर्षों की अवधि में, वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान 18 अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत 23 उप-शीर्षों के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई हैं, जो मंत्रालय/ विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती है। 23 उपशीर्षों के अनुदानवार ब्यौरे **अनुबंध 3.15** में दिए गए हैं।

3.18 मार्च के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का

उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे।

कुछ मंत्रालयों/विभागों ने व्यय सीमाओं के बारे में वित्त मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जिसके उत्तर में वित्त मंत्रालय ने दोहराया (जनवरी 2013) कि इन सीमाओं का प्रतिबन्ध संशोधित अनुमान सीमाओं को योजनावार तथा एक संपूर्ण विषय के रूप में मांग-वार अंतिम तिमाही/माह में लागू किया जाए। लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालयों/विभागों से वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु व्यय की प्रवृत्ति से संबंधित सूचना मांगी गई थी।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर **तालिका 3.10** में दिए गए मामलों में यह पाया गया है कि कुछ मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संवितरण का मुख्य भाग 2014 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

तालिका 3.10: मार्च 2014 और/अथवा 2013-14 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कारण
सिविल							
1.	9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	5882.22 (6985.40)	1181.43	20 (17)	1199.98	--	वित्त मंत्रालय ने तीसरे अनुपूरक अनुदान के माध्यम से योजनागत के अंतर्गत ₹1000.00 करोड़ तथा योजनेत्तर के अंतर्गत ₹103.12 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया। अतिरिक्त बजट के वास्तविक उपयोग हेतु अधिसूचना वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.03.2014 को जारी की गई थी। तदनुसार मार्च में व्यय की सीमा को 15 प्रतिशत तक तथा अंतिम तिमाही में 33 प्रतिशत तक बनाए नहीं रखा जा सका।
2.	10-कोयला मंत्रालय	547.70 (2319.00)	318.71	58 (14)	850.73	155 (37)	अनुपूरक अनुदानों की देर से प्राप्ति होने के कारण व्यय वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 33 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बढ़ गया।
3.	12-औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग	1716.29 (1355.77)	350.76	20 (26)	511.78	30 (38)	वित्त मंत्रालय ने दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (दि.मु.औ.कॉ) परियोजनाओं हेतु फरवरी माह 2014 में ₹303.80 करोड़ आबंटित किए तथा व्यय मार्च 2014 के दौरान किया गया।
4.	45- विनिवेश विभाग	63.24 (30.00)	12.71	20 (42)	14.57	23 (49)	विभाग ने बताया कि विज्ञापन तथा प्रचार नया शीर्ष के प्रति ₹4.64 करोड़ की राशि समायोजित की गई तथा ₹1.97 करोड़ को मार्च माह 2014 में समायोजन में दर्ज किया गया था।

क्र.सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कारण
5.	51- भारी उद्योग विभाग	1028.97 (1542.04)	500.80	49 (32)	684.83	67 (44)	निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को फरवरी 2014 में ₹182.43 करोड़ तथा हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन तिथि को केवल मार्च 2014 में ₹47.23 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए जा सके। स्वैच्छिक सेवनिवृति योजना/ स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (स्व.से.यो/स्वै.पृ.यो.) आदि के कार्यान्वयन हेतु ₹116.86 करोड़ तथा एच एम टी लिमि. को ₹27.06 करोड़ के कर्जों के एकमुश्त प्रावधान के संबंध में वित्त मंत्रालय ने अंतिम तिमाही तथा मार्च 2014 के लिए व्यय की सीमा में ढील दी थी।
6.	54-मंत्रिमंडल	403.00 (375.00)	29.10	--	229.04	57 (61)	प्र.म. के वायुयान के अनुरक्षण के प्रति एयर इंडिया से दावे की प्राप्ति के आधार पर ₹183.30 करोड़ की एक बार निर्मुक्ति करने के कारण अंतिम तिमाही में अधिक व्यय किया गया था।
7.	70-विदेशी भारतीय मामले मंत्रालय	115.79 (97.88)	18.82	16 (19)	28.12	--	प्रवासी भारतीय दिवस मनाने, जागरूकता एवं मीडिया प्रचार करने, भारतीयों की विदेशी नागरिकता (भा.वि.ना) प्रवासी बच्चा छात्रवृत्ति कार्यक्रम (प्र.ब.छा.का.) आदि के प्रति किया गया व्यय का बड़ा भाग अंतिम तिमाही में दर्ज किया गया था।

क्र.सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान (संशोधित अनुमान)	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता #	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता#	मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे गए कारण
8.	74-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	65188.41 (85566.13)	10482.07	16 (12)	30025.62	46 (35)	तेल विपणन कंपनियों को उनके घरेलु एल.पी.जी. तथा मिट्टी के तेल (पी.डी.एफ.) संचालन में वसूलियों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान, बजट शीर्ष के अंतर्गत, एल.पी.जी. योजना की आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु ओ.एम.सी. को भुगतान तथा एल.पी.जी. योजना की आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए ओ.एम.सी. को भुगतान वित्त मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किया गया था। वित्त मंत्रालय द्वारा छूट भी दी गई थी।
9.	88-जहाजरानी मंत्रालय	2050.67 (2092.03)	562.69	27 (27)	628.50	--	प्र.ले.का. ने बताया कि मार्च माह 2014 में ₹153.03 करोड़ तथा ₹146.33 करोड़ के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए तथा ₹151.21 करोड़ तथा ₹146.33 करोड़ मार्च 2014 में संबंधित शीर्षों में दर्ज किए गए थे।
रक्षा सेवाएं							
10.	23-रक्षा सेवाएं (नौसेना)	12394.43 (13363.94)	2013.73	16 (15)	4525.41	37 (34)	कारण प्रतीक्षित (मार्च 2015)

 # कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संशोधित अनुमानों से संबंधित प्रतिशत दर्शाता है।

-- निर्धारित सीमा के अंदर व्यय

नोट: कॉलम में दी गई प्रतिशतता अनुबंध 1.2 के साथ मेल नहीं खा सकती है क्योंकि इन प्रतिशतताओं को बजट अनुमानों के संबंध में परिकलित किया गया है। (संशोधित अनुमानों के अनुसार)। दूसरी ओर, अनुबंध 1.2 में दी गई प्रतिशतताएं, कुल व्यय से संबंधित प्रतिशतताएं हैं।

चूंकि विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई निधियॉ वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती, जो उसी माह के अंतिम दिन पर समाप्त होती हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि क्या ये निधियां उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए प्राधिकृत की गई थीं।

3.19 रक्षा सेवाएं

3.19.1 निरंतर बचतें

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की जांच में छः अनुदानों के प्रभारित/दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति (₹5 करोड़ से अधिक) देखी गई जिसका विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: वर्ष 2011-14 के दौरान निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या उप मुख्य/लघु शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14
22 - रक्षा सेवाएं -थल सेना (मुख्य शीर्ष 2076)				
1.	110 - भंडार (दत्तमत)	451.90	1197.52	750.98
2.	113 - एन.सी.सी. (दत्तमत)	244.63	286.33	16.44
3.	800 - अन्य व्यय (दत्तमत)	246.90	490.67	462.22
23 - रक्षा सेवाएं -नौ सेना (मुख्य शीर्ष 2077)				
4.	104 - नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	7.18	2.00	10.31
5.	104 - नागरिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	658.17	295.87	17.37
6.	105 - परिवहन (प्रभारित)	81.94	19.51	42.82
24 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना (मुख्य शीर्ष - 2078)				
7.	800 - अन्य व्यय (दत्तमत)	52.06	118.49	130.81
25 - रक्षा आयुध कारखाने (मुख्य शीर्ष - 2079)				
8.	001 - निर्देशन एवं प्रशासन(दत्तमत)	4.41	6.09	8.56
9.	004 -अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)	4.29	21.96	27.25
10.	053 - अनुरक्षण-मशीनरी एवं उपकरण (दत्तमत)	6.22	2.69	7.33
11.	054 - निर्माण कार्य (दत्तमत)	33.42	125.01	24.96
12.	105 - परिवहन (दत्तमत)	0.02	34.99	31.65
13.	110 - भंडार (दत्तमत)	246.03	781.41	1130.47
26 -रक्षा सेवाएं- अनुसंधान एवं विकास (मुख्य शीर्ष - 2080)				
14.	004 - अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)	132.09	632.89	85.28
15.	105 - परिवहन (दत्तमत)	12.19	26.74	51.04
27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष- 4076)				
01 - थल सेना				
16.	050 -भूमि (प्रभारित)	17.26	16.35	17.18
17.	050 - भूमि (दत्तमत)	131.31	14.89	26.89

18.	101 -विमान एवं वायु इंजन (दत्तमत)	686.66	745.58	317.65
19.	103 -अन्य उपकरण (दत्तमत)	3895.78	1591.85	2033.47
20.	105 - सैन्य फार्म (दत्तमत)	2.17	6.64	9.18
21.	107 - भूतपूर्व- सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (दत्तमत)	34.04	33.17	19.10
22.	113 - राष्ट्रीय कैडेट कोर (दत्तमत)	22.35	49.31	4.82
23.	202 -निर्माण कार्य(दत्तमत)	656.88	1350.22	477.92
02 - नौसेना				
24.	102 -भारी एवं मध्यम वाहन (दत्तमत)	12.88	12.55	48.37
25.	202 - निर्माण कार्य (दत्तमत)	34.82	77.31	125.60
26.	205 - नौसैनिक डाकयार्ड (दत्तमत)	72.51	287.66	1378.84
03 - वायु सेना				
27.	050 - भूमि (प्रभारित)	4.78	7.67	9.58
28.	050 -भूमि (दत्तमत)	17.45	70.22	46.21

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने या आपूर्ति प्राप्तियों एवं परियोजनाओं हेतु खराब योजना, अपर्याप्त निविदा प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी तथा निरंतर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को प्रारंभ करने की विफलता की संकेतक हैं।

3.19.2 रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। वर्ष 2013-14 के दौरान दो अनुदानों के प्रभारित खण्डों के अंतर्गत ₹23.81 करोड़ की बचत के प्रति ₹13.87 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था। एक अनुदान के दत्तमत खण्ड के अंतर्गत ₹7,592.40 करोड़ के बचत के प्रति ₹7,854.78 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था। इस प्रकार, दत्तमत खण्ड में एक अनुदान के अंतर्गत ₹7,854.78 करोड़ तथा प्रभारित खण्ड के दो अनुदानों के अंतर्गत ₹13.87 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे जैसा कि **तालिका 3.12** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका 3.12: बचतें एवं अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान/ विनियोग	बचत		वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि (व्यपगत)	
	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत
22-थल सेना	50.23	879.63	--	--	50.23	879.63
23-नौसेना	12.09	--	--	--	12.09	--
24-वायु सेना	9.73	--	--	--	9.73	--
26-अनुसंधान एवं विकास	0.54	25.86	0.15	--	0.39	25.86
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	23.27	7592.40	13.72	7854.78	9.55	--
कुल	**95.86**	**8497.89**	**13.87**	**7854.78**	**81.99**	**905.49**

अनुदान सं. 27- पूंजीगत सेवाओं (दत्तमत) पर पूंजीगत परिव्यय के मामले में रक्षा मंत्रालय ने ₹7,592.40 करोड़ की उपलब्ध बचतों के प्रति ₹7,854.78 करोड़ अभ्यर्पित किए। यह मंत्रालय के त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

4: विनियोग लेखे: लेखाओं पर टिप्पणियां

4.1 के.प्र.क.बो. द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114(3) करों की वापसी पर ब्याज पर किये गये व्यय का लगातार उल्लंघन

संविधान के अनुच्छेद 114(3) अनुबंधित करता है कि विधि द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त कर की वापसी पर ब्याज का भुगतान भारत की समेकित निधि पर एक प्रभार है, तथा इसलिए यह केवल विधि द्वारा किए गए उचित विनियोग के अंतर्गत प्राधिकृत किए जाने के पश्चात ही देय है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 ब्याज को ब्याज व्यय के वर्गीकरण हेतु विनियोग की प्राथमिक इकाई के रुप में वर्णित करता है।

राजस्व विभाग/केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) अतिरिक्त कर की वापसियों पर ब्याज का वर्गीकरण राजस्व में कमी के रूप में कर रहा है, तथा इस गलत प्रक्रिया पर संघ के लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के साथ साथ प्रत्यक्ष करों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन में भी निरंतर टिप्पणी की गई हैं, परंतु विभाग द्वारा कोई शोधक कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले की जांच लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा की गई तथा समिति ने अपनी 66वीं रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2012-13) में पाया कि ऐसी कोई वैध कारण नहीं था जिसके कारणवश विभाग, पिछली प्रवृत्तियों के अध्ययन के आधार पर कर वापसियों पर ब्याज देयता पर व्यय के व्यापक अनुमान को नहीं लगा पाया। विभाग ने स्वयं माना कि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार, उसके पास संसद द्वारा पारित विनियोग कानून की सहायता लिए बिना एकत्रित अतिरिक्त कर/वापसियों पर ब्याज को वापस लेने का कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था। आगे, समिति ने विभाग को स्मरण करवाया था कि संविधान का अनुच्छेद 114(3) स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है कि विधान द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकेगा।

अपनी अनुपालना रिपोर्ट (15वीं लोक सभा 2013-14 की 96वीं रिपोर्ट) में लो.ले.स. ने अपनी पहले की अनुशंसाओं को दोहराया था कि मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमावली के अनुसार एक प्रक्रिया स्थापित करे, जिससे

कि वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा अनुदान हेतु मांग से कर वापसियों पर ब्याज भुगतानों को दर्शाया जा सके तथा संसदीय स्वीकृति प्राप्त करे जैसा कि संविधान द्वारा आदेश दिया गया है।

अतीत की तरह वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वापसियों पर ब्याज पर कुल ₹6,598 करोड़ का व्यय किया गया था। आवश्यक विनियोग के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना पिछले छः वर्षों की अवधि में ब्याज भुगतानों पर ₹42,903 करोड़ का व्यय किया गया था। जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: करों की वापसी पर ब्याज पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वापसियों पर ब्याज पर व्यय
2008-09	5778
2009-10	6876
2010-11	10499
2011-12	6486
2012-13	6666
2013-14	6598
योग	**42903**

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने अपने पूर्व के उत्तर को दोहराया (फरवरी 2015) कि मंत्रालय द्वारा राजस्व में कमी के रूप में अधिक कर की वापसी पर ब्याज का वर्गीकरण संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है और किसी भी रूप में संसद द्वारा नियंत्रित लोक धन को कम करना या हटाना नहीं है। .

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आधिक्य कर के वापसी पर ब्याज व्यय की मद है एवं उसे राजस्व में कटौती के रूप में नहीं लिया जा सकता।

4.2. बजट सीमा के बिना किया गया व्यय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा विनियोग के अतिरिक्त भारत की समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जाएगा।

अनुदान सं. 20 के शीर्षवार विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि संसदीय प्राधिकरण के माध्यम से संस्वीकृत बिना किसी बजट प्रावधान

के ₹171 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था, जिसका विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 4.2: बजट सीमा के बिना व्यय

अनुदान सं. एवं लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	विभाग का उत्तर	टिप्पणियां
20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)			
2075.00.108.01.01.31 (कोड 098/55) भोजनालय सेवाएं निदेशालय	171.00	महानियंत्रक रक्षा लेखा (म.नि.र.ले.) ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वि.व. 2014-15 से भोजनालय व्यापार अधिशेष का व्यय तथा मात्रात्मक छूट (मा.छू.) को शीर्ष लेखा 2075.00.108.01.01.31 (सहायता अनुदान-सामान्य) के अंतर्गत लिया जाएगा।	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को वर्ष 2014-15 के लिए डी.डी.जी. से सत्यापित करवाया गया था।
योग	**171.00**		

4.3 मात्रात्मक छूट (मा.छू.) के माध्यम से गैर सार्वजनिक निधि में निधियों का अंतरण

सैनिकों पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों को बाजार के मूल्यों से कम मूल्यों पर रोज उपयोग में आने वाले गुणवत्ता वाले उत्पादों तक आसान पहुँच प्रदान करने के लिए कैण्टीन स्टोर्स डिपो (कै.स्टो.डि.) का सृजन किया गया था। कै.स्टो.डि. रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम है तथा बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से इसे वित्त पोषित किया जाता है। कै.स्टो.डि. के लिए बजट प्रावधान रक्षा मंत्रालय के सिविल अनुदान में निहित है।

भारत में कै.स्टो.डि. के 34 डिपो महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थित है। कै.स्टो.डि. के परिचालन के अंतर्गत 3600 के निकट इकाई संचालित डिपो (इ.सं.डि.) आते है, जो कि सैन्य दल संस्थान हैं। इ.सं.डि. मुम्बई में बेस डिपो या मान्यता प्राप्त क्षेत्र डिपो से भंडार मांगपत्र भेजता है, कै.स्टो.डि. सॉफ्ट लोन तथा मात्रात्मक छूटों (मा.छू) के माध्यम से भी इ.सं.डि. की सहायता करता है। इ.सं.डि. संसदीय वित्तीय निरीक्षण की सीमा से बाहर है। न तो बजट के दस्तावेजों और न ही कै.स्टो.डि. के प्रपत्र लेखे इ.सं.डि. के परिचालन को दर्शाते हैं।

कै.स्टो.डि. सभी इकाई द्वारा चलाए जा रहे डिपो को शुल्क रहित भंडारों के रूप में मा.छू. प्रदान करता है। मा.छू. के माध्यम से शुल्क रहित भंडारों की लागत को रक्षा मंत्रालय के सिविल अनुदान में सरकारी खाते में बुक किया गया है। जिन वस्तुओं पर कै.स्टो.डि. की छः *प्रतिशत* की लाभ सीमा है उन पर 4.5 *प्रतिशत* और जिन वस्तुओं पर कै.स्टो.डि. की लाभ सीमा पांच *प्रतिशत* है उन पर 3.5 *प्रतिशत* पर मा.छू. को परिकलित किया जाता है।

अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय (सिविल) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान मा.छू. के रूप में इ.सं.डि. को वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के माध्यम से भारत की समेकित निधि से ₹1,423.28 करोड़ का अंतरण किया गया था, जिसका विवरण नीचे **तालिका 4.3** में दिया गया है:

तालिका 4.3: इ.सं.डि. को अंतरित की गई मा.छू. के विवरण

(₹करोड़ में)

वर्ष	व.शी. '50 अन्य प्रभार' के अंतर्गत बजट प्रावधान	'अन्य प्रभार' (मा.छू.) के अंतर्गत वास्तविक व्यय
2013-14	375.00	331.83
2012-13	300.00	651.64
2011-12	210.00	223.52
2010-11	210.00	0
2009-10	200.00	216.29
	योग	**1423.28**

इस प्रकार, वस्तु शीर्ष '50-अन्य प्रभार' का उपयोग करके भा.स.नि. के रूप में इ.सं.डि. को सहायता प्रदान करना सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.) के प्रावधान के अनुसार नहीं था, जिसमें यह आवश्यक होता है कि ऐसे अंतरण सहायता अनुदान के रूप में होने चाहिए। चूंकि, इ.सं.डि. सरकारी लेखे से बाहर है, इसलिए इ.सं.डि. को सहायता अनुदान के रूप में सहायता देनी चाहिए।

महानियंत्रक रक्षा लेखे (म.नि.र.ले.) के कार्यालय ने बताया (फरवरी 2014) कि चूंकि 1989-90 से कै.स्टो.डि. द्वारा नई लेखांकन प्रणाली को अपनाया गया है तब से प्रत्येक वर्ष पंचिंग/अग्रदाय कोड़ शीर्ष 'अन्य प्रभार' के अंतर्गत मा.छू.

के प्रति व्यय की बुकिंग की जाती है। व्यय एवं बजट के प्रावधानेां को शीर्ष लेखा 2075.00.108.00.00.50-'अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया गया था।

तथ्य यही रहता है वर्ष 2013-14 के दौरान वस्तु शीर्ष 'अन्य प्रभार' के माध्यम से इ.सं.डि. की गैर सार्वजनिक निधि में ₹331.83 करोड़ की राशि का अंतरण किया गया था। मा.छू. के कारण हुए व्यय को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत उचित रूप से बुक किया जाना चाहिए था।

म.नि.र.ले. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि इस मामले को कैण्टीन सेवाओं के नियंत्रण बोर्ड (कै.से.नि.बो.) की 79वीं कार्यकारी समिति बैठक (मार्च 2014) में जांचा गया था और दो कोड शीर्षों अर्थात 'योगदान भोजनालय व्यापार अधिशेष' एवं 'अन्य प्रभार मात्रात्मक छूट' (मा.छू) को एक कोड शीर्ष सहायता अनुदान में मिलाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, वि.व. 2014-15 के लिए भो.भं.वि. के लिए निधियों को उपरोक्त शीर्षों के लिए 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया था।

मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को वर्ष 2014-15 हेतु अनुदान हेतु विस्तृत मांगों (अ.वि.मां.) से सत्यापित किया गया था तथा सही पाया गया था।

4.4 संवर्धन प्रावधानों हेतु वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता

4.4.1 उद्देश्य शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के लिए प्रावधान में संवर्धन

नई सेवा (न.से.)/सेवा के नए साधन (से.न.सा.) से संबंधित मामलों का निर्धारण करने में ध्यान दिए जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में मई 2006 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को विषय शीर्ष सहायता अनुदान को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

विनियोग लेखों के साथ साथ ई.लेखा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग पांच अनुदानों में 12 मामलों में संसद की पूर्व

स्वीकृति प्राप्त किए बिना विभिन्न निकायों/प्राधिकरणों को वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान के ₹110.71 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसके फलस्वरूप न.से./से.न.सा. की सीमाओं का उल्लंघन हुआ। नीचे दी गई तालिका उन शीर्षों का ब्यौरे देती है जिनमें संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना विभिन्न अनुदानों/ विनियोगों के अंतर्गत संवर्धन किया गया था।.

तालिका 4.4: उद्देश्य शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के प्रावधान का संवर्धन

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य. *	राशि
		(₹करोड़ में)					
अनुदान सं. 04 परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	3401.00.800.06.04.31 परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति	2.25	--	--	2.25	3.25	1.00
2.	3401.00.800.06.05.31 परमाण ऊर्जा शिक्षा समिति	9.20	--	--	9.20	10.90	1.70
अनुदान सं. 20 रक्षा मंत्रालय (सिविल)							
3.	2052.00.092.03.01.31 रक्षा संपदा संगठन (कोड़ 094/83)	174.05	--	51.64	225.69	233.00	7.31
अनुदान सं. 26 रक्षा (अनुसंधान एवं विकास)							
4.	वैमानिक अनुसंधान एवं विकास बोर्ड (कोड़ 852/02)	0.80	-	-	0.80	21.58	20.78
5.	नौसेना अनुसंधान बोर्ड (कोड़ 852/03)	1.43	-	-	1.43	6.00	4.57
6.	आयुध अनुसंधान बोर्ड (कोड़ 852/04)	0.22	-	-	0.22	1.71	1.49
7.	जीवन विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (कोड 852/05)	1.08	-	-	1.08	2.62	1.54
8.	बाह्य अनुसंधान एवं बौद्धिक संपदा अधिकार (कोड 852/06)	2.30	-	-	2.30	60.00	57.70

क्र.सं.	लेखा-शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य. *	राशि
		(₹करोड़ में)					
मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि सहायता अनुदान हेतु कुल आबंटन को रक्षा सेवा अनुमान खंड ।। में दर्शाया गया है और केवल गैर सरकारी निकायों से संबंधित हिस्से को अनुबंध 'ङ' में दर्शाया गया है। अनुबंध 'ङ' में दर्शाए गए आबंटनों को विभिन्न रक्षा अनुसंधान बोर्डों के पास उपलब्ध सहायता अनुदान हेतु कुल आबंटन समझना गलत होगा। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रक्षा सेवा अनुमानों का केवल अनुबंध 'ङ' संसद द्वारा संस्वीकृत है और रक्षा सेवा अनुमान खंड-।। के अंतर्गत विवरण जिसमें अलग सूचना दी गई है, वह संसद द्वारा संस्वीकृत नहीं है।							
अनुदान सं. 60- उच्चतर शिक्षा विभाग							
9.	3601.04.189.02.01.31 राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रा.उ.शि.अ.)	-	52.64	-	52.64	65.57	12.93
10.	3601.04.789.43.02.31 रा.उ.शि.अ.	-	11.55	-	11.55	12.69	1.14
11.	3601.04.796.09.02.31 रा.उ.शि.अ.	-	5.81	-	5.81	6.34	0.53
उच्चतर शिक्षा विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को किए गए अंतरण न.से./न.से.सा. की सीमाओं से छूट प्राप्त हैं बशर्ते दिनांक 25 मई 2006 के वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. के अनुसार योजना नई नहीं है तथा कथित शीर्ष लेखा के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन वित्त मंत्रालय की संस्वीकृति के साथ पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.उ.शि.अ. योजना को वर्ष 2013 में शुरू किया गया था (विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार) और 2012-13 के लिए डी.डी.जी. में दर्शाया नहीं गया था। अतः, निधियों में किसी भी प्रकार के संवर्धन को संसद की पूर्वस्वीकृति के साथ किया जाना चाहिए था।							
अनुदान सं. 61- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय							
12.	2220.01.105.01.01.31 फिल्म प्रभाग	0.03	-	-	0.03	0.05	0.02
	योग						**110.71**

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552*, के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान, अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.4.2 उद्देश्य शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रावधान का संवर्धन

नई सेवा के नए साधन से संबंधित मामलों का निर्धारण करने में ध्यान दिए जाने वाली वित्तीय सीमाओं के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा मई 2006 में जारी निर्देशों के अनुसार, सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को उद्देश्य शीर्ष 'सहायता अनुदान' को पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रावधानों में संवर्धन केवल संसद की पूर्व संस्वीकृति से ही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन अनुदानों के पांच मामलों में कुल ₹171.99 करोड़ की निधियां मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन में संसद की पूर्व-स्वीकृति लिये बगैर उद्देश्य शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के लिए संवर्धित की गई थी जिसने सेवा के नए साधन को सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.5: उद्देश्य शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रति प्रावधान की वृद्धि

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹करोड़ में)					
अनुदान सं. 04-परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	3401.00.004.15.08.35 प्लाज्मा अनुसंधान हेतु संस्थान गांधीनगर	475.00	--	--	475.00	498.00	23.00
अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग							
2.	3601.04.189.02.01.35 रा.उ.शि.अ.	-	22.56	-	22.56	137.76	115.20
3.	3601.04.789.43.02.35 रा.उ.शि.अ.	-	4.95	-	4.95	26.66	21.71
4.	3601.04.796.09.02.35 रा.उ.शि.अ.	-	2.49	-	2.49	13.34	10.85
उच्चतर शिक्षा विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि यदि दिनांक 25 मई 2006 के वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. के अनुसार योजना नई नहीं है तो राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को किए गए अंतरण तथा कथित लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन वित्त मंत्रालय की अनुमति सहित पुनर्विनियोग के माध्यम से किया गया हो तो वह न.यो./से.न.सा. की सीमा से बाहर है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2013 में रा.उ.शि.अ. योजना की शुरूआत की गई थी (विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार) तथा 2012-13 हेतु डी.डी.जी. में भी योजना को दर्शाया नहीं गया था। इस प्रकार, निधियों में किसी प्रकार का संवर्धन संसद की पूर्व स्वीकृति के साथ किया जाना चाहिए था।							
अनुदान सं.89-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय							
5.	2225.01.789.09.00.35 अ.जा. के लिए विशेष घटक योजना- लड़कियों का छात्रावास	8.00	1.00	7.00	16.00	17.23	1.23

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.व्य.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹करोड़ में)					
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि मुख्य शीर्ष-2552 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) जिस संबंध में मंत्रालय को पूरी शक्तियां हैं, उससे ₹1.23 करोड़ की अधिक राशि का पुनर्विनियोग किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पुनर्विनियोग उसी क्षेत्र अर्थात "सामान्य" अ.आ. हेतु विशेष घटक योजना तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत उसी योजना के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्ष के लिए मुख्य शीर्ष-2552 से कर सकते हैं जिसके लिए कार्यात्मक शीर्ष के साथ गैर-कार्यात्मक (अर्थात मुख्य शीर्ष 2552) के अंतर्गत संसद से विशिषट प्रावधानों को प्राप्त किया जाता है।							
	योग						171.99

* ब.अ.= बजट अनुदान, उ.पू.= मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विास हेतु प्रावधान अ.प्रा.= अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा उम्प के अनुसार)

4.4.3 विषय शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2011 के अपने का.ज्ञा. के माध्यम से वेतनों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान पर व्यय को विशेष रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी एक नया उद्देश्य शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' की शुरूआत की थी। मंत्रालय ने, दिनांक 21 मई 2012 के अपने का.ज्ञा. के माध्यम से आगे स्पष्ट किया कि विषय शीर्ष '36- सहायता अनुदान-वेतन' के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन करने के लिए अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अनुदानों के दो मामलों में कुल ₹1.37 करोड़ की निधियों के वर्तमान प्रावधान के उल्लंघन में संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' हेतु संवर्धित की गई थी जिसने न.से./से.न.सा. की सीमाओं को आकर्षित किया।

तालिका 4.6: विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' के प्रति प्रावधान की वृद्धि

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.	कु.व्य.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं.32- विदेश मंत्रालय							
1.	2061.00.800.20.00.36 भारतीय विश्व मामले परिषद	1.24	-	-	1.24	1.31	0.07
विदेश मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि वेतन होने के कारण अतिरिक्त व्यय अनिवार्य है। पुनर्विनियोग को प्रभावी नहीं किया जा सका था क्योंकि संसद की स्वीकृति को प्राप्त नहीं किया जा सकता था।							

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.	कु.व्य.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 99- दमन एवं दीव							
2.	उच्चतर शिक्षा विभाग 2202.02.110.06.00.36 निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान	7.00	-	-	7.00	8.30	1.30
	योग						**1.37**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.4.4 विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' के प्रावधान का संवर्धन

मई 2006 में, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्विनियोग के माध्यम से विषय शीर्ष आर्थिक सहायता के अंतर्गत उपलब्ध विनियोग में प्रावधान के संवर्धन हेतु, यदि अतिरिक्तता, संसद द्वारा पहले ही दत्तमत्त मौजूदा विनियोग के 10 प्रतिशत अथवा ₹10 करोड़, जो भी कम है, से अधिक है तो संसद की पूर्वस्वीकृति अपेक्षित है।

विनियोग लेखाओं के साथ ई-लेखा डाटा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग (औ.नी.उ.वि.) से संबंधित अनुदान सं. 12 में तीन मामलें में संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' के अंतर्गत प्रावधान के संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल ₹149.99 करोड़ की नीधियॉ व्यय की गई थीं जिन्होंने नई सेवा/सेवा के नए उपकरण की सीमाओं को आकर्षित किया। **तालिका** 4.7 उप-शीर्षो का ब्यौरा देती हैं जहॉ संसद की पूर्व-स्वीकृति के बिना संवर्धन किया गया था जिसने न.से./से.न.सा. की सीमाओं को आकर्षित किया।.

तालिका 4.7: विषय शीर्ष आर्थिक सहायता के प्रावधान की वृद्धि

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग (औ.नी.उ.वि.)							
1.	2885.02.101.04.00.33 केन्द्रीय ब्याज आर्थिक सहायता योजना	-	-	-	-	17.88	17.88
2.	2885.02.101.10.00.33 पूँजीगत निवेश आर्थिक सहायता	-	-	-	-	131.65	131.65
3.	2885.02.101.05.00.33 उत्तर पूर्व हेतु व्यापक बीमा योजना	-	-	-	-	0.46	0.46
नोट: यद्यपि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 2552.00.238.07.00.33 पैकेज के अंतर्गत ₹149.99 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन बजट प्रभाग के दिनांक 14 सितम्बर 2005 के ज्ञा.का. सं. एफ.2(66)-बी(सी.डी.एन.)/2001 की शर्तों के अनुसार अपेक्षित रूप में गैर कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया था।							
	योग						**149.99**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552,* के अतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान जैसा कि अ.वि.मां. में दर्शाया गया, अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

औ.नी.सं.वि. बताया (जुलाई 2014) कि उत्तर पूर्व औद्योगिक निवेश एवं संवर्धन नीति (उ.पू.औ.नि.सं.नी.) के अंतर्गत आर्थिक सहायताओं हेतु एक-मुश्त प्रावधान के लिए मांग के अनुसार उ.पू.औ.नि.सं.नी. की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिना किसी ब्यौरे के गैर-कार्यात्मक शीर्ष 2552.00.238.07.00.33 में किया गया था जो वर्ष के दौरान परिपक्व होता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि औ.नी.सं.वि. ने अतीत में वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान डी.डी.जी. में स्पष्ट रूप से कार्यात्मक शीर्ष में गैर-कार्यात्मक शीर्ष के अंतर्गत योजना-वार ब्यौरा प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त विषय शीर्ष आर्थिक सहायताएँ के अंतर्गत बढ़ोतरी में संसद की पूर्व स्वीकृति की योजनावार विघटन का प्रकटीकरण आवश्यकता थी।

इस विषय को नि.म.ले.प. के 2014 के प्रतिवेदन सं.1 में भी दिखाया गया था, जहॉ आर्थिक सहायता के एकमुश्त प्रावधान को दो योजनाओं में वितरित किया गया था, फिर भी वित्तीय वर्ष 2013-14 में उसी को तीन योजनाओं में वितरित किया गया था।

औ. नी.सं.वि. ने (नवम्बर 2014) में भी बताया कि उसने उ.पू.औ.सं.नी. के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए पृथक रूप से निधियों के आबंटन का निर्णय लिया था जैसे-वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे पूंजी, ब्याज एवं भविष्य में बीमा, अधिमान्यत: आबंटित बजट के 70:20:10 के अनुपात में।

4.4.5 विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रति प्रावधान का संवर्धन

वित्त मंत्रालय ने नयी सेवा/सेवा के नए साधन से संबंधित वित्तीय सीमाओं पर दिशा निर्देश से संबंधित दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा.के संदर्भ में स्पष्ट किया (21 मई 2012 तथा 5 अक्तूबर 2012) के विषयशीर्ष '52-मशीनरी तथा उपकरण' एवं '53-मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत संवर्धन पर न.स./से.न.सा. के मामलों के संबंध में ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से दत्तमत्त विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक जो भी कम हो, की निधियों के संवर्धन से संबंधित सभी मामलों में संसद की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी, चाहे संवर्धन नए निर्माण कार्यों के लिए हो या मौजूदा निर्माणों के लिए।

विनियोग लेखे की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निम्न 60 मामलों में कुल ₹4,863.57 करोड़ की 11 अनुदान निधियों का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान संसद की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना संवर्धन किया था जिससे नयी सेवा/सेवा के नये साधनों की सीमाएं आकर्षित हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका 4.8: विषय शीर्ष 'मुख्य निर्माण-कार्य' तथा 'मशीनरी एवं उपकरण' के प्रावधान की वृद्धि

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अनुदान सं. 04-परमाणु ऊर्जा विभाग							
1.	4861.01.208.74.00.53 एच.डब्ल्यू.पी. के परिचालन में प्रणाली उन्नयन एवं एजिंग प्रबंधन	18.21	-	3.82	22.03	24.53	2.50
2.	4861.60.105.12.00.53 कलपक्कम में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा हेतु सहायता प्रणाली	0.35	-	-	0.35	0.41	0.06
3.	4861.60.202.44.00.53 अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं में संवर्धन	2.40	-	0.28	2.68	2.97	0.29

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
4.	4861.60.203.24.00.53 अवसंरचना सुविधाओं में संवर्धन कल्पक्कम	2.58	-	-	2.58	3.30	0.72
5.	4861.60.204.01.24.53 विकिरण एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	2.00	-	-	2.00	2.41	0.41
6.	5401.00.206.54.00.53 प्रविष्टि उपकरणों के साथ इंडस-2 में निष्पादन सुधार तथा विभिन्न उप प्रणाली का उन्नयन	0.10	-	0.05	0.15	0.45	0.30
7.	5401.00.206.67.00.53 उच्च ऊर्जा प्रोटोन लाइनेक आधारित स्पेलेशन न्यूट्रोन स्रोत हेतु अ.एवं वि. गतिविधियां	0.10	-	0.10	0.20	0.43	0.23
8.	4861.60.203.47.00.52 कलपक्कम में 2 एम.जी.डी.आर.ओ. अलवणीकरण संयंत्र	14.50	-	-	14.50	17.51	3.01
9.	5401.00.201.01.02.52 रिएक्टर विकास कार्यक्रम	0.50	-	0.30	0.80	1.20	0.40
10.	5401.00.201.92.00.52 अ. एवं वि. सुविधाएं	11.92	-	-	11.92	15.96	4.04
11.	5401.00.400.03.12.52 ए.एम.डी.-प्रयोगशालाएं एवं अन्य योजना नीतियां	1.05	-	-	1.05	1.55	0.50
अनुदान सं.09-नागरिक उड्डयन मंत्रालय							
12.	5053.80.001.01.01.53 महानिदेशक नागरिक उड्डयन	7.00	-	-	7.00	11.76	4.76
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि यह एक निरंतर चलने वाली परियोजना है, परंतु बजटीय प्रावधान में वृद्धि करने पर मई 2012 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।							
अनुदान सं.27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय							
13.	जल सेना-वायुयान एवं एयरो इंजन	6708.71	-	-	6708.71	7745.95	1037.24
14.	वायु सेना-वायुयान एवं एयरो इंजन	25539.59	-	-	25539.59	29069.00	3529.41
15.	वायु सेना-भारी एवं मध्यम वाहन	2.82	-	-	2.82	58.81	55.99

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि लघु शीर्ष 101- वायुयान एवं एयरो-इंजन के अंतर्गत मूल आवंटन अपरिवर्तीत रहा एवं कोई वृद्धि नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ये लघु शीर्ष 25 मई 2006 के वित्त मंत्रालय में उल्लिखित शीर्षों की सूची के अंतर्गत नहीं आते जिससे संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मंत्रालय का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2013-14 के रक्षा सेवा अनुमानों के अंतर्गत थलसेना, नौसेना एवं वायु सेना के लिए 'हवाई जहाजों एवं एयरो इंजन' के लिए अलग बजट लाइन है तथा वृद्धि के लिए वित्तीय सीमा प्रत्येक बजट लाइन के लिए पृथक रूप से लागू होता है। इसके अतिरिक्त 'वायु-यान एवं एयरो इंजन' एवं भारी एवं मध्यम वाहन के अंतर्गत सभी खरीददारी 'मशीनरी एवं उपकरण' की श्रेणी के अंतर्गत आती है, इस प्रकार की वित्तीय सीमाओं की वृद्धि वित्त मंत्रालय के 25 मई 2006 के का.ज्ञा.के विहित है जो समान रूप से रक्षा सेवाओं के लिए लागू होता है, सुरक्षा की दृष्टि से विचारणीय है। इस प्रकार, ₹4,622.64 करोड़ का व्यय प्राधिकृत प्रावधानों के बाहर किया गया जिसके लिए संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी।							
अनुदान सं. 53-गृह मंत्रालय							
16.	4059.80.201.03.00.53 मानव अधिकार आयोग	0.50	-	-	0.50	0.64	0.14
मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि अनुदान की उसी धारा के अंतर्गत उपलब्ध बचतों के आधार पर पुनर्विनियोग के माध्यम से ₹0.14 करोड़ की राशि का संवर्धन किया गया था तथा यह अनुमेय राशि के भीतर है। संवर्धन को सक्षम प्राधिकरण की स्वीकृति के साथ किया गया था तथा इसे अनुदानों हेतु अनुपूरक मांग के तीसरे एवं अंतिम बैच में संसद को सूचित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त मंत्रालय का.ज्ञा. 25 मई 2006 तथा बाद में उस पर जारी किए गए स्पष्टीकरणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य/मशीनरी एवं उपकरण' ₹2.5 करोड़ से अधिक के था पहले से वोट किए गए विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो, के अंतर्गत प्रावधान में संवर्धन हेतु संसद की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है।							
अनुदान सं.55- पुलिस							
17.	4055.00.212.10.02.52 दिल्ली पुलिस-नवीनतम तकनीक का अधिष्ठापन एवं क्षमता निर्माण	1.00	-	-	1.00	3.49	2.49
18.	4055.00.205.01.00.53 औद्योगिक सुरक्षा बल- कार्यालय भवन	60.98	-	-	60.98	63.74	2.76
19.	4055.00.205.02.00.53 औद्योगिक सुरक्षा बल- आवासीय भवन	34.12	-	-	34.12	37.04	2.92
20.	4055.00.212.09.01.53 दिल्ली पुलिस -यातायात एवं दिल्ली पुलिस के संचार संजाल का आधुनिकीकरण	4.00	-	-	4.00	4.96	0.96
21.	4055.00.201.02.00.53 आवासीय भवन	144.93	-	2.50	147.43	159.30	11.87
22.	4055.00.203.01.04.52 महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	26.62	-	-	26.62	142.86	116.24

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
23.	4055.00.214.01.03.53 सीमा प्रबंधन - भारत - बंग्लादेश सीमा कार्य	250.00	-	-	250.00	260.58	10.58
24.	4055.00.201.01.00.53 कार्यालय भवन	644.77	-	-	644.77	649.65	4.88
प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि एक मामले में टोकन अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, ब.अ.प्रावधान से अधिक के अतिरिक्त व्यय हेतु प्राधिकरण की अति आवश्यकता को देखते हुए सी.सु.ब. को जारी किया गया था तथा निधियों के पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी स्वीकृति के बारे में नहीं बताया था। अन्य सभी मामलों में, बुकिंग बाह्य अभिकरणों द्वारा की गई है।							
अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग							
25.	5252.00.203.03.00.52 इनसेट 4/जी-सेट उपग्रह	10.42	-	-	10.42	26.15	15.73
26.	5402.00.101.31.00.52 नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (ने.उ.प्र.)	30.88	-	-	30.88	42.53	11.65
27.	5402.00.283.07.00.53 केंद्रीय प्रबंधन	4.52	-	-	4.52	7.01	2.49
28.	3402.00.101.01.00.52 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अं.के.)	5.00	-	-	5.00	6.78	1.78
29.	5402.00.101.20.00.52 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान- जारी (पी.एल.एस.वी.सी.) परियोजना	7.00	-	-	7.00	8.25	1.25
30.	3402.00.101.02.00.52 इसरो अक्रिय प्रणाली इकाई	0.50	-	-	0.50	1.45	0.95
31.	5252.00.203.03.00.53 इनसेट- 4 /जी सैट उपग्रह	0.26	-	-	0.26	0.99	0.73
32.	5402.00.103.05.00.52 वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रम	1.00	-	-	1.00	1.62	0.62
33.	5402.00.102.06.00.53 आपदा प्रबंधन सहायता	0.83	-	-	0.83	1.37	0.54
34.	3402.00.101.25.00.52 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र- एस.एच.ए.आर.	0.13	-	-	0.13	0.37	0.24
35.	5402.00.101.35.00.52 मानवयुक्त मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम	0.25	-	-	0.25	0.42	0.17

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
अंतरिक्ष विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि दिनांक 21 मई 2012 के वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. में विषय शीर्ष 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत निधियों के संवर्धन के बारे में नहीं बताया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि दिनांक 25 मई 2006 के का.ज्ञा. तथा 21 मई 2012 एवं 5 अक्तूबर 2012 के बाद के स्पष्टीकरणों में स्पष्ट किया गया था कि 'नए कार्यों में' भूमि, भवन और/या मशीनरी शामिल हैं। विभाग ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य' के अंतर्गत संवर्धन सही नहीं था क्योंकि वह ₹2.5 करोड़ से अधिक की सीमा से ऊपर नहीं था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपरोक्त संदर्भित वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. एवं उसपर बाद में जारी किए गए स्पष्टीकरणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य'/'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत ₹2.5 करोड़ से अधिक अथवा पहले से वोट किए गए विनियोग के 10 प्रतिशत से अधिक, जो भी कम हो, के प्रावधान के संवर्धन हेतु संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु उपरोक्त मामलों में, संसदीय संस्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।							
अनुदान सं. 96- अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह							
36.	गृह मंत्रालय 4055.00.208.06.00.52 -- तटीय गार्ड सुरक्षा निगरानी योजना	0.48	-	-	0.48	0.67	0.19
37.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 5054.04.337.02.01.53 - ग्रामीण सड़क	7.00	-	-	7.00	9.45	2.45
38.	शहरी विकास मंत्रालय 4059.80.051.04.00.53-- सामान्य प्रशासन	11.15	-	-	11.15	13.54	2.39
39.	4216.01.106.05.00.53 – सामान्य पूल आवास- भवन	11.41	-	-	11.41	13.92	2.51
40.	4217.60.051.01.00.53 - पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में नान-रोड साइड ड्रेन का निर्माण	1.00	-	-	1.00	1.73	0.73
41.	4225.02.800.01.00.53-- भवन	0.13	-	-	0.13	1.07	0.94
42.	4801.06.800.01.00.53-- भवन	0.50	-	-	0.50	1.98	1.48
अनुदान सं. 98-दादरा एवं नागर हवेली							
43.	गृह मंत्रालय 4055.00.207.01.00.53 जिला पुलिस	1.00	-	-	1.00	3.15	2.15
44.	4055.00.208.01.00.53 भारतीय रिजर्व बटालियन	0.51	-	-	0.51	1.61	1.10
45.	4055.00.211.01.00.53 पुलिस आवास-भवन	0.51	-	-	0.51	1.01	0.50
46.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 4406.01.070.06.00.53 संचार एवं भवन निर्माण	3.01	-	-	3.01	5.02	2.01

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
47.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 4851.00.101.02.00.53 नई औद्योगिक संपदाओं का विकास	1.50	-	-	1.50	2.28	0.78
48.	शहरी विकास मंत्रालय 4216.01.106.05.00.53- सामान्य पूल आवास-भवन	1.30	-	-	1.30	2.79	1.49

दादर नागर हवेली के सं.शा.क्षे. प्रशासन ने बताया (फरवरी 2015) कि अन्य मुख्य शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से इन शीर्षों के अंतर्गत वृद्धि की गई थी वही विषय 'मुख्य कार्य' था। इसके अतिरिक्त बताया गया कि वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार 'नई सेवा/सेवा के नए साधन' के लिए विनियोग की प्राथमिक इकाई के लिए संदर्भ में वित्तीय सीमा का विनिश्चय होगा इसके अतिरिक्त उक्त निधियों की वृद्धि नए कार्यों के लिए नहीं थी बल्कि ब.अ. में शामिल पहले से चल रहे कार्यों के लिए थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय के प्रत्येक मद के लिए पृथक बजट लाइन था एवं प्रत्येक मद के लिए अनुमति पृथक रूप से संसद की स्वीकृति ली गई थी। वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. दिनांक 25 मई 2006 एवं अनुवर्ती स्पष्टीकरण दिनांक 21 मई 2012 के अनुरूप वित्तीय सीमा दोनों नए कार्यों एवं चल रहे कार्यों के लिए लागू थी।

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
अनुदान सं. 99-दमन एवं दीव							
49.	कृषि मंत्रालय 4401.00.800.12.00.53 भवन	0.70	-	-	0.70	1.20	0.50
50.	पर्यटन मंत्रालय 5452.01.103.01.00.52 पर्यटक परिवहन- दमन एवं दीव	0.20	-	-	0.20	0.27	0.07
51.	5452.01.103.01.00.53 पर्यटक परिवहन - दमन एवं दीव	7.18	-	-	7.18	8.20	1.02
52.	शहरी विकास मंत्रालय 4210.03.796.02.00.53 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत भवन का निर्माण	0.02	-	-	0.02	0.27	0.25
53.	4215.01.800.01.00.53 अन्य मदें	3.74	-	-	3.74	5.74	2.00
54.	4801.05.095.01.00.53 भवन- दमन एवं दीव	1.90	-	-	1.90	3.90	2.00
55.	4058.00.103.04.00.53 सरकारी प्रैस- निर्माण	0.05	-	-	0.05	0.08	0.03
56.	4059.80.052.02.00.52- क्रय	0.21	-	-	0.21	0.33	0.12
57.	जल संसाधन मंत्रालय 4711.02.103.01.00.53 समुद्री दीवारों का निर्माण	0.80	-	-	0.80	3.30	2.50
अनुदान सं. 101- शहरी विकास विभाग							
58.	4216.01.700.07.03.53 गृह मामले - भवन	0.30	-	-	0.30	0.45	0.15

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	ब.अ.*	उ.पू.*	अ.प्रा.*	कु.प्रा.*	कु.व्य.*	राशि
		(₹ करोड़ में)					
शहरी विकास मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि उसने शीर्ष 'मुख्य कार्य' के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन नहीं किया था। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के माध्यम से संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना इस विषय शीर्ष के अंतर्गत अधिक व्यय किया गया था।							
अनुदान सं. 102- सार्वजनिक कार्य							
59.	4059.80.051.07.01.53 'लेखापरीक्षा भवन'	75.00	-	-	75.00	77.86	2.86
60.	4059.80.051.10.01.53 'वित्त (राजस्व) भवन'	130.00	-	-	130.00	134.50	4.50
शहरी विकास मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि कार्य जिनके लिए व्यय किया गया था, वह पुराने एवं वर्तमान में चल रहे कार्य थे तथा नए कार्य नहीं थे। मंत्रालय का उत्तर वित्त मंत्रालय के दिनांक 21 मई 2012 के स्पष्टीकरण के अनुसार नहीं था, जिसमें बताया गया था कि चल रहे कार्यों पर भी वित्तीय सीमा लागू होती है।							
	योग						**4863.57**

* ब.अ.= बजट अनुदान उ.पू. = मु.शी. *2552/4552/6552,* के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास हेतु प्रावधान अ.प्रा. = अनुदानों की अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राप्त संसद का प्राधिकार/स्वीकृति, कु.प्रा. = कुल प्राधिकरण, कु.व्य. = कुल व्यय (वर्गीकृत सारांश/ई-लेखा डाटा डम्प के अनुसार)

4.5 प्रभारित व्यय का दत्तमत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112(3)(च) में यह व्यादेश देता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री को पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि को भारत की समेकित निधि पर प्रभारित किया जाएगा।

निम्नलिखित दो मामलों में, ₹124.26 करोड़ की राशि के प्रभार की प्रकृति व्यय को गलत रूप से वर्गीकृत किया गया था तथा संवैधानिक निर्देशों के उल्लंघन में 2013-14 के लिए विनियोग लेखे में प्रभारित व्यय के प्रति दत्तमत व्यय के रूप में बुक कर लिया गया।

तालिका 4.9: दत्तमत व्यय के रूप में प्रभारित व्यय का गलत वर्गीकरण

क्र.सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति	मंत्रालय का उत्तर
दत्तमत व्यय के रूप में प्रभारित व्यय का गलत वर्गीकरण				
1.	56-गृ.मं. के अन्य व्यय	1.21	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऐजवाल बेंच के आदेशों के अनुसरण में सुरक्षाबलों द्वारा अपनी भूमि के कब्जे हेतु भूमि मालिकों को किराए का मुआवजे के भुगतान हेतु मिजोरम सरकार को अनुदान जारी किए गए थे। व्यय को राजस्व प्रभारित भाग की बजाय राजस्व दत्तमत के अंतर्गत गलत रूप से बुक किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि जब अनुपूरक अनुदान समाप्त हो चुके थे तथा पुनर्विनियोग से मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त निधियां थीं तब राज्य सरकार से न्यायालय के आदेश प्राप्त किए गए थे। इसने आगे बताया कि ऐसी अत्यावश्यक तथा अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसे निर्गम स्वीकार किए जाते थे।
2.	97- चण्डीगढ़	123.05	माननीय जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के निर्णय के कारण भूमि मालिकों को वर्धित मुआवजे के भुगतान के प्रति व्यय को पूंजीगत प्रभारित भाग की बजाय पूंजीगत दत्तमत भाग के अंतर्गत बुक किया गया था तथा गलत प्रावधान प्राप्त किया गया था	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
	कुल	124.26		

4.6 पूंजी लेखे के बजाय राजस्व लेखे के अंतर्गत तथा प्रतिक्रम में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112(2) अनुबंधित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरणियां, अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग रखेंगी। तदनुसार राजस्व लेखे एवं पूंजीगत लेखे पर व्यय का वर्गीकरण करने हेतु सिद्धान्तों की अनुपालना की जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में राजस्व प्रकृति के व्यय के गलत वर्गीकरण के मामले पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में इंगित किए गए थे। फिर भी कुछ मंत्रालयों/विभागों ने गलत संसदीय प्राधिकरण प्राप्त करना जारी रखा जो अंतिम व्यय को दर्ज करने

में गलत वर्गीकरण का कारण बना जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.6.1 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8, विषय वर्ग छ: पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूंजीगत व्यय का अधिग्रहण जहाँ विषय शीर्ष यथा 51 से 56 तथा 60 से संबंधित है, को वर्गीकृत करता है। ये विषय शीर्ष[1] पूंजीगत प्रवृत्ति के व्यय की बुकिंग से संबंधित है, और इसलिए केवल पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ही उपयोग किया जाना चाहिए।

वर्ष 2013-14 हेतु ई-लेखा डाटा सहित शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उन मामलों को प्रकट किया जिनमें इन विषय शीर्षों का राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ उपयोग किया गया था जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है, यदि यह व्यय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण तथा अन्य पूंजीगत व्यय के प्रति किए जाते, इसका परिणाम पूंजीगत व्यय को ₹1,297.08 करोड़ तक कम बताए जाने में होता।

तालिका 4.10: पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	2401	51	0.01	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वि.व. 2014-15 से पूंजीगत भाग के अंतर्गत विषय शीर्षों '51-मोटरवाहन' तथा '52-मशीनरी एवं उपकरण' हेतु प्रावधान किया गया है।
2.		2401	52	0.31	
3.		2435	52	0.02	
4.	14- दूरसंचार विभाग	3275	51	0.11	विभाग ने बताया (सितम्बर 2014) कि मशीनरी उपकरण

[1] विषय शीर्षों के विवरण एवं वर्णन का संदर्भ **अनुबंध 4.1** में है।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
5.			52	1.40	एवं मोटर वाहन की टूट-फूट से संबंधित व्यय को पूर्व अभ्यास के अनुसार निधियों की बुकिंग/प्रावधान किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा संचालित विषय शीर्ष, टूट-फूट पर बुकिंग व्यय करने के लिए नहीं है।
6.	16- उपभोक्ता मामले विभाग	3425	52	0.02	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वर्ष 2014-15 से विषय शीर्ष के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण के अनुरक्षण की प्रकृति के व्यय की बुकिंग को बंद कर दिया गया है।
7.		3475	52	33.43	
8.	20- रक्षा मंत्रालय	2037 (कोड 041/14)	52	58.03	महानियंत्रक रक्षा लेखे (म.नि.र.ले.) ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विषयशीर्ष (2037.00. 102.06.01.52) को हटाने का मामला वि.व. 2015-16 से शुरू किया गया है।
9.		2075 (कोड 098/61)	53	6.79	म.नि.र.ले. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि कैंटीन स्टोर्स विभाग कार्यो एवं पूंजीगत व्यय अर्थात 2075.00108.01.01.27-लघु कार्य, 2075.00.108.01-01.53-मुख्य कार्य 4075.00.107.03.00.53- भूमि एवं भवन पर पूंजीगत परिव्यय-मुख्य कार्य एवं 4216.02.800.01.01.53 निर्माण हेतु पूंजीगत परिव्यय-लघु कार्य हेतु लेखे के चार शीर्षों को संचालित कर रहा था। विभिन्न कार्यो के अंतर्गत व्यय की बुकिंग को इन लेखों के शीर्षो में संकलित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूंजीगत वर्ग के विषय शीर्ष-'53' को राजस्व मुख्य शीर्षों के साथ संचालित नहीं किया जाना चाहिए।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
10.	28- उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	2052	52	0.01	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि मुद्दा पहले से ही उठाया गया है तथा आवश्यक सुधार किए गए हैं।
11.	33- आर्थिक मामले विभाग	3054	53	1102.45	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत 2014-15 हेतु बजट अनुमान लगाए गए थे।
12.	44- अप्रत्यक्ष कर	2037	52	14.23	वित्त मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2015) कि वर्ष 2014-15 हेतु अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में चित्रण में सुधार के लिए पहले ही कार्रवाई की गई है।
13.		2038	52	0.32	
14.	47- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210	51	0.01	विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि राजस्व भाग में डी.डी.ओ. ने असावधानी से आहरण चैक द्वारा व्यय को बुक किया गया था तथा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को न दोहराने के लिए उचित ध्यान रखा जाएगा।
15.		2210/ 2211	52	0.96	
16.	55- पुलिस	2055	52	0.48	प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि व्यय को गलती से इस शीर्ष के अंतर्गत बुक कर लिया गया था तथा विलम्बित स्तर पर इस गलती को नोट किया गया था। अतः, सुधार नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त यह भी बताया (अक्तूबर 2014) गया कि राजस्व प्रभाग में मुख्यशीर्ष 2055 के अंतर्गत विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' का उपयोग बंद कर दिया गया है।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
17.	62- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2230	52	2.24	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विगत कई वर्षों से गलत वर्गीकरण सामने आ रहा था। हालांकि, योजना को शीघ्र ही बंद कर दिया जाएगा।
18.	90-अंतरिक्ष विभाग	3252	52	0.21	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितम्बर 2014/दिसम्बर 2014) कि उसने 'व्यय की बुकिंग के सारांश' के मुद्दे के लिए एक समिति को गठित किया था।
19.		3402	52	18.50	
20.	91- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454	52	0.05	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014 एवं जनवरी 2015) कि व्यय की सही बुकिंग हेतु सभी प्रभागों को पहले से ही निवेदन किया गया था।
21.	104-जल संसाधन मंत्रालय	2701	51/52/53	22.80	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
22.		2702	51/52/53	29.40	
23.		2711	51/52	5.01	
24.		3075	52	0.29	
	कुल			**1297.08**	

व्यय आंकड़े स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प/समेकित सार

4.6.2 राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली,1978 (डी.एफ.पी.आर.) का नियम 8, आब्जेक्ट क्लास 6 व 7 के अंतर्गत आने वाले विषय शीर्षों के अतिरिक्त अन्य विषय शीर्षों को राजस्व के रूप में वर्गीकृत करता है। तदानुसार, इन विषय शीर्षों को सामान्यत: पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2013-14 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखों व ई-लेखा डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ऐसे कई मामले प्रकाश में आए जहॉ राजस्व प्रकृति के विषय शीर्षों को गलत प्रकार से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के साथ परिचालित किया गया था। यदि यह व्यय पूंजीगत परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं अन्य पूंजीगत मदों पर नहीं किया गया तो इस गलत वर्गीकरण का परिणाम संघ सरकार के राजस्व

व्यय को ₹1,253.55 करोड़ तक कम दर्शाए जाने में हुआ जैसा कि **तालिका 4.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11: राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
1.	04- परमाणु ऊर्जा विभाग	4861	27	56.17	विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि खारापानी (शीर्ष 4861.01) भारत सरकार की परिसंपत्ति होने के कारण, खारे पानी के उत्पादन में होने वाले सभी खर्चे पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। जहाँ तक परमाणु खनिज प्रभाग (शीर्ष 4861.02) का संबंध है, पूंजीगत कार्य के अंतर्गत मुख्य रूप से सर्वेक्षण करना तथा अस्थाई अवसंरचना प्रदान करके पूर्वेक्षण काम करना था और इसलिए यह 'लघु कार्यों' के अंतर्गत संचालित हुआ था। उत्तर को वि.रा.प्र.नि. के नियम 8 के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसके अनुसार श्रेणी 6 को छोड़कर संबंधित विषय शीर्ष को राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। विषय शीर्ष '27-लघु कार्य' को श्रेणी-3 में रखा गया है अत: इसलिए इसे पूंजीगत प्रभाग के अंतर्गत बुक नहीं किया जा सकता है।
2.	33-आर्थिक मामलों का विभाग	5465	32	250.00	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि इस मुद्दे को बजट प्रभाग के साथ परामर्श करके सुलझाया जाएगा तथा निर्णय को अलग से सूचित किया जाएगा।
3.		5475	50	0.02	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग से संबंधित मुद्दे की सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रकोष्ठ एवं बजट प्रभाग के साथ अलग से जांच की जाएगी।

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
4.	53- गृह मंत्रालय	4216	27	3.62	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि वित्त मंत्रालय की सलाह के साथ मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत राजस्व प्रभाग में दो नए लेखा शीर्ष अर्थात 'लघु कार्य' एवं 'कार्यालय व्यय' को शुरू करके अब कथित गलत वर्गीकरण में सुधार कर लिया गया है।
5.	55- पुलिस	4055	50	838.80	प्रधान लेखा कार्यालय, गृह मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के अंतर्गत श्रेणी 1 से 5 के विषय शीर्ष के उपयोग पर कोई रोक नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी.एफ.पी.आर. का नियम 8, श्रेणी 6 एवं 7 के अलावा अन्य विषय शीर्षों को राजस्व प्रकृति के रूप में वर्गीकृत करता है। तदनुसार, अन्य विषय शीर्ष सामान्य रूप से पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप नहीं होता है।
6.	88- पोत परिवहन मंत्रालय	5051	50	0.36	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
7.		5052	50	0.41	
8.		5051	01/06/ 11/13 20/26	7.00	मंत्रालय के लेखा कार्यालय के प्रधान मुख्य नियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2014) कि मुद्दे की जांच मंत्रालय द्वारा की गई थी तथा स्टाफ पर किए गए व्यय को राजस्व शीर्ष पर प्रभारित करने के लिए आवश्यक प्रावधान वर्ष 2014 -15 हेतु अनुदानों के लिए विस्तृत मांग में शीर्ष 3051 के अंतर्गत किया गया था।
9.	94- पर्यटन मंत्रालय	5452	28	2.00	पर्यटन मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि वह शीर्ष "पेशेवर सेवा" के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन सलाहकार पर व्यय की बुकिंग पर व्यय के मुद्दे को किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग के साथ जरूर उठाएगा।
10.	96- अंडमान एवं	4059	28	0.05	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
11.		4401	21	5.48	

क्र. सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	विषय शीर्ष	व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग/मंत्रालय का उत्तर
12.	निकोबार	4406	50	0.38	
13.		4801	50	0.55	
14.		4801	21	76.70	
15.		4801	43	0.63	
16.		5052	50	1.66	
17.		5452	50	3.38	
18.	104- जल संसाधन मंत्रालय	5075	01/03/06/11/13/20/43/50	6.34	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
	कुल योग			1253.55	

4.6.3 ₹450 करोड़ की राशि का पूंजी प्रभाग में व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण पर व्यय को गलत दर्ज किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 79 के साथ पठित सरकारी लेखांकन नियमावली, 1990 का नियम 31, अनुबंधित करता है कि स्थायी अथवा अल्पकालिक प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया किसी प्रकार का व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित संपित्त का स्वामित्व भी इसके सृजन पर हुए व्यय तथा अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वर्गीकृत किए जाने की अर्हता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास रहेगा।

इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 48 में संदर्भित परिशिष्ट 3 का पैरा 4 अनुबंधित करता है कि बजट में कोई एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा सिवाय उसके जहां आकस्मिक परिस्थिति से निपटने हेतु तुरंत उपाय प्रदान किए जाने हैं अथवा ऐसी परियोजना/योजना जिस पर प्रारंम्भिक व्ययों को पूरा करने हेतु एवं वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किए जाने हेतु मूल में स्वीकार किया गया है। वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.) का नियम 8 भी अनुबंधित करता है कि विषय शीर्ष '42- एक मुश्त प्रावधान' का उपयोग, योजनाओं, जिसके प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हों, के संबंध में व्यय को दर्ज करने हेतु किया जाना चाहिए।

वर्ष 2013-14 हेतु अनुदान सं. 33- आर्थिक कार्य विभाग के विनियोग लेखे के साथ समेकित सार एवं अनुदानों हेतु विस्तृत मांग की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (व्य.अं.वि.) के रूप में अवसंरचना परियोजनाओं

के लिए दी गयी सहायता को दर्शाने वाले ₹450 करोड़ के व्यय को अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में दर्ज किया गया था। चूंकि अवसंरचना के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (व्य.अ.वि.) के रूप में सहायता अनुदान स्वरूप, एक समय या आस्थगित, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के माध्यम से उन्हें व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से शुरू की गयी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऐसे व्यय को विषय शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के प्रति शीर्ष 5475- अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 12-अवसंरचना विकास व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण हेतु सहायता के तहत दर्ज करना ऊपर उल्लेखित नियमावली के विपरीत था। इस व्यय को अनुदान के राजस्व प्रभाग के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त, विषय शीर्ष '42-एक मुश्त प्रावधान' के तहत व्यय हेतु प्राप्त ₹678 करोड़ का प्रावधान मौजूदा निर्देशों के उल्लंघन में था, जो अनुबंधित करते हैं कि एक मुश्त प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में व्यय के अन्य विषयों के अनुसार विवरण दिया जाना चाहिए। मुद्दे को म.नि.ले.प. के 2013 एवं 2014 के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था, लेकिन उचित शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान को प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि यह वास्तविक रूप में क्लासिक पूंजीगत व्यय था; जहां पूंजीगत व्यय हेतु परिसंपत्ति सृजन होता यदि परियोजना व्यवहार्य होती, कंसेसियनर द्वारा वित्त पोषित होती, उसका पूंजीगत व्यय होता जिसे अनुदान के रूप में कंसेसियनर को दिया जाता। उसने आगे बताया कि सा.वि.नि. के साथ सरकार लेखांकन नियमावली यह परिकल्पित करता है कि स्थायी या आंतरिक प्रकृति की ठोस परिसंपत्ति के सृजन हेतु किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीगत परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। सृजित परिसम्पत्ति का स्वामित्व सरकार के पास होगा जो सृजन पर किया गया व्यय योग्य होगा एवं अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में वर्गीकृत किया जाएगा।

विभाग को संघ एवं राज्य के लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्षों जहां मद अर्थात व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है की सूची की समीक्षा करने के लिए श्री सी.आर. सुन्दरमूर्ती की अध्यक्षता के

अंतर्गत समिति की अनुशंसाओं के प्रकाश में अपने उत्तर पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि, यह प्रतिवेदन कार्यान्वयन हेतु सरकार के विचाराधीन है।

4.6.4 गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 79 अनुबंधित करता है कि अनुरक्षण, मरम्मत, रख-रखाव तथा कार्य चालन व्ययों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को क्रियात्मक स्थिति में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, और संगठन के दिन प्रति दिन परिचालन हेतु स्थापना एवं प्रशासनिक व्ययों सहित, किये गये सभी अन्य व्यय को भी, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ष 2013-14 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे के साथ-साथ ई-लेखा डाटा की लेखा परीक्षा संवीक्षा ने ऐसे कई मामले उद्घटित किये जहाँ राजस्व प्रकृति का व्यय, पूंजीगत व्यय के रूप में अथवा इसके प्रतिक्रम में वर्गीकृत किया गया था जो राजस्व व्यय के अधिक बताए जाने/कम बताए जाने तथा ₹1,263.24 करोड़ तक संघ सरकार के राजस्व घाटे पर भी प्रभाव होने में परिणत हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.12: अनुदान के विभिन्न प्रभागों के बीच गलत वर्गीकरण

क. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
	पूंजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण			
1.	11– वाणिज्य विभाग	108.50	विभाग ने फु.डि.वि.सं. (पटना, हैदराबाद एवं मध्य प्रदेश में गुना में) की नई शाखाओं की स्थापना तथा फु.डि.वि.सं. प्रशिक्षण केन्द्र (छिंदवारा) में विस्तार एवं उन्नयन हेतु फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (फु.डि.वि.सं.) को ₹108.50 करोड़ की राशि जारी की थी। इस राशि को अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत बुकिंग करने की बजाय विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य' (5453.80.800.10.01.53) के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के लेखे में बुक किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
2.		1.00	विभाग ने ₹1.00 करोड़ की राशि फु.डि.वि.सं. के कैंपस नेटवर्किंग केन्द्र (फु.डि.वि.सं.-कै.ने.के.) तथा चमड़े की उच्च गुणवत्ता केन्द्र इत्यादि की स्थापना हेतु जारी की, जिसे वस्तुएं राजस्व भाग में '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत बुकिंग की बजाए विषय शीर्ष 'मुख्य कार्य' (5453.80.800.10.02.53) के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग के लेखे में बुक की गई थी।	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
3.	14- दूरसंचार विभाग	211.51	विभाग ने वा.से.ने. (वायु सेना नेटवर्क) का भुगतान हेतु बैंडविडथ किराए पर लेने वाले प्रभारों के लिए बी.एस. एन. एल. को ₹211.51 करोड़ की राशि का भुगतान किया था तथा इसे गलत रूप से राजस्व मुख्य शीर्ष-3275 के अंतर्गत '28-पेशेवर सेवाएं' के विषय शीर्ष की बजाए पूंजीगत मुख्य शीर्ष-5275 के अंतर्गत विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत रूप से बुक किया गया था।	विभाग ने (फरवरी 2015) में बताया कि वित्त मंत्रालयने पूंजी से राजस्व में निधि के पुनर्विनियोग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि सा.वि.नि. में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण द्वारा उठाये गये गलत वर्गीकरण से संबंधित उत्तर नहीं है।

क. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
4.	33- आर्थिक मामलों का विभाग (आ.मा.वि.)	1.34	विषय शीर्ष '54-निवेश' (5466.00.205.02.00.54) के अंतर्गत अनुदान के पूंजीगत प्रभाग में अफ्रीकी विकास निधि को भारत सरकार द्वारा किए गए अंशदान को दर्शाने वाला व्यय बुक किया गया था। व्यय की प्रकृति अंशदान होने के कारण, इसे विषय शीर्ष '32-योगदान' के प्रति अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को 2014 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि राजस्व प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्ष '54' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग से संबंधित मामले का अलग से बहु पार्श्व संस्थान प्रभाग (ब.पा.) एवं बजट प्रभाग के साथ जांच की जाएगी। लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि विषय शीर्ष- '54' के अंतर्गत न करके राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष-'32' के अंतर्गत करना था।
5.		1000.00	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (रा.कौ.वि.नि.) की 'राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना' में किए गए व्यय को अनुदान (5465.01.190.24.03.54) के पूंजीगत प्रभाग में लेखे में बुक किया गया था। विभिन्न कौशलों के विकास हेतु देश के युवा को प्रेरित कर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए रा.कौ.वि.नि. को यह निधियां प्रदान की गई थीं ताकि उनकी रोजगार क्षमता तथा उत्पादकता को बढ़ावा दिया जा सके और न कि रा.कौ.वि.नि. की पूंजी में वृद्धि के लिए। विषय शीर्ष '32-योगदान' के प्रति अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत इस व्यय को उचित रूप से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	विभाग ने बताया (अक्तूबर 2014) कि डी.डी.जी. 2014-15 में अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत 'राष्ट्रीय कौशल प्रमाणीकरण एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना' के लिए प्रावधान किया गया है।

क. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
6.	85- विज्ञान एवं तकनीक विभाग	0.21	विभाग ने इमारत के अनुरक्षण के प्रति ₹0.21 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '27-लघु कार्य' के अंतर्गत बुक करने की बजाय विषय शीर्ष '53-मुख्य कार्य' के अंतर्गत पूंजीगत प्रभाग में गलत तरीके से बुक किया गया था।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि किसी भी विशिष्ट कोड शीर्ष (मुख्य/लघु) के अंतर्गत बजट के उपयोग को लेखा नियंत्रक/आई.एफ.डी. की सहमति से किया जा सकता है। लेखा नियंत्रक द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दे को सुधार लिया गया था।
7.		0.13	विभाग ने कम्प्यूटर टेबल, कम ऊँचाई के चेम्बर, कम ऊँचाई की अलमारी के प्रति ₹0.13 करोड़ का व्यय किया था तथा इसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '13-कार्यालय प्रभार' के अंतर्गत बुक करने की बजाय इसे पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '53-मुख्य कार्य' के अंतर्गत बुक किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2015)।
8.	88- पोत परिवहन मंत्रालय	55.98	मंत्रालय ने नये परिसर के निर्माण एवं विकास के लिए एक केन्द्रीय संस्थान, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (चेन्नई) को ₹55.98 करोड़ की राशि संवितरित की थी जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत वर्गीकृत करने की बजाय विषय शीर्ष '53- मुख्य कार्य' में पूंजीगत प्रभाग में बुक कर दिए गए थे।	मंत्रालय के लेखा कार्यालय के प्रधान मुख्य नियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2014) कि मंत्रालय में मुद्दे की जांच की जा रही थी तथा राजस्व मुख्य शीर्ष '3052' के अंतर्गत विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के प्रति 2014-15 हेतु अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में उचित प्रावधान किए गए थे।
9.	90- अंतरिक्ष विभाग	1.66	विभाग ने दूरसंचार विभाग को उनकी रिमोट सेंसिंग तकनीक के लिए लाइसेंस शुल्क एवं रॉयलटी के प्रति ₹1.66 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' की बजाय विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' तथा पूंजीगत प्रभाग में '52-मशीनरी एवं उपकरण' में गलत रूप से दर्ज किया गया था।	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 2014) कि उसने 'व्यय की बुकिंग पर

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
10.		0.23	विभाग ने एस-बैंड उच्च शक्ति एम्पलीफायर के अनुरक्षण प्रभारों के प्रति ₹0.23 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '27- लघु कार्यों' की बजाय पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '52- मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	सारांश' मुद्दे के लिए एक समिति का गठन किया था।
11.		8.89	विभाग ने विद्युत प्रभारों के प्रति ₹8.89 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '13- कार्यालय व्यय' की बजाय पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '60- अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	
12.		0.63	विभाग ने एन.ए.आर.एल. (एक स्वायत्त निकाय) को वायुमंडलीय विज्ञान परियोजना (वा.वि.प.) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान पर ₹0.63 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय-शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष- '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया है।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि ए.एस.पी. कार्यक्रम के विभिन्न इकाइयों/स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसलिए, इस परियोजना के अंतर्गत एन.ए.आर.एल. (इसके अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय) को पूंजीगत उपकरण के प्रापण के लिए जारी निधियों को अन्य पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी परियोजना/कार्यक्रम/योजना के अंतर्गत पूंजीगत उपकरण के प्रापण हेतु किसी बाहर के अभिकरण को सरकारी विभाग द्वारा जारी निधियों को विषय शीर्ष '35- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत दर्ज किया जाना आवश्यक है।

क. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
13.		80.77	विभाग ने नासा द्वारा प्रदत्त 'संविदात्मक उपग्रह ट्रैकिंग सेवाओं' के प्रति ₹80.77 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुदान के राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '30- अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाय पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष-'60- अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 2014) कि उसने 'व्यय की बुकिंग पर सारांश' के मुद्दे हेतु एक समिति का गठन किया है।
राजस्व प्रभाग की ₹1,470.85 करोड़ तक की न्यूनोक्ति				
	राजस्व व्यय के रूप में पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण			
1.	85- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1.03	विभाग ने राष्ट्रीय मध्यम परास मौसम पूर्वानुमान केंद्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.) के निर्माण हेतु नोएडा, यू.पी. में प्रापण की गई भूमि पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु शुल्क के प्रति ₹1.03 करोड़ का व्यय किया था जिसे अनुसंधान के पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '53-मुख्य कार्य' की बजाय विषय शीर्ष '14- किराया, दरों एवं करों' के अंतर्गत राजस्व प्रभाग में गलत रूप से दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि किराया करों के लिए भुगतान किया गया था तथा पट्टे के विस्तार से संबंधित राशि को नोएडा के सक्षम प्राधिकरण द्वारा माफ कर दिया गया था। इसलिए, किराया एवं दरों तथा पट्टे पर दी गई भूमि से संबंधित नोएडा प्राधिकरण द्वारा बढ़ाई गई राशि होते हुए भुगतान उचित रूप से किया गया था। संस्वीकृति में उल्लिखित उद्येश्य 'पट्टे हेतु' तथा और इसलिए उत्तर वास्वत में गलत है। इसके साथ, किया गया व्यय पूंजीगत प्रवृत्ति का था क्योंकि तब तक इमारत का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

क. सं.	अनुदान	राशि (₹करोड़ में)	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	मंत्रालय/विभाग का उत्तर
2.	90- अंतरिक्ष विभाग	198.14	अंतरिक्ष विभाग ने दिनांक 16 अप्रैल 2007 के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि एक वर्ष से अधिक के सेवाकाल (ऐसे उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवाओं समेत) वाले उपग्रहों के मामले में 'आपूर्तियों एवं सामग्री' तथा 'अन्य प्रभारों' पर हुआ व्यय 'अन्य पूंजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकरण योग्य है। हालांकि, ₹198.14 करोड़ के व्यय को वर्तमान के आदेशों के अनुसार पूंजीगत प्रभाग में '60-अन्य पूंजीगत व्यय' के अंतर्गत सही तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए, परंतु इसे राजस्व प्रभाग में विषय शीर्ष '21-आपूर्ति एवं सामग्री' तथा '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, विभाग ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 2014) कि 'व्यय को बुकिंग पर सारांश' के मुद्दे हेतु एक समिति को गठित किया था।
3.		8.44	उपकरण के अधिग्रहण (तीन मामले[2]) को पूंजीगत प्रभाग में विषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' की बजाय विषय शीर्ष '21-आपूर्ति एवं सामग्री' के अंतर्गत राजस्व प्रभाग में वर्गीकृत किया गया था।	
₹ 207.61 करोड़ तक का राजस्व व्यय का अधिकथन				
	समग्र प्रभाव: ₹ 1,263.24 करोड़ तक राजस्व व्यय को कम बताया गया था।			

इस प्रकार का गलत वर्गीकरण जवाबदेही को अप्रभावी कर देता है, और लेखांकन में पारदर्शिता, पूर्णता, समग्रता, स्थिरता तथा तुलनीयता प्राप्त करने के मूल उद्देश्य को विफल कर देता है और इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दोबारा न हो के लिए त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है।

गलत वर्गीकरण का प्रभाव:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(2) में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के सिद्धांतों का अनुपालन करने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचलन का प्रभाव सरकार के राजस्व घाटे के न्यूनोक्ति अथवा अधिकथन पर होता है।

[2] 3402.00.101.01.00.21, 3402.00.800.01.00.21, 3402.00.101.33.00.21

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में तथा प्रतिक्रम में गलत तरीके से वर्गीकरण का प्रभाव पूंजीगत व्यय के ₹3,174.40 करोड़ तक अधिकथन एवं पूंजीगत व्यय के ₹1,504.69 करोड़ के पूंजीगत व्यय न्यूनोक्ति में हुआ। सरकारी व्यय पर समग्र प्रभाव ₹1,669.71 करोड़ के पूंजीगत व्यय के अधिकथन में हुआ। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹1,669.71 करोड़ के बराबर राशि के राजस्व घाटे के अधिकथन में हुआ।

4.7 अनुदान/विनियोग के एक ही प्रभाग के भीतर गलत वर्गीकरण के अन्य मामले

4.7.1 भारतीय लोक लेखे की बजाय भारत की समेकित निधि के माध्यम से गलत लेन-देन पारित होना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 (1) एवं (2) प्रावधान करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राजकोषीय बिल जारी कर उगाहे गये सभी ऋणों अथवा अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त की गई समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे 'भारत की समेकित निधि' कहा जाएगा। इसके अलावा, उस सरकार की सामान्य प्राप्तियां एवं व्यय जो कि समेकित निधि से संबंधित हैं, कुछ अन्य अंतर सरकारी लेखे में प्रविष्ट किए जाते हैं जिसके संबंध में सरकार बैंकर/अंतरणकर्ता के रूप में कार्य करता है। अत: प्राप्त किए गए सार्वजनिक धन को लोक लेखे में रखा जाता है, तथा वहीं से संबंधित संवितरण भी किए जाते हैं।

कोयला मंत्रालय की वर्ष 2013-14 से संबंधित अनुदान सं.10 के संबंध में विनियोग लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कोल इण्डिया लिमिटेड (को.इ.लि.) द्वारा उनकी ओर से कोयले से समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु मंत्रालय के पास ₹761 करोड़ जमा किया गया था। कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु भारत की समेकित निधि से पूंजीगत शीर्ष 4803.00.800.01.00.54 में ₹761 करोड़ का व्यय किया था तथा व्यय को को.इ.लि. से प्राप्तियों के साथ पूरा किया गया था। चूंकि कोयला समृद्ध क्षेत्रों को को.इ.लि. द्वारा किए गए विशिष्ट जमा के प्रति प्राप्त किया गया था इसलिए लेन-देनों को भारत की समेकित निधि के माध्यम से

पारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे को 2013 एवं 2014 के म.नि.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में भी इंगित किया गया था।

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कोयला मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि भारत की समेकित निधि की बजाय लोक लेखे में व्यय की बुकिंग हेतु साधन प्रक्रियाधीन है।

उसी प्रकार, वर्ष 2013-14 हेतु विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं.76 की संवीक्षा से पता चला कि राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (रा.ता.वि.नि.) द्वारा उनकी ओर से कोयले से समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु मंत्रालय को ₹301.45 करोड़ की राशि जमा की थी जिसे लोक लेखे के माध्यम से जमा कार्य के रूप में अन्तरण को पारित करने की बजाय भारत की समेकित निधि से किए गए पूंजीगत व्यय की कटौती के रूप में माना जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि रा.ता.वि.नि. द्वारा प्रदत्त निधियों के प्रति व्यय किया गया था तथा वह कोयला मंत्रालय द्वारा रा.ता.वि.नि. को आवंटित कोयला खंड के संबंध में प्राप्त भूमि हेतु कोयला समृद्ध क्षेत्रों (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17 के अंतर्गत भूमि विस्थापितों को प्रतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित था, इसलिए भा.स.नि. से किसी प्रकार के निवल निर्गम के बिना विद्युत मंत्रालय के अनुदानों हेतु मांग के माध्यम से उपरोक्त व्यय किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अंतरण भारत के संविधान के वर्तमान प्रावधान के अनुरूप नहीं था, जो कि भारत के लोक लेखे के माध्यम से ऐसे लेनदेन की प्रक्रिया हेतु प्रदान करता है।

4.7.2 विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' का परिचालन न होना

व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, ने 1 अप्रैल 2011 से प्रभावी '36-सहायता अनुदान-वेतन' नए एक शीर्ष का प्रारंभ वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 8 के नीचे विषय श्रेणी-4 के अंतर्गत विषय शीर्षों की सूची में किया। वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उद्घटित किया कि इन विषय शीर्षों को निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 4.13: विषय शीर्ष 'सहायता-अनुदान वेतन' का परिचालन न होना'

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग के उत्तर
1.	12- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद (रा.उ.प्र.प.) दिनॉक 6 अक्तूबर 2004 की अधिसूचना के माध्यम से औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। (रा.उ.प्र.प.) के स्थापना व्ययों को विषय शीर्ष 01- वेतन, 03-समयोपरि भत्ता, 06- चिकित्सा उपचार, 13-कार्यालय व्यय, आदि के प्रति किए गए ₹2.40 करोड़ के व्यय को अनुदान के राजस्व वर्ग में उप-शीर्ष 2852.80.800.19-राष्ट्रीय उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के अंतर्गत दर्ज किया गया था। वेतन के संबंध में आवंटन/व्यय को विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। औ.नी.प्रो.वि. ने सा.वि.नि. के नियम 206 के प्रावधान को संदर्भित करते हुए बताया (सितम्बर 2014) कि रा.उ.प्र.प. अभी तक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी और इसलिए बजटीय प्रावधान को सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रदान नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों को देखते हुए रा.उ.प्र.प. को स्वयं को शीघ्रतिशीघ्र सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत करवाने का निर्देश दिया गया है। औ.नी.प्रो.वि. ने बताया (नवम्बर 2014) कि अगले वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के अंतर्गत परिषद को बजटीय आवंटन प्रदान किया जाएगा।
2.	14- दूरसंचार विभाग	विभाग ने टेलिमेटिक्स (सी-डॉट) के विकास हेतु केन्द्र को ₹224.25 करोड़ की राशि जारी की थी। प्राप्त किए गए कुल अनुदान में से, सी-डॉट द्वारा वेतन एवं बोनस के रूप में ₹126.44 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी। हालांकि, ₹224.25 करोड़ की संपूर्ण राशि को विभाग द्वारा विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' और '36-सहायता अनुदान-वेतन' में विभाजित करने की बजाय 'सहायता अनुदान-सामान्य' रूप में दर्ज की गई थी। विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि सी-डॉट द्वारा भुगतान किए गए वेतनों हेतु व्यय को समायोजित करने के लिए वर्ष 2015-16 हेतु डी.डी.जी. में एक नया विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन' खोला गया है।

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग के उत्तर
3.	15-इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	विभाग ने मीडिया लैब एशिया जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी है के राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस प्रभाग (रा.ई.ग.प्र.) में क्षमता निर्माण प्रबंधन प्रकोष्ठ हेतु ₹20.31 करोड़ के अनुदान जारी किए थे। इसमें से, रा.ई.ग.प्र. द्वारा वेतनों, मानदेय, साक्षात्कार व्यय आदि के भुगतान के प्रति ₹13.29 करोड़ का उपयोग किया गया था। तथापि, विभाग द्वारा ₹20.31 करोड़ की संपूर्ण राशि को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' एवं '36-सहायता अनुदान-वेतन' में विभाजित करने की बजाय सहायता अनुदान के रूप में दर्ज किया गया था। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' के विवरण के अनुसार, इस शीर्ष के अंतर्गत वेतनों के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी। यह भी बताया गया कि विभाग ने क्षमता निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन मुख्य रूप से राज्य ई-गर्वनेंस मिशन दलों (ई.ग.मि.द.) के कार्य हेतु रा.ई.ग.प्र. की ₹20.31 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया था तथा रा.ई.ग.प्र. द्वारा क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ के कार्यान्वयन एवं इस प्रकोष्ठ को आवंटित किए जाने वाले कार्यो के लिए आगे इन निधियों का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, जारी की गई निधियां वेतनों के भुगतान हेतु नहीं थी। तथापि, अनुदान का बहुत बड़ा हिस्सा वेतनों के भुगतान हेतु खर्च किया गया था इस प्रकार, व्यय के उचित प्रमाणन हेतु विषय शीर्ष '36-सहायता-अनुदान-वेतन' का संचालन आवश्यक है।
4.	18- कार्पोरेट मामला मंत्रालय	मंत्रालय ने वेतन के रूप में भारतीय कॉर्पोरेट मामला संस्थान (भा.कॉ.मा.सं.) को ₹2.37 करोड़ की अनुदान जारी किया था तथा इसे विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान वेतन' की बजाय लेखा शीर्ष 3475.00.800.79.00.31 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उसी प्रकार, वेतनों के भुगतान हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (भा.प्र.आ.) को ₹15.66 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था तथा इसे '36-सहायता अनुदान-वेतन' की बजाय लेखा शीर्ष 3451.00.090.05.06.31 'सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से भा.कॉ.मा.सं. एवं भा.प्र.आ. के लिए एक नया विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान वेतन' को सृजित किया गया है तथा वेतन हेतु अनुदान इस शीर्ष में जारी किए जा रहे हैं।

4.7.3 अनुदान के एक ही प्रभाग के अंतर्गत विषय शीर्षों में गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 का नियम 8 व्यय के वर्गीकरण के उद्देश्य हेतु विवरणों/परिभाषाओं के साथ विनियोग की मानक प्राथमिकता इकाई का निर्धारण करता है। इसके अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले कुछ विषय शीर्ष और व्यय के विवरण **अनुबंध-4.1** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 23 अनुदानों/विनियोगों में 48 मामलों में कुल ₹3,873.43 करोड़ की निधियों को विनियोजन की इन प्राथमिक इकाईयों अर्थात विषय शीर्षों में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, जिनका **तालिका 4.14** में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.14: अनुदान के उसी वर्ग में विषय शीर्षों के अंतर्गत गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	1.07	3401/50	विभाग ने विश्वविघालयों, अनुसंधान संस्थानों, संस्थानों एवं गैर-सरकारी संस्थानों की दी गई सहायता पर किए गए ₹1.07 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' की बजाय गलत रूप से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया था।	विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया गया था तथा ब.अ. 2014-15 से इसका अनुपालन किया जाएगा।
2.		8.98	3401/34	विभाग ने विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, संस्थाओं एवं गैर-सरकारी संस्थानों के लिए दी गई सहायता पर ₹8.98 करोड़ का व्यय किया था तथा इस राशि को विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' की बजाए विषय शीर्ष '34-छात्रवृति/वजीफा' के अतंर्गत दर्ज किया गया था।	
3.	07-उर्वरक विभाग	0.77	2852/50	बाह्य स्रोत कार्मिकों तथा परामर्शदाताओं को कार्यरत करने पर भुगतान हेतु ₹0.77 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाय विषय शीर्ष 50-'अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (नवम्बर 2014) कि लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को नोट कर लिया गया है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाह्य स्रोत कार्मिकों एवं परामर्शदाताओं को कार्यरत करने पर किए जाने वाले भुगतान को वित्तीय वर्ष 2015-16 से '28-व्यावसायिक सेवाओं' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
4.	10- कोयला मंत्रालय	7.00	2230/32	कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के प्रशासनिक प्रभारों पर ₹7.00 करोड़ तथा अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण, पर्यावरणीय उपायों एवं कम नियंत्रण,	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि विषय शीर्ष 'योगदान' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग से संबधित मामला नि.म.ले.प. के विचाराधीन

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
5.		260.20	2803/32	विस्तृत ड्रिलिंग उद्देश्यों पर ₹260.20 करोड़ का व्यय किया गया था तथा गलत रूप से विषय शीर्ष '32-योगदान' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। इस व्यय को कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्र के प्रति विशिष्ट सहायता होते हुए संबंधित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत सही तरीके से वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस मामले को 2014 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 में भी इंगित किया गया था।	है।
6.	11- वाणिज्य विभाग	38.37	3453/31	कोलकत्ता परिसर के निर्माण पर हुए व्यय करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (भा.वि.व्या.सं.) को ₹38.37 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया गया था तथा इसे विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की बजाय विषय शीर्ष "31-सहायता अनुदान-सामान्य" लेखे में दर्ज किया गया था।	विभाग के प्रधानलेखा कार्यालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि प्रशासनिक विभाग के परामर्श के साथ 2015-16 के अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में लेखे के सही विषय शीर्ष में दर्शाया जाएगा।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
7.	12-औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	1.76	2070/50	बाह्य विशेषज्ञों के लिए परामर्शी शुल्क पर ₹0.22 करोड़ तथा डाटाकॉम उपयोग प्रभारों, बी.एस.एन.एल. की पट्टे पर दी गई लाइनों के किराए के प्रभारों पर ₹1.54 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत लेखे में गलत तरीके से दर्ज किया गया था। इन मामलों में परामर्शी शुल्क पर व्यय हेतु '28 व्यावसायिक सेवाओं' तथा डाटाकॉम उपयोग प्रभार, बी.एस.एन.एल आदि की पट्टे पर दी गई लाइनों पर हुए किराए प्रभार आदि पर हुए व्यय हेतु '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।	औ.नी.प्रो.वि. ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में बताया (सितम्बर 2014) कि केवल 'अन्य प्रभार' विषय शीर्ष 2070.00.117.01.04.50 उपलब्ध था तथा 'अन्य' सृजित नहीं थे। तब से वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु विषय शीर्ष 'कार्यालय व्यय' 'व्यावसायिक सेवाएं' सृजित किया गया था और इसलिए उन्हीं विसंगतियों को दोहराया नही जाएगा।
8.	13-डाक (डाक सेवाएं) विभाग	12.51	3201/50	विभाग ने पोस्ट कार्ड एवं लिफाफों की उत्पादन लागत आई.पी.ओ. के मुद्रण तथा वाहन एवं टिकटों के भाड़ा प्रभारों तथा डाक स्टेशनरी की लागत के भुगतान के प्रति ₹12.51 करोड़ का व्यय किया था जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किए गए थे।	
9.		1.22	3201/13	विभाग ने प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु ₹1.22 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '26-विज्ञान एवं प्रचार' की बजाय विषय शीर्ष '13-कार्यालय व्यय' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	
10.		0.13	3201/50	विभाग ने डाक-टिकट संग्रहण के प्रोत्साहन हेतु संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं के आयोजन पर ₹0.13 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '20- अन्य प्रशासनिक प्रभार' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
11.		1.22	3201/50	विभाग ने विज्ञापन एवं प्रचार पर हुए ₹1.22 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '26-विज्ञापन एवं प्रचार' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि अभ्युक्तियों को भावी मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।
12.		0.70	3201/20	विभाग ने राष्ट्रीय डाक-टिकट संग्रहण संग्राहलय/डाक-टिकट संग्रहण ब्यूरो/डाक टिकट संग्रहण काउंटर के उन्नयन एवं अनुरक्षण पर किए गए ₹0.70 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '27-लघु कार्य' की बजाय विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।	
13.		0.46	3201/50	विभाग ने मनोरंजन क्लबों के लिए अनुदान पर ₹0.46 करोड़ का व्यय किया जो विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया।	
14.		19.74	3201/50	विभाग ने केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (के.स.स्व.यो.) के प्रति ₹19.74 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया।	
15.		2.73	3201/50	विभाग ने विशेष स्मारक डाक टिकटों के मुद्रण पर ₹2.73 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवा' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
16.	14-दूरसंचार विभाग	0.19	3451/32	विभाग ने दूरसंचार कल्याण निधि में ₹0.19 करोड़ राशि का अनुदान जारी किया और उसको विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' की बजाय '32-अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया।	विभाग ने बताया (फरवरी 2015) के वर्ष 2014-15 के लिए डी डी जी में लेखा शीर्ष 3451.00.091.07.01.31- सहयता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत पहले से ही ब.अ./सं.अ. 2014-15 के प्रावधान बना लिए गए है।
17.		2163.45	3275/50	विभाग ने बी एस एन एल, बी बी एन एल तथा अन्य दूर संचार सेवा प्रदाता (दू.से.प्र.) को आर्थिक सहायता दावों के निपटान के रूप में ₹2163.45 करोड़ राशि के व्यय को विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' की बजाय विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया।	विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि वर्ष 2015-16 के लिए डी डी जी में लेखा शीर्ष 3275.00.103.01.00 के अंतर्गत एक नया विषय शीर्ष '33-आर्थिक सहायता' खोला गया है।
18.		0.12	3451/50	विभाग ने विस्तृत अनुदान मांग तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन हेतु भारत सरकार के मुद्रणालय आई एस पी (नासिक) तथा प्राइवेट पैसा को भुगतान के रूप में ₹0.12 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '16-प्रकाशन' की बजाय विषयशीर्ष '50-अन्य प्रभारों' के अंतर्गत दर्ज किया।	विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि वर्ष 2015-16 के लिए डी डी जी में लेखाशीर्ष 3451.00.091.08.04 तथा 3451.00.91.08.05 के अंतर्गत एक नया विषय शीर्ष '16-प्रकाशन' खोला गया है।
19.	15-इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1.09	2852/50	विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए मै.गार्टनर इंडिया रिसर्च तथा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को अंशदान के रूप में ₹96.77 लाख तथा ई एस सी ए पी/एपी सी आई सी टी (यूनिसकेप के क्षेत्रीय संस्थान) को भारत के अंशदान के प्रति किए गए ₹12.52 लाख के व्यय को विषय शीर्ष '32- अंशदान' की बजाय विषय शीर्ष '50- अन्य प्रभारो' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) वर्ष 2014-15 के लिए डी डी जी में लेखा परीक्षा की सिफारिश का पालन कर लिया गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय एंजेसियों की सेवाएं लेने के लिए सदस्यता शुल्क को वि.व 2014-15 के दौरान विषय शीर्ष '32- अंशदान' के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
20.	18- कॉरपोरेट मामले मंत्रालय	36.78	3451/50	मंत्रालय ने विषय शीर्ष-50-अन्य प्रभारों के अंतर्गत आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग पर ₹36.78 करोड़ का व्यय दर्ज किया। सेवा सुपुर्दगी परियोजना जिसके अंतर्गत सेवा प्रदाता को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्किंग आदि तथा दी गई सेवा के लिए अग्रिम निवेश करना अपेक्षित है, के संघटकों की गतिविधियों में से एक थी। व्यय को विषय शीर्ष-13-कार्यालय खर्चें तथा 28-व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत पृथक करके वर्गीकृत करना चाहिए था।	मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2014) कि विषय शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाओं' के अंतर्गत खर्चे दर्ज करने में आवश्यक संशोधन वर्ष 2015-16 से किए जाएगें। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मदों पर व्यय को भी '13- कार्यालय व्यय' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मंत्रालय ने बल दिया (अक्टूबर 2014) कि ई.गवर्नेंस के मिशन मोड परियोजना जिसके द्वारा सेवा प्रदाता को बी.ओ.टी (निर्माण-संचालन-हस्तांतरण) मॉडल में सेवाएं प्रदान करने के लिए बजट शीर्ष आधुनिकीकरण कम्प्यूटीकरण, तथा नेटवर्किंग बनाया गया था। परियोजना के लिए आधिप्राप्त कोई हार्ड वेयर उस सेवा स्मारक की सम्पत्ति रही। केवल जनवरी 2013 में परियोजना के समाप्ति चक्र में परिसम्पत्तियों को मंत्रालय द्वारा नए सेवा स्मारक को अगले छः वर्षों के लिए उपयोग करने हेतु ले लिया गया था। वास्तव में नए सेवा प्रदाता की अधिकतर हार्डवेयर को तकनीकी रूप से अप्रचलित होने के कारण बदलने की आशा है। मंत्रालय का तर्क विषय शीर्ष 13-कार्यालय व्यय के अंतर्गत हार्डवेयर मदों पर व्यय करने को वर्गीकृत करने के लिए इसको प्रतिबाधित नहीं करता। चूँकि विषय शीर्ष 28-व्यावसायिक सेवाओं की परिभाषा वर्तमान नियमों के अनुसार सुस्पष्ट है तथा इसमें इन मदों पर किया गया व्यय शामिल नहीं होता है।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
21.	28-उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	3.00	3601/28	मंत्रालय ने मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकार को अंतरण के अंतर्गत ₹3.00 करोड़ के अनुदान जारी किए जिसको अनुदान हेतु निमित विषय शीर्ष की बजाय विषय शीर्ष 28-व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत गलत दर्ज किया गया था।	उत्तर प्रतीक्षित है(फरवरी 2015)
22.	33-आर्थिक कार्य विभाग	12.50	3475/31	एन.सी.ए.ई.आर परिसर के निर्माण के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (रा.प्रा.आ.अ.प.) को ₹12.50 करोड़ का अनुदान संवितरित किया गया जिसको पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु विषय शीर्ष 35 की बजाय विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान- सामान्य' के अन्तर्गत राजस्व भाग के अंतर्गत लेखे में दर्ज किया गया था।	विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि व्यय, कर्जों को सहायता अनुदान में परिवर्तन करने के कारण था तथा राशि को 2013-14 के दौरान विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान- सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। सामान्य तथा अनुदान का उद्देश्य संगठन से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति, जो वर्ष में अक्सर देर से होती है, के पश्चात् ही स्पष्ट होता है। तथापि भविष्य में विषय शीर्ष-'35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु संचालित किया जाएगा। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार कर लिया है (जनवरी 2015)।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
23.	47-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	16.00	2210/32	मंत्रालय ने गरीब रोगियों को सहायता देने के लिए विभिन्न सरकारी अस्पतालो को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के प्रति ₹16.00 करोड़ का व्यय दर्ज किया जिसको विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान सामान्य' की बजाय विषय शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत गलत रूप से दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि व्यय का वर्गाकरण योजना की प्रकृति जिसके अंतर्गत गरीब लोगो की गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए राशि दी गई थी, पर विचार करते हुए उपयुक्त होना प्रतीत होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय सहायता को उपयुक्त रूप से सहायता अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। विषय शीर्ष 32-अंशदान को भारत सरकार द्वारा सदस्यता शुल्क अथवा अन्यथा के रूप में दिए गए अंशदान को दर्ज करने के लिए अधिक उपयुक्त रूप से प्रयोग करना होता है।
24.	54-मंत्रिमंडल	183.30	2013/12	वायुयान के अनुरक्षण पर किया गया ₹183.30 करोड़ का व्यय गलत रूप से विषय शीर्ष '12-विदेशी यात्रा व्यय' (वि.या.व्य.) के अंतर्गत दर्ज किया गया था। चूँकि व्यय की प्रकृति वायुयान के अनुरक्षण की है, वह 12-वि.या.व्य. के अंतर्गत पंजीकृत होने का पात्र नहीं है तथा इसका सही शीर्ष-50-अन्य प्रभार प्रतीत होता है। इसको नि.म.ले.प. के 2014 के प्रतिवेदन सं. 1 में भी इंगित किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि सही विषय शीर्ष अर्थात '50-अन्य प्रभार' को वर्ष 2014-15 में डी डी जी में समाविष्ट किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
25.	55- पुलिस	731.94	3601/31	60 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ₹731.94 करोड़ की राशि विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय विषय शीर्ष 31-सहायता अनुदान-सामान्य के अंतर्गत संस्वीकृत की गई थी जिसके ब्यौरे **अनुबंध 4.2** में दिए गए है।	गृह मंत्रालय के प्रधानलेखा कार्यालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि बजट अनुभाग के पास विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों को दिए जा रहे अनुदानों के अंतिम अभीष्ट उद्देश्यों पर कोई सूचना उपलब्ध नही होती। तथापि संबधित प्रभागों के साथ मामला उठाया गया था।
26.	57-सं.रा.क्षे. सरकारों को अंतरण	255.67	3602/31	गृह मंत्रालय ने जवाहर लाल नेहरू शहरी ग्रामीण मिशन (ज.ने.श.ग्रा.मि)/शहरी गरीब लोगो को मूलभूत सेवाएं (श.ग.मू.से.) देने की योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं जैसे सीवर परिशोधन संयंत्र ट्रंक सीवर का पुनर्वास, झुग्गी-बस्तियों के पुनर्वास पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के कार्यान्वयन हेतु सं.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को ₹255.67 करोड़ की निधियां/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की। समस्त राशि विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान- सामान्य' के अंतर्गत दर्ज की गई थी।	मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था।
27.	58-आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2.38	2215/31	मिजोरम में नाथ्थियल में झुग्गी क्षेत्र विकास के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) नई दिल्ली को जारी किए गए ₹2.38 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पति के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान- सामान्य' में गलत दर्ज किया गया था।	मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि अभ्युक्ति को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया था तथा ऐसे खर्चों को विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान' के अनुसार वर्गीकरण का सुझाव दिया गया था। इसका वर्ष 2015-16 के डी.डी.जी. में स्पष्टत: उल्लेख किया जाएगा।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
28.		22.58	2216/31	त्रिपुरा में शहरी गरीबों के लिए आवास योजना तथा निष्कासित फेरीवालों के पुनर्वास हेतु शॉपिंग सेन्टर तथा असम में विक्रेताओं के पुनर्वास हेतु बाजार परिसर के निर्माण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (रा.भ.नि.नि.) नई दिल्ली को जारी किया गया ₹22.58 करोड़ का व्यय विषय शीर्ष '35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' की बजाय विषय शीर्ष '31- सहायता अनुदान- सामान्य' के अंतर्गत दर्ज किया गया है।	
29.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय (सू.ल.एवं म.उ.म.)	10.78	2851/20	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.एवं ग्रा.उ.आ.) को यातायात व्ययों तथा आकस्मिक व्ययों के भुगतान को पूरा करने हेतु जारी ₹10.78 करोड़ के सहायता अनुदान को, अनुदान के राजस्व खंड में विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान' के अंतर्गत वर्गीकृत करने की बजाए विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत लेखों में बुक कर दिया गया।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर/नवम्बर 2014) कि विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत यात्रा तथा आकस्मिकता हेतु बजट प्रावधान को 2014-15 के अनुपूरक अनुदान के प्रथम बैच में विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान' स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
30.		0.56	2851/50	सू.ल.एवं म.उ. विकास संस्थान के जरिए योग्यता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु ₹0.56 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '20-अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत व्यय के वर्गीकरण की बजाए विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत लेखों में बुक किया गया।	मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि बी.ई. 2014-15 विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) ने 'अन्य प्रभार' के स्थान पर 'अन्य प्रशासनिक व्यय' के अंतर्गत निधियों का आवंटन किया।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
31.		4.42	2851/32	मंत्रालय ने अंतराष्ट्रीय सहकारी स्कीम (अ.स.स्कीम) के अंतर्गत ₹4.42 करोड़ की राशि जारी की तथा उसे विषय शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत बुक किया। चूंकि स्कीम की गतिविधियों में भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों की तकनीकी प्रोन्नति के नये क्षेत्रों की खोज के लिए अन्य देशों को भेजे गए मू.ल.म.उ. के व्यावसायिक प्रतिनिधि मंडलों की प्रतिनियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनिकों, व्यापार मेले, सेमिनार तथा सम्मेलन सम्मिलित हैं। यह व्यय सही तौर से विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	मंत्रालय ने बताया (मार्च 2015) कि '32-अंशदान' की बजाए विषय क्षेत्र '31-सहायता अनुदान-सामान्य' के अंतर्गत आई.सी.स्कीम से संबंधित व्यय की बुकिग के लिए लेखा अनुभाग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था।
32.	70- प्रवासीय भारतीय कार्य मंत्रालय	3.58	2061/50	मंत्रालय ने इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन (आई.डी.एफ.) तथा ओवरसीस इंडियन फेसिलिएशन सैंटर (ओ.आई.एफ.सी.) के लिए अनुदान के रूप में ₹3.58 करोड़ का व्यय किया जिसे अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षो की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50 अन्य प्रभार' में बुक कर दिया।	मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि आई.डी.एफ. तथा ओ.आई. एफ.सी. को जारी निधियॉ, प्रचालन व्यय थीं तथा मंत्रालय के विकास कार्यक्रमों/गतिविधियों को चलाने के लिए थीं तथा विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान' एवं '36- सहायता अनुदान - वेतन' के अंतर्गत आई.डी.एफ. तथा ओ.आई.एफ.सी. से संबंधित अनुदानों/निधियों की बुकिंग हेतु नये शीर्ष खोलने के प्रस्ताव किया गया था।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
33.	74- पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	1.00	3451/28	अंतराष्ट्रीय ऊर्जा फोरम सचिवालय, सऊदी अरेबिया को भारतीय सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिए ₹1.00 करोड़ के व्यय को विषय शीर्ष '32-अशदान' की बजाए गलती से '28-व्यावसायिक सेवाएं' के अंतर्गत लेखों में बुक कर दिया गया। इस मामले केा वर्ष 2014 के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 में भी इंगित किया गया। 2013-14 के दौरान संस्वीकृत व्यय को प्रारंभ में विषय शीर्ष '32-अशदान' के अंतर्गत व्यय को डेबिट करने हेतु जारी किया गया था। तथापि, मंत्रालय द्वारा जारी धन को टोकन अनुपूरक की गैर-प्राप्ति के कारण संचालित नहीं किया जा सका। संस्वीकृति आदेश का एक शुद्धि-पत्र, विषय शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' में व्यय को डेबिट करने हेतु 31 मार्च 2014 को जारी किया गया। इस प्रकार ₹1.00 करोड़ के व्यय को गलती से विषय शीर्ष '28-व्यवसायिक सेवाएं' में वर्गीकृत किया गया।	मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि प्रावधान 2014-15 में विषय शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत बनाया गया है।
34.	85-विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	1.32	3425/31	विभाग ने तकनीकी विकास बोर्ड (एक स्वायत्त निकाय) की ₹13.50 करोड़ की राशि के अनुदान दिए जिसमें ₹0.11 करोड़ स्थायी कर्मचारियों के वेतन के लिए और ₹1.21 करोड़ अन्य कर्मचारियों के वेतन के लिए था जिन्हें पृथक करके क्रमश: विषय शीर्ष '36-सहायता अनुदान-वेतन', तथा '28-व्यवसायिक सेवाएं' के अनुदान' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य' में बुक कर दिया गया।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
35.	90- अंतरिक्ष विभाग	0.38	5402/60	पी.ए.ओ. आई.एस.आर.ओ. मुख्यालय द्वारा प्राप्त पूंजीगत उपस्कर (ऑटोमेटिड वैदर स्टेशन की स्थापना) तथा पी.ए.ओ.-आईएस.टी.आर.ए.सी. द्वारा प्राप्त मशीनरी एवं उपकरण क्रमश: ₹14 लाख तथा ₹24 लाख की राशि को बिषय शीर्ष '52-मशीनरी एवं उपकरण' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '60-अन्य पूंजीगत व्यय' में बुक कर दिया गया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014), इसने व्यय की बुकिंग पर निर्देशिका जारी करने के लिए एक समिति बनाई थी।
36.		1.40	3402/21	विभाग ने ₹1.40 करोड़ की राशि को विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया जिसे बाद में स्थानांतरण प्रविष्टि सं. 6359 (26 मार्च 2014) द्वारा (आई.सी.एफ. लेखे) के तहत विषय शीर्ष '21-आपूर्ति एवं सामग्री' में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत पर्याप्त बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं था।	
37.		0.49	3402/50	विभाग ने आई.पी.आर. परामर्श सेवाओं पर ₹0.49 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '28-व्यावसायिक सेवाओं' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' में बुक कर दिया।	
38.		0.12	3402/50	विभाग ने वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों (वा.अनु.प्र.) पर ₹0.12 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '27-लघु कार्य' में बुक कर दिया।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
39.		1.70	3402/50	विभाग ने सैंटर फोर स्पेस एंड टेक्नोंलोजी एजुकेशन इन एशिया एंड पैसिफिक (सी.एस.एस.टी.ई.ए.पी.) को दिए अंशदान पर ₹1.70 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '32-अंशदान' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' में बुक कर दिया।	
40.		5.05	3402/50	विभाग ने सार्क मीटरोलोजिकल रिसर्च सैंटर (एस.एम.आ.सी.), ढाका को दिए गए अंशदान पर ₹5.05 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '32-अंशदान' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक कर दिया।	
41.		0.94	3402/50	विभाग ने संविदात्मक सेवाओं पर ₹0.94 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाए गलती से विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक कर दिया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014), इसने 'व्यय की बुकिंग पर संक्षेप' को जारी करने के लिए एक समिति बनाई थी।
42.		5.38	3402/ 13,20, 27 तथा 50	विभाग ने पी.ए.ओ.- बीएस.एस.सी. (सी) आई.एस. ए.सी. (सी) आई.एस.आर.ओ. मुख्या तथा आई.एस.टी.आर.ए.सी. को दी सहायता पर ₹5.38 करोड़ का व्यय किया जिसे विषय शीर्ष 33-आर्थिक सहायता की बजाए गलती से विभिन्न विषय शीर्षों के अंतर्गत बुक कर दिया।	
43.		18.01	3402/ 27, 50	विभाग ने 'संविदात्मक सैटेलाइट ट्रैनिंग सेवाओं पर' ₹18.01 करोड़ का व्यय किया; जिसमें से से ₹16.65 करोड़ तथा ₹1.36 करोड़ को विषय शीर्ष '30-अन्य संविदात्मक सेवाओं' की बजाए गलती से क्रमश: विषय शीर्ष '50-अन्य प्रभार' तथा '27-लघु कार्य' में बुक कर दिया।	

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
44.		3.13	3402/50	विभाग ने फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी (पी.आर.एल.) अहमदाबाद (एक स्वायत्त निकाय) के अनुदान पर ₹3.13 करोड़ का व्यय किया जिसे गलती से, अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों की बजाए विषय शीर्ष- '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया गया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014) इसरो भूमंडल जैवमंडल परियोजना (आई.जी.बी.पी.) अपने अंतर्गत आने वाली विभिन्न इकाईयों/स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। अत: इस परियोजना के अंतर्गत अपने स्वायत्त निकायों को जारी निधियों को सहायता अनुदान के रूप में समझा जा सकता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकारी विभाग द्वारा किसी स्वायत्त निकाय अथवा किसी बाह्य एजेंसी को परियोजना/कार्यक्रम/स्कीम के लिए जारी निधियों को अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों के अंतर्गत बुक करना अपेक्षित है।
45.		2.91	3402/50	विभाग ने विभिन्न केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों संस्थानों के अनुदानों पर ₹2.91 करोड़ का व्यय किया जिसे गलती से अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों की बजाए विषय शीर्ष- '50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया गया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014), इसने 'व्यय की बुकिग पर निर्देशिका' हेतु एक समिति बनाई थी।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
46.		5.30	3402/50	विभाग ने एटमॉसफिरिक साइंस प्रौजेक्ट (ए.सा.प्रौ.) के अंतर्गत नेशनल एटमोस्फटिक रिसर्च लैबेरेटरी (ने.ए.रि.लै.) तथा सेमी-कंडक्टर लैबोरेटरी (से.कं.ले.) (दोनों स्वायत्त निकाय) को दिए अनुदानों पर क्रमश: ₹4.30 करोड़ तथा ₹1.00 करोड़ का व्यय किया जिन्हें गलती से अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों की बजाए विषय शीर्ष -'50-अन्य प्रभार' के अंतर्गत बुक किया गया।	विभाग ने कहा (दिसम्बर 2014) ए.सा.प्रौ.को इसके अंतर्गत विभिन्न इकाईयों/स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए इन प्रौजेक्ट के अंतर्गत स्वायत्त निकायों को जारी निधियों को सहायता अनुदान नहीं समझा जा सकता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकारी विभागों द्वारा किसी स्वायत्त निकाय अथवा किसी बाह्य एजेंसी को परियोजना/कार्यक्रम/स्कीम के लिए जारी निधियों को अनुदानों के लिए बने विषय शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध करना अपेक्षित है।
47.	93-वस्त्र मंत्रालय	17.87	2852/31	राय बरेली, उत्तर प्रदेश के एन.आई.एफ.टी. केन्द्र पर प्रशिक्षण केन्द्र तथा आवासीय होस्टल के निर्माण हेतु मैसर्स आई.टी.आई.लि. को जारी राशि को विषय शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत व्यय के वर्गीकरण की बजाए गलती से विषय शीर्ष '31-सामान्य सहायता अनुदान' में लेखाबद्ध कर दिया गया।	मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि मामले को संबंधित प्रशासनिक डिविजन से उठाया जा रहा था।

क्र. सं.	अनुदान	राशि (₹ करोड़ में)	डेबिट किया गया मुख्य विषय शीर्ष	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	उत्तर/खंडन
48.	102-सार्वजनिक निर्माण कार्य	3.23	2059/53	गणतंत्र दिवस समारोह के प्रबंधनों पर तथा उन कार्यों की मदों पर किया गया व्यय जिसने परिणामस्वरूप स्थायी प्रकृति की परिसंपत्ति का सृजन नहीं किया था, विषय शीर्ष '53 मुख्य कार्य' के अंतर्गत लेखों में दर्ज किए गए थे। इस मामले में वर्गीकरण के लिए उचित विषय शीर्ष अनुदान के राजस्व खण्ड में '27-लघु कार्य' होना चाहिए था।	मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2014) कि मुख्य शीर्ष 2059.01.051.01.00.53 के अंतर्गत प्रावधान प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अस्थायी ढांचे के लिए किया गया था। ये ढांचे समारोह की समाप्ति पर हटा दिए गए जाते हैं तथा कोई परिसंपत्ति नहीं बनाते हैं। जैसा कि मंत्रालय के उत्तर से स्पष्ट है कि अस्थायी निर्माण पर किया गया खर्च के प्रावधान को विषय शीर्ष '27- लघु कार्य' के अंतर्गत प्राप्त किया जाना चाहिए एवं व्यय के तदनुसार दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विषय शीर्ष '53- दीर्घ कार्य' को अनुदान के राजस्व अनुभाग के तहत संचालित नहीं किया जाना चाहिए, यह विषय वर्ग 6 (पूँजीगत परिसंपत्तियों एवं अन्य पूँजीगत व्यय की प्राप्ति) की प्रकृति का है।
	कुल	**3873.43**			

4.7.4 अन्य देशों को दी जा रही सहायता को दर्ज करने हेतु वस्तु शीर्ष अंशदान' का प्रचालन

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.), 1978 का नियम 8, व्यय के सही वर्गीकरण के उद्देश्य से विवरण/परिभाषाओं सहित विनियोग की मानक प्राथमिक इकाईयों को निर्धारित करता हैं। किसी भी निकाय/प्राधिकरण को दिये गये सहायता अनुदान को वस्तु शीर्षों '31- सहायता अनुदान-सामान्य', '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान', '36-सहायता अनुदान-वेतन' के

अंतर्गत वगीकृत किये जाते हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर हुए व्यय इत्यादि का वर्गीकरण '32-अंशदान' के अंतर्गत किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के लिए विनियोग लेखे एवं विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदान सं. 32 की अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि नि.म.ले.प. के वित्त-वर्ष 2008-09, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 हेतु संघ सरकार लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताये जाने के बावजूद 15 मामलों में ₹3,640.04 करोड़ का व्यय, जिसका विवरण **तालिका 4.15** में दिया गया है, गलत रूप से दर्ज कर विनियोग की प्राथमिकता इकाई पर विषय वस्तु शीर्ष '32-अंशदान' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति विदेश सरकारों को सामान्य/विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनुदानों की थी, सही प्रक्रिया अनुसार इसे अनुदानों के लिए बने वस्तु शीर्षो के अंतर्गत दर्ज किया जाना था।

तालिका 4.15: 2013-14 के दौरान विदेश सरकारों को प्रदत्त अनुदानों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण	व्यय
1.	3605.00.101.07.01.32	दक्षिण एव दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता	6.86
2.	3605.00.101.09.00.32	बंग्लादेश को सहायता	604.66
3.	3605.00.101.10.02.32	भूटान को सहायता (पुनतसंगछू-I एच.ई.पी.)	617.67
4.	3605.00.101.10.03.32	भूटान को सहायता (मांगदेछू एच.ई.पी.)	250.77
5.	3605.00.101.10.04.32	भूटान को सहायता (पुनतसंगछू-II एच.ई.पी.)	251.00
6.	3605.00.101.11.00.32	नेपाल को सहायता	381.37
7.	3605.00.101.12.00.32	श्रीलंका को सहायता	420.80
8.	3605.00.101.13.00.32	मालदीव को सहायता	9.67
9.	3605.00.101.14.00.32	म्यांमार को सहायता	164.86
10.	3605.00.101.15.00.32	अन्य विकासशील देशों को सहायता	61.28
11.	3605.00.101.16.00.32	आपदा राहत को सहायता	14.58
12.	3605.00.101.20.00.32	अफ्रीकी देशों को सहायता	251.92
13.	3605.00.101.25.00.32	यूरेशियाई देशों को सहायता	14.30
14.	3605.00.101.32.00.32	लैटिन अमरीकी देशों को सहायता	4.99
15.	3605.00.101.33.00.32	अफगानिस्तान को सहायता	585.31
		कुल	**3640.04**

मंत्रालय ने नि.म.ले.प. के संघ सरकार लेखे पर वर्ष 2011-12 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 4.19 के उत्तर में बताया कि मुख्य शीर्ष 3605 में जिन वस्तु शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान प्राप्त किये गये, वे वही थे जो 2010-11 में मौजूद थे।

वि.श.प्र.नि. के अनुसार विषय शीर्ष 'अंशदान', 'अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय को सम्मिलित करने' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कोई व्यापक परिभाषा न होकर केवल एक समावेशी परिभाषा है। सा.वि.नि. के नियम 206 के अनुसार एक सामान्य सिद्धांत के रूप तौर पर सहायता-अनुदान किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक निकाय अथवा ऐसे संस्थान को दिया जा सकता है जिसका विशिष्ट वैधानिक अस्तित्व हो। अत: वि.श.प्र.नि. के अंतर्गत ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों को कार्यान्वित करने वाले स्वायत्त संगठनों, स्वैच्छिक संगठन अथवा गैर-सरकारी संगठन, शैक्षिणिक अथवा अन्य संस्थानों को छात्रों के वजीफे एवं छात्रवृत्तियों के माध्यम से, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय स्वशासी संगठनों, सहकारी समितियों एवं तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा आमोद-प्रमोद के साधनों के तौर पर आपस में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित समितियों अथवा क्लबों को छात्रवृत्ति सहित सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जा सकता है। परिभाषा के अनुसार, विदेशी सरकारों को परियोजनाओं के निष्पादन के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता वस्तु शीर्ष 'सहायता-अनुदान सामान्य' के अंतर्गत शामिल नहीं है।

मंत्रालय का तर्क कि विदेशी सरकार को प्रदत्त सहायता सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 (सा.वि.नि.) के नियम 206 के अनुसार वस्तु शीर्ष 'सहायता अनुदान सामान्य' के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिये ठीक नहीं है कि सा.वि.नि. के नियम 211(2) के अनुसार एक 'विदेशी राज्य' किसी भी अनुदान तथा/ अथवा ऋण हेतु पात्र है। अत: विदेश मंत्रालय द्वारा कार्य 'अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग' तथा कार्यक्रम 'अन्य देशों के साथ सहयोग' के तहत योजना 'विदेशी सरकारों को सहायता अनुदान' के अंतर्गत विदेशी सरकारों को प्रदान किये जाने वाली सहायता दान हेतु बजटीय प्रावधान को विनियोग की उपयुक्त प्राथमिक इकाई के अंतर्गत प्राप्त कर तथा व्यय को तदनुसार लेखाओं में दर्ज किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने 2013 के प्रतिवेदन सं.1 के पैरा 4.19 के संबंध में दिये अपने पहले के उत्तर को दोहराते हुए आगे बताया (अप्रैल 2014) कि यदि लेखापरीक्षा

अभ्युक्ति को स्वीकार किया जाये तो सहायता अनुदान शीर्षों के अंतर्गत किसी भी संवर्धन हेतु पूर्व संसदीय स्वीकृति अपेक्षित होगी जो एक व्यावहारिक हल नहीं होगा। मंत्रालय ने अप्रैल 2014 में प्रस्तुत अपने उत्तर को पुन: (अक्तूबर 2014) दोहराया।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विदेशी सरकार को दी गयी सहायता को 'सहायता अनुदान' के रूप में ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए। 'सहायता अनुदान' के प्रावधान में कोई अपेक्षित संवर्धन प्रचलित नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

4.7.5 'विशेष केन्द्रीय सहायता' का लेखे के गलत लघु शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाना

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राज्य जन जाति उप-योजना के अनुपूरक के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता (वि.के.स.) प्रदान किया जाता है। जहॉ 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु आवंटित निधियों को लेखे के विशिष्ट लघु शीर्ष अर्थात '796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना' के अंतर्गत दर्ज किया जाना अपेक्षित है, को लेखों के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची के सामान्य निर्देशों के अनुसार 'जनजाति उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को दर्ज करने हेतु एक पृथक लघु शीर्ष कोड अर्थात 794, चिन्हित किया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹1200 करोड़ की राशि के कुल प्रावधान में से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ₹1050 करोड़ की राशि वर्ष 2013-14 में 'जनजातीय उप योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के रूप में जारी की गयी थी एवं इस व्यय को अनुदान सं. 95-जनजातीय कार्य मंत्रालय में लेखा के लघु शीर्ष '796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत दर्ज किया गया था। उपरोक्त प्रावधान तथा बुकिंग लघु शीर्ष '794 जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' के अंतर्गत किये जाने चाहिए थे जैसाकि प्रचलित अनुदेशों में निर्धारित था।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए संघ सरकार लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 के पैरा 4.7.5 में भी इस विषय को उठाया गया था।

मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2014) कि अभ्युक्ति को नोट कर लिया गया है तथा लघु शीर्ष '794-जनजातीय उप-योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता' को वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान हेतु विस्तृत मांग में शामिल करने हेतु मामला उठाया जाएगा।

4.7.6 लेखे के गलत लघु शीर्ष के अन्तर्गत बुकिंग

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 72 के अनुसार सरकारी लेन देनों के वर्गीकरण का सामान्य नियम के अनुसार सरकार के क्रियाकलापों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से अधिक निकट संबंध होने चाहिए, न कि उस विभाग विशेष से जहॉ व्यय हुआ था। लेखे के मुख्य शीर्ष आमतौर पर सरकार के कार्यों के सदृश होते हैं जबकि लघु शीर्षों से कार्यों के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किये जा रहे कार्यक्रमों की पहचान होती है।

(i) वर्ष 2013-14 हेतु दूर संचार विभाग की अनुदान सं. 14 के विनियोग लेखे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि ₹23.11 करोड़ की राशि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान के रूप में दी गई थी तथा उक्त राशि को लघु शीर्ष '798-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' की बजाए त्रुटि पूर्वक लघु शीर्ष '800- अन्य व्यय' में दर्ज किया गया था।

विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि वर्ष 2014-15 के लिए डी.डी.जी. में लघु शीर्ष '798-अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' खोला जा चुका है तथा बी.ई. 2014-15 हेतु प्रावधान कर लिए गये हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त, दूर संचार विभाग की अनुदान सं. 14 में ₹485.88 करोड़ का व्यय, दूर संचार अभियांत्रिक केन्द्र (दू.सं.अ.के.) निदेशालय, सैंटर फॉर डेवलपमैंट ऑफ टैलीमैटिक्स (सी-डॉट) तथा टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एवं मॉनीटरिग (टर्म) सैल इत्यादि पर किया जो दूरसंचार विभाग के संलग्न कार्यालय नहीं थे परंतु व्यय को लघु शीर्ष '091-सलंग्न कार्यालय' के अंतर्गत दर्ज किया गया।

लेखों के मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में सम्मिलित टिप्पणी के अनुसार, लघु शीर्ष '091-सलंग्न कार्यलय' का उपयोग भारत सरकार के संलग्न कार्यालयों पर व्यय दर्ज करने हेतु किया जाता है।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2014) कि उचित लेखा शीर्ष खोलने की प्रक्रिया नियंत्रक महालेखा कार्यालय के समक्ष विचाराधीन थी। विभाग ने, आगे बताया (फरवरी 2015) कि विभाग के खातों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था जिससे वर्ष 2013-14 के खातों में गलत वर्गीकरण को सुधार पाना संभव नहीं था।

4.8 अंतरिक्ष विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण संस्वीकृति आदेश

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 48 के साथ पठित परिशिष्ट-3 तथा 4 में किसी संगठन द्वारा व्यय के अनुमान तैयार करने के संबंध में वस्तु शीर्ष स्तर तक पूर्ण लेखा वर्गीकरण सहित विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 25 (1) के अनुसार व्यय की सभी संस्वीकृतियों में संबंधित अनुदान या विनियोग जहॉ से इस प्रकार का व्यय किया जाना है, में किये गये प्रावधानों के विवरण दर्शाए जाएंगे।

वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान सं. 90-अंतरिक्ष विभाग के विस्तृत अनुदान मांगों में वस्तु शीर्ष स्तर तक पूरे लेखा वर्गीकरण के साथ व्यय प्राक्कलन शामिल किए गए जिसमें राजस्व एवं पूंजीगत खंड के अंतर्गत पृथक रूप से योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय दर्शाये गये थे।

परन्तु विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेशों की संवीक्षा से पता चला कि इनमें संपूर्ण वर्गीकरण जहॉ से राशि डेबिट की जानी चाहिए को दर्शाते हुए सही लेखा शीर्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। इसकी बजाए, विभाग द्वारा जारी सभी संस्वीकृति आदेशों में केवल उप-शीर्ष स्तर (अर्थात वर्गीकरण का चौथा स्तर) तक वर्गीकरण दर्शाया गया था। नमूना जांच में देखे गये संस्वीकृति आदेशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

तालिका 4.16: नमूना जाँच में देखे गए वित्तीय संस्वीकृति आदेशों के ब्यौरे

क्र. सं.	संस्वीकृत सं.व. तिथि	परियोजना का नाम (लेखा शीर्ष)	संस्वीकृत प्राधिकारी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सी.19011/3/2013-सै.3 दिनांक 10 अक्तूबर 2013	सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्री हरिकोटा में द्वीतीय वाहन एसेम्बली भवन की लक्ष्यपूर्ति 3402.00.101.25	मंत्रीमंडल सचिवालय	363.95
2.	सी.19011/3/2012-सै.3 दिनांक 17 जुलाई 2013	जी.एस.ए.टी.-16 संचार उपग्रह एवं प्रक्षेपण सेवा 3252.00.053.13/14, 5252.00.203.09/10	मंत्रीमंडल सचिवालय	865.50
3.	सी .19011/2/2012-सै.3 दिनांक 17 जुलाई 2013	जी.एस.ए.टी.-15 संचार उपग्रह एवं प्रक्षेपण सेवा 3252.00.053.11/12, 252.00.203.07/08	मंत्रीमंडल सचिवालय	859.50
4.	सी.19013/48/2012-सै.3 दिनांक 12 अगस्त 2013	भविष्य अंतरिक्ष आधारित चौकसी (एस.बी.एस.) कार्यक्रम	मंत्रीमंडल सचिवालय	4640.86
		कुल		6729.81

यह भी देखा गया कि क्र.सं. 4 के संस्वीकृत आदेश में लेखा शीर्ष जिसमें राशि डेबिट की जानी थी, का लेखा वर्गीकरण कहीं पर उल्लिखित नहीं था।

संपूर्ण लेखा वर्गीकरण के अभाव में विभाग द्वारा जारी संस्वीकृति आदेश त्रुटिपूर्ण थे तथा उनमें व्यय की उचित बुकिंग और वर्गीकरण से संबंधित स्पष्ट निर्देश नही दिए गए थे।

इस मामले पर वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 1 में भी टिप्पणी की गई थीं, लेकिन विभाग द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की गई।

विभाग ने अपने पूर्व उत्तर को दोहराते हुए पुन: कहा (सितम्बर 2014/जनवरी 2015) कि परियोजना के संस्वीकृति आदेश चौथे स्तर तक ही जारी किए गए क्योंकि समस्त परियोजना व्यय को लम्बी अवधि के लिए एक सम्पूर्ण योजना के रूप में माना जाता है, तथा प्रारम्भिक स्तर पर आवंटन की किन्हीं वस्तु शीर्षों के प्रति पहचान कर पाना संभव नहीं होता, इसलिए संस्वीकृति आदेशों को उपशीर्ष स्तर तक जारी किया गया था।

विभाग का उत्तर सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में निर्दिष्ट प्रावधानों के विरूद्ध है। संसद अनुदानों हेतु विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के वस्तु शीर्ष स्तर तक व्यय के सकल प्रावधानों/आकलनों का अनुमोदन करती है। अत: व्यय करने के लिये जारी संस्वीकृति आदेशों में संबंधित अनुदान अथवा विनियोग, जहॉं से व्यय

की पूर्ति की जानी है, से संबंधित वस्तु शीर्ष स्तर के वर्गीकरण को दिखाया जाना चाहिए जैसा उपरोक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट है।

4.9 एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के माध्यम से अप्राधिकृत संवर्धन

सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान करने हेतु मध्यस्थता योजना के रूप में क्रमशः अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप-योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी योजनाएं इन विशेष समूहों को उनकी संबंधित जनसंख्या के आकार के अनुपात में सभी संबंधित विकास क्षेत्रों से निधियों की गारंटी प्रदान करके लाभ सुनिश्चित करने के लिए है। इन दोनों उप योजनाओं का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में, दोनों भौतिक तथा वित्तीय प्रकार से, परिव्यय के प्रवाह तथा सामान्य क्षेत्रों से लाभों को दिशा देना है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से योजनागत आवंटन के एक भाग के रूप में अनुसूचित जाति उप योजना (अ.जा.उ.यो.) तथा जनजातीय उप योजना (ज.उ.यो.) हेतु आवंटनों को तैयार करने हेतु पहल की गई थी। सरकार ने समार्पित मुख्य शीर्ष 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक (कोड 789)' तथा 'जनजातीय उपयोजना (कोड 796)' को प्रारम्भ करके ऐसे आवंटनों को दर्ज करने हेतु एक उपयुक्त लेखांकन क्रियाविधि स्थापित की थी। तद्नुसार, केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों की अनुदानों की विस्तृत मांगों में एक योजनागत योजना के अंतर्गत 'सामान्य योजना', अनुसूचित जातियों हेतु विशेष संघटक तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप योजना' हेतु अलग बजट सीमाओं सहित प्रथम रूप से प्रावधान प्राप्त किए गए हैं। 'अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक' तथा 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' के अंतर्गत किए गए प्रावधान को, अ.जा.उ.यो. तथा ज.उ.यो. के अंतर्गत अन्य योजनाओं में उसी शीर्ष को छोडकर, पुनर्विनियोजित किया जाना अनुमत नहीं है जिससे विपथन की किसी भी संभावना से बचा जाता है।

सा.वि.नि. 2005 के नियम 48 के नीचे परिशिष्ट-3 के पैरा 4 (जिसमें बजट बनाने के लिये अनुदेश समाहित हैं) में प्रावधान है कि जहां एक योजना/

परियोजना पर प्राथमिक खर्चों की पूर्ति हेतु या आकस्मिक स्थितियों की पूर्ति हेतु तत्कालीन मापदण्डों का प्रावधान किया जाता है, के अतिरिक्त, बजट में एक मुश्त प्रावधान नहीं किये जायेंगे, जो वित्तीय वर्ष में चालू करने हेतु, सैद्धान्तिक तौर पर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्ष 2013-14 हेतु अवासीय एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान सं. 58 के विनियोग लेखे के साथ-2 समेकित सारांश की संवीक्षा से पता चला कि सितम्बर 2013 में आर्थिक कार्य मंत्रीमंडल समीति (सीसीईए) ने 'राजीव रिन योजना (रा.रि.यो.)' परियोजना को पारित किया। मंत्रालय ने विषय शीर्ष "33 आर्थिक सहायता" के अन्तर्गत, अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों में से, सामान्य घटक, अनुसूचित जाति तथा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना हेतु विशेष घटक योजना के अंतर्गत राशि विशिष्ट घटक-वार ब्यौरा दिए बिना रा.रि.यो. योजना हेतु, ₹50 करोड़ का एक टोकन स्वरूप पूरक प्रवाधान प्राप्त किया (दिसम्बर 2013)।

राशि को अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत, सामान्य घटक, विशिष्ट घटक योजना के तहत विशिष्ट घटक वार ब्यौरा दिए बिना ₹50 करोड़ के एकमुश्त पूरक को संसद का राशि विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, योजना के तीन घटको में संविभाजित किया गया था। क्योंकि, बजट खंड का ज्ञापन दिनांक 25 मई 2006 के अनुसार, आर्थिक सहायता पर किये गये व्यय के कारण, व्यय नई सेवा/सेवा के नये साधन की सीमाओं को आकर्षित करता है, संसद के राशि विशिष्ट पूर्व अनुमोदन अनिवार्य रूप से तीनों योजनाओं हेतु आवश्यक थे परन्तु इसे प्राप्त नही किया गया था। किये गये व्यय के विवरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 4.17: एकमुश्त अनुपूरक प्रावधान का अनधिकृत वितरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	योजना शीर्ष	प्रावधान				व्यय
		ब.अ.	उ.पू.	सं.प्रा.	पू.प्रा.	
58-आवसीय एवं शहरी	राजीव ऋण योजना (आर. आर. वाई.) 2216.02.789.05.00.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25

अनुदान सं.	योजना शीर्ष	प्रावधान				व्यय
		ब.अ.	उ.पू.	सं.प्रा.	पू.प्रा.	
गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	राजीव ऋण योजना (आ. आ. वाई.) 2216.02.796.05.00.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
	राजीव ऋण योजना (आर. आर. वाई.) (सामान्य घटक) 2216.02.190.15.00.33	0.00	0.00	0.00	50.00	37.55
योग					50.00	50.00

* ब.अ. बजट अनुमान, उ.पू.मु.शी. 2552/4552/4552/6552 के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान, एस.ए. अनुपूरक मांग अनुदान के द्वारा संसद की प्राधिकृत अनुमोदित सं.प्र. संपूर्ण प्राधिकरण।

मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि वित्त मंत्रालय ने, शीर्ष खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी और अनुपूरक मांगों का प्रावधान संसदीय अनुमोदन के पश्चात किया था। तदुपरान्त तीनों शीर्षों के अन्तर्गत निधियों के संवर्धन करने हेतु अनुदान में उपलब्ध बचतों मे से पुनर्विनियोजन हेतु प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया था। तदनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान निधियो के प्रावधानों एवं जारी करने को परिचालित किया गया था। अतः अनिवार्य अ.जा.उ.यो. एवं ज.उ.यो. घटकों के प्रति अभिप्राय के साथ-साथ निधियों के चिन्हित को भी सावधानी पूर्वक एवं गंभीरता से लिया गया था जबकि निधियो के संवितरण को अनिवार्य पूर्वक बजट प्रावधानों के 22.5 प्रतिशत तथा 2.4 प्रतिशत रखा गया था।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा के इस बिन्दु को, कि जबकि निधियों का अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उपयोजना हेतु विशिष्ट घटक योजना हेतु चिन्हित होना अनिवार्य था, मंत्रालय को प्रत्येक घटक हेतु विशिष्ट रूप से संसद से राशि विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था ना कि एकमुश्त अनुपूरक प्रावधानों का, क्योंकि सभी तीनों घटकों की विशिष्ट बजट लाईन है, को संबोधित नहीं करता है।

4.10 विषय शीर्ष के अंतर्गत एकमुश्त प्रावधान की प्राप्ति

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली प्रत्यायोजन के नियम 8 में अनुबंधित है कि शीर्ष एकमुश्त (विषय शीर्ष 42) अंतर्गत प्रावधान में योजना/उप योजना/संगठन, जहां प्रवाधान ₹10 लाख से अधिक नहीं होते हैं, के संबंध में

व्यय शामिल होगा। सभी अन्य मामलों में व्यय का ब्यौरा अवश्य दिया जाना चाहिए।

वर्ष 2013-14 हेतु गृह मंत्रालय से सम्बंधित अनुदान सं. 53 के विनियोग लेखाओं की जांच ने प्रकट किया कि निम्नलिखित मामलों में व्यय के पूर्ण ब्यौरे सहित संसदीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने जो वर्तमान नियमावली के तहत आवश्यक था के बजाए ₹ 10 लाख से अधिक के एकमुश्त प्रावधान प्राप्त किए गए थे।

तालिका 4.18: एकमुश्त प्रावधान

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	प्रावधान	व्यय
		(₹ करोड़ में)	
1.	2070.00.105.17.00.42	0.45	0.33
2.	2070.00.105.18.00.42	0.70	0.98
3.	2070.00.105.19.00.42	0.60	0.87
4.	2070.00.119.03.09.42	0.15	0.14
5.	2070.00.119.03.11.42	0.32	0.24

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि वर्तमान वर्ष 2014-15 से सभी एकमुश्त प्रावधानों के मामलों को अन्य कार्यशील विषय शीर्षों में हस्तान्तरित कर दिया गया था।

4.11 सरकारी राशि को सरकारी लेखाओं से बाहर रखना

संविधान की धारा 114 एवं 115 भारतीय समेकित निधि से, सम्बद्ध वित्तीय वर्ष हेतु सेवाओं पर व्यय करने हेतु विनिर्दिष्ट राशि के आहरण को प्राधिकृत करती है। आगे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखे नियमावली 1983 के नियम 11 के अनुसार, लेखे अधिकारी द्वारा जारी किये गये उसके स्वयं के सरकारी खाते में से राशियों का आहरण नहीं किया जा सकता प्रति खोले गये चैको के प्रति या एक चैक आहरित डी. डी. ओ. द्वारा एक उसके स्वयं के प्रति खोले गये लेखे से एक विशेष प्राधिकृत बैंक की शाखा पर जारी किये चैक को छोड़ कर ऐसे खाते विभाग के वित्त सलाहकार के आदेशों के अन्तर्गत महालेखा-नियंत्रक लेखे (सी.जी.ए.) के साथ परामर्श के साथ ही खोले जायेंगे। सरकारी लेखा निधि एवं वित्तीय नियमावली में सार्वजनिक निधियों को सरकारी लेखाओं से बाहर रखने के लिए कोई प्रावधन नहीं है।

अन्तरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) तथा इसकी इकाई भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इ.स.रो.ओ.) की प्राथमिक जिम्मेदारी, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा तकनीकी के विकास को उन्नत करना है ताकि स्वावलम्बन की प्राप्ति में मदद मिले और देश के चहुंमुखी विकास की सुगमता एवं अन्तरिक्ष अध्यवसाय हेतु भी जिसके लिए समय-समय पर विभिन्न विकास परियोजनाएं कार्यान्वयित की जाती हैं। अनेक परियोजनों की उपलब्धियां, जिनमें विकासशील करार तथा डिजाइन हेतु क्रय आदेश, निर्माण, आपूर्ति, अन्तरिक्ष मिशनों में उपयोग किए गये विभिन्न अन्तरिक्ष उपभोज्यों का स्थापना एवं नियुक्ति करना शामिल थे।

अन्तरिक्ष विभाग से सम्बंधित अनुदान सं. 90 की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने इसकी दो इकाईयों अर्थात विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.) तथा द्रव प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (एल.पी.एस.सी.) को अनुमति प्रदान की, ताकि इसके 16 करारों/खरीद आदेशों को कार्यान्वित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की शाखाओं में एक निलम्ब खाता[3] खोला जा सके। विभाग तथा इसरों केन्द्रों में इन परियोजनाओं को चलाने के लिए एक निलम्ब खाता के संचालन हेतु एस. वी. आई. एवं ठेकेदारों के साथ एक त्रिपक्षीय करार किया।

आगे संवीक्षा ने से पता चला कि 2002-03 वी.एस.एस.सी. तथा एल.पी.एस.सी. ने भारतीय समेकित निधि से ₹718.67 करोड़ की एक राशि भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) में 16 निलम्ब खातों में स्थानान्तरित की थी और ₹79.15 करोड़ का ब्याज कमाया था जैसा कि **अनुबन्ध-4.3** में विवरण दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारतीय समेकित निधि से राशियों का आहरण और निलम्ब खाते खोल कर समयावधि विस्तार से अधिक राशियों को खर्च करने की अनुमति के लिए बैंकों को स्थान्तरण संसदीय प्राधिकरण का उल्लंघन है। इस

[3] निलम्ब खाता एक न्यास खाता है जो बैंक में ऋणी के नाम से खोला जाता है। कुछ बाध्यताएं जैसे कि संपत्ति करों, बीमा किश्त आदि के भुगतानों के निर्वाह हेतु जिसमें राशि भुगतान से पहले प्रत्यक्ष रूप से बैंक को स्थानांतरित की जाती है और बैंक यथा अनुपात भुगतान विभिन्न करार के दायित्वों को पूरा करने के प्रमाण में कुछ कागजात प्रस्तुत करने के पश्चात ठेकेदारों को जारी करते हैं।

प्रकार ₹206.98 करोड़ की सार्वजनिक निधियों को 31 मार्च 2014 को सरकारी खाते से बाहर रखना अनियमित था और नियम 56 के उल्लंघन में था जिसमें प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त प्रावधान समाप्त माने जाते हैं।

इसी प्रकार भी एक अभियुक्ति जो मार्च 2013 की समाप्ति पर की गई थी के लिए विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि बकाया पांच लेखाओं में से एक खाता अन्तिम समाधान के अन्तर्गत था और इसके अप्रैल 2014 में बन्द होने की आशा थी तथा शेष के चार खाते 2014-15 में एक सीमित अवधि हेतु चालू रहेंगे क्योंकि इससे सम्बन्धित कार्य अभी प्रगति पर थे।

विभाग ने बताया (फरवरी 2015) कि शेष चार खाते भी अप्रैल 2015 तक बन्द कर दिए जायेंगे।

4.12 सूचना तकनीकी पर किये गये व्यय का प्रकटीकरण न होना

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 'सूचना तकनीकी' पर किये गये व्यय के शीर्षों के वर्गीकरण सामान्य मानकीकरण को सुनिश्चित करने तथा इसकी मॉनिटरिंग की सुविधा हेतु, वित्त मंत्रालय ने अपने का.ज्ञा.सं. 15(4)/बी (डी)/2003 दिनांक 9 जुलाई 2003 के द्वारा सूचना तकनीकी को मानक कोड, अर्थात '99' के साथ अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों में वर्गीकरण के पांचवे स्तर पर रखने के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर, रख-रखाव, साफ्टवेयर का विकास, प्रशिक्षण आदि सहित सूचना तकनीक के उपयोग को आगे बढ़ाने हेतु मंत्रालय/विभाग द्वारा किए गए व्यय के समेकीकरण के उद्देश्य को पूरा करने का निर्णय लिया।

वर्ष 2013-14 के अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित अनुदान सं. 90 के विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित भु.ले.का. द्वारा कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की खरीदों पर ₹5.40 करोड़ का व्यय किया गया था, परन्तु व्यय को विस्तृत शीर्ष स्तर पर '99-सूचना तकनीकी' मे बुक नही किया गया था जैसाकि विभिन्न मुख्य/लघु शीर्षों के अन्तर्गत आदेशों के विस्तार के अन्तर्गत आवश्यक था।

तालिका 4.19: 2013-14 के दौरान कम्प्यूटर पर किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

सं.	केन्द्र का नाम	व्यय
1.	भु.ले.का. इसरो (मुख्यालय)	1.27
2.	भु.ले.का. वी. एस. एस. सी. (केन्द्र)	3.66
3.	भु.ले.का. आई. एस. टी. आर. ए. सी.	0.28
4.	भु.ले.का. आई. एस. ए.सी.(केन्द्र)	0.19
	योग	5.40

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (सितम्बर/दिसम्बर 2014) कि वर्ष 2015-16 हेतु अनुदानों के लिए विस्तृत मांग में विस्तृत शीर्ष "99-सूचना एवं तकनीकी' को खोलने हेतु वित्त मंत्रालय से उपयुक्त मार्गदर्शन प्राप्त किये जायेंगे। विभाग का उत्तर माननीय नहीं है क्योंकि यह का.ज्ञा. वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को प्रति वर्ष जारी किये जाने वाले बजट परिपत्र का भाग है जो अनुमान तैयार करने हेतु जारी किया जाता है।

4.13 रक्षा सेवाएं (अनुदान 22 से 27)

4.13.1 गलत तकनीकी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करना

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट नियम पुस्तिका 2010 का पैरा 3.2 बताता है कि एक तकनीकी अनुपूरक अनुदान तीन अवसरों पर प्राप्त किया जाता है (क) चार भागों में से एक भाग से निधि का अभ्यपर्ण तथा उसको मांग के अनुसार किसी अन्य भाग में उपयोग होने पर, (ख) योजना का एक मांग से दूसरी मांग में अंतरण होना जिसके परिणामस्वरूप मांग जिसमें योजना अंतरित की गई है, से राशि अभ्यर्पित करके उसका अन्य मांग, जिसमें योजना स्थानांतरित की गई हैं, में उपयोग किए जाने, तथा (ग) छोड़ देना/बट्टे खाते डालना।

रक्षा मंत्रालय की अनुदानों हेतु छः मांगे है, पांच राजस्व भाग में तथा एक पूंजीगत भाग में। रक्षा सेवाओं के वर्ष 2013-14 के विनियोग लेखे की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनुदानों की पांच राजस्व मांगों में, संसद से तृतीय तथा अंतिम बेच के माध्यम से कुल ₹8,365.70 करोड़ (राजस्व प्रभारित में ₹183.42 करोड़ तथा राजस्व दत्तमत में ₹8,182.28 करोड़) की गलत तकनीकी

अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगे प्राप्त की गई थी। ये तकनीकी अनुपूरक प्रावधान अनुदान सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में उपलब्ध बचतों से प्राप्त किए गए थे। अनुदानों हेतु पांच राजस्व मांगों में प्राप्त गलत अनुपूरक प्रावधानों के विवरण निम्नानुसार हैं:

तालिका 4.20: गलत अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करना

मांग का विवरण	प्राप्त किया गया तकनीकी अनुपूरक प्रावधान (₹ करोड़ में)	
	राजस्व (प्रभारित)	राजस्व (दत्तमत)
22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	110.00	4711.37
23-सेवाएं- नौ सेना	19.82	949.69
24-रक्षा सेवाएं - वायुसेना	50.40	1032.51
25-रक्षा आयुध - कारखाना	3.20	1363.56
26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	0.00	125.15
जोड़	**183.42**	**8,182.28**

इस प्रकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा मांग सं. 27 से मांग सं. 22 से 26 में तकनीकी अनुपूरक प्रावधान द्वारा ₹8,365.70 करोड़ की निधियों का अंतरण करना गलत प्रस्तावित किया गया और वित्त मंत्रालय द्वारा भी इसे गलत स्वीकार किया गया था जिससे बजट नियम पुस्तिका के पैरा 3.2 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करके एक मांग से दूसरी मांग में अनियमित अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया।

रक्षा मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2014) कि तकनीकी अनुपूरक प्रावधान की वित्त मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी। उसने आगे बताया कि सिविल अनुदानों से भिन्न, रक्षा सेवा अनुमानों में चार भाग नहीं होते, बल्कि प्रत्येक अनुदान में दो भाग होते हैं। अनुदान सं. 22 से 26 दत्तमत और प्रभारित भागों सहित पूर्णत: राजस्व अनुदान होते है जबकि अनुदान सं. 27 दत्तमत और प्रभारित भागों से संपूर्णत: पूंजीगत अनुदान है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जैसाकि बजट नियम पुस्तिका में स्पष्ट किया गया है, जब एक भाग की बचतों को दूसरी भाग पर उपयोग करना होता है अथवा एक मॉग से बचतों को दूसरी मॉग पर उपयोग किया जाना होता है तब तकनीकी अनुपूरक प्रावधान अपेक्षित होता है।

मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है कि अनुदान सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में बचतों को मंत्रालय के अन्य पांच मांगो में उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि भाग सं. 27 से किसी योजना का किसी अन्य पांच भागों में कोई अंतरण नहीं था।

आगे, अनुदानों हेतु तीसरे अनुपूरक भाग के अनुपालन में रक्षा मंत्रालय को अनुदान सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय से ₹8,365.70 करोड़ की राशि का अभ्यपर्ण करना अपेक्षित था। तथापि, मंत्रालय ने केवल ₹7,868.50 करोड़ ही अभ्यर्पित किए और ₹497.20 करोड़ तक कम अभ्यपर्ण हुआ। कम अभ्यपर्ण की राशि का वर्ष 2013-14 में, मांग सं. 27 रक्षा सेवाओं पर परिव्यय में ₹79,125.05 करोड के वास्तविक व्यय तथा ₹78,375.03 करोड़ के कम हुए प्रावधान के बीच अंतर को पूरा करने के लिए अंशत: उपयोग किया गया था।

5: सहायता अनुदान: एक विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

लोक प्रशासन के स्थानांतरण प्रतिमान ने नई तथा सदा विकसित हो रही पद्धतियों के माध्यम से सार्वजनिक सामान के वितरण को अपरिहार्य किया है। संघ सरकार के लिए सार्वजनिक सामानों के वितरण के लिए सहायता अनुदान एक महत्वपूर्ण व्यय के माध्यम के रूप में उभरा है। वास्तव में, वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, सहायता-अनुदान ऋण पुर्नभुगतानों के अपवाद के साथ, संघ सरकार के लिए व्यय की एक मात्र विशालतम मद रहा था।

सहायता-अनुदान एक सरकार द्वारा अन्य सरकार, संस्थान अथवा व्यक्ति विशेष को प्रदान की गई सहायता, दान अथवा अंशदानों के रूप में किए गए भुगतान हैं। सहायता-अनुदान संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा/अथवा पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की जाती हैं। संघ सरकार अन्य अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों को भी सहायता अनुदान के रूप में पर्याप्त निधियां प्रदान करती है। इसी प्रकार, राज्य सरकारें अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों जैसे कि विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारिता संस्थानों तथा अन्यों को भी सहायता अनुदान संवितरित करती है। जारी किए गए अनुदानों का उपयोग इन अभिकरणों, निकायों तथा संस्थानों द्वारा दिन-प्रतिदिन के संचालन व्ययों को पूरा करने तथा सेवाओं के वितरण के बजाय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किया गया।

5.2 व्यय की प्रवृत्ति

सहायता अनुदान को रोकड़ अथवा जिस रूप में भी प्रदान किया गया हो, किंतु इसे, उद्देश्य जिसके लिए यह प्रदान किया गया है, पर विचार किए बिना अनुदान दाता के खातों में हमेशा राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया जाना होता है। 2009-10 तथा 2013-14 की अवधि के दौरान, सहायता-अनुदान पर व्यय को संघ सरकार के राजस्व व्यय के 28 से 32 *प्रतिशत* तक दर्ज किया गया, जिसे नीचे चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.1: राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में सहायता अनुदान

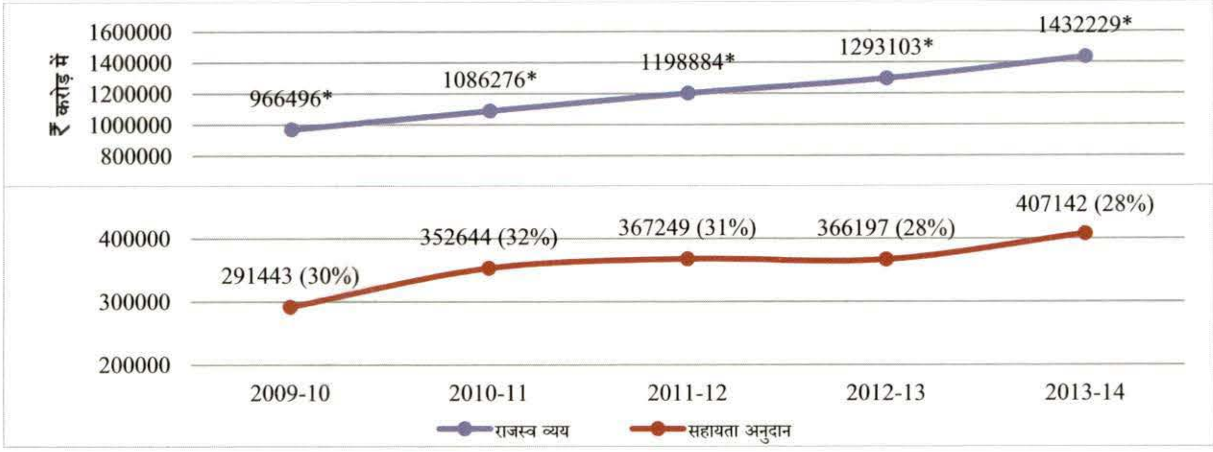

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प म.नि.ले. द्वारा प्रदत्त डाटा में सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों के व्यय, निवल वसूलियां शामिल हैं परंतु 'रेलवे' शामिल नहीं है (विषय शीर्ष -70-घटा वसूलियो सहित).

* आंकड़े *(करोड़ में)* वित्तीय लेखाओं के अनुसार- ₹ 9,68,250 (2009-10), ₹ 10,89,434 (2010-11), ₹ 11,98,950 (2011-12), ₹ 12,94,292 (2012-13), ₹ 14,31,883 (2013-14).

2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों की संपूर्ण अवधि में सहायता अनुदान में 40 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई तथा राजस्व व्यय में भी 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सहायता अनुदान व्यय बजट तथा लेखों में विसमूहन के सबसे नीचे स्तर पर अर्थात एक वस्तु शीर्ष के रूप में दर्शाया गया है। 2008-09 तक सहायता अनुदान पर संघ सरकार के व्यय को एक ही वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा था। तथापि, वर्तमान में इस व्यय को दर्ज किए जाने हेतु अलग से तीन वस्तु शीर्ष संचालित किए जा रहे हैं। ये वस्तु शीर्ष 31-सहायता अनुदान सामान्य; 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान तथा; 36-सहायता अनुदान वेतन हैं। वस्तु शीर्ष '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2009-10 से खोला गया था, तथा विद्यमान वस्तु शीर्ष नामत: '31-सहायता अनुदान' को वित्तीय वर्ष 2010-11 से संशोधित कर '31-सहायता अनुदान समान्य' पढ़ा जाने लगा। इसके अतिरिक्त, वस्तु शीर्ष '36 सहायता अनुदान -वेतन' को वित्तीय वर्ष 2011-12 से खोला गया था।

नीचे दिया गया ग्राफ पिछले पांच वर्षों में संघ सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के सहायता अनुदान को दर्शाता है।

चार्ट 5.2: सहायता अनुदान के प्रकार

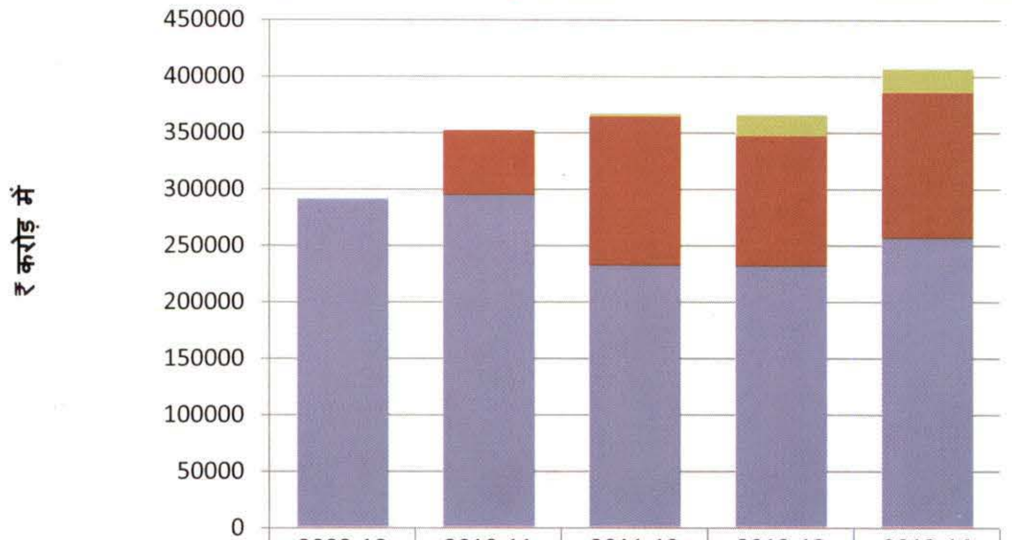

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सहायता अनुदान वेतन			2049	18536	20530
पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान		57326	132587	115710	129839
सहायता अनुदान सामान्य	291443	295318	232613	231951	256773

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प। डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे'. शामिल नहीं है (पूंजीगत लेखा में गलती से वर्गीकृत सहायता अनुदान को छोड़कर)

5.2.1 प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सहायता अनुदान व्यय में से प्रभारित व्यय लगभग 14 *प्रतिशत* था। ये अनुदान, जो प्रकृति में गैर-योजनागत है, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अनुसार बनाए गए हैं।

नीचे चार्ट पांच वर्षों की अवधि के प्रभारित दत्तमत सहायता अनुदानों का विवरण दर्शाता है।

चार्ट 5.3: प्रभारित तथा दत्तमत सहायता अनुदान

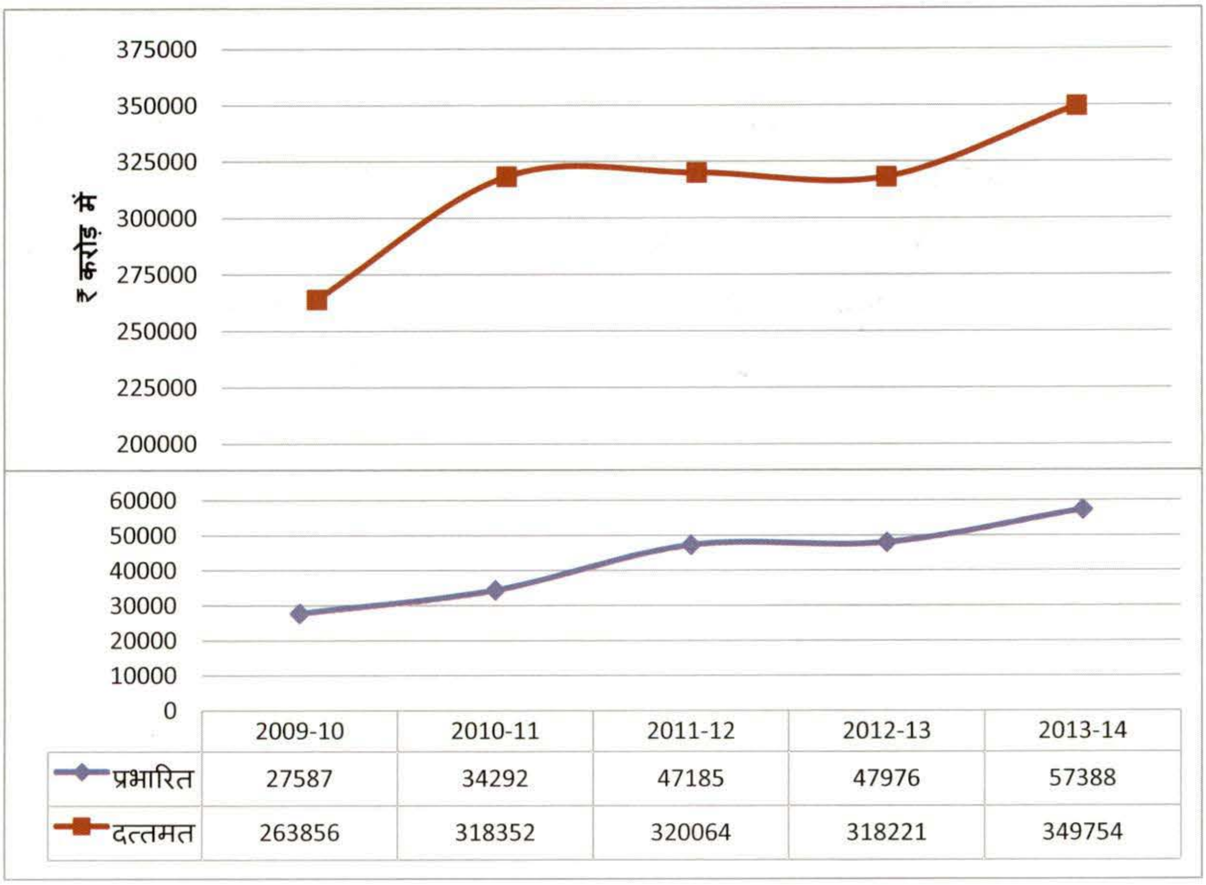

स्रोतः ई-लेखा डाटा डम्प। डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे'. शामिल नहीं है (पूंजीगत लेखा में गलती से वर्गीकृत सहायता अनुदान को छोड़कर)

वर्ष 2013-14 के लिए प्रभारित सहायता अनुदान को मख्य रूप से दो मांगों अर्थात राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण तथा जनजाति कार्य मंत्रालय को जारी किया गया था। ₹57,388 करोड़ के प्रभारित अनुदानों में से राज्य सरकारों को प्रदान किए गए ₹53,905 करोड़ के अनुदान मांग सं. 36 के लिए थे। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान, मुख्य रूप से, राज्यों के गैर-योजनागत राजस्व घाटे, प्रारम्भिक शिक्षा, पर्यावरण, परिणामों को सुधारने, सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण, स्थानीय निकायों, आपदा राहत इत्यादि के लिए है। इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को सृजित करने तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं के लिए योजना अनुदान प्रदान करता है।

5.2.2 योजनागत तथा गैर-योजनागत अनुदान

संघ सरकार द्वारा दोनों, नियोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु तथा अन्य उद्देश्यों हेतु सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। **चार्ट 5.4** योजनागत तथा गैर-योजनागत वर्ग के अधीन सहायता अनुदानों के विवरण दर्शाता है। सहायता अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा नियोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु प्रदान किया गया सहायता अनुदान है। 2009-10 से 2013-14 के दौरान योजनागत सहायता अनुदान का अंश कुल सहायता अनुदान के 78 से 80 *प्रतिशत* के बीच था।

चार्ट 5.4: योजनागत बनाम गैर-योजनागत सहायता अनुदान

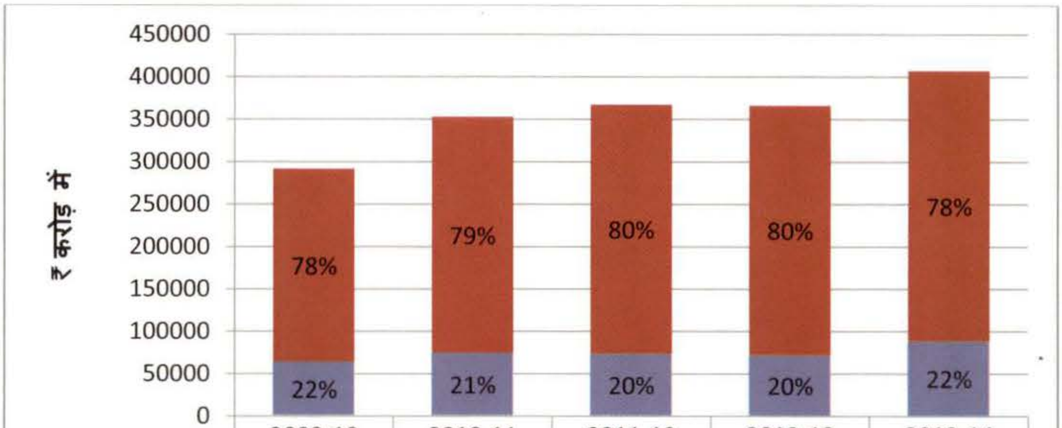

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
योजनागत	227490	278095	293481	293995	318211
गैर-योजनागत	63953	74549	73768	72202	88931

स्रोत : ई-लेखा डाटा डम्प (नवम्बर 2014) । पूंजीगत लेखा में गलती से वर्गीकृत सहायता अनुदान को छोड़कर डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल है परंतु 'रेलवे' शामिल नहीं है

2009-10 से 2013-14 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान योजनागत अनुदानों ने 40 *प्रतिशत* की वृद्धि सूचित की जबकि गैर-योजनागत अनुदान 39 *प्रतशित* तक बढ़े हैं।

5.3 योजनागत सहायता अनुदान व्यय की बदलती प्रकृति

नब्बे के मध्य से संघ सरकार कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित धन को, कार्यान्वयन अभिकरणों, जो कि समितियां, स्वायत्त निकाय, गैर-सरकारी संगठन आदि हैं, के खातों में सीधे अंतरित करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर रही है। अंतरण की इस पद्धति को प्रायः 'समिति पद्धति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसी संस्थाऐं राज्य तथा जिला स्तर दोनों पर हैं

तथा उनकी निधियां राज्य की समेकित निधि से बाहर हैं। संघ सरकार की अन्य पद्धति राज्य सरकार द्वारा अनुदानों का अंतरण करना है तथा यह "राजकोषीय पद्धति" के रूप में संदर्भित है, जो इस प्रकार अंतरण की गई राशि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुरूप राज्यों की समेकित निधि में क्रेडिट करने पर जोर देता है। क्रेडिट की गई राशि को फिर वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से समेकित निधि से विनियोजित किया जाता है। अंतरण की यह पद्धति एक संतुलित लेखांकन प्रणाली द्वारा समर्थित है जो लेखांकन में व्यय के अंतिम शीर्ष तक का पता लगाती है, जिसमें प्रत्येक लेन-देन के वाउचर राजकोष तथा राज्य महालेखाकार के पास उपलब्ध होते हैं। यह सुविकसित लेखांकन ढांचा उचित वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करता है तथा व्यय की गुणवत्ता पर पर्यवेक्षण प्रदान करता है।

समिति पद्धति के माध्यम से अनुदानों के अंतरण की प्रमात्रा तेजी से बढ़ी है। प्रथम वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2006-07 से जिसके लिए तुलनीय डाटा उपलब्ध है, संघ सरकार के लेखों में दर्ज व्यय ₹43,816[1] करोड़ का है। वर्ष 2013-14 के दौरान, यह आंकड़ा ₹1,12,708[1] करोड़ तक बढ़ा है जो लगभग ढाई गुना बढ़ा है। नीचे चार्ट राजकोषीय पद्धति के माध्यम से राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को, समिति पद्धति से सीधे कार्यान्वयन अभिकरणों को एवं मंत्रालय के क्रियात्मक शीर्षों से अन्य निकाय/प्राधिकरणों को जारी किए गए सहायता अनुदानों के ब्यौरों को दर्शाता है।

[1] वर्ष 2006-07 एवं 2013-14 में राजस्व खंड के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष जारी राशि क्रमशः ₹43,372 करोड़ एवं ₹1,12,050 करोड़ थी।

चार्ट 5.5: राज्य सरकारों तथा अन्य अभिकरणों को योजनागत सहायता अनुदान

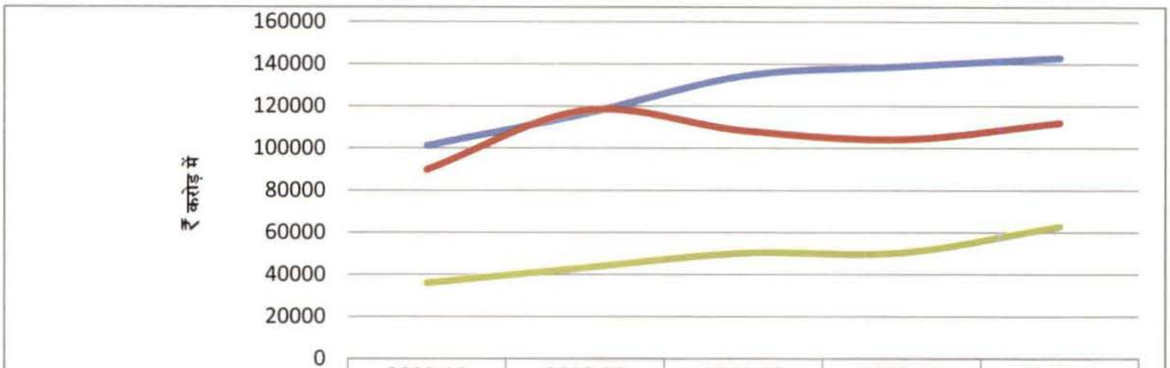

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राज्य/सं.शा.क्षे. $	101466	116629	134635	139106	143184
कार्यान्वयन अभिकरण#	89936	118051	108480	104311	112050
अन्य^	36088	43415	50366	50578	62977

$-डाटा स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प (नवम्बर 2014)। इसमें जर्नल प्रविष्टियाँ शामिल नहीं है। डाटा में सभी सिविल, डाक तथा रक्षा अनुदानों हेतु व्यय शामिल हैं परन्तु 'रेलवे' शामिल नहीं है।

डाटा स्रोत: व्यय बजट की विवरणी सं.18 का खण्ड-।

^ संतुलन आंकड़ा

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निधियों के अंतरण के लिए राज्यों की समेकित निधि के बाहर राज्य तथा जिला स्तरीय अभिकरणों को स्थापित करने की एक मुख्य अभिप्रेरणा, ऐसे अंतरणों को राज्यों द्वारा अपने अर्थोपाय उद्देश्यों हेतु उपयोग किये जाने से बचाना था। राशियों का अर्थोपाय उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है, के आधार पर समिति पद्धति के माध्यम से निर्गमों का औचित्य तर्कसंगत नहीं है हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में राज्य सरकारों के पास एक बड़ा रोकड़ आधिक्य रहा है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रणाली को कार्यक्रम उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लोक निधियों का व्यय करने में कार्यान्वयन अभिकरणों को अधिक प्रत्यायोजित तथा लचीला बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया था। तथापि, जवाबदेही ढांचे का अनुकूल सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया है। विकेन्द्रित समिति/कार्यान्वित अभिकरण पद्धति में प्राधिकार के फालतू तथा दुरूपयोग के नियंत्रण की जिम्मेदारी नाकाम हो गई हैं।

यह पाया गया था कि विभिन्न विकासात्मक एवं सामाजिक सहायता को तर्कसंगत करने के वृहतर प्रयास के भाग के रूप में मौजूदा केन्द्रीय

प्रायोजित/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजनाएँ, योजना आयोग के जुलाई 2013 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 66 योजनाओं में पुनर्गठित की गयी है। कार्यालय ज्ञापन प्रकट करता है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के निधियों से सभी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के साथ इन 66 योजनाओं के संबद्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता संबंधित राज्यों की समेकित निधि के द्वारा चरणबद्ध तरीके से अंतरित की जाएगी

5.3.1 कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) के लेखों में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष

वर्ष 2013-14 में, संघ सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹1,12,708[2] करोड़ जारी किए। चूंकि कार्यान्वयन अभिकरणों (का.अ.) द्वारा निधियों का व्यय उसी वित्तीय वर्ष में नहीं किया गया था, उनके खातों में अव्ययित निधि की बड़ी राशि पड़ी थी। सरकारी खाते से बाहर का.अ. के खाते में रखी गयी, अव्ययित शेषों की कुल राशि तुरंत सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकारी व्यय, जैसा कि लेखों में दर्शाया गया है, को उस सीमा तक अधिक बताया गया है। सरकारी लेखे प्रत्यक्ष निर्गमों की यथार्थ राशि भी प्रकट नहीं करते।

लोक व्यय (समिति) के दक्ष प्रबंधन पर रंगराजन समिति ने समिति पद्धति के कार्यान्वयन में कई कमियां पाई। कमियों में का.अ. हेतु लेखांकन कार्यढांचा का एक समान न होना, इस प्रकार सृजित परिसम्पत्तियों के आश्वासन तथा लेखांकन की कमी, का.अ. द्वारा किए गए व्यय पर केन्द्रित डाटा की अनुपस्थिति, क्या उपयोग प्रमाणपत्र प्राधिकृत है पर आश्वासन की अनुपस्थिति, बड़े अव्ययित शेषों का प्रणाली के बाहर प्रवाह के रूप में रहना तथा नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्र का सभी उप-अनुदान ग्राहियों पर व्यापक न होना शामिल है।

समिति ने यह भी पाया कि राजकोष पद्धति के माध्यम से निर्गत निधियों के लाभों पर अधिक बल नहीं दिया जा सका था। उसने यह भी बताया कि यह पद्धति सभी विपत्तियों का निपटान न कर पाए फिर भी यह बहु-अभिकरणों तथा

[2] व्यय बजट 2015-16 (खण्ड-I) विवरणी-18 के अनुसार

संस्थान जिन पर राज्य का कम नियंत्रण था, वाली प्रणाली से अच्छी थी। तेरहवें वित्त आयोग ने भी बताया था कि इष्टतम समाधान निधियों का निर्गम राज्य बजटों के माध्यम से करें जिससे कि राजकोष प्रणाली निधियों के उपयोग को सूचित कर सके तथा राज्य सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर कर सके।

समिति ने आगे सिफारिश की कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना से सभी नई योजनाओं के साथ यथासंभव निधियों के अंतरण को पूर्णत: राजकोष पद्धतियों में सीधे अंतरण करना प्रारंभ किया जाए। विद्यमान योजनाओं के लिए आवश्यक समायोजन हेतु लघु परवर्ती अवधि अपेक्षित थी। तथापि, जबकि राजकोष पद्धतियों में पूर्ण अंतरण कर दिया गया था फिर भी समिति पद्धति के अंतर्गत योजनाओं के लेखांकन, बकाया उपयोग प्रमाणपत्र को प्रस्तुतीकरण तथा लेखापरीक्षण को तर्कसंगत किया जाना था।

वर्ष 2007-08 के लिए शुरू हो रहे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. सी.ए.-13 में भी इस विषय पर उत्तरोत्तर रूप से टिप्पणी की गई है।

व्यय विभाग ने लोक लेखा समिति को अपने उत्तर (जनवरी 2014) में स्वीकार किया कि विकास अथवा सामाजिक सहायता हेतु आवश्यक निधियों का बेकार पड़े रहना, न केवल एक अपर्याप्त वित्तीय स्थिति में ऋण लेने के उच्च कीमत के कारण अस्वीकार्य है अपितु इसलिए भी कि इन निधियों से आयोजित की जाने वाली गतिविधियां भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगी। विभाग ने इसके अतिरिक्त बताया कि संशोधित अनुमानों की बैठकों के दौरान, कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पड़े अव्ययित शेषों की सावधानी से जांच की गयी एवं मंत्रालय को ऐसे शेषों की मात्रा को कम करने की सलाह दी गयी है। इसके अतिरिक्त, स्वायत्त निकायों/गै.स.सं./संस्थान एवं केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय निकाय स्तर के संगठन (राज्य सरकार को छोडकर) को किसी प्रकार का अनुदान जारी न करने के निर्देश भी जारी (नवम्बर 2012) किये जा चुके हैं, यदि उस निकाय ने केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों से संबंधित सभी उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो। विभाग ने यह भी बताया कि 66 पुनर्गठित योजनाओं हेतु केन्द्रीय निधि राज्यों की समेकित निधि के माध्यम से 2014-15 से एक चरणबद्ध तरीके से अंतरित की जाएगी। संघीय बजट 2014-15 के अनुरूप राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त

निकायों/कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता की कोई निधि प्रत्यक्ष अंतरित नहीं की गई थी।

5.3.2 सहायता अनुदान व्यय के मामले में नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रबंधन

सार्वजनिक सेवा वितरण मुख्यत: सामाजिक क्षेत्र में, सरकारी अभिरकणों, सरकार के विभिन्न स्तरों तथा गैर-सरकारी संगठनों सहित निजी क्षेत्र के बीच बढ़ते हुए जटिल अंत: संबंध द्वारा वर्णित किया गया है। हाल के वर्षों में, प्रमुख कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्रीय प्रायोजित येाजनाओं, जो योजनागत व्यय का सार्थक अनुपात संघटित करती है, के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकारी नीति में उदाहरणीय परिवर्तन है।

संघ सरकार, योजनागत योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों सिविल मंत्रालयों/विभागों के लिए विदेश मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग को छोडकर जारी सभी सहायता अनुदानों का एक डाटा बेस का अनुरक्षण करती हैं। डाटाबेस को लेाक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (लो.वि.प्र.प्र.) (पूर्व में केन्द्रीय नियोजित योजना मॉनीटरिंग प्रणाली के.नि.यो.मॉ.प्र) कहा जाता है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए लो.वि.प्र.प्र. के डाटा के आधार पर सहायता अनुदान व्यय का व्यापक विश्लेषण किया गया था। प्राप्तकर्ताओं की सैद्धांतिक श्रेणियों के अनुसार विद्यमान सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रबंधों सहित जारी अनुदानों के विवरण जैसा कि लो.वि.प्र.प्र. में सम्मिलित है **तालिका 5.1** में दिया गया है:-

तालिका 5.1: 2013-14 के दौरान श्रेणी वार योजना गत जारी अनुदान तथा लेखापरीक्षा अधिदेश

श्रेणी	जारी राशि (₹करोड़ में)	नि.म.ले.प. (कर्त्तव्य,शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम1971 के संदर्भ में नि.म.ले.प.का लेखापपरीक्षा अधिदेश
केन्द्रीय सरकारी संस्थान*	1229.87	धारा 14, 15 एवं 20
राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र उपक्रम	142103.13	धारा 13
केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	6512.93	धारा 19(1)
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	2934.74	धारा 19(1)
सांविधिक निकाय	6589.42	धारा 19(2) एवं (3)

स्थानीय निकाय	3996.32	धारा 14, 15 एवं 20 तथा तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहायता (प्र.भा.स.) के अंतर्गत
पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	144316.56	धारा 14, 15 एवं 20
पंजीकृत समितियां (गैर सरकारी संस्थान)	1836.46	धारा 14, 15 एवं 20
निजी क्षेत्र कम्पनियां	1604.03	धारा 14, 15 एवं 20
राज्य सरकारी संस्थान	2629.08	धारा 13, 14, 19 एवं 20
अंतराष्ट्रीय संगठन	45.37	--
व्यक्तिगत	22.92	--
ट्रस्ट	626.64	--
राज्य सरकार आहरण एवं वितरण अधिकारी	35.47	--
कुल	**314482.94**	

स्रोत: ले.म.नि. द्वारा प्रस्तुत डाटा लो.वि.प्र.प्र. के अनुसार

* डाटाबेस में दर्शाए गए श्रेणी के नाम (अभिकरण का प्रकार) लो.वि.प्र.प्र. के अनुसार केवल केन्द्र सरकार हैं। अभिकरण के प्रकारों में अन्य श्रेणी ब्यौरे को लो.वि.प्र.प्र. डाटा बेस में दर्शाए गए के अनुसार माना गया है।

- उपरोक्त तालिका में प्रथम पांच श्रेणियों सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को प्रदर्शित करती है। ऐसे मामलों में भा.नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा छूट सुस्पष्ट है। इन मामलों में अंतरण की पद्धति एक उच्च लेखांकन प्रणाली से समर्थित है तथा विशेषकर राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों से संबंधित व्यय का पता अंत में लगाया जा सकता है। जहां प्रत्येक लेन-देन से संबंधित वाउचर राज्य महालेखाकार के पास उपलब्ध है।

- योजनागत निधियों की पर्याप्त राशि पंजीकृत समितियों/गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों को भी जारी की गई है। इनमें से अधिकांश संस्थान नि.म.ले.प. के प्रत्यक्ष लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं है। नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 निर्धारित करता है कि नि.म.ले.प. द्वारा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध निकायों अथवा प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा तब की जा सकेगी जब उस संस्थान के कुल व्यय का 75 प्रतिशत सरकार द्वारा निधिबद्ध किया गया हो, तथा अनुदान या ऋण के रूप में सहायता ₹25 लाख से अधिक हो

नि.म.ले.प. भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से वैकल्पिक रूप से उन संस्थानों की लेखापरीक्षा कर सकेगा, अगर उन संस्थानों को दी गई सहायता ₹1 करोड़ से अधिक हो। इस प्रकार, नि.म.ले.प. द्वारा इन संस्थाओं की, जो कि पर्याप्त रूप से सरकार द्वारा निधिबद्ध है, लेखापरीक्षा करने हेतु अनुदानग्राही संस्थान के कुल व्यय के विवरण की आवश्यकता इस संतुष्टि के लिए होगी कि सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुदान/सहायता का कुल व्यय 75 प्रतिशत से अधिक है। यह ऐसे इकाईयों के वार्षिक लेखों को नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराना अपेक्षित करता है। नवम्बर 2007 में लेखापरीक्षा एवं लेखा पर अधिसूचित विनियम में एक प्रावधान है कि सरकारों एवं विभागाध्यक्षों, जो निकायों अथवा प्राधिकरणों के अनुदान एवं ऋण संस्वीकृत करती है, को लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों की विविरणी प्रस्तुत करें जिन्हें कुल ₹10 लाख एवं अथवा अधिक का ऋण विगत वर्ष के दौरान प्रदान किया गया था, इसमें (क) सहायता की राशि (ख) जिस प्रयोजन हेतु सहायता संस्वीकृत की गयी, (ग) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शाया गया हो। तथापि, वर्तमान में सरकार के पास स्वयं के द्वारा पर्याप्त रूप से निधिबद्ध निकायों के वार्षिक लेखों को प्राप्त करने तथा इन लेखों को नि.म.ले.प. को प्रेषित करने हेतु कोई क्रियाविधि नहीं है। यह ऐसे संस्थानों की समय से लेखापरीक्षा करने तथा नि.म.ले.प. द्वारा संसद को लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समय पर सूचित करने को भी सीमित करता है।

- कुछ प्रमुख कार्यक्रम तथा योजना दिशानिर्देश वास्तविक व्यय तथा कार्यक्रम सुपुर्दगी हेतु उप-अनुदानग्राहियों को एक भाग अथवा पूर्ण राशि सौपने वाले प्रधान दानभोगी निकाय अथवा प्राधिकरण के माध्यम से सरकारी सहायता करने का विचार करते हैं। सरकारी निधीयन प्राप्त कर रहे विभिन्न अभिकरण तथा समितियों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.से.श.) अधिनियम 1971 की धारा 14,15, 19 तथा 20 के अंतर्गत की जाती है। तथापि, विद्यमान प्रावधानों में उप-अनुदानग्राहियों,

कार्यान्वयन अभिकरणों समितियों आदि जो समेकित निधि से या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, की लेखापरीक्षा हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रावधान नहीं है।

- इसके अतिरक्त, एक पर्याप्त संख्या में समितियां पंजीकृत समितियों/ गैरसरकारी संगठन/ट्रस्ट केवल प्रथम स्तरीय अनुदानग्राही है। यह प्रत्यक्ष रूप से नियोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल नहीं है। वे बदले में, कार्यान्वयन अभिकरणों को अनुदान प्रदान करते है। ऐसे उप-अनुदानग्राही सीधे नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते है।
- स्थानीय निकायों जैसे पंचाययती राज संस्थान तथा शहरी निकायों जैसे निगम एवं नगर पालिकाओं के मामलों में, अधिकांश राज्यों में, नि.म.ले.प. प्राथमिक लेखापरीक्षा नहीं है परन्तु प्राथमिक लेखापरीक्षकों को तकनीकी निर्देशन तथा पर्यवेक्षण/सहायता प्रदान कर रहा है।

अत: सहायता अनुदान से संबंधित व्यय की पर्याप्त राशि के लिए नि.म.ले.प. की शक्तियां बंधित एवं प्रतिबंधित है। इससे सार्वजनिक व्यय के प्रति उत्तरदायित्व के बड़े मुद्दे पर प्रभाव पड़ता है।

5.4 उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प)

केन्द्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदानों की प्रभावकारिता तथा उपयोग को, उपयोग प्रमाणपत्रों की क्रियाविधि के माध्यम से मॉनीटर किया जाता है। वित्तीय नियमावली 2005 का नियम का 209 किसी भी अनुदानग्राही को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है तथा संस्वीकृत देने वाले प्राधिकरण को सा.वि.नि. 39 के प्रारूप में अनुदानों की पंजिका का अनुरक्षण करना आपेक्षित है। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212 सा.वि.नि. 19क में निर्धारित उपयोग प्रमाणपत्र की क्रियाविधि के माध्यम से जारी किए गए अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग को शामिल करता है। अनुदानग्राही को वित्तीय वर्ष समाप्ति से बाहर माह के अन्दर उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराना अपेक्षित है। सा.वि.नि. का नियम 212(3) अनुदानग्राही निकायों

द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को उपलब्धि-सह-निष्पादन रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रावधान करता है।

31 मार्च 2014 तक बकाया उ.प्र. से संबंधित ब्यौरे सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों से मंगाये गये थे। विवरण जैसा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गये, निम्न तालिका में दर्शाए गये हैं:-

तालिका 5.2: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र के विवरण

क्र;सं.	मंत्रालय का नाम	बकाया उ.प्र. की सं.	उ.प्र. की राशि (₹करोड़ में)
1.	कृषि मंत्रालय	3089	12380.20
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग	616	40.38
3.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	38	64.84
4.	संस्कृत मंत्रालय	3248	245.09
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6724	16192.46
6.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2704	483.59
7.	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय	7100	1439.31
8.	भारी उद्योग विभाग	21	526.42
9.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3889	9954.21
10.	कार्मिक एवं पेंशन विभाग	27	0.71*
11.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	332	136.12
12.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	10046	653.26
13.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	242	75.90
14.	शहरी विकास मंत्रालय	150	280.90
15.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	343	591.08
16.	जनजाति कार्य मंत्रालय	164	365.93
17.	खनन मंत्रालय	4	1.59
18.	अंतरिक्ष विभाग	281	17.30
19.	उपभोक्ता मामले खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय	90	19.26
20.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	596	90.73
21.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	4611	312.72
	योग	**44315**	**43872.00**

* आंकड़े केवल 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि से संबंधित है।

31 मार्च 2014 को 21 मंत्रालयों/विभागों में ₹43,872 करोड़ के 44315 उ.प्र. जो जनवरी 2015 को देय थे, बकाया थे। मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह प्रदान

किया गया था, उ.प्र. एकमात्र साधन है। बकाया उ.प्र. की बड़ी संख्या संबंधित मंत्रालयों/विभागों में खराब मॉनीटरिंग तथा अनुपालन क्रियाविधि को दर्शाता है।

5.5 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सहायता अनुदानों पर व्यय की विस्तृत जांच

दो मंत्रालयों अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में सहायता अनुदानों के अंतर्गत किये गये व्यय की लेखापरीक्षा में, अनुदानों के संस्वीकृति एवं माफनीटरिंग के तंत्र तथा किये गये व्यय की गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता आदि के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए समीक्षा की गयी थी। ऐसी जांच से उजागर परिणामों पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

5.5.1 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा सुक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय के कुल व्यय का काफी हिस्सा सहायता-अनुदान पर किया जाता है। सहायता-अनुदान पर दोनों मंत्रालयों के व्यय की समीक्षा, किये गये व्यय की गुणवत्ता के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गयी है। इस प्रक्रिया में, मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं प्रस्तुत किये गये उत्तर डाटा के अलावा ई-लेखा एवं लो.वि.प्र.प्र. डम्प की सूचना/डाटा का भी उपयोग किया गया है। समीक्षा का आयोजन निम्नलिखत मूल्यांकन के उद्देश्य से किया गया है:-

- अनुदान प्रदान करने के लिए मंत्रालयों से सुस्पष्ट सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं की मौजूदगी;
- विभाग के विशेष नियमों तथा विनियमों की मौजदूगी जिसे सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में वर्गीकृत किया गया है;
- निर्धारित नियमों, विनियमों सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना करते हुए सहायता अनुदान की संस्वीकृति;
- मंत्रालय बजट परिपत्रों एवं वित्त-द्वारा जारी सहायता अनुदान के निर्गम को अधिशासित करने वाले सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में निहित निर्देशों का अनुपालन;
- वर्ष के दौरान सहायता का समान प्रवाह अनुदान पर व्यय:

- मंत्रालयों में सहायता अनुदान के समयबद्ध उपयोग, निर्गमित अनुदानों से किये गये व्यय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग प्रमाणपत्रों की जांच के संबंध में प्रभावी मूल्यांकन एवं मॉनीटरिंग तंत्र की मौजूदगी।

अनुदान सं.89- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

5.5.2 प्रस्तावना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो विभाग हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा नि:शक्तता कार्य विभाग।

(क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का अधिदेश है अनुसूचित जाति (.व.प.अ) पिछड़ा वर्गोंअन्य ,से नागरिकों के वंचित समूहों (.जा.अ), वरिष्ठ नागरिकों, मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार (शराब और नशीली दवा), ट्रांसजेंडर व्यक्तियों एवं भिखारियों के सुधार एवं सशकतिकरण के लिए विशेष रूप से सुसज्जित योजनाओं को लागू करना है।

विभाग उपर्युक्त अधिदेश को निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है:

- शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास एवं अका .व.वि.एवं अ .जा. करण तथासशक्ति;
- वरिष्ठ नागरिकों एवं मादक द्रव्यों के शिकार के लिए आवश्यक सहायता एवं सेवाओं का प्रावधान।

निम्नलिखित स्वायत्त निकायोंय एवं अधिकारिता विभाग ऐं सामाजिक न्यासंस्था/ के प्रशासनिक नियंत्रण में है:

(क)राष्ट्रीय आयोग

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (निकाय संवैधानिक)
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (सांविधिक निकाय)
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (सांविधिक निकाय-गैर)

(ख) प्रतिष्ठान

- डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
- बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय प्रतिष्ठान

(ग) निगम

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली

(ख) नि:शक्तता कार्य विभाग

मंत्रालय में नि:शक्तता कार्य विभाग नि:शक्त जनों के पुनर्वास एवं सशक्तिकरण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें दृष्टिबाधित, बधिर, वाणी विक्लांग, गति विक्लांग एवं मानसिक विक्लांग व्यक्ति शामिल हैं।

विभाग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपायों को संचालित करता है:

- भौतिक पुनर्वास, जिसमें जल्दी पता लगाना और हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास एवं नि:शक्तता के प्रभावों को कम करने के लिए उचित सहायता एवं उपकरणों की खरीद में सहयता शामिल है।;
- शैक्षणिक पुनर्वास व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करते हुए;
- आर्थिक पुनर्वास;
- सामाजिक सशक्तिकरण;
- आंतरिक दक्षता/जवाबदेही/पेशेवरों और कर्मियों के मध्य सेवा वितरण शामिल हैं; तथा
- सामाज के विभिन्न वर्गों के मध्य जागरूकता पैदा करके नि:शक्त जनों के सशक्तिकरण की वकालत करना;

निम्नलिखित सांविधिक निकाय, निगम एवं राष्ट्रीय संस्थान नि:शक्तता कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण है:

सांविधिक निकाय

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद

(ii) नि:शक्त जनों के लिए मुख्य आयुक्त

(iii) स्वलीनता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता एवं बहु विक्लांगता व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास।

निगम

(i) राष्ट्रीय विक्लांग एवं विकास निगम

(ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर

राष्ट्रीय संस्थान

(i) पं. दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विक्लांग संस्थान, नई दिल्ली

(ii) राष्ट्रीय अस्थि विक्लांग संस्थान, कोलकाता

(iii) राष्ट्रीय दृष्टि विक्लांग संस्थान, देहरादून

(iv) राष्ट्रीय मानसिक विक्लांग संस्थान, सिंकदराबाद

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, मुम्बई

(vi) स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक

(vii) बहु विक्लांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान, चेन्नई

(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली

5.5.3 बजट एवं व्यय

मंत्रालय का कुल राजस्व व्यय 2011-12 में ₹4,849.08 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹5,217.35 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान सभी वर्षों में मंत्रालय के योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का प्रतिशत क्रमश: 98 *प्रतिशत* एवं 2 *प्रतिशत* था।

सहायता अनुदान पर व्यय मंत्रालय के राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक है। 2011-12 से 2013-14 के दौरान 99 प्रतिशत से अधिक योजनागत राजस्व व्यय

सहायता अनुदान पर था जबकि गैर-योजनागत व्यय में यह 53.16 *प्रतिशत* से 55.13 *प्रतिशत* के बीच रहा जिसका विवरण निम्न तालिका में है:

तालिका 5.3: राजस्व लेखे पर प्रावधान एवं व्यय लेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय		सहायता अनुदान पर व्यय		वास्तविक व्यय की तुलना में सहायता अनुदान का प्रतिशत	
	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत
2011-12	5105.02	78.03	4764.71	84.37	4733.89	46.51	99.35	55.13
2012-13	5615.02	93.31	4677.75	91.10	4640.54	48.43	99.20	53.16
2013-14	6320.03	100.34	5119.56	97.79	5061.52	52.97	98.87	54.17

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना

2011-12 से 2013-14 के लिए वस्तु शीर्ष '31-सहायता अनुदान-सामान्य'; '35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदाने'; तथा '36 सहायता अनुदान-वेतन ' के अनुसार अनुदानों पर व्यय का वितरण निम्नानसुार है:

तालिका 5.4: विषय शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
31-सहायता अनुदान-सामान्य	4665.84 (97.60 %)	4580.51 (97.69 %)	4975.25 (97.28 %)	14221.60
35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	106.98	61.57	87.67	256.22
36-सहायता अनुदान वेतन	7.58	46.89	51.57	106.04
कुल	**4780.40**	**4688.97**	**5114.49**	**14583.86**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डी.डी.जी./व्यय आंकड़े

97 प्रतिशत से अधिक अनुदानें सहायता-अनुदान-सामान्य शीर्ष के अधीन दी गयी थीं।

5.5.4 सहायता अनुदान पर व्यय का माह-वार प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212(1) के अनुसार, मंत्रालय अथवा विभाग को पूरे वर्ष में व्यय को एक समान प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए।

वर्ष के दौरान मंत्रालय के पूंजीगत व्यय के प्रवाह की पड़ताल ई-लेखा डाटाबेस की मदद से की गयी। यह पाया गया कि मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के

वर्षों के दौरान उपरोक्त प्रावधान का पालन नहीं किया था। **चार्ट 5.6** योजनागत व्यय के मासिक प्रवाह को दर्शाता है :-

चार्ट 5.6: **योजनागत व्यय का प्रवाह**

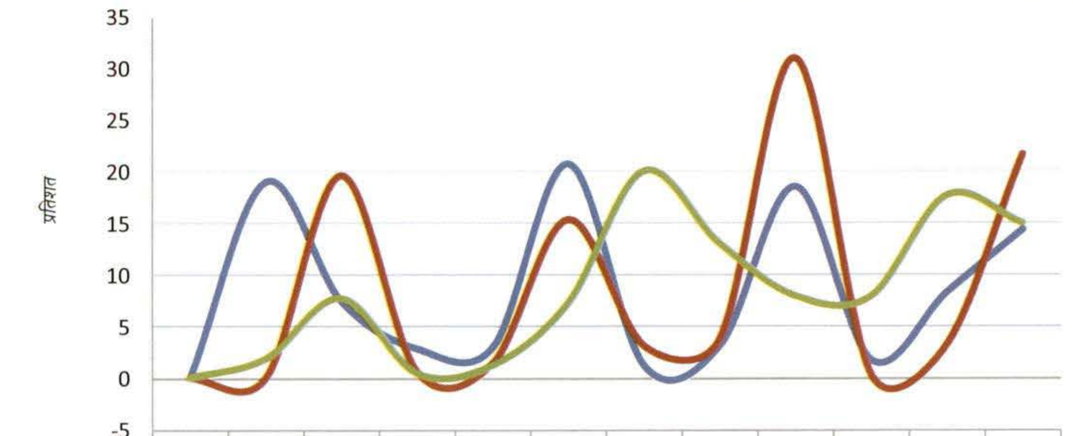

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जनवरी	फरवरी	मार्च
2011-12	0	18.95	7.42	2.82	2.97	20.68	1.20	3.13	18.47	1.74	8.29	14.33
2012-13	0	0	19.59	0.65	1.43	15.34	3.14	3.76	30.89	0.34	3.27	21.59
2013-14	0	1.85	7.72	0.48	1.22	7.24	19.98	13.05	7.96	7.91	17.61	14.98

स्रोत: ई-लेखा डाटा-डम्प

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान वर्ष भर मासिक व्यय एक समान नहीं था। योजनागत व्यय का बड़ा भाग 2011-12 के सितम्बर माह में (20.68 प्रतिशत), दिसम्बर 2012-13 में (30.89 प्रतिशत) एवं अक्तूबर 2013-14 में (19.98 प्रतिशत) किया गया जबकि इन तीन वर्षों की अवधि में अप्रैल, जुलाई, अगस्त तथा जनवरी के महीनों में व्यय नगण्य था।

चार्ट 5.7 में दिये गये लो.वि.प्र.प्र. डाटा के विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश संस्वीकृतियां 2011-12 से 2013-14 के दौरान मार्च के महीने में जारी की गयी थीं जबकि इसे एक पूरे वर्ष के दौरान की जाने वाली प्रक्रिया होना चाहिये था।

चार्ट 5.7: जनित संस्वीकृतियों का प्रवाह (लो.वि.प्र.प्र. डाटा से)

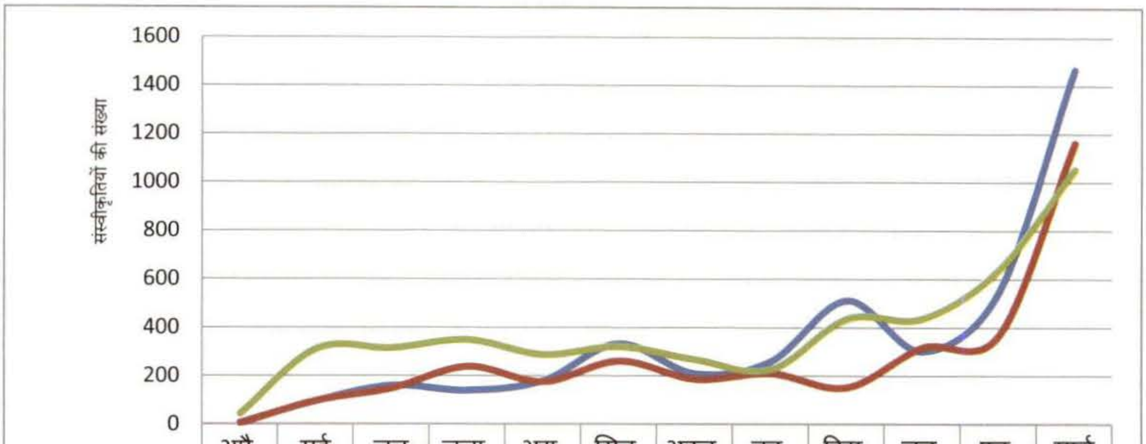

	अप्रै.	मई	जून	जुला.	अग.	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2011-12	8	97	161	141	181	335	211	262	513	304	547	1469
2012-13	5	98	150	240	177	263	188	212	154	320	370	1164
2013-14	45	312	317	351	290	323	270	229	439	441	642	1056

स्रोत: लो.वि.प्र.प्र. डाटा

5.5.5 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय तथा पंजीकृत समितियां आदि संस्थाओं के संबंध में संस्वीकृत एवं जारी किये गये अनुदान

महालेखा नियंत्रक योजनागत स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को जारी सहायता अनुदानों का डाटाबेस रखता है। लो.वि.प्र.प्र. से प्राप्त वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान जारी सहायता अनुदानों के ब्यौरे जिन्हें प्राप्तकर्ताओं की प्रमुख श्रेणियों के अनुसार विश्लेषित किया गया है, नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 5.5: प्राप्तकर्ताओं के अनुसार व्यय का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

अभिकरण का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान
केन्द्र सरकार संस्थान	2.75	1.75	9.36	7.22	32.32	16.05
केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	78.59	43.59	129.96	77.21	112.28	106.72
पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	303.96	200.74	133.10	76.38	195.09	164.37
पंजीकृत समितियां (गैर-सरकारी संगठन)	219.72	184.21	143.45	112.44	195.93	159.48
राज्य सरकार/के.शा.प्र.	4866.96	4259.52	4968.95	4324.64	5534.04	4581.65

अभिकरण का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान
राज्य सरकार संस्थान	0.60	0.54	36.52	4.16	7.94	6.52
राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	0.81	0.71	0.75	0.74	7.08	7.08
सांविधिक निकाय	95.76	42.07	45.44	26.61	31.04	27.63
ट्रस्ट	0.72	0.68	0.91	0.45	1.81	1.76
स्थानीय निकाय	0.39	0.27	0.16	0.06	0.14	0.14
व्यक्ति	0.03	0.03	0.03	0	0.02	0.01
निजी क्षेत्र कंपनियां	0	0	0	0	0.82	0.71
कुल:	*5570.29*	*4734.11*	*5468.63*	*4629.91*	*6118.51*	*5072.12*

स्रोतः लो.वि.प्र.प्र. के अनुसार मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र के अुनसार, मंत्रालय द्वारा अनुदान हेतु विस्तृत मांग (अ.वि.मा.) में गैर-सरकारी निकायों को सहायता-अनुदान के भुगतान हेतु बजट अनुमानों में शामिल प्रावधानों को दर्शाने वाली एक अनुसूची संलग्न करना अपेक्षित है। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के लिए ₹5 लाख से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों की अ.वि.मा. (2013-14 तथा 2014-15) में सलंग्न सूचियाँ लो.वि.प्र.प्र. डाटा में दर्शायी गई संस्थाओं से बहुत अधिक भिन्न थीं। ब्यौरे **तालिका 5.6** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 5.6: ₹5 लाख से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाले निजी/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या

वर्ष	अ.वि.प्र.प्र. के अनुसार	लो.वि.प्र.प्र. के अनुसार
2011-12	1032	934
2012-13	766	724

5.5.6 सरकारी अनुदान में से अनुदानग्राहियों द्वारा सजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों के डाटा का गैर-अनुरक्षण

वित्त वर्ष 2009-10 से एक नया वस्तु शीर्ष 'पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' शुरू किया गया जिसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान भोगी निकायों को जारी अनुदानों को सुस्पष्ट रूप से दर्ज किया जाना था। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान मंत्रालय पूंजीगत परिसम्पत्तियों के

सृजन हेतु ₹256.22 करोड़ के अनुदान जारी किए जैसा कि निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.8: पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

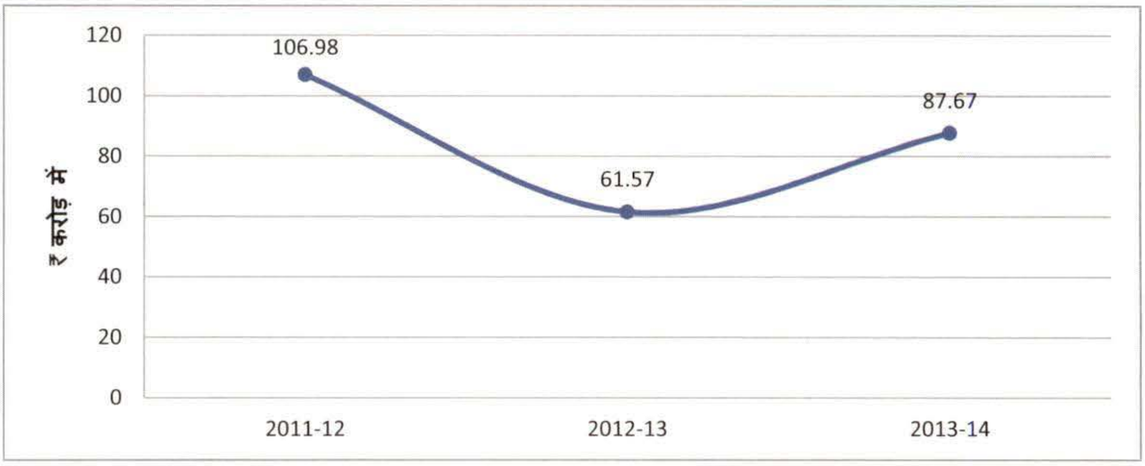

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लो.वि.प्र.प्र. के आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए बजट में चिन्हित प्रावधानों में से स्वायत्त निकायों एवं विश्वविद्यालयों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों (विषय शीर्ष-35) के सृजन के लिए अनुदान जारी किये।

वर्ष 2013-14 के दौरान ₹87.67 करोड़ की कुल अनुदानों में से, ₹24.63 करोड़ एवं ₹19.80 करोड़ क्रमशः स्वायत्त निकायों/राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को जारी किये गये। मंत्रालय अपने संस्वीकृति आदेशों में लगातार एक शर्त शामिल किए जा रहा था कि सृजित परिसम्पत्तियों का मंत्रालय की अनुमति के बिना निपटारा नहीं किया जाएगा। तथापि, इसी प्रकार के किसी केन्द्रीकृत अभिलेख/डाटाबेस जैसे अनुदानभोगी का नाम, सृजित परिसम्पत्तियों के ब्यौरे, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु वास्तव में उपयोग में लाये गये अनुदान की राशि, पूंजीगत हेतु वास्तव में उपयोग में लाये गये अनुदान की राशि, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के स्वामत्वि, इस प्रकार सृजित पूंजीगत परिसम्पत्तियों की भौगोलिक स्थिति आदि के अस्तित्व से संबंधित कोई भी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

ऐसे विवरण के अभाव में, यह आवश्वासन नहीं लिया जा सकता कि इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय से वास्तव में वह पूंजीगत परिसम्पत्तियां सृजित की

गई, जिसके लिए अनुदान संस्वीकृत की गयी थी। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय, इन अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों की किसी सूची के अभाव में, किस प्रकार सुनिश्चित कर रहा था कि अनुदानभोगी निकाय मंत्रालय की अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं कर रहे थे।

5.5.7 सहायता अनुदान रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

सा.वि.नि. **212(4)(क)** तथा सिविल लेखा नियम पुस्तिका के पैरा 4.27.2 के अनुसार, दोहरे भुगतान की संभावना से बचने के लिए मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा फार्म सा.वि.नि.-39 तथा सि.ले.नि.-28 में दिए गए प्रपत्र में अनुदानों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। किसी भी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे जब तक कि उसे अनुभाग के अनुदान रजिस्टर में संबंधित संस्वीकृति के प्रति दर्ज न किया गया हो। यह एक मुश्त संस्वीकृति के मामले में किश्तों, यदि कोई हो, में भुगतानों पर निगरानी करने हेतु भी सुविधा प्रदान करता है।

तथापि, यह पाया गया है कि मंत्रालय ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान विभिन्न स्वायत्त निकायों/अभिकरणों को जारी सहायता अनुदानों के रजिस्टर का निर्धारित प्रपत्र में अनुरक्षण नहीं किया है। निर्धारित रजिस्टर के अनुरक्षण के अभाव में उचित निगरानी तथा संस्वीकृति के प्रति समय पर अनुदान के भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता एवं अनुदान के दोहरे भुगतान मामलों की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। फिर भी, विभिन्न प्रभागों द्वारा रजिस्टर का अनुरक्षण किया गया।

5.5.8 अनुमोदन प्रक्रिया में कमियां

क) अनुदानों के प्राधिकृत तथा निर्गम के बीच विलम्ब

सिविल लेखा नियमपुस्तिका के पैरा 2.3.1 के अनुसार भुगतान हेतु बिलों के उनकी प्राप्ति के अधिकतम सात कार्य दिवसों के भीतर पारित करके चैक जारी किया जाना चाहिए। कम अवधि के अंदर बिलों को पारित करने तथा भुगतान करने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा प्र.मु.ले.नि./मु.ले.नि./ले.नि. को इस संबंध में मानक निर्धारित करने के साथ-साथ उनके अनुपालन को व्यक्तिगत रूप से मॉनीटर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा

निर्दिष्ट 'तत्काल' बिलों पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि उसी दिन या अगले दिन चैक जारी किया जा सके।

लो.वि.प्र.प्र. डाटा के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को चैक जारी किये जाने में आठ दिन से 120 दिन से अधिक तक का विलम्ब था जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.7: सहायता अनुदान जारी करने में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

दिनों में विलम्ब	2011-12		2012-13		2013-14	
	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृत आदेशों की संख्या	राशि
08-30	168	13.59	409	118.92	1044	89.02
31-60	16	1.01	22	2.33	213	9.93
61-90	2	0.14	5	1.70	47	5.37
91-120	0	0	2	0.07	4	0.13
120 दिनों से अधिक	0	0	1	0.05	5	0.25
कुल	**186**	**14.74**	**439**	**123.07**	**1313**	**104.70**

डाटा स्रोत – लो.वि.प्र.प्र. का ऑनलाइन डाटा बेस

ख) मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना प्रदर्शित न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005, के नियम 209 के अनुसार, वह संस्थान या संगठन जो सहायता अनुदान चाहते हैं उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से उसी उद्देश्य अथवा गतिविधि के लिए न तो अनुदान प्राप्त किया है, न ही आवदेन किया है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियम के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार अनुदानों की पुनरावृति से बचने के लिए प्रत्येक विभाग या मंत्रालय को ऐसे संस्थानों या संगठनों की एक सूची राशियों के विवरण तथा अनुदान के उद्देश्य के साथ बनाकर उसे वेबसाइट पर डालनी चाहिए।

कोई ऐसी सूची जिसमें संस्थाओं या संगठनों उनके राशि, विवरण, संगठन को जारी की गयी राशि एवं अनुदान के उद्देश्य आदि का ब्यौरा हो, को नहीं बनाया

गया था और न ही मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। यद्यपि मंत्रालय की वेबसाइट पर 'गै.स.सं. को अनुदान' नामक लिंक उपलब्ध था लेकिन वह क्रियाशील नहीं था।

ऐसे ब्यौरों के अभाव में किसी संगठन को एक जैसे उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान के संवितरण की पुनरावृति से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ग) संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 208 (vii) के अनुसार प्रति वर्ष ₹5 करोड़ से अधिक की सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे सभी संगठनों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) किया जाना चाहिए जिसमें स्पष्ट शब्दों में नियत कार्ययोजना के अनुरूप परिणाम लक्ष्यों, परिणामों में गुणात्मक सुधार एवं सम्मेय निवेश आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताया गया हो। निष्पादन की मापे जाने योग्य इकाईयों में दिए गए उत्पादन लक्ष्य ही इन संगठनों को दी जाने वाली बजटीय सहायता का आधार होने चाहिए।

नमूना जांच ने प्रकट किया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को ₹5 करोड़ से अधिक के अनुदान जारी किए गए थे परंतु मंत्रालय ने इन संगठनों के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त संस्वीकृति आदेशों में भी स.ज्ञा. की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया था।

तालिका 5.8: बिना स.ज्ञा. के जारी किए गए अनुदान

(₹ करोड़ में)

संगठन का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
पं. दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान (शा.वि.सं.)	15.40	11.87	16.48	43.75
राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (रा.दृ.सं.)	17.11	24.50	29.93	71.54
अली यावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान (रा.ब.सं.)	14.17	17.96	21.47	53.60
राष्ट्रीय बहुविक्लांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (रा.ब.व्य.अ.सं.)	8.54	7.69	9.26	25.49

राष्ट्रीय अस्थि विक्लांग संस्थान (रा.अ.वि.सं.)	14.05	10.70	17.26	42.01
राष्ट्रीय मानसिक विक्लांग संस्थान (रा.मा.वि.सं.)	11.85	8.43	17.42	37.70
स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (रा.पु.प्र.अ.सं.)	14.92	18.34	22.60	55.86
राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान	6.25	6.09	10.00	22.34
योग	102.29	105.58	144.42	352.29

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2014) कि किसी भी राष्ट्रीय संस्थान के साथ कोई स.ज्ञा. नहीं किया गया था।

घ) उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में आवश्यक सूचनाओं को न दर्शाया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 212(1) के नीचे टिप्पणी 2 के अनुसार केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र में किए गए वास्तविक व्यय तथा भण्डार एवं परिसम्पत्तियों हेतु आपूर्तिकर्ताओं को, निर्माण एजेंसियों को, स्टाफ को (गृह भवन एवं वाहन खरीद आदि हेतु) दिए गए ऋण एवं अग्रिमों को पृथक रूप से प्रकट किया जाएगा। इन ऋण एवं आग्रिमों को अप्रयुक्त अनुदानों के रूप में माना जायेगा परन्तु इन्हें आगे ले जाना अनुमन्य होगा। अनुवर्ती वर्ष हेतु अनुदान को विनियमित करते समय आगे लाई गई राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

स्वायत्त निकाय/संस्थानों द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं, निर्माण एजेंसियों, स्टाफ सदस्यों आदि को ₹26.54 करोड़ के ऋण एवं अग्रिम, संस्थान द्वारा प्रदान किए गए जिसका **अनुबंध 5.1** में ब्यौरा दिया गया है। परन्तु वास्तव में किये गये तथा व्यय न माने जाने सकने वाले ऋण एवं अग्रिमों का पृथक प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया। अतः, अपेक्षित सूचना के अभाव में मंत्रालय ने पूरी की पूरी अनुदानों को उपयोग किया गया माना।

5.5.9 सहायता अनुदानों पर योजनागत व्यय से संबंधित डाटा के स्रोतों में विसंगतियां

भारत सरकार लेखांकन मानक-2 में सरकार के वित्तीय विवरणों में सहायता अनुदान के वर्गीकरण एवं लेखांकन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं जिनका उद्देश्य सरकार के वित्तीय विवरणों में समुचित प्रकटीकरण द्वारा लेखांकन एवं वर्गीकरण के उपयुक्त सिद्धांतों की अनुपालना में आने वाली कठिनाईयों को हटाना है। सहायता अनुदानों पर व्यय से संबंधित सूचना ई-लेखा, पी.एफ.एम.एस. तथा अनुदानों हेतु विस्तृत मांग में उपलब्ध है।

तालिका 5.9 में मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना तथा डाटा के तीन स्रोतों में निहित वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान राज्यों/ सं.शा.क्षे. सरकार/ निकायों/ प्राधिकरणों को जारी सहायता अनुदान (योजनागत) तथा योजना शीर्ष पर कुल व्यय की तुलना दर्शायी गई।

तालिका 5.9: योजना के अंतर्गत जारी सहायता अनुदान एवं कुल व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	डी.डी.जी. के अनुसार		ई-लेखा के अुनसार		पी.एफ.एम.एस. के अनुसार		मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार	
		जारी की गयी योजनागत सहायता अनुदान	कुल योजनागत व्यय	जारी की गयी योजनागत सहायता अनुदान	कुल योजनागत व्यय	जारी की गयी योजनागत सहायता अनुदान	कुल योजनागत व्यय	जारी की गयी योजनागत सहायता अनुदान
2011-12	5009.71	4734.36	4944.95	4734.36	4983.73	4734.11	4764.71	4733.89
2012-13	4880.40	4640.53	4848.61	4640.54	4851.87	4629.91	4677.75	4640.54
2013-14	5417.69#	5072.38#	5417.69	5072.38	5398.47	5072.12	5119.56	5061.52

#प्र.ले.का./मंत्रालय द्वारा प्रदत्त वर्ष 2013-14 हेतु अनुदान लेनदेन की विवरणी से लिए गए आंकड़े

यह तथ्य कि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना तथा आँकड़ों के तीन स्रोत प्रमुख आँकड़ों पर असम्मत थे, सूचना के संकलन एवं ले.म.नि., वित्त मंत्रालय द्वारा उसके प्रकटीकरण में गंभीर कमियों की ओर इशारा करता है। इन विसंगतियों के चलते योजनागत सहायता अनुदान व्यय की प्रमाणिकता संदिग्ध कही जा सकती है।

5.5.10 जारी किए गए अनुदानों की निगरानी

क) स्वायत्त संगठनों की समकक्ष समीक्षा

सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 208 (V) स्वायत्त संगठनों के कार्य के आकार तथा प्रवृत्ति के अनुसार प्रत्येक तीन अथवा पांच वर्षों पर बाह्य अथवा समकक्ष समीक्षा का एक तंत्र प्रदान करता है। ऐसी समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ यह ध्यान देना चाहिए कि क्या उद्देश्य, जिसके लिए संगठन स्थापित किया गया था, प्राप्त कर लिए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं। संगठन की गतिविधियों को जारी रखी जाये कि नहीं क्योंकि या तो वे अब प्रासंगिक नहीं थी अथवा पूर्ण हो चुकी थी या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक असफल रही थी; क्या सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग शुल्क उचित दरों से लगाए गए थे; आंतरिक संसाधन बढ़ाये जाने की गुंजाईश की समीक्षा ताकि सरकारी बजटीय सहायता पर निर्भरता आदि को कम किया जाए, आदि विषयों पर भी इस समीक्षा में बल दिया जाना चाहिए।

यह देखा गया है कि 22 से अधिक स्वायत्त संगठन/संस्थान/आयोग/निगम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। ये निकाय नियमित तौर पर योजना और गैर-योजना सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। निम्नलिखित निकायों ने 2011-12 से 2013-14 के दौरान मंत्रालय से कुल `378.37 करोड़ के अनुदान प्राप्त किये लेकिन इन निकायों की बाह्य अथवा समकक्ष समीक्षा से संबंधित सूचना मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं की गयी।

तालिका 5.10: कुछ ऐसे निकायों जिनकी समकक्ष समीक्षा नहीं की गई, का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

संगठन का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांगता संस्थान (पं.दी.उ.शा.वि.सं.)	15.40	11.87	16.48	43.75
राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान (रा. दृ.बा.सं.)	17.11	24.50	29.93	71.54
अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान (रा.श्र.वि.सं.)	14.17	17.96	21.47	53.60
राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (रा.ब.व्य.अ.सं.)	8.54	7.69	9.26	25.49
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (रा.अ.वि.सं.)	14.05	10.70	17.26	42.01
राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (रा.मा.वि.सं.)	11.85	8.43	17.42	37.70
स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (रा.पु.प्र.अ.सं.)	14.92	18.34	22.60	55.86
राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान	6.25	6.09	10.00	22.34
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	2.44	4.52	4.85	11.81
भारतीय पुनर्वास परिषद	3.64	4.06	3.57	11.27
डा. अंबेडकर प्रतिष्ठान	1.00	1.00	1.00	3.00
कुल	**109.37**	**115.16**	**153.84**	**378.37**

मंत्रालय ने कहा (सितंबर 2014) कि राष्ट्रीय संस्थानों के प्रदर्शन की कार्यप्रणाली/ मूल्यांकन को मंत्रालय (सा. न्या. एवं अ.) तथा सचिव (डी.ए) की अध्यक्षता के अंतर्गत आवधिक रूप से की गई समीक्षा बैठकों में पुनरीक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय संस्थानों की कार्यप्रणाली को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी समय समय पर पुनरीक्षित किया जाता है।

तथापि मंत्रालय द्वारा ऐसी समीक्षा की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा अन्य स्वायत्त निकायों/निगमों से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।

ख) निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई

सामान्य वित्तीय नियम 212(3)(i) के अनुसार अनुदानग्राही संस्थानों अथवा संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अपेक्षित होनी चाहिए। इस संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहीए और यह आवश्यकता सहायता अनुदान संस्वीकृति आदेश में शामिल की जानी चाहिए।

सभी स्वायत्त निकायों/अभिकरणों/संस्थानों इत्यादि जिन्हें मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं कि संस्वीकृति आदेशों के द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्टों को प्रस्तुत करना आवश्यक था। परंतु मंत्रालय में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्टों की प्राप्ति की निगरानी हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं है क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट अभिलेखों में नहीं पायी गयी। ऐसी रिपोर्टों के अभाव में यह स्पष्ट किया जा सकता कि मंत्रालय द्वारा किस प्रकार अनुदानग्राही संगठनों के निष्पादन को मॉनीटर/आकलित किया जा रहा था।

ग) त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण

संघ सरकार के लेखों के विभागीकरण की योजना में, लेखों में शुद्धता तथा लेखांकन ढांचे के संचालन में दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु एक आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्थापना का प्रावधान है।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंग, लेखापरीक्षा नियंत्रणों द्वारा यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्रीय इकाईयाँ, सामान्य: भारत सरकार एवं विशेष रूप से मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों, नीतियों एवं प्रक्रियाओं की अनुपालना कर रही हैं। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित वित्तीय एवं लेखा अभिलेखों, नियमों की परिशुद्धता व आदेशों का अनुपालन, नियत्रंण में खामियाँ इत्यादि जाँचने के अतिरिक्त तथा साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा निष्पादन के पहलुओं पर भी गौर किय जाना होता है। तथा साथ ही जारी निधियों के वास्तविक उपयोग तथा जो योजनाओं का मूल्यांकन यह पता लगाने के लिए लगाने के लिए करना होता है कि अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं अथवा नहीं।

सा.वि.नि. 212(1) यह भी बताता है कि मंत्रालय एवं विभाग के आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों तथा उस वर्ष के लिये कोई निष्पादन रिपोर्ट, यदि कोई हो, को भी आगामी अनुदान स्वीकृत करते समय ध्यान मे रखना चाहिए।

मंत्रालय का आतरिक लेखापरीक्षा स्कंध सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है तथा वह मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत निकायों/संस्थानों आदि सहित इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा की गई लेखापरीक्षा/निरीक्षण का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.11: आंतरिक लेखापरीक्षा के ब्यौरे

वर्ष	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुल इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा किए जाने हेतु नियोजित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की वास्तविक संख्या
2011-12	43*	3	1
2012-13	43*	4	-
2013-14	43*	6	6

*24 डी.डी.ओ. तथा 19 स्वायत्त निकाय/संस्थान

यह स्पष्ट है कि 43 इकाईयों में से वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: केवल 3, 4 तथा 6 इकाईयों की लेखापरीक्षा हेतु योजना की गई थी फिर भी इनमें से वर्ष 2011-12 तथा 2013-14 के दौरान क्रमश: केवल एक तथा छ: इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई तथा वर्ष 2012-13 के दौरान कोई लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग संपूर्ण व्यय सहायता अनुदान पर लगाये जाने के बावजूद भी, आंतरिक पर्यवेक्षण प्रणाली मंत्रालय के व्यय तथा क्रियाकलापों के आकार के अनुरूप नहीं है। एक ठोस एवं प्रभावी आंतरिक पर्येवक्षण के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि मंत्रालय किस प्रकार नियमों, आदेशों एवं प्रचलित निर्देशों की अनुदानग्राही निकायों द्वारा अपनी सामान्य गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के प्रतिपादन में अनुपालन सुनिश्चित करता है।

मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2014) कि संसाधनों के अभाव के कारण सभी स्वीकृत इकाईयों को लेखापरीक्षा हेतु शामिल नहीं किया जा सका।

घ) वार्षिक प्रतिवेदनों के द्वारा संसद को ब्यौरों की सूचना न देना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212(2)(i) तथा (ii) के अनुसार ₹25 लाख या उससे अधिक का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे तथा ₹50 लाख या उससे अधिक का अनावर्ती सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे निजी एवं स्वैच्छिक संगठकों के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं लेखों को अनुदानग्राही संगठनों के आगामी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के नौ महीनों के अंदर संसद पटल पर रखा जाना चाहिए।

नमूना जाँच से पता चला कि वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मंत्रालय द्वारा कई निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को आवर्ती अनुदान तथा अनावर्ती अनुदान जारी किए गए थे जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

तालिका 5.12: आवर्ती सहायता अनुदान के भुगतानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवर्ती सहायता अनुदान (₹25 लाख या उससे अधिक)		अनावर्ती सहायता अनुदान (₹50 लाख या उससे अधिक)	
	निजी/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	राशि	निजी/स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	राशि
2011-12	163	169.79	5	11.59
2012-13	58	22.62	10	10.08

स्रोत: पी.एफ.एम.एम. ऑनलाइन डाटाबेस

मंत्रालय द्वारा निजी/ स्वैच्छिक संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित सूचना संसद को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मंत्रालय द्वारा उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन किया जा रहा था।

ङ) बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.)

सा.वि.नि., 2005 का नियम 212(1) निर्धारित करता है कि किसी संस्थान या संगठन को संस्वीकृत किये जा रहे अनावर्ती अनुदान के आदेश में, सा.वि.नि. के प्रपत्र 19-ए में जिस उद्देश्य के लिए अनुदान संस्वीकृत किया गया है, उस पर

अनुदानों के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र माँगा जाना चाहिए। आवर्ती अनुदानों के संबंध में, उ.प्र. में इस बात का खुलासा किया जाना चाहिए कि निर्दिष्ट, मापे गये एवं गुणात्मक लक्ष्य जिन्हें प्रयुक्त धनराशि के प्रति प्राप्त किया जाना था, वास्तव में प्राप्त किए गए हैं, और यदि नहीं, तो इसका कारण बताया जाना चाहिए। उ.प्र. में परिणाम आधारित निष्पादन मूल्यांकन दिखाया जाना चाहिए बजाय कि निवेश आधारित मूल्यांकन के। आवर्ती अनुदानों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय या विभाग को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का उ.प्र. प्राप्त होने के पश्चात ही आगामी वित्तीय वर्ष हेतु संस्वीकृत अनुदान जारी करना चाहिए।

संबंधित संस्था या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन के बारह माह के भीतर उ.प्र. प्रस्तुत किए जाने चाहिए। संबंधित मंत्रालय या विभाग को ऐसे उ.प्र. की प्राप्ति की संवीक्षा करनी होगी। जहाँ अनुदानग्राही संस्थाओं से निर्धारित समय के भीतर ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, मंत्रालय या विभाग को ऐसी संस्था या संगठन को भविष्य में अनुदान, आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की सरकारी वित्तीय सहायता न प्रदान करने हेतु काली सूची में डालने की स्वतन्त्रता होगी। सा.वि.नि. के नियम 209(1) के अंतर्गत दी गयी टिप्पणी के अनुसार इस तथ्य को वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा व्यय प्रबंधन के मामले पर जारी कार्यालय ज्ञापन[3] में स्पष्ट है कि किसी इकाईं (राज्य सरकार सहित) जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मे चूक की थी, को वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई राशि नहीं जारी की जाएगी। का.ज्ञा. में यह भी निर्देश है कि संस्वीकृति आदेश में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए कि या तो प्राप्तकर्ता के पास कोई उ.प्र. नियमानुसार देय नहीं हैं या भुगतान व्यय विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

मंत्रालय में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय द्वारा 2012-13 तक जारी किए गए अनुदानों के संदर्भ में 18 सितंबर 2014 तक कुल

[3] सं. 7(1) ई-कॉर्ड/2011 दिनांक 11 जुलाई 2011, सं. 7(1) ई-कॉर्ड/2012 दिनांक 31 मई 2012

₹787.74 करोड़ की राशियों के 10,337 उ.प्र. बकाया थे जिसका विवरण **अनुबंध 5.2** में दिया गया है।

अवधि-वार विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ₹35.61 करोड़ (4.52 प्रतिशत) की राशि के उ.प्र. 20 वर्षो से अधिक ₹265.31 करोड़ (33.68 प्रतिशत) 11 से 20 वर्षों तक ₹354.12 करोड़ (44.95 प्रतिशत) 6 से 10 वर्षों तक तथा ₹132.71 करोड़ (16.85 प्रतिशत) पिछले 5 वर्षों से समायोजन हेतु लंबित थे। सबसे पहले से लंबित पड़ें उपयोग प्रमाण पत्र वर्ष 1987-88 में संस्वीकृत अनुदानों के हैं।

मंत्रालय ने बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों के बकाया को कम करने हेतु कोई विशेष प्रयास नहीं किए। चूंकि निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य हेतु उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उ.प्र. ही एकमात्र क्रियाविधि है, मंत्रालय को उ.प्र. की सामयिक प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। उन मामलों में निधियों की धोखाधड़ी/गबन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिनमें अनुदान ग्राही संगठनों ने उ.प्र. प्रस्तुती करने में असाधारण रूप से विलम्ब किया है।

अनुदान सं. 66- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का मंत्रालय

5.5.11 प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (सू.ल.म.उ.) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बड़े जीवंत तथा ऊर्जावान क्षेत्र के रूप में उभर कर आया है। यह क्षेत्र बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूँजी लागत पर अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में सहायक है जिससे क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने तथा राष्ट्रीय आय एवं संपत्ति के अधिक न्यायसंगत वितरण का आश्वासन मिलता है। सू.ल.म.उ. सहायक इकाईयों के रूप में बड़े उद्योगो तथा देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान करते हैं।

सू.ल.म.उ. के संवर्धन तथा विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। परन्तु भारत सरकार विभिन्न उपायों द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की भूमिका राज्यों को उनके

उद्यमशीलता, रोजगार तथा आजीविका अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों में मदद करता है तथा परिवर्तित आर्थिक परिवेश में सू.ल.म.उ की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाता है।

कार्यालय विकासायुक्त (सू.ल.म.उ.) मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो मंत्रालय की देश में सू.ल.म.उ. के संवर्धन तथा विकास के लिए विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों को बनाने, समन्वय करने, कार्यान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने में सहायता करता है।

निम्नलिखित स्वायत्त संगठन तथा राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशील विकास संस्थान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते है:

(क) स्वायत्त संगठन

- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (रा.ल.उ.नि.)
- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग (खा.ग्रा.उ.नि.)
- कोयर बोर्ड

(ख) राष्ट्रीय स्तर उद्यमवृत्ति विकास संस्थान

- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (रा.उ.एवं ल.व्य.वि.सं.), नोएडा
- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (रा.सू.ल.एवं म.उ.रा.सं.), हैदराबाद
- भारतीय उद्यमिता संस्थान (भा.उ.सं.), गुवाहाटी

5.5.12 राजस्व लेखे पर प्रावधान एवं व्यय

मंत्रालय का राजस्व व्यय 2011-12 में ₹ 2,162.33 करोड़ से बढ़ कर 2013-14 में ₹ 2,550.69 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान पर व्यय, मंत्रालय के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों में से एक है। 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान सहायता अनुदान पर व्यय, योजनागत राजस्व व्यय के 72 से लेकर 82 प्रतिशत के बीच था, जबकि गैर-योजनागत सहायता अनुदान व्यय के लिए यह 5 से 57 प्रतिशत के बीच था जिसका विवरण निम्न **तालिका 5.13** में दिया गया है

तालिका 5.13: राजस्व लेखे पर प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड में)

वर्ष	प्रावधान		व्यय		सहायता अनुदान पर व्यय		वास्तविक व्यय की तुलना में सहायता अनुदान का प्रतिशत	
	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत	योजनागत	गैर-योजनागत
2011-12	2534.04	300.50	1860.83	301.40	1524.34	15.48	82	05
2012-13	2752.02	319.86	2151.72	287.55	1720.05	126.01	80	44
2013-14	2899.02	311.93	2196.89	353.80	1579.30	200.79	72	57

स्रोत: डी. डी. जी., विनियोग लेखे तथा ई-लेखा डाटा डम्प

5.5.13 अनुदानों पर वस्तु शीर्ष-वार व्यय

2011-12 से 2013-14 के लिए अनुदान व्यय का वस्तु शीर्ष- '31-सहायता अनुदान-सामान्य'; '35-पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' तथा '36-सहायता अनुदान-वेतन' में वितरण का ब्यौरा **तालिका 5.14** में दिया गया है:

तालिका 5.14: वस्तु शीर्ष-वार व्यय

(₹ करोड में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
31-सहायता अनुदान सामान्य	1481.16 (96.19 %)	1657.36 (89.78 %)	1548.13 (86.97 %)	4686.65
35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	58.66	67.99	96.32	222.97
36-सहायता अनुदान वेतन	0.00	120.71	135.64	256.35
कुल	**1539.82**	**1846.06**	**1780.09**	**5165.97**

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प

उपरोक्त से यह पता चलता है कि अनुदानों पर कुल व्यय में से 'सहायता अनुदान-सामान्य' पर व्यय 2011-12 में 96 प्रतिशत, 2012-13 में 90 प्रतिशत तथा 2013-14 में 87 प्रतिशत हुआ।

5.5.14 सहायता अनुदान पर माह-वार व्यय का प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 212(1) के अनुसार, मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा पूरे वर्ष के दौरान व्यय के एक समान प्रवाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

तथापि, यह पाया गया था कि मंत्रालय ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान सहायता अनुदान जारी करते समय सा.वि.नि. के उक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जैसाकि **चार्ट 5.9** द्वारा स्पष्ट है। वित्तीय वर्षों 2011-12 से 2012-13 में क्रमशः मई तथा जून के महीनों में अधिक अनुदान जारी किए गए जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए जून तथा मार्च के महीनों से सबसे अधिक अनुदान जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त इन सभी वर्षों में दिसंबर के माह में व्यय में उछाल पाये गए थे।

चार्ट 5.9: सहायता अनुदान को माह-वार जारी किया जाना

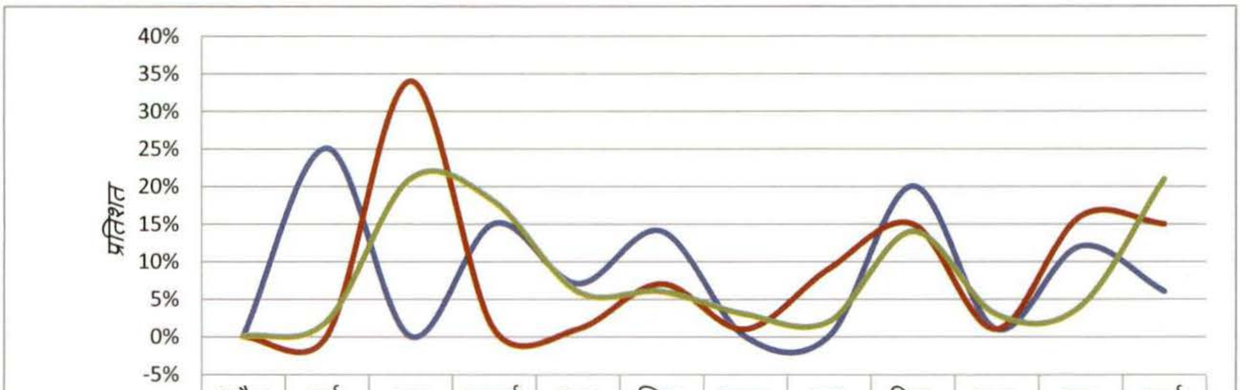

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च
2011-12	0%	25%	0%	15%	7%	14%	0%	0%	20%	1%	12%	6%
2012-13	0%	0%	34%	1%	1%	7%	1%	9%	15%	1%	16%	15%
2013-14	0%	2%	21%	18%	6%	6%	3%	2%	14%	3%	4%	21%

स्रोत: ई-लेखा डाटा डम्प

5.5.15 अस्तित्वों के अनुसार व्यय-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, स्वायत्त निकाय, पंजीकृत समितियां आदि

प्राप्तकर्ताओं की मूल श्रेणियों के अनुसार के.यो.यो.मा.प्र. डाटाबेस से विश्लेषित 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान जारी योजनागत सहायता अनुदान के ब्यौरे **तालिका 5.15** में दिए गए है:

तालिका 5.15: प्राप्तकर्ताओं के अनुसार व्यय

(₹ करोड़ में)

अभिकरण का नाम	2011-12		2012-13		2013-14	
	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान	संस्वीकृत अनुदान	जारी अनुदान
केन्द्र सरकार संस्थान	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00
केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	78.46	78.46	103.59	61.01	63.17	63.17
पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वाय्त्त)	128.62	125.66	160.72	146.00	237.78	223.63
पंजीकृत समितियाँ (गैर-सरकारी संगठन)	1.42	1.26	4.20	2.09	4.19	3.92
राज्य सरकार/के.शा.प्र.	7.67	6.95	0.69	0.00	0.00	0.00
राज्य सरकार संस्थान	0.28	0.15	0.13	0.13	1.07	1.07
राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	30.26	24.85	26.34	20.14	42.46	31.92
सांविधिक निकाय	1405.13	1284.18	2582.59	1486.85	1399.96	1254.13
ट्रस्ट	0.32	0.20	0.61	0.61	0.41	0.36
स्थानीय निकाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
वैयक्तिक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियाँ	0.14	0.14	1.31	1.10	1.00	0.94
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	5.85	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1658.15**	**1523.80**	**2880.24**	**1717.99**	**1750.06**	**1579.16**

स्रोत: लेखा कार्यालय, पी एफ एम एम डाटा (मार्च 2015) के अनुसार एम एस एम ई मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी बजट परिपत्र के अनुसार निजी संगठनों/संस्थानों/व्यक्तियों को वास्तविक संस्वीकृत अनुदानों से अधिक ₹5 लाख (आवर्ती) अथवा ₹10 लाख (अनावर्ती) सहायता अनुदान दर्शाते हुए एक विवरणी अनुदानों के लिए विस्तृत माँग के साथ लगाकर देनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी निकायों को सहायता अनुदान के भुगतान के लिए बजट

अनुमानों में शामिल प्रावधानों को दर्शाते हुए एक विवरणी भी अनुदानों के लिए विस्तृत माँग के साथ लगा कर देनी आवश्यक है।

लेखापरीक्षा के समय यह पाया गया कि मंत्रालय ने निजी संस्थानों/संगठनों को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान ₹10 लाख से ₹25 लाख के बीच सहायता अनुदान जारी किए जो क्रमश: कुल ₹0.41 करोड़, ₹1.37 करोड़ तथा ₹4.44 करोड़ थे **(अनुबन्ध 5.3)**। तथापि इन सूचनाओं को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए मंत्रालय के अनुदानों हेतु विस्तृत माँग में शामिल नहीं किया गया था।

5.5.16 मंत्रालय द्वारा जारी अनुदानों में से अनुदानग्राहियों द्वारा ₹ 222.97 करोड़ के मूल्य की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन का आश्वासन न देना

वित्तीय वर्ष 2009-10 से, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानग्राही निकायों को जारी किए गए अनुदानों की स्पष्ट रूप से गणना के लिए सरकार द्वारा एक नए विषय शीर्ष '35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' शुरू किया गया था।

मंत्रालय ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान विषय शीर्ष 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के अंतर्गत ₹222.97 करोड़ जारी किए। मंत्रालय संस्वीकृति आदेशों में एक शर्त शामिल किए जा रहा था कि अनुदानों से सृजित परिसम्पत्तियों का मंत्रालय की स्वीकृति के बिना निपटान नहीं किया जाएगा।

तथापि, मंत्रालय द्वारा कोई केन्द्रीकृत अभिलेख/डाटाबेस अर्थात-अनुदानग्राही का नाम, परिसम्पत्तियों की प्रकृति सहित सृजित परिसम्पत्तियों का विवरण पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए वास्तविक अनुदान के उपयोग की राशि उन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व आदि, अनुरक्षित नही किया गया था।

चूंकि मंत्रालय के पास अनुदानग्राही द्वारा सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए गए

₹222.97 करोड़ के व्यय का आश्वासन नहीं दिया जा सकता इसके परिणामस्वरूप जिसके लिए अनुमोदन संस्वीकृत किया गया था उसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन हुआ था। इसके अतिरिक्त किसी विषय सूची के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रालय कैसे यह सुनिश्चित कर रहा था कि बिना उसके अनुमोदन के जैसा कि संस्वीकृति आदशों में निर्धारित है, इन अनुदानों में से सृजित परिसंपत्तियों का निपटान अनुदानग्राही निकाय नहीं कर रहे थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2014) में बताया कि ऐसे विवरण विकास आयुक्त (सू.ल.एवं.म.उ.) के कार्यालय के संबंध में, संस्वीकृत आदेश/अंतिम अनुमोदन में प्रदर्शित किए गए थे तथा कोयर डिविजन के संबंध में कोयर बोर्ड द्वारा केन्द्रीयकृत अभिलेख/डाटाबेस रखे गए थे। आगे यह बताया गया कि लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति को भविष्य में ध्यान में रखा जाएगा। खा.ग्रा.उ.आ. प्रभाग ने बताया (नवंबर 2014) कि ऐसे विवरण खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा रखे जाते हैं। हालांकि तथ्य यह है कि सभी संबंधित विवरणों सहित कोई केन्द्रीयकृत अभिलेख/डाटाबेस नहीं रखे गए थे।

5.5.17 ₹5 करोड़ से अधिक का सहायता अनुदान जारी किए जाने के मामले में समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) हस्ताक्षरित नहीं किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 208(vii) के अनुसार, ₹5 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक बजटीय सहायता प्राप्त करने वाले सभी संगठनों को प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के साथ आनुपातिक निवेश आवश्यकताओं सहित कार्य के कार्यक्रम तथा उत्पादन में गुणात्मक सुधार के विवरणों के अनुसार उत्पादन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से बताने वाला एक स.ज्ञा. अपेक्षित है। निष्पादन के परिणाम योग्य इकाइयों में दिए गए उत्पादन लक्ष्य, इन संगठनों को दिए गए बजटीय सहायता बढ़ाने का आधार होने चाहिए।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को ₹559.03 करोड़ के कुल सहायता अनुदान प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जारी किए गए थे, परन्तु प्रत्येक को ₹5 करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक की बजटीय सहायता दिए

जाने के बावजूद भी मंत्रालय द्वारा अनुदानग्राही निकायों के साथ कोई स.ज्ञा. नहीं किया गया था।

तालिका 5.16: संस्थानों के साथ हस्ताक्षर न किए गए स.ज्ञा.

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	वर्ष			कुल
		2011-12	2012-13	2013-14	
1.	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग*	157.36	160.65	192.17	510.18
2.	कोयर बोर्ड	14.98	14.97	18.90	48.85
	कुल	**172.34**	**175.62**	**211.07**	**559.03**

*राशि को खा.एवं.ग्रा.उ.आ. को प्रशासनिक उद्देशयों के लिए जारी विषय शीर्ष 20 के अंतर्गत शामिल किया गया।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर/नवंबर 2014) कि मंत्रालय तथा संबंधित अनुदानग्राहियों के बीच स.ज्ञा.पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि चे.सा.वि.नि. के स्थाई अनुदेश हैं। मंत्रालय को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

5.5.18 अनुदान जारी करने तथा प्राधिकरण के बीच विलंब

सिविल लेखा नियमपुस्तिका का पैरा 2.3.1. प्रावधान करता है कि भुगतान हेतु बिलों को उनकी प्राप्ति के अधिकतम सात कार्यदिवसों के भीतर पारित करके चैक जारी किया जाना चाहिए। कम अवधि के भीतर बिलों को पारित करने तथा भुगतान करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए और प्र.ले.मु.नि./ले.मु.नि./ले.नि.[4] को इस संबंध में प्रतिमान निर्धारित करने के साथ-साथ उनकी अनुपालना को व्यक्तिगत रूप से मानीटर करना चाहिए इसके अतिरिक्त एवं संवितरण अधिकारी द्वारा 'तत्काल' इंगित किए बिलों पर कार्रवाई शीघ्रता से की जानी चाहिए ताकि चैक उसी दिन अथवा अगले दिन जारी हो जाएं।

नमूना जाँच ने प्रकट किया कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान वहाँ बिलों के जारी करने की तिथि से लेकर चैकों के जारी होने की तिथि तक आठ दिनों से

[4] प्रधान लेखा मुख्य नियंत्रक/लेखा मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक

लेकर 30 दिनों के बीच तक के विलम्ब थे जैसा **तालिक 5.17** में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.17: प्राधिकरण तथा वास्तव में जारी किए गए अनुदानों के बीच अंतर का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विलम्ब	2011-12		2012-13		2013-14		कुल	
	संस्वीकृती आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृति आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृति आदेशों की संख्या	राशि	संस्वीकृति आदेशो की संख्या	राशि
8 दिनों से 1 महीना	19	9.81	17	45.02	6	1.25	42	56.08
1-3 महीने	0	0.00	1	0.01	3	0.13	4	0.14
कुल	**19**	**9.81**	**18**	**45.03**	**9**	**1.38**	**46**	**56.22**

5.5.19 ₹438.45 करोड़ के अव्ययित शेष को ध्यान में रखे बिना जारी अनुदान

सा.वि.नि. के नियम 209 (6) (iii) के अनुसार जब एक ही उद्देश्य हेतु उसी संस्थान अथवा संगठन को सहायता अनुदान संस्वीकृत किया जाता है तो अनुवर्ती अनुदान को संस्वीकृत करते हुए पिछले अनुदान के अव्ययित शेष को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियम 212(1) भी बताता है कि आवर्ती अनुदानों के संबंध में संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग को तदनंतर वित्तीय वर्ष के लिए कोई संस्वीकृत राशि, संबंधित संस्थान अथवा संगठन द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संबंध में अंतरिम आधार पर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात जारी करनी चाहिए।

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान, मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन संस्थानों को ₹4,507.86 करोड़ के आवर्ती सहायता अनुदान जारी किए परंतु उसने इन संस्थानों के पास पहले से उपलब्ध ₹438.45 करोड़ के अव्ययित अनुदानों को ध्यान में नहीं रखा।

तालिका 5.18: अव्ययित शेषों को ध्यान में रखे बिना जारी किए गए अनुदान

(₹ करोड़ में)

संगठन का नाम	निम्न को अव्ययित अनुदान	अव्ययित अनुदानों की राशि (वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे के अनुसार)	निर्गम का वर्ष	जारी आवर्ती अनुदानों की राशि		
				योजनागत	गैर-योजनागत	कुल
कोयर बोर्ड	31.3.2011	9.80	2011-12	23.54	14.98	38.52
	31.3.2012	10.45	2012-13	17.76	14.97	32.73
	31.3.2013	1.84	2013-14	8.26	18.90	27.16
	कुल	**22.09**				**98.41**
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	31.3.2011	13.54	2011-12	78.46	0.00	78.46
	31.3.2012	37.08	2012-13	61.01	0.00	61.01
	31.3.2013	11.60	2013-14	57.98	0.00	57.98
	कुल	**62.22**				**197.45**
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग	31.3.2011	उ.न.*	2011-12	1257.44	0.00	1257.44
	31.3.2012	195.74	2012-13	1462.21	110.54	1572.75
	31.3.2013	158.40	2013-14	1200.42	181.39	1381.81
	कुल	**354.14**				**4212.00**
	कुल योग	**438.45**				**4507.86**

*2010-11 की अवधि के लिए खा.एवं.ग्रा.उ.आ. के वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किए गए

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर/नवंबर 2014) कि कोयर बोर्ड तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास उपलब्ध अव्ययित शेषों को बाद में सहायता अनुदानों के जारी करने के समय ले लिया जाएगा। खा.एवं.ग्रा.उ प्रभाग ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यान्वित एजेन्सियों के पास पड़े प्रधानमंत्री रोजगार उत्पत्ति कार्यक्रम को छोड़कर सभी योजनागत योजनाओं के संबंध में अंतिम जारी निधियों तक निधियों के अव्ययित शेष को एजेन्सी को आगे अधिक निधियाँ जारी करने के प्रस्तावों को संसाधिक करते समय लेखे में लिया गया था। यद्यपि निधियों के जारी होने में समायोजित अव्ययित शेष के प्रमाण को भविष्य में संस्वीकृत आदेश में प्रदर्शित कर दिया जाएगा जैसाकि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव दिया गया है।

5.5.20 उपयोग प्रमाणपत्रों में ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय का प्रकटीकरण न होना

सा.वि.नि. के नियम 212(1) के नीचे टिप्पणी 2 में बताया गया है कि केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों के संदर्भ में निर्माण अभिकरणों, स्टॉफ को (गृह निर्माण तथा वाहन के क्रय आदि के लिए) जो उस स्तर पर व्यय नहीं करते हैं, भंडारण एवं परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों तथा किए गए वास्तविक व्यय को उपयोग प्रमाणपत्र में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। इन को अनुप्रयुक्त अनुदानों के रूप में माना जाएगा परन्तु अग्रेषित करने की अनुमति है। आगामी वर्ष के लिए अनुदानों का विनियम करते हुए, अग्रेषित राशि को ध्यान में रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान, संगठनों को क्रमश: ₹1,611.75 करोड़ तथा ₹1,454.07 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए गए थे जैसाकि नीचे **तालिका 5.19** में दिया गया है, यद्यपि इन संगठनों ने वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों के संबंध में प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाणपत्रों में 31 मार्च 2013 को प्राप्त किए गए अनुदानों में से ₹1,774.84 करोड़ के संवितरित ऋणों तथा अग्रिमों को उजागर नहीं किया था। मंत्रालय ने भी 2013-14 के दौरान ₹1,454.07 करोड़ के अतिरिक्त अनुदानों को जारी करने से पहले न तो अनुदानग्राही को पूछा और न ही उसे अनुदानग्राहियों के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे में सुनिश्चित किया गया।

तालिका 5.19: ऋणों तथा अग्रिमों पर किए व्यय के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

संगठन का नाम	2012-13 के दौरान जारी अनुदान	31 मार्च 2013 को संवितरित ऋण तथा अग्रिम (वार्षिक लेखे के अनुसार)	2013-14 के दौरान जारी अनुदान
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग	1576.71	1769.68	1386.07
कोयर बोर्ड	35.04	5.16	68.00
कुल	**1611.75**	**1774.84**	**1454.07**

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2014) में बताया कि कोयर बोर्ड द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों पर किए गए व्यय के उपयोग प्रमाणपत्र पर भविष्य में जोर दिया जाएगा।

मंत्रालय ने आगे बताया (नवंबर 2014) कि 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान खा.ग्रा.उ.आ. को कोई ऋण एवं अग्रिम जारी नहीं किए गए थे तथा 2012-13 के दौरान जारी सहायता अनुदानों के लिए खा.ग्रा.उ.आ. से सभी उपयोग प्रमाणपत्र 2013-14 के लिए जारी किए जा रहे अनुदानों से पहले प्राप्त हो गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सा.वि.नि. के प्रावधानों का संबंध अनुदानग्राही द्वारा सरकारी सहायता अनुदानों से संवितरित ऋणों व अग्रिमों के जारी करने से है न कि सरकार द्वारा अनुदानग्राही संस्थानों को जारी ऋण एवं अग्रिमों से है।

5.5.21 उपयोग प्रमाणपत्र (उ.प्र.)

सा.वि.नि. के नियम 121(1) में निर्धारित है कि संस्थान या संगठन को दिए गए गैर-आवर्ती अनुदानों के संदर्भ में, सहायता अनुदानों को संस्वीकृत करने वाले आदेश में, फार्म सा.वि.नि. 19-क में जिस उद्देश्य हेतु अनुदान प्राप्त किए गए थे उसके लिए अनुदानों की वास्तविक उपयोग प्रमाणपत्र पर जोर दिया जाना चाहिए। आवर्ती अनुदानों के संदर्भ में, उ.प्र. को यह भी प्रकट करना चाहिए उपयोग की गई राशि के प्रति क्या विनिर्दिष्ट, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना था, वास्तव में कर लिया गया था। उ.प्र. में निवेश आधारित निष्पादन आकलन की बजाए उत्पादन आधारित निष्पादन आकलन निहित होना चाहिए। आवर्ती अनुदानों के संबंध में, संबंधित मंत्रालय या विभाग को पिछले वित्तीय वर्ष के अनुदानों से संबंधित उ.प्र. जमा कर देने के पश्चात ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कोई राशि जारी की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, संबंधित संस्थान या संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बारह महीनों के भीतर उ.प्र. जमा कर दिये जाने चाहिए। ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति की संवीक्षा संबंधित मंत्रालय या विभाग द्वारा की जानी चाहिए। जहाँ कहीं भी निर्धारित समय में अनुदानग्राही से ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तब मंत्रालय या विभाग के पास ऐसे संस्थान या संगठन को भविष्य में सरकार से

किसी अनुदान, आर्थिक सहायता या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए काली सूची में डाल देने का अधिकार होगा। इस तथ्य को नियम 209(1) के अंतर्गत नोट के संदर्भ में वेबसाइट पर डाल दिया जाना चाहिए।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार, 31 मार्च 2014 को कुल ₹ 75.90 करोड़ के 242 उपयोग प्रमाण-पत्र बकाया थे जिसाका ब्यौरा **अनुबन्ध 5.4** में दिया गया है। संस्वीकृत अनुदानों की सबसे पुरानी अवधि, जिसके लिए उ.प्र. बकाया हैं, 2005-06 है। इसके अतिरिक्त अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान ऐसा कोई मामला जहाँ मंत्रालय ने दोषी संगठनों को काली सूची में डाला गया था, लेखापरीक्षा के सामने नहीं आया।

उ.प्र. की प्राप्ति ही केवल ऐसा तंत्र है जो निधियों के अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए जाने का साक्ष्य है। मंत्रालय को अनुदानग्राही निकायों द्वारा उ.प्र. के सामयिक प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की स्थापना करनी चाहिए।

5.5.22 निष्पादन सह उपलब्धि प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखापरीक्षित विवरणियों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना

सा.वि.नि. के नियम 212(3) के अनुसार, अनुदानग्राही संस्थान अथवा संगठन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस संबंध में संबंधित संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। आवर्ती अनुदानों के मामले में, सभी मामलों में प्रायः निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण पर जोर दिया जाना चाहिए।

2011-12 से 2012-13 के दौरान, मंत्रालय ने प्रतिवर्ष निम्नलिखित संस्थानों/ संगठनों को कुल ₹ 284.89 करोड़ के आवर्ती अनुदान जारी किए थे। हालांकि, मंत्रालय के पास यह सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं था कि पूर्व अनुदानों के संबंध में निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन अनुदानग्राही द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए थे जबकि, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संस्वीकृति आदेशों में एक खण्ड निहित था कि निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन निर्दिष्ट तिथि/अवधि में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

तालिका 5.20: संस्थानों, जिनकी निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदनों की समीक्षा नहीं की गई थी का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

संस्थान/संगठन का नाम	जारी किए गए आवर्ती अनुदान		
	2011-12	2012-13	कुल
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	78.46	61.01	139.47
कोयर बोर्ड	25.91	19.23	45.14
राष्ट्रीय उद्योग एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान	25.89	23.35	49.24
राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम संस्थान	11.11	14.37	25.48
भारतीय उपक्रम संस्थान	13.77	11.79	25.56
कुल	**155.14**	**129.75**	**284.89**

स्रोत: पी.एफ.एम.एस.

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदन अनुदानग्राहियो द्वारा अनुदानग्राहियों को अनुपालन हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे।

5.5.23 अनुदानग्राही निकायों से पर्याप्त प्रस्तावों के बिना बजटों की तैयारी

सा.वि.नि. का नियम 209 (6) (ii) प्रावधान करता है कि अनुदानग्राही संस्थानों को सहायता अनुदानों की संस्वीकृति अथवा निर्गम में विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय अथवा विभाग को सरकार से अनुदानों की मांग कर रहे संस्थान अथवा संगठन को वर्ष, जिसके लिए सहायता अनुदान की मांग की गई है, के पूर्व वर्ष में अक्तूबर की समाप्ति तक सहायक विवरणों सहित अपनी आवश्यकता प्रस्तुत करने हेतु दबाव डाला जाना चाहिए। मंत्रालय अथवा विभाग को अत्यंत शीघ्रता से उनके अनुरोधों की जांच को अंतिम रूप देना चाहिए तथा जिन अनुदानों को संस्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया जाएगा, उनके लिए आवश्यक बजट प्रावधान करने चाहिए। संस्थान अथवा संगठन को अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल तक उनके अनुरोधों के परिणाम से सूचित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से कार्यान्वित निम्नलिखित तीन योजनाओं में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया। वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए ₹473.88 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से मंत्रालय द्वारा संपूर्ण प्रावधान जारी नहीं किया जा सका।

संपूर्ण प्रावधान की बचतें इस तथ्य की संकेतक हैं कि मंत्रालय द्वारा बनाए गए प्रावधान अनुदानग्राहियों द्वारा प्रक्षेपित वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं परन्तु पिछली प्रवृत्तियों तथा प्रक्षेपणों के आधार पर थे जिसके परिणामस्वरूप ऐसी बड़ी बचतें हुई।

तालिका 5.21: बजट प्रावधानों के प्रति बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक जारी राशि	बचतें	बज प्रावधानों की तुलना में बचतों की प्रतिशतता
1.	खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम	2011-12	192.00	0.00	192.00	
		2012-13	50.00	0.00	50.00	
		2013-14	50.00	0.00	50.00	
		योग	**292.00**	**0.00**	**292.00**	**100**
2.	पारम्परिक उद्योगो के पुनरूत्थान हेतु निधि की योजना (पा.उ.पु.नि.यो.)	2011-12	20.00	0.00	20.00	
		2012-13	55.42	0.00	55.42	
		2013-14	55.46	0.00	55.46	
		योग	**130.88**	**0.00**	**130.88**	**100**
3.	खादी तथा शिल्प उद्योग की उत्पादकता तथा प्रतियोगितात्मकता की वृध्दि हेतु योजना	2011-12	21.00	0.00	21.00	
		2012-13	15.00	0.00	15.00	
		2013-14	15.00	0.00	15.00	
		योग	**51.00**	**0.00**	**51.00**	**100**
		कुल योग	**473.88**	**0.00**	**473.88**	

मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2014) कि खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत नीति साँचे में बताई गई शर्तों को पूरा न करने के कारण निधियाँ जारी नहीं की जा सकीं। आगे यह भी बताया कि शेष दो योजनाओं को खा.एवं.ग्रा.उ.आ. की अन्य लघु योजनाओं के साथ पा.उ.पु.नि.यो. में मिलाने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु पा.उ.पु.नि.यो. के मूल्यांकन में विलंब के कारण 2011-12 से 2013-14 के दौरान कोई निधियाँ जारी नहीं की जा सकीं।

5.5.24 अनुदान रजिस्टर के अनुरक्षण में विसंगतियां

सा.वि.नि. के नियम 212 (4) और सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 4.27.2 के अनुसार, दुबारा भुगतान किए जाने से बचाव की दृष्टि से संस्वीकृत प्राधिकारी द्वारा क्रमशः फार्म सा.वि.नि.-39 तथा सि.ले.नि.पु.-28 में दिए गए फार्मेट में अनुदानों के एक रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा। किसी भी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए जब एक कि उससे संबंधित संस्वीकृति के प्रति इसे रजिस्टर में नोट न कर लिया जाए। इससे एकमुश्त संस्वीकृति के मामले में किस्तों में भुगतान यदि कोई हो, तो उस पर भी नजर रखने में सहायता मिलती है।

यह देखा गया था कि अनुदान रजिस्टर को मंत्रालय के संवंधित प्रभागों द्वारा अनुरक्षित किया गया था। हालाँकि बहुत सी आवश्यक सूचनाएं जैसे कि अनुदान के साथ संलग्न शर्तें, उ.प्र. एवं लेखा विवरणियों की प्राप्ति की देय तिथि, उ.प्र. एवं लेखा विवरणियों की प्राप्ति की वास्तविक तिथि, अव्ययित शेष के विवरण, आदि को रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, अनुदानों के संवितरण हेतु मूल अभिलेखों के अनुरक्षण की स्थिति की संस्वीकृति/संवितरण/उपयोगिता की मॉनीटरिंग को प्रभावित करते हुए उचित नही थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की अनुपालना हेतु मंत्रालय के सभी प्रभागों को अनुदेश जारी किए जाएगें।

5.5.25 मंत्रालय की वेबसाईट पर अनुदानग्राही निकायों से संबंधित सूचना का गैर-प्रकटीकरण

सा.वि.नि. का नियम 209(1) सहायता अनुदान देने के लिए सिध्दातों तथा प्रक्रिया संचालन में निर्धारित करता है कि सहायता अनुदान की मांग कर रहे संस्थान अथवा संगठन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि इसने भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से एक ही उद्देश्य अथवा कार्य हेतु अनुदान प्राप्त अथवा आवेदन नहीं किया है। कथित नियम के नीचे दी गई टिप्पणी में भी बताया गया कि सहायता अनुदान में आवृत्ति से

बचने हेतु मंत्रालय अथवा विभाग को अपनी वेबसाईट पर प्रदान की गई अनुदानों की राशि तथा उद्देश्य के ब्यौरे सहित संस्थानों अथवा संगठनों की एक सूची रखनी चाहिए।

यह पाया गया कि ऐसी कोई सूची, जिसमें अनुदानों की राशि तथा उद्देश्य के ब्यौरों सहित संस्थानों अथवा संगठनों का विवरण शामिल हों, सू.ल.एवं म.उ. मंत्रालय की वेबसाईट पर नहीं डाली गई थी। मंत्रालय द्वारा वेबसाईट पर ऐसी सूची को न डालना सा.वि.नि. के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त यह निश्चित नहीं किया जा सका कि सू.ल.एवं म.उ. का मंत्रालय कैसे सुनिश्चित कर रहा था कि वहाँ अनुदानग्राही द्वारा एक ही उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान की प्राप्ति में कोई आवृत्ति नहीं थी।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की अनुपालना हेतु मंत्रालय के सभी प्रभागों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

5.5.26 वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से संसद को विवरणों की सूचना न दिया जाना

सा.वि.नि. का नियम 212(2) प्रावधान करता है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संसद की सूचना हेतु अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ₹10 लाख से ₹25 लाख तक आवर्ती अनुदानों के प्रकार में निजी तथा स्वैच्छिक संगठनों को प्रदत्त निधियों की प्रमात्रा तथा उद्देश्य, जिसके लिए उनका उपयोग किया गया था, को दर्शाने वाली एक विवरणी शामिल करनी चाहिए। इसी प्रकार ₹10 लाख से ₹50 लाख तक की एक बार गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त कर रहे संगठनों के मामले में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संसद की सूचना हेतु अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इन प्रत्येक संगठनों को प्रदत्त निधियों की प्रमात्रा तथा उद्देश्य, जिसके लिए निधियो का उपयोग किया गया था, को दर्शाने वाली विवरणियां शामिल करनी चाहिए।

मंत्रालय की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि सू.ल.एवं म.उ. मंत्रालय द्वारा ₹10 लाख से ₹25 लाख के बीच के आवर्ती सहायता अनुदान, कुल ₹0.41

करोड़, ₹1.37 करोड़ तथा ₹4.44 करोड़ क्रमशः वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान निजी संस्थानो/संगठनों को जारी कि गए थे, जैसा कि **अनुबन्ध 5.3** में विवरण दिया गया है परंतु यह ब्यौरे मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, जो संसद में प्रस्तुत की गई थी, में शामिल नहीं किए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की अनुपालना हेतु मंत्रालय के सभी प्रभागों को अनुदेश जारी किए जाएंगें।

5.5.27 स्वायत्त संगठनों की पीयर समीक्षा नहीं की गई

सा.वि.नि. का नियम 208(v) स्वायत्त संगठनों की प्रत्येक तीन अथवा पांच वर्षों में कार्यों के आकार तथा प्रवृत्ति पर निर्भर बाह्य अथवा पीयर समीक्षा की एक क्रियाविधि की विद्यमान हेतु प्रावधान करता है। ऐसी समीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ उस उद्देश्य जिसके लिए स्वायत्त संगठन स्थापित किया गया था और क्या इन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है अथवा किया जा रहा है: संगठनों के कार्यों की निरंतरता अथवा अन्यथा क्योंकि वह आगे संगत नहीं है या पूरे किये जा चुके हैं या फिर वहाँ उद्देश्यों की प्राप्ति में भारी विफलता थी, क्या प्रदत्त सेवा हेतु उपभोक्ता प्रभारों को उपयुक्त दरों पर वसूला गया; आंतरिक संसाधन सृजन को बढाने हेतु गुंजाइश जिससे कि सरकारी बजटीय सहायता पर निर्भरता को कम किया जा सके, आदि पर ध्यान देना चाहिए।

2011-12 से 2013-14 के दौरान, मंत्रालय ने निम्नलिखित स्वायत्त निकायों को कुल ₹4,380.65 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया परंतु मंत्रालय द्वारा कभी भी इन निकायों की बाह्य अथवा पीयर समीक्षा नहीं कराई गई थी।

तालिका 5.22: स्वायत्त संगठन जिनका पीयर समीक्षा नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग	1257.44	1576.71	1386.07	4220.22
2	कोयर बोर्ड	41.53	35.04	68.00	144.57
3	महात्मा गाँधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान	4.48	2.81	8.57	15.86
	कुल योग	**1303.45**	**1614.56**	**1462.64**	**4380.65**

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2014) कि कोयर बोर्ड के पीयर समीक्षा के संबंध में सा.वि.नि. के प्रावधानों का भविष्य में पालन किया जाएगा। मंत्रालय ने आगे अपने उत्तर में बताया (नवंबर 2014) कि खा.ग्रा.उ.आ. तथा ग्रा.औ.म.गॉ.सं. के विभिन्न योजनागत स्कीमों का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह लेखापरीक्षा मुद्दे से संबंधित नहीं है।

5.5.28 त्रुटिपूर्ण आंतरिक पर्यवेक्षण

संघ सरकार के लेखे के विभागीकरण की योजना लेखाओं में यथार्थता तथा लेखांकन ढांचे के संचालन में दक्षता को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्थापना का प्रावधान करती है।

सा.वि.नि. के नियम 212(1) के अनुसार आगे अनुदान संस्वीकृत करते समय मंत्रालय अथवा विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों तथा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

निकायों/प्राधिकरणों को जारी अनुदानों के संबंध में 2011-12 से 2013-14 के दौरान सू. एवं ल.म.उ. मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा की गई लेखापरीक्षा/निरीक्षण के ब्यौरे **तालिका 5.23** में दिए गए हैं:

तालिका 5.23: संचालित आंतरिक लेखापीरक्षा का विवरण

वर्ष	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इकाईयों की संख्या (आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा रिपोर्ट के अनुसार)	लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा किए बिना शेष इकाईयों की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2011-12	63	10	8	2	20
2012-13	63	3	0	3	100
2013-14	63	4	1	3	75

यह पाया गया कि मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदानों पर 75 प्रतिशत से अधिक का कुल व्यय किए जाने के बावजूद आंतरिक पर्यवेक्षण क्रियाविधि व्यय के आकार तथा मंत्रालय के कार्य के अनुरूप नहीं थी। एक सुदृढ़ तथा प्रभावी

आंतरिक पर्यवेक्षण के अभाव में, लेखापरीक्षा में इसका पता नहीं लगाया जा सका कि मंत्रालय ने अनुदानग्राही निकायों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन कार्यों तथा कार्यक्रम की सुपुर्दगी के विषय पर नियमों, विनियमों तथा वर्तमान अनुदेशों की अनुपालना को कैसे सुनिश्चित किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (सितंबर 2014) में, इस तथ्य को स्वीकार किया कि आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने मंत्रालय द्वारा जारी सहायता अनुदान की समीक्षा नहीं थी।

5.5.29 कोर्पस निधि सृजित न करना

सा.वि.नि. के नियम 208(iv) के अनुसार, आवर्ती अनुदानों की बजाए मंत्रालय अथवा विभाग को जहाँ संभव हो कोर्पस निधि के सृजन पर विचार करना चाहिए, जिससे आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों के साथ निवेश पर प्रतिफलों से स्वायत्त संगठनों को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए।

मंत्रालय ने निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को प्रशासनिक उद्देश्य के लिए नियमित रूप से सहायता अनुदान कोर्पस निधि की संभावना की जाँच के बिना संवितरित किए थे जिससे स्वायत्त निकायों के राजस्व व्यय का कुछ अंश निधि के निवेश पर प्रतिफलों से पूरा किया जा सकता है।

तालिका 5.24: कोर्पस निधि के सृजन पर विचार नहीं किया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	वर्ष			योग
		2011-12	2012-13	2013-14	
1.	खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग*	157.36	160.65	192.17	510.18
2.	कोयर बोर्ड	14.98	14.97	18.90	48.85
	योग	**172.34**	**175.62**	**211.07**	**559.03**

*राशि को खा.एवं ग्रा.उ.आ. को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जारी विषय शीर्ष 20 के अंतर्गत शामिल किया गया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2014) में बताया कि कोयर बोर्ड के संबंध में कोर्पस निधि के सृजन मे संबंधित सा.वि.नि. के प्रावधानों का भविष्य में पालन किया जाएगा। खा.एवं ग्रा.उ.आ. के प्रभाग के संबंध में मंत्रालय ने आगे बताया

(नवंबर 2014) की इस संबंध में उपयुक्त अनुदेशों को जारी करने से पहले कोर्पस निधि के लिए मंत्रालय के अन्य प्रभागों के साथ परामर्श करके लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निरीक्षण किया जाएगा।

5.5.30 आंतरिक वित्त स्कंध द्वारा सहायता का तरीका न बताया जाना

सा.वि.नि. के नियम 209(2) के अनुसार, संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग के आंतरिक वित्त स्कंध को सा.वि.नि. में सहायता अनुदानों तथा ऋणों पर विस्तृत दिशानिर्देशों के अंतर्गत सहायता के नियमों अथवा तरीके को बताना चाहिए तथा इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी सहायता अनुदानों की सभी संस्वीकृतियाँ ऐसे सहायता अनुदानों को संचालित सहायता अथवा नियमों के तरीके के अनुरूप होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सू.ल. एवं म.उ. के मंत्रालय ने 2011-12 से 2013-14 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थानों/संगठनों को ₹5,165.97 करोड़ के सहायता अनुदान जारी किए, आंतरिक वित्त स्कंध ने सहायता अनुदान जारी करते समय सहायता के ऐसे किसी नियम अथवा तरीके को नहीं बताया जो सा.वि.नि. के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक था।

मंत्रालय ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (सितंबर 2014) में कहा कि आंतरिक वित्त स्कंध ने अपने आप से मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदानों के संवितरण हेतु कोई कसौटी अथवा तरीका नहीं बताया है। आगे यह बताया कि विभिन्न प्रभागों से प्राप्त प्रस्तावों की जाँच, संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों, सा.वि.नि. के प्रावधानों, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों इत्यादि के अनुसार सहायता की कसौटी/मानदण्डों को ध्यान में रखकर की गई थी।

5.6 निष्कर्ष

लोक सेवा सुपुर्दगी का बदलता प्रतिमान सहायता अनुदान व्यय में तीव्र वृध्दि का कारण बना है तथा ऋण भुगतानों के अपवाद सहित, अनुदानों हेतु यह व्यय का एकमात्र सबसे बड़ी मद है। 2013-14 में ई-लेखा के अनुसार संघ सरकार के राजस्व व्यय का 28 प्रतिशत (₹4,07,142 करोड़) से अधिक भाग सहायता

अनुदान से व्यय का बना। इसमें से, योजनागत अनुदान ₹3,18,211 करोड़ का था और गैर योजनागत अनुदान ₹88,931 करोड़ का था। योजनागत अनुदानों की भारी राशियां अनुदानग्राहियों जैसे समितियों गै.स.सं. न्यासों आदि, जिन पर नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा की शक्ति बाधित तथा प्रतिबंधित है।

वर्ष 2013-14 हेतु, संघ सरकार ने राज्य सरकार बजट के बाहर केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹1,12,708 करोड़ की केन्द्रीय योजनागत सहायता का अंतरण किया। सरकारी लेखे के बाहर अनुरक्षित इनके खातों में अव्ययित शेषों की कुल राशि अनिश्चित थी। अत: लेखाओं में दर्शाया गया सरकारी व्यय उस सीमा तक अधिक बताया गया था।

सहायता अनुदान से व्यय की सही मात्रा को ध्यान मे रखते हुए व्यय की इस मद से संबंधित वर्तमान नियंत्रण क्रिया विधियों का गहन परीक्षण किया था। इस उद्देश्य हेतु मुख्यत: अनुदान संस्वीकृत करने की प्रक्रिया, अनुदानग्राही संगठन की पार्श्विका, मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुरक्षित अनुग्राहियों, के डाटाबेसों, अनुदानों में से किए गए व्यय की सच्चाई तथा आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधियों के संदर्भ में दो मंत्रालयों अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में सहायात अनुदान पर व्यय को पुनरीक्षण हेतु चयन किया था।

विश्लेषण ने आंतरिक मॉनीटरिंग प्रणाली की कमियों जैसे अनुदानग्राही संगठनों का बाह्य पीयर समीक्षा का गैर-संचालन, निष्पादन-सह-उपलब्धि प्रतिवेदनों की गैर-प्रस्तुति, संसद को वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से विवरणों का रिपोर्टिंग न करना इत्यादि को उजागर किया। यह देखा गया कि चयनित मंत्रालय, अनुदानग्राही निकायों को जारी अनुदानों में से उनके द्वारा सृजित परिसंपत्तियों की मात्रा तथा मूल्य के बारे में अवगत नहीं थे। विभिन्न अनुदानग्राही संगठनों से बड़ी मात्रा में उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। यह भी देखा गया कि अनुदानग्राही संगठनों को अनुदान, पूर्व वर्षों के अव्ययित शेषों तथा लम्बित उपयोग प्रमाणपत्रों पर विचार किए बिना जारी किए गए थे।

इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा विभिन्न निकायों तथा प्राधिकरणों को लोक सामान तथा सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए जारी सहायता अनुदानों से व्यय करने की वर्तमान मॉनीटरिंग तथा सूचित करने के तंत्र में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता है

नई दिल्ली
दिनांक : 27 अप्रैल 2015

(सतीश लूम्बा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 28 अप्रैल 2015

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध 1.1

(पैराग्राफ 1.3.5 के संदर्भ में)

योजनागत व्यय के घटकों का अनुदान-वार विश्लेषण*

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
1 – कृषि एवं सहकारिता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	15696.62	37.56	9.20	0.00	17.08	0.00	24.66	2905.50	18690.62
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	100%
2 – कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1073.04	658.88	868.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-149.17	2450.80
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	44%	27%	35%	0%	0%	0%	0%	-6%	100%
3 – पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1619.96	0.00	2.18	0.00	6.51	0.00	0.00	120.01	1748.66
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	93%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	100%
4 – परमाणु ऊर्जा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	127.45	1264.64	0.00	0.00	860.43	40.00	0.00	1180.67	3473.18
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	4%	36%	0%	0%	25%	1%	0%	34%	100%
5 – नाभिकीय शक्ति योजनागत									
व्यय (₹ करोड़ में)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.60	0.00	272.02	581.62
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	3%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	47%	100%
6 – रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	6.06	174.37	0.00	976.96	0.00	0.00	0.00	0.55	1157.94

* *स्रोत : नवम्बर 2014 में मं.ले.नि.द्वारा प्रस्तुत ई-लेखा डाटा डम्प*

$ आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण, 'कुल योजनागत व्यय' की प्रतिशतता 100 प्रतिशत से भिन्न हो सकती है।

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	1%	15%	0%	84%	0%	0%	0%	0%	100%
7 – उर्वरक विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.32
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	92%	100%
8 – भेषजीय विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	50.75	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	-4.93	68.18
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	74%	19%	0%	0%	0%	0%	14%	-7%	100%
9 – नागरिक उड्डयन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	122.44	0.00	0.00	16.36	6012.00	0.00	32.18	6182.98
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	2%	0%	0%	0%	97%	0%	1%	100%
10 – कोयला मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	261.07	0.00	0.00	0.00	261.63	522.70
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	100%
11 – वाणिज्य विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	504.29	39.37	0.00	429.50	849.64	100.00	0.00	14.41	1937.21
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	26%	2%	0%	22%	44%	5%	0%	1%	100%
12 – औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	78.48	516.71	14.63	470.02	9.00	0.00	0.00	20.65	1109.49
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	7%	47%	1%	42%	1%	0%	0%	2%	100%
14 – दूरसंचार विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	224.25	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	2404.46	2632.16
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशत	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
15 – इलैक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1010.26	58.80	133.80	0.00	9.40	0.00	0.00	640.76	1853.03
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	55%	3%	7%	0%	1%	0%	0%	35%	100%
16 – उपभोक्ता मामले विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	10.04	29.53	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	135.29	180.08
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	6%	16%	0%	0%	3%	0%	0%	75%	100%
17 – खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	184.45	0.00	2.55	0.00	0.49	3.00	0.00	0.92	191.42
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	96%	0%	1%	0%	0%	2%	0%	0%	100%
18 – कार्पोरेट कार्य मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	18.23	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00	20.38
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	89%	0%	0%	0%	11%	0%	0%	0%	100%
19 – संस्कृति मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	881.75	141.31	32.69	0.00	31.84	0.00	0.00	290.75	1378.34
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	64%	10%	2%	0%	2%	0%	0%	21%	100%
28 – उत्तर-पूर्वी क्षेत्रिय विकास मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	105.77	1494.45	0.00	0.00	157.45	4.00	60.00	-40.57	1781.10
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	6%	84%	0%	0%	9%	0%	3%	-2%	100%
29- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	11837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.59	11934.83
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
30- भू-विज्ञान मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	645.92	26.88	24.96	0.00	43.27	0.00	0.00	134.98	876.00
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	74%	3%	3%	0%	5%	0%	0%	15%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
31- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	934.00	550.43	94.24	0.00	36.66	0.00	0.00	193.22	1808.55
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	52%	30%	5%	0%	2%	0%	0%	11%	100%
32 – विदेश मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1468.49	1281.50	2749.99
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	47%	100%
33- आर्थिक कार्य विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	1102.45	1000.00	0.00	3300.00	5402.45
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	20%	19%	0%	61%	100%
34 - वित्त सेवाएं विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	16882.78	0.00	0.00	17666.96
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	4%	0%	0%	0%	0%	96%	0%	0%	100%
36 - राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण									
व्यय (₹ करोड़ में)	45955.60	28603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10999.75	0.00	85558.52
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	54%	33%	0%	0%	0%	0%	13%	0%	100%
39 - व्यय विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
40 - पेंशन									
व्यय (₹ करोड़ में) कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	464.36	39.98	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.90	527.24
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	88%	8%	2%	0%	0%	0%	0%	3%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
47 – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	16442.43	2829.95	714.61	0.00	827.82	0.00	0.00	1661.84	22476.65
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	73%	13%	3%	0%	4%	0%	0%	7%	100%
48 – आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	284.89	143.23	74.05	0.00	15.71	0.00	0.00	35.63	553.51
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	51%	26%	13%	0%	3%	0%	0%	6%	100%
49 – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	401.41	69.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	569.62
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	70%	12%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
50 – एड्स नियंत्रण विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	693.77	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	779.21	1473.16
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	47%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	53%	100%
51 – भारी उघोग विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	47.23	0.66	0.00	0.00	0.00	358.50	90.46	1.43	498.28
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	9%	0%	0%	0%	0%	72%	18%	0%	100%
52 – सार्वजनिक उघम विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	6.42
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	83%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	100%
53 – गृह मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	536.27	536.91
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
55 - पुलिस									
व्यय (₹ करोड़ में)	707.68	597.00	0.00	0.00	4408.02	0.00	0.00	257.42	5970.13
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	12%	10%	0%	0%	74%	0%	0%	4%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
56 – गृह मंत्रालय के अन्य व्यय									
व्यय (₹ करोड़ में)	18.91	200.66	0.00	0.00	6.95	0.00	0.00	62.77	289.29
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	7%	69%	0%	0%	2%	0%	0%	22%	100%
57 – संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण									
व्यय (₹ करोड़ में)	1225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	-3.93	1231.66
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	100%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	100%
58 – आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	854.47	0.00	3.00	50.10	0.00	0.00	0.00	169.01	1076.58
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	79%	0%	0%	5%	0%	0%	0%	16%	100%
59 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	35097.81	7982.80	578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.71	43684.41
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	80%	18%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
60 – उच्च शिक्षा विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	5561.99	7806.03	562.56	0.00	0.00	0.00	0.00	252.25	14182.83
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	39%	55%	4%	0%	0%	0%	0%	2%	100%
61 – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	91.62	360.40	0.00	0.00	12.96	0.00	0.00	250.25	715.22
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	13%	50%	0%	0%	2%	0%	0%	35%	100%
62 – श्रम एवं रोजगार मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	491.85	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1036.55	1594.00
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	31%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	65%	100%
64 – विधि एवं न्याय									
व्यय (₹ करोड़ में)	5.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.68	940.68
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	1%	95%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
66 – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	1479.20	96.32	3.77	459.06	5.15	70.00	0.00	137.75	2251.25
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	66%	4%	0%	20%	0%	3%	0%	6%	100%
67 – खनन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	10.97	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.69	530.69
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	100%
68- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	2015.77	947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.42	3007.49
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	67%	31%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
69 – नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	731.15	0.00	1.20	655.14	18.00	181.00	0.00	-1204.56	381.93
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	191%	0%	0%	172%	5%	47%	0%	-315%	100%
71 – पंचायती राज मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	557.96	2873.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	3461.46
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	16%	83%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
73 – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	3.85	5.25	0.00	0.00	61.14	0.00	0.00	130.64	200.89
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	2%	3%	0%	0%	30%	0%	0%	65%	100%
75 – योजनागत मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	10.86	0.25	0.00	0.00	106.08	0.00	0.00	1536.85	1654.03
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	1%	0%	0%	0%	6%	0%	0%	93%	100%
76 – विद्युत मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	82.47	2917.86	0.00	35.00	66.57	393.79	1316.67	-290.27	4522.09
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	2%	65%	0%	1%	1%	9%	29%	-6%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
82 – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	18.33	3233.62	0.00	0.00	8934.78	11627.45	0.00	-168.05	23646.13
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	14%	0%	0%	38%	49%	0%	-1%	100%
83 – ग्रामीण विकास विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	6826.56	51109.18	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	676.75	58623.08
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	12%	87%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
84 – भू-संसाधन विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	2468.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41	2487.73
कुल योजनागत व्यय का प्रतिशतता	99%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
85 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	1387.90	475.86	319.50	0.00	5.54	0.00	7.19	25.24	2221.22
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	62%	21%	14%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
86 – विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	634.55	728.60	228.90	0.00	0.00	4.00	4.00	2.76	1602.82
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	40%	45%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
87 – जैव-तकनीकी विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	755.25	400.93	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84	1275.71
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	59%	31%	7%	0%	0%	0%	0%	3%	100%
88 – पोत परिवहन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	5.34	129.08	0.00	0.00	293.52	0.00	50.00	13.08	491.03
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	1%	26%	0%	0%	60%	0%	10%	3%	100%
89 – सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	4981.42	87.66	3.31	0.00	0.00	302.55	0.00	42.76	5417.69
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	92%	2%	0%	0%	0%	6%	0%	1%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
90 – अंतरिक्ष विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	83.41	99.15	0.00	0.00	282.61	0.00	0.00	3532.76	3997.93
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	0%	0%	7%	0%	0%	88%	100%
91 – सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	378.60	3955.92	2.02	0.00	3.52	0.00	0.00	94.89	4434.95
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	9%	89%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	100%
92 – इस्पात मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
93 – कपड़ा मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	952.99	423.69	0.00	1729.83	7.63	0.00	0.00	15.39	3129.53
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	30%	14%	0%	55%	0%	0%	0%	0%	100%
94 – पर्यटन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	75.41	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.79	815.04
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	9%	69%	0%	0%	0%	0%	0%	22%	100%
95 – जनजातीय मामले मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	2290.24	1443.61	22.33	0.00	0.00	60.50	0.00	4.19	3820.88
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	60%	38%	1%	0%	0%	2%	0%	0%	100%
96 – अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह									
व्यय (₹ करोड़ में)	82.61	51.18	13.05	5.23	276.45	0.31	0.00	1155.17	1583.99
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	5%	3%	1%	0%	17%	0%	0%	73%	100%
97 – चंडीगढ़									
व्यय (₹ करोड़ में)	149.77	0.00	1.00	0.03	228.86	0.00	0.00	212.61	592.27
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	25%	0%	0%	0%	39%	0%	0%	36%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
98 – दादरा एवं नगर हवेली									
व्यय (₹ करोड़ में)	139.29	180.85	0.00	1.29	148.33	40.00	1.29	106.65	617.70
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	23%	29%	0%	0%	24%	6%	0%	17%	100%
99 – दमन एवं दीव									
व्यय (₹ करोड़ में)	118.24	20.63	1.75	2.30	181.44	0.20	0.00	180.70	505.26
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	23%	4%	0%	0%	36%	0%	0%	36%	100%
100 – लक्षद्वीप									
व्यय (₹ करोड़ में)	83.25	0.00	0.51	2.54	146.11	0.05	0.00	127.74	360.21
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	23%	0%	0%	1%	41%	0%	0%	35%	100%
101 – शहरी विकास विभाग									
व्यय (₹ करोड़ में)	30.49	314.71	0.00	0.00	384.86	885.00	4632.66	29.96	6277.67
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	5%	0%	0%	6%	14%	74%	0%	100%
102 – लोक निर्माण कार्य									
व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80	0.00	0.00	19.85	158.64
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	0%	87%	0%	0%	13%	100%
104 – जल संसाधन मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	183.44	0.00	0.00	0.00	128.02	0.00	0.00	219.27	530.73
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	35%	0%	0%	0%	24%	0%	0%	41%	100%
105 – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	16824.71	962.92	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	144.24	17949.85
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	94%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	100%

विषय शीर्ष	31	35	36	33	53	54	55		
अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य	पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए अनुदान	सहायता अनुदान-वेतन	आर्थिक सहायता	मुख्य कार्य	निवेश	ऋण एवं अग्रिम	अन्य	कुल योग
106 – युवा मामले एवं खेल-कूद मंत्रालय									
व्यय (₹ करोड़ में)	631.64	121.93	244.77	0.00	0.87	0.00	0.00	13.25	1012.48
कुल योजनागत व्यय की प्रतिशतता	62%	12%	24%	0%	0%	0%	0%	1%	100%
कुल योग (₹ करोड़ में)	188167.89	125863.13	4180.01	5078.06	19841.96	38254.73	18674.35	25799.38	426253.31
योजनागत व्यय का कुल प्रतिशत	44%	30%	1%	1%	5%	9%	4%	6%	100%

अनुबंध 1.2

(पैराग्राफ 1.4 के संदर्भ में)

व्यय का अनुदान-वार समय विश्लेषण#

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जूलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
1 – कृषि एवं सहकारिता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	434.90	847.89	4785.68	962.09	1837.44	2845.11	471.81	693.26	2825.93	701.22	1418.37	1203.89	19027.58
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	4%	25%	5%	10%	15%	2%	4%	15%	4%	7%	6%	100%
2 – कृषि अनुसंधान एंव शिक्षा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	940.25	0.42	1533.06	0.42	539.48	30.75	1193.20	0.37	0.42	550.67	-69.50	160.40	4879.94
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	19%	0%	31%	0%	11%	1%	24%	0%	0%	11%	-1%	3%	100%
3 – पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	43.83	121.83	424.76	112.87	234.87	276.12	53.72	219.02	185.07	67.83	228.78	180.49	2149.17
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	6%	20%	5%	11%	13%	2%	10%	9%	3%	11%	8%	100%
4 – परमाणु ऊर्जा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1030.27	940.11	652.60	1020.40	850.27	1005.33	804.35	719.41	705.17	948.87	785.13	866.25	10328.16
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	9%	6%	10%	8%	10%	8%	7%	7%	9%	8%	8%	100%
5 – नाभिकीय शक्ति योजना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	115.41	215.51	133.59	234.76	1066.92	335.75	137.51	183.53	251.34	214.14	108.40	1060.52	4057.38
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	5%	3%	6%	26%	8%	3%	5%	6%	5%	3%	26%	100%
6 – रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4.13	981.90	4.13	51.87	23.28	10.49	3.81	62.70	15.60	4.53	40.69	5.61	1208.73
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	81%	0%	4%	2%	1%	0%	5%	1%	0%	3%	0%	100%

स्रोत : नवम्बर 2014 में म.ले.नि. द्वारा प्रस्तुत ई-लेखा डाटा डम्प। अन्तर लेखा अंतरण एवं "कटौती की गई वसूलियों के आंकड़ो को छोड़कर।

$ आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण, 'कुल योजनागत व्यय' की प्रतिशतता 100 प्रतिशत से भिन्न हो सकती है।

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जूलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
7 – उर्वरक विभाग													
माह के दौरान व्यय(₹ करोड़ में)	7368.26	5990.86	14163.87	9524.03	5893.66	3831.86	4252.27	3773.86	4221.50	8447.17	2099.04	1736.66	71303.05
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	8%	20%	13%	8%	5%	6%	5%	6%	12%	3%	2%	100%
8 –भेषजीय विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.75	2.50	9.31	13.78	3.19	5.46	18.95	1.86	21.54	4.76	3.42	26.97	113.48
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	8%	12%	3%	5%	17%	2%	19%	4%	3%	24%	100%
9 – नागरिक उड्डयन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	811.77	3108.00	210.65	227.26	212.34	689.68	167.65	150.79	175.51	7.14	11.80	1182.01	6954.59
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12%	45%	3%	3%	3%	10%	2%	2%	3%	0%	0%	17%	100%
10 – कोयला मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.07	8.83	121.07	74.50	1.93	257.13	-6.19	10.13	8.21	1.82	530.15	318.81	1329.45
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	1%	9%	6%	0%	19%	0%	1%	1%	0%	40%	24%	100%
11 – वाणिज्य विभाग													
माह के दौरान (₹ करोड़ में)	91.56	1080.76	524.94	663.99	401.09	492.31	214.16	330.42	426.44	227.85	211.42	598.48	5263.43
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	21%	10%	13%	8%	9%	4%	6%	8%	4%	4%	11%	100%
12 – औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	22.30	93.89	160.88	34.41	169.87	69.16	40.03	25.16	230.93	41.10	108.32	347.04	1343.08
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	7%	12%	3%	13%	5%	3%	2%	17%	3%	8%	26%	100%
13 – डाक विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1296.82	1352.10	1353.24	1411.56	1381.14	1353.72	1801.57	1397.39	1422.27	1342.75	1387.54	1642.73	17142.82
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	8%	8%	8%	8%	8%	11%	8%	8%	8%	8%	10%	100%
14 - दूरसंचार विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	400.86	525.89	701.59	2119.58	449.18	554.51	500.23	469.02	528.92	776.74	542.54	1055.15	8624.21
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	6%	8%	25%	5%	6%	6%	5%	6%	9%	6%	12%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जूलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
15 - इलैक्ट्रॉनिक एंव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	91.88	95.94	512.85	304.06	171.97	283.20	144.21	78.00	111.64	86.90	128.48	157.15	2166.27
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	24%	14%	8%	13%	7%	4%	5%	4%	6%	7%	100%
16 - उपभोक्ता मामले विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	8.85	14.97	157.10	21.11	21.78	23.62	12.05	12.58	79.68	22.08	21.05	45.22	440.08
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	3%	36%	5%	5%	5%	3%	3%	18%	5%	5%	10%	100%
17 - खाद्य एंव सार्वजनिक संवितरण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	16768.34	7504.42	15231.59	10000.26	10347.19	9191.32	10440.30	6101.41	2369.73	1524.26	128.42	13740.99	103348.23
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	16%	7%	15%	10%	10%	9%	10%	6%	2%	1%	0%	13%	100%
18 - कार्पोरेट कार्य मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	13.62	20.25	24.82	8.96	22.43	25.88	19.35	25.66	9.88	16.10	24.99	17.29	229.22
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	9%	11%	4%	10%	11%	8%	11%	4%	7%	11%	8%	100%
19 - संस्कृति मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	76.42	156.48	319.56	156.41	77.83	374.14	93.29	70.83	181.35	99.13	126.80	259.47	1991.73
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	8%	16%	8%	4%	19%	5%	4%	9%	5%	6%	13%	100%
20 - रक्षा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	384.13	852.21	1292.11	280.10	2067.38	1559.30	1381.40	1841.49	1164.42	1112.90	1526.70	3366.85	16828.99
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	5%	8%	2%	12%	9%	8%	11%	7%	7%	9%	20%	100%
21 - रक्षा पेंशन													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3403.62	588.49	4133.72	4090.57	4062.10	4145.18	5024.38	3856.19	3959.11	3784.70	3938.09	4513.38	45499.54
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	1%	9%	9%	9%	9%	11%	8%	9%	8%	9%	10%	100%
22 - रक्षा सेवाएं-थल सेना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9714.37	6437.76	6271.55	7233.54	7208.62	7308.13	8358.33	6598.61	7548.05	7027.45	7476.30	6567.84	87750.54
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	7%	7%	8%	8%	8%	10%	8%	9%	8%	9%	7%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
23 –रक्षा सेवाएँ- जल सेना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	833.30	931.89	679.74	1240.71	1017.63	1051.97	956.34	1022.91	1200.59	1078.90	1433.67	2024.59	13472.26
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	7%	5%	9%	8%	8%	7%	8%	9%	8%	11%	15%	100%
24 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1500.56	1574.13	1601.37	1672.10	1779.88	1330.13	1644.37	1690.31	1613.52	1583.86	1400.03	2770.00	20160.27
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	8%	8%	8%	9%	7%	8%	8%	8%	8%	7%	14%	100%
25 - रक्षा आयुध-कारखाने													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	756.00	1395.33	764.60	632.72	450.58	-194.78	107.66	391.76	-503.53	90.78	-43.21	-1037.09	2810.82
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	27%	50%	27%	23%	16%	-7%	4%	14%	-18%	3%	-2%	-37%	100%
26 - रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एंव विकास													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	419.13	383.72	406.58	445.93	415.84	397.43	1089.80	414.65	422.03	413.13	390.16	497.94	5696.32
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	7%	7%	8%	7%	7%	19%	7%	7%	7%	7%	9%	100%
27 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2679.59	13712.98	6166.71	5069.00	4675.10	7982.62	7460.17	5157.59	12403.60	4713.84	4527.29	4576.58	79125.05
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	17%	8%	6%	6%	10%	9%	7%	16%	6%	6%	6%	100%
28 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्रिय विकास मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.88	60.27	334.59	115.61	114.90	385.94	47.71	118.09	240.16	26.84	169.85	261.79	1878.63
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	3%	18%	6%	6%	21%	3%	6%	13%	1%	9%	14%	100%
29 - पेयजल एंव स्वच्छता मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.32	1.43	2300.39	253.22	529.37	1860.52	28.41	764.40	2285.34	1122.84	1016.34	1777.45	11941.03
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	19%	2%	4%	16%	0%	6%	19%	9%	9%	15%	100%
30 - भू-विज्ञान मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	48.29	50.39	175.12	307.88	112.54	38.86	81.14	65.58	117.15	50.95	93.61	106.65	1248.15
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	14%	25%	9%	3%	7%	5%	9%	4%	8%	9%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
31- पर्यावरण एंव वन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	29.42	102.01	207.96	399.08	147.60	227.19	112.11	45.51	540.62	96.28	138.03	112.99	2158.80
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	5%	10%	18%	7%	11%	5%	2%	25%	4%	6%	5%	100%
32 - विदेश मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	430.97	1510.94	1551.72	854.40	639.28	1102.96	782.89	952.27	954.55	952.48	808.81	1266.08	11807.35
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	13%	13%	7%	5%	9%	7%	8%	8%	8%	7%	11%	100%
33 - आर्थिक कार्य विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	14.46	170.20	806.09	597.15	1213.60	518.16	308.26	1064.06	2306.98	558.12	487.68	3933.68	11978.43
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	1%	7%	5%	10%	4%	3%	9%	19%	5%	4%	33%	100%
34 - वित्त सेवाएं विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9.58	23.04	1555.19	40.68	3251.10	1711.63	1111.64	15.54	13786.33	954.08	207.58	4314.08	26980.45
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	6%	0%	12%	6%	4%	0%	51%	4%	1%	16%	100%
35 - विनियोग-ब्याज भुगतान													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	19150.54	23603.34	29475.05	38541.43	31956.51	32949.05	25464.01	31403.90	34981.38	38130.34	36986.06	52745.97	395387.59
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	6%	7%	10%	8%	8%	6%	8%	9%	10%	9%	13%	100%
36 - राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	5421.16	5268.40	8001.17	17101.52	11157.39	14869.60	6645.45	10918.82	17093.46	6155.00	19709.34	22160.38	144501.68
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	6%	12%	8%	10%	5%	8%	12%	4%	14%	15%	100%
37 - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.24	0.33	6.99	19.47	21.28	22.22	21.54	14.97	10.50	10.83	8.22	28.02	164.61
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	4%	12%	13%	13%	13%	9%	6%	7%	5%	17%	100%
38 - विनियोग-ऋण का पुर्नभुगतान													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	298530.87	304941.07	257670.24	308502.52	322806.30	300203.10	265677.93	317606.88	256928.89	272741.91	262963.92	342717.69	3511291.32
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	9%	7%	9%	9%	9%	8%	9%	7%	8%	7%	10%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जूलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
39 - व्यय विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	18.37	-1.92	7.68	17.16	6.38	16.02	10.37	6.86	10.21	7.18	6.67	19.66	124.63
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	15%	-2%	6%	14%	5%	13%	8%	6%	8%	6%	5%	16%	100%
40 - पेंशन													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2596.06	1055.15	1740.83	2182.92	1559.02	1709.73	2065.85	1435.38	1711.85	1806.38	2458.74	2520.37	22842.29
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	5%	8%	10%	7%	7%	9%	6%	7%	8%	11%	11%	100%
41 - भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	373.61	258.42	225.71	235.97	218.07	224.24	267.30	230.48	231.95	228.49	223.36	-31.70	2685.89
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	14%	10%	8%	9%	8%	8%	10%	9%	9%	9%	8%	-1%	100%
42 - राजस्व विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	90.94	39.09	28.85	53.66	34.70	28.27	29.53	44.12	34.58	79.49	52.51	2037.65	2553.37
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	2%	1%	2%	1%	1%	1%	2%	1%	3%	2%	80%	100%
43 - प्रत्यक्ष कर													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	388.11	290.31	268.25	293.03	335.36	602.79	335.34	252.19	288.86	311.80	276.87	438.37	4081.28
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	7%	7%	7%	8%	15%	8%	6%	7%	8%	7%	11%	100%
44 - अप्रत्यक्ष कर													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	474.34	322.07	289.43	302.20	279.66	310.09	347.23	284.05	306.25	298.48	305.71	234.36	3753.88
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13%	9%	8%	8%	7%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	6%	100%
45 - विनिवेश विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.88	1.32	0.70	1.37	3.91	2.04	0.65	0.44	1.00	1.44	0.42	12.71	26.90
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	5%	3%	5%	15%	8%	2%	2%	4%	5%	2%	47%	100%
46 - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.93	49.76	56.53	31.86	16.36	216.53	6.74	16.81	22.53	39.44	38.22	45.23	541.94
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	9%	10%	6%	3%	40%	1%	3%	4%	7%	7%	8%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
47 - स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याम विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	405.39	4429.17	4637.80	2757.37	1077.14	3805.24	1080.62	1330.25	2046.78	753.60	3357.35	3134.51	28815.23
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	15%	16%	10%	4%	13%	4%	5%	7%	3%	12%	11%	100%
48 –आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.17	51.29	63.54	133.27	61.01	143.21	25.77	7.16	102.67	27.13	37.29	77.04	731.56
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	7%	9%	18%	8%	20%	4%	1%	14%	4%	5%	11%	100%
49 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	133.79	249.85	17.89	0.00	198.07	8.40	0.01	50.26	124.60	45.38	45.84	874.08
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	15%	29%	2%	0%	23%	1%	0%	6%	14%	5%	5%	100%
50 - एड्स नियंत्रण विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.09	2.43	12.97	284.25	75.86	394.44	289.19	151.27	41.81	33.73	46.69	138.43	1473.16
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	1%	19%	5%	27%	20%	10%	3%	2%	3%	9%	100%
51 - भारी उघोग विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.02	1.43	59.91	38.05	76.40	490.22	1.71	13.56	4.02	4.09	184.96	500.81	1377.19
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	4%	3%	6%	36%	0%	1%	0%	0%	13%	36%	100%
52 - सार्वजनिक उघम विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.11	1.11	0.79	0.69	2.46	2.21	1.19	0.62	0.81	1.10	2.21	1.09	15.39
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	7%	5%	4%	16%	14%	8%	4%	5%	7%	14%	7%	100%
53 - गृह मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	59.10	46.54	73.36	49.48	221.28	65.63	190.18	47.43	69.40	46.07	238.39	173.17	1280.02
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	5%	4%	6%	4%	17%	5%	15%	4%	5%	4%	19%	14%	100%
54 - मंत्रिमंडल													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15.62	11.48	14.18	29.76	22.94	15.86	11.26	10.03	9.77	191.66	8.39	29.10	370.06
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	3%	4%	8%	6%	4%	3%	3%	3%	52%	2%	8%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
55 - पुलिस													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	5143.91	4269.60	4119.48	4052.65	3559.86	5888.77	4947.29	3605.64	3791.78	3790.27	4309.35	2895.09	50373.67
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	8%	8%	8%	7%	12%	10%	7%	8%	8%	9%	6%	100%
56 - गृह मंत्रालय के अन्य व्यय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	153.09	50.78	186.48	143.21	131.62	368.84	147.52	102.54	112.38	112.03	150.01	221.83	1880.33
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	3%	10%	8%	7%	20%	8%	5%	6%	6%	8%	12%	100%
57 - संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.00	171.97	381.42	79.78	97.70	97.70	107.04	318.93	206.34	0.00	332.98	26.73	1820.59
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	9%	21%	4%	5%	5%	6%	18%	11%	0%	18%	1%	100%
58 - आवास एंव शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.90	1.37	3.41	117.37	323.56	70.52	8.39	3.16	263.65	2.76	75.36	214.79	1086.24
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	11%	30%	6%	1%	0%	24%	0%	7%	20%	100%
59 - स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	8462.75	4586.67	3165.64	3614.07	1128.04	6810.00	3151.86	1978.14	5191.97	1844.49	4305.11	2750.40	46989.12
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	18%	10%	7%	8%	2%	14%	7%	4%	11%	4%	9%	6%	100%
60 - उच्च शिक्षा विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	10.41	2280.52	3043.98	1108.23	3697.04	1913.60	1116.70	2818.63	2179.35	324.62	3338.33	2701.22	24532.62
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	9%	12%	5%	15%	8%	5%	11%	9%	1%	14%	11%	100%
61 - सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	42.98	45.58	48.17	341.74	1049.90	416.50	65.20	37.24	57.45	46.78	45.97	630.69	2828.22
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	2%	12%	37%	15%	2%	1%	2%	2%	2%	22%	100%
62 - श्रम एंव रोजगार मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	53.80	76.27	2016.56	220.24	72.02	497.92	59.31	139.38	246.63	51.57	334.76	359.95	4128.42
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	2%	49%	5%	2%	12%	1%	3%	6%	1%	8%	9%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जूलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
63 – निर्वाचन आयोग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	7.06	3.40	3.04	12.74	2.65	3.37	4.08	9.58	5.15	4.68	4.04	5.79	65.56
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	5%	5%	19%	4%	5%	6%	15%	8%	7%	6%	9%	100%
64 - विधि एंव न्याय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	18.42	113.55	34.92	443.13	344.77	114.46	207.62	23.61	18.47	13.11	123.47	403.93	1859.46
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	6%	2%	24%	19%	6%	11%	1%	1%	1%	7%	22%	100%
65 – विनियोग-भारतीय सर्वोच्च न्यायालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	16.83	12.43	10.03	10.78	9.77	12.00	12.32	11.79	10.34	10.59	10.37	6.64	133.89
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13%	9%	7%	8%	7%	9%	9%	9%	8%	8%	8%	5%	100%
66 - सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उघम मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	17.97	154.52	627.76	418.54	124.45	142.92	80.30	48.90	367.88	62.80	101.59	478.49	2626.12
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	6%	24%	16%	5%	5%	3%	2%	14%	2%	4%	18%	100%
67 - खनन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	204.89	58.50	63.90	50.36	151.26	154.36	71.18	54.26	70.02	58.46	67.14	33.07	1037.41
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	20%	6%	6%	5%	15%	15%	7%	5%	7%	6%	6%	3%	100%
68- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.04	39.33	123.33	121.61	439.32	446.13	394.66	167.46	733.58	112.10	399.55	47.63	3026.74
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	1%	4%	4%	15%	15%	13%	6%	24%	4%	13%	2%	100%
69 - नवीन एंव अक्षय ऊर्जा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.68	59.94	464.45	92.55	72.00	114.73	92.89	47.13	149.03	4.39	3.98	528.75	1633.52
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	4%	28%	6%	4%	7%	6%	3%	9%	0%	0%	32%	100%
70 – प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.02	1.66	13.94	8.23	3.80	6.90	3.30	12.52	4.31	3.53	5.77	18.82	84.80
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	16%	10%	4%	8%	4%	15%	5%	4%	7%	22%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जूलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
71 - पंचायती राज मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.07	1.09	7.45	130.45	113.84	1025.59	1085.85	63.80	403.30	149.25	341.90	138.49	3462.08
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	0%	4%	3%	30%	31%	2%	12%	4%	10%	4%	100%
72 – संसदीय कार्य मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.37	0.89	1.07	0.76	0.79	0.88	1.01	1.08	1.24	0.84	0.90	0.54	11.36
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12%	8%	9%	7%	7%	8%	9%	9%	11%	7%	8%	5%	100%
73 – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	70.63	92.15	68.63	77.86	73.99	102.56	90.03	66.92	77.39	69.44	70.27	87.96	947.83
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	7%	10%	7%	8%	8%	11%	9%	7%	8%	7%	7%	9%	100%
74 – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.63	1.73	22468.09	15292.11	8276.73	8245.59	281.64	325.71	493.34	8775.93	10772.18	10482.72	85418.39
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	0%	26%	18%	10%	10%	0%	0%	1%	10%	13%	12%	100%
75 - योजना मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	17.92	106.63	63.32	103.17	111.23	352.05	75.90	138.42	141.59	171.41	239.03	212.72	1733.38
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	6%	4%	6%	6%	20%	4%	8%	8%	10%	14%	12%	100%
76 - विद्युत मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	19.30	451.49	1393.47	19.59	8.42	1379.37	281.02	193.13	1028.26	110.01	335.91	293.72	5513.69
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	8%	25%	0%	0%	25%	5%	4%	19%	2%	6%	5%	100%
77 – विनियोग-कर्मचारी आवास एवं राष्ट्रपति के भत्ते													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.80	3.55	3.52	3.10	2.60	3.02	3.14	3.17	3.11	3.28	2.81	3.61	38.71
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	9%	9%	8%	7%	8%	8%	8%	8%	8%	7%	9%	100%
78 – लोकसभा													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	53.45	36.75	30.79	40.69	51.07	33.96	41.50	31.17	36.31	39.84	40.99	60.06	496.57
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	11%	7%	6%	8%	10%	7%	8%	6%	7%	8%	8%	12%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
79 – राज्य सभा													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	27.39	28.92	17.66	22.79	21.51	21.03	19.40	17.62	24.26	19.68	32.89	45.05	298.19
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	10%	6%	8%	7%	7%	7%	6%	8%	7%	11%	15%	100%
80 – विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	15.36	20.84	6.91	20.55	16.06	11.43	14.33	12.36	13.60	17.31	10.89	6.97	166.63
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	9%	13%	4%	12%	10%	7%	9%	7%	8%	10%	7%	4%	100%
81 – उप-राष्ट्रपति सचिवालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	0.37	0.29	0.27	0.26	0.25	0.27	0.32	0.33	0.38	0.34	0.37	0.11	3.56
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	8%	8%	7%	7%	8%	9%	9%	11%	9%	10%	3%	100%
82 – सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	91.68	1091.21	2483.83	3140.33	1037.34	4427.30	1358.04	3776.54	2755.98	1403.87	3140.21	3971.01	28677.35
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	4%	9%	11%	4%	15%	5%	13%	10%	5%	11%	14%	100%
83 – ग्रामीण विकास विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	7214.61	12054.82	5250.63	2721.55	5370.32	5105.94	7433.43	1712.61	2251.75	1519.90	2994.32	5036.41	58666.28
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12%	21%	9%	5%	9%	9%	13%	3%	4%	3%	5%	9%	100%
84 – भू-संसाधन विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	1.16	135.87	311.18	106.75	492.16	692.81	8.49	126.31	62.74	11.62	310.46	236.39	2495.94
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	5%	12%	4%	20%	28%	0%	5%	3%	0%	12%	9%	100%
85 – विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	55.46	273.50	403.27	330.24	385.25	544.06	172.97	36.06	142.08	61.67	160.19	45.47	2610.22
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	10%	15%	13%	15%	21%	7%	1%	5%	2%	6%	2%	100%
86 – विज्ञान एंव औद्योगिक अनुसंधान विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	539.39	2.64	270.42	7.33	854.40	7.77	2.21	388.17	430.15	3.26	646.84	6.95	3159.54
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	17%	0%	9%	0%	27%	0%	0%	12%	14%	0%	20%	0%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जूलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
87 – जैव-तकनीकी विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.47	127.46	129.37	128.16	131.73	289.86	50.32	46.91	117.25	90.67	48.46	127.68	1291.32
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	10%	10%	10%	10%	22%	4%	4%	9%	7%	4%	10%	100%
88 – पोत परिवहन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	21.87	33.09	150.18	130.78	86.64	333.04	240.59	117.28	73.47	57.57	46.89	578.78	1870.20
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	2%	8%	7%	5%	18%	13%	6%	4%	3%	3%	31%	100%
89 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	6.67	113.74	449.23	36.16	83.37	479.61	1036.98	752.94	419.23	415.79	937.30	788.87	5519.90
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	2%	8%	1%	2%	9%	19%	14%	8%	8%	17%	14%	100%
90 – अंतरिक्ष विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	682.18	367.21	417.74	443.73	384.20	382.32	495.32	832.81	428.34	308.78	232.95	193.37	5168.95
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	13%	7%	8%	9%	7%	7%	10%	16%	8%	6%	5%	4%	100%
91 – सांख्यिकी एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	153.86	536.06	391.55	569.48	331.76	357.65	308.50	342.01	506.87	494.78	720.62	130.23	4843.37
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	3%	11%	8%	12%	7%	7%	6%	7%	10%	10%	15%	3%	100%
92 – इस्पात मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	4.37	3.53	14.15	3.65	3.36	8.99	3.81	5.87	13.95	3.32	3.47	9.54	78.02
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	5%	18%	5%	4%	12%	5%	8%	18%	4%	4%	12%	100%
93 – कपड़ा मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	64.73	140.52	817.99	135.92	114.92	1069.79	97.23	97.65	442.20	53.28	333.01	587.74	3954.98
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	4%	21%	3%	3%	27%	2%	2%	11%	1%	8%	15%	100%
94 – पर्यटन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	5.31	16.50	99.54	35.34	76.29	373.57	28.19	45.75	68.98	33.25	79.78	166.70	1029.20
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	1%	2%	10%	3%	7%	36%	3%	4%	7%	3%	8%	16%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जूलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
95 – जनजातीय मामले मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	2.69	499.56	498.81	89.31	464.01	597.05	210.88	246.23	273.46	180.57	282.77	494.01	3839.35
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	13%	13%	2%	12%	16%	5%	6%	7%	5%	7%	13%	100%
96 – अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	249.12	270.90	167.14	398.26	225.94	429.51	214.87	233.10	230.78	218.17	234.54	301.97	3174.31
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	8%	9%	5%	13%	7%	14%	7%	7%	7%	7%	7%	10%	100%
97 - चंडीगढ़													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	178.00	296.41	323.29	261.41	239.99	206.90	305.17	368.02	192.96	232.03	238.82	363.61	3206.60
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	6%	9%	10%	8%	7%	6%	10%	11%	6%	7%	7%	11%	100%
98 – दादरा एवं नगर हवेली													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	29.58	28.82	158.65	31.26	115.51	122.59	33.91	69.54	34.63	44.29	32.01	38.66	739.46
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	4%	4%	21%	4%	16%	17%	5%	9%	5%	6%	4%	5%	100%
99 – दमन एंव दीव													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	216.25	88.72	141.47	93.05	111.79	259.58	104.53	116.06	85.29	83.19	90.64	40.63	1431.21
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	15%	6%	10%	7%	8%	18%	7%	8%	6%	6%	6%	3%	100%
100 - लक्षद्वीप													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	94.40	57.76	79.43	124.08	69.30	73.04	53.07	67.91	103.16	62.80	90.76	71.86	947.57
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	6%	8%	13%	7%	8%	6%	7%	11%	7%	10%	8%	100%
101 – शहरी विकास विभाग													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	115.74	160.23	480.29	965.13	759.06	1064.93	170.97	1470.77	150.48	127.41	1568.28	267.73	7301.02
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	2%	2%	7%	13%	10%	15%	2%	20%	2%	2%	21%	4%	100%
102 – लोक निर्माण कार्य													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	192.93	185.90	218.62	196.33	153.97	159.63	210.49	141.42	139.80	151.50	139.67	114.96	2005.21
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	9%	11%	10%	8%	8%	10%	7%	7%	8%	7%	6%	100%

	अप्रैल-2013	मई-2013	जून-2013	जुलाई-2013	अगस्त-2013	सितम्बर-2013	अक्तूबर-2013	नवम्बर-2013	दिसम्बर-2013	जनवरी-2014	फरवरी-2014	मार्च-2014	कुल
103 – लेखन सामग्री एवं मुद्रण													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	27.01	17.28	17.20	16.92	35.06	16.60	23.43	16.41	17.61	16.57	15.42	5.67	225.18
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	12%	8%	8%	8%	16%	7%	10%	7%	8%	7%	7%	3%	100%
104 – जल संसाधन मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	109.51	94.31	106.00	118.01	99.11	73.22	90.91	67.02	105.86	69.50	100.77	60.49	1094.71
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	10%	9%	10%	11%	9%	7%	8%	6%	10%	6%	9%	6%	100%
105 – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	9.54	2954.18	2672.48	2358.26	4390.76	818.92	724.08	546.19	1307.16	92.35	286.81	1877.85	18038.59
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	16%	15%	13%	24%	5%	4%	3%	7%	1%	2%	10%	100%
106 – युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय													
माह के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)	3.54	86.05	139.63	137.20	69.35	246.55	76.41	18.19	86.72	143.57	39.00	97.57	1143.78
वार्षिक व्यय की प्रतिशतता	0%	8%	12%	12%	6%	22%	7%	2%	8%	13%	3%	9%	100%
माह के दौरान कुल व्यय (₹ करोड़ में)	401714.53	423668.57	426716.29	459894.08	457293.20	453725.05	377155.74	423973.95	401829.07	381324.22	396587.37	524956.53	5128838.61
योजना व्यय का कुल प्रतिशत	**8%**	**8%**	**8%**	**9%**	**9%**	**9%**	**7%**	**8%**	**8%**	**7%**	**8%**	**10%**	**100%**

अनुबंध 2.1

(पैराग्राफ 2.1.2 के संदर्भ में)

ऐसे राजस्व और पूँजीगत मुख्य शीर्षों का विवरण जिनमें लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' 2013-14 मे कार्यान्वित किया गया था तथा जिसमे मुख्य शीर्ष के अतंगर्त कुल खर्च के 50 प्रतिशत से ज्यादा खर्च को बुक किया गया था।

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800- 'अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष की तुलना में लघु शीर्ष में व्यय की प्रतिशतता
		(₹ हजार में)		
1.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	803501	801232	100*
2.	2416- कृषि वित्त संस्थान	60811292[1]	60841830	100*
3.	2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	988671	983121	99
4.	2801- बिजली	87825099	43625036	50
5.	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	2033503	2009353	99
6.	2875- अन्य उद्योग	5681426	3038000	53
7.	3053- नागरिक उड्डयन	10001867	9034707	90
8.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	125702	77641	62
9.	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	12094	11600	96
10.	4405-मत्स्यपालन पर पूँजीगत परिव्यय	148706	80407	54
11.	4552- पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूँजीगत परिव्यय	836803	634700	76
12.	4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	3449587	3449587	100
13.	4859- दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	179369	139369	78
14.	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2165280	2118926	98
15.	5453- विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन पर पूँजीगत परिव्यय	8496418	7896418	93
16.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	9545503	5994783	63
	कुल	**193104821**	**140736710**	

* पूर्णांकित प्रतिशत

[1] ₹ 6,49,506 हजार के अधिक भुगतान के वसूली को घटाने के कारण मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत बुक व्यय से कम है।

अनुबंध 2.2

(पैराग्राफ 2.1.3 के संदर्भ में)

सरकारी लेखों के बाहर पड़े नियामकों/स्वायत्त निकायों के कोष

क्र.सं.	नियामकों/स्वायत्त निकायों के नाम	निवेशों/पूंजीगत निधि के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड	अधिशेष निधि/समग्र निधि	1574.48
2.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	अधिशेष निधि	1131.84
3.	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण	पूंजीगत/समग्र निधि	3.08
4.	भारतीय चिकित्सा परिषद्	1. स्वसंसाधन निवेश 2. भवन निधि	312.52
5.	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्	स्वसंसाधन निवेश	88.92
6.	भारतीय औषधि परिषद्	1. भवन निधि 2. व्यावसायिक विकास निधि 3. उच्च दर पर ब्याज प्राप्त करने हेतु	20.04
7.	भारतीय नर्सिंग परिषद्	स्वसंसाधन निवेश निधि	61.32
8.	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्	अनुप्रयोग निधि	1.05
9.	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्	लोक जमा लेखे	5.51
10.	भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक ब्यूरो	पूंजीगत/समग्र निधि	58.30
11.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	बैंक में एफ.डी.आर. जनरल	681.50
12.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	बचत बैंक खाते	831.24
13.	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	एफ.डी.आर./जी.आर.एफ.	1141.08
14.	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद्	सावधि जमा (परीक्षा निधि)	6.56
कुल			**5917.44**

अनुबंध 2.3

(पैराग्राफ 2.3.6 के संदर्भ में)

निष्क्रिय आरक्षित निधियों/ अन्यों जमाओं को दर्शाती हुई विवरणी

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
1.	8116.102-रेलवे राजस्व आरक्षित निधि-निवेश लेखे	आरक्षित	10,99	2001-02
2.	8116.XXX- रेलवे शाखा लाईऩ कंपनियों को ऋण	आरक्षित	11,77	2001-02
3.	8116.105-दूरसंचार राजस्व आरक्षित निधि	आरक्षित	82,91,70	2001-02
4.	8118.105-दूरसंचार पूंजीगत आरक्षित निधि	आरक्षित	6	2001-02
5.	8121.119-स्टाफ हितलाभ निधि (रेलवे)-निवेश लेखे	आरक्षित	1,00	1999-2000
6.	8121.111-आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	आरक्षित	1,30,75	2006-07
7.	8223.101-अकाल सहायता निधि	आरक्षित	3	2008-09
8.	8229.101-शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	आरक्षित	7	2002-03
9.	8229.102-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रायोजन हेतु विकास निधि	आरक्षित	60	2002-03
10.	8229.108-खनन क्षेत्र विकास निधि	आरक्षित	1,02	2002-03
11.	8229.117 राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिक कोर निधि	आरक्षित	3,25,13	2002-03
12.	8230.101-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (वाणिज्यिक)	आरक्षित	581,12,02	2008-09
13.	8230.102-विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (सामरिक)	आरक्षित	16,66,24	2007-08
14.	8235.101-सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधि	आरक्षित	75,86	2008-09
15.	8235.104-रेलवे सुरक्षा कार्य निधि	आरक्षित	40,74,41	2003-04
16.	8235.105-सामान्य बीमा निधि	आरक्षित	2,61,32,01	2005-06
17.	8235.113-राष्ट्रीय नवीकरण निधियाँ	आरक्षित	17,70,20	2008-09
18.	8337.103-अंशदायी भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ कर्मचारी भविष्य निधि	जमा	65,12	2001-02

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
	निवेश लेखा			
19.	8342.107-संपदा शुल्क के भुगतान के प्रति जमा	जमा	1,31	2008-09
20.	8342.110-दूरभाष आवेदन जमा	जमा	2,23,98,01	2005-06
21.	8342.111-टेलेक्स आवेदन जमा	जमा	7,93,06	2003-04
22.	8342.114-पट्टे पर दी गई दूरसंचार सुविधा पर जमा	जमा	1,69,47	2001-02
23.	8342.108-आयकर, भव्यकर, अतिरिक्त लाभ कर तथा अधिभार के जमा	जमा	1,21,61	2001-02
24.	8443.114-निर्यात व्यापार जमा	जमा	15,25,27	1988-89
25.	8443.122-खदान श्रमिक कल्याण जमा	जमा	23,35	1988-89
26.	8443.127-पाकिस्तान में जा बसे ठेकेदारों/कर्मचारियों/पेशनरों के दावों को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	21,07	1996-97
27.	8443.130-प्रोविडेंट समिति परिसमापन लेखे	जमा	13	2008-09
28.	8445.102-ब्रांच लाईन कम्पनियों के जमा	जमा	65	1992-93
29.	8448.103-छावनी निधि	जमा	1	2000-01
30.	8448.111-चिकित्सा एवं धर्मार्थ निधियाँ	जमा	52	1988-89
31.	8448-स्थानीय निधियों के जमा 120-अन्य निधियाँ	जमा	2,26	2004-05
32.	8449.104-खादान भविष्य निधियों के जमा	जमा	16,01	1988-89
33.	8449.106-भारत-अमेरिका समझौता 1974 के अन्तर्गत खाते	जमा	16	1991-92
34.	8449.107-आयकर, भव्यकर, अतिरिक्त लाभ कर तथा अधिभार के जमा	जमा	1,33,93	1991-92
35.	8449.108-ऋण से मुक्ति के लिए स्थानीय निकायों के जमा	जमा	32,97	2000-01
36.	8449.113-तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास निधि	जमा	3,66,13	1999-2000
37.	8449.118-जापानी अनुदान सहायता प्रदत्त योजनाओं के लिए अग्रिम जमा	जमा	1,03,60	1995-96
38.	8450.101-पांडिचेरी का शेष	जमा	40,12,90	2008-09

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	निधि की प्रकृति	31 मार्च 2014 को शेष (₹ हजार में)	जब से निष्क्रिय
39.	8450.102-गोवा, दमन एवं दीव का शेष	जमा	16,30,26	1988-89
40.	8450.104-अरूणाचल प्रदेश का शेष	जमा	56,82,51	1988-89
41.	8450.105-मिजोरम का शेष	जमा	1,24,41,38	1988-89
42.	8009.01.103-आईसीएस भविष्य निधि	अन्य देयताएं	2,01	1999-2000
43.	8010.105-अन्य ट्रस्ट	अन्य देयताएं	19,23	1999-2000
44.	8010.102-अवध के स्वर्गीय राजा का विन्यास	अन्य देयताएं	91,04	1992-93
45.	8010.104-धर्मार्थ एवं शिक्षण संस्थाओं हेतु विन्यास	अन्य देयताएं	12	2008-09
46.	8011.102-पारिवारिक पेंशन निधि	अन्य देयताएं	6,10	2008-09
47.	8012.103-रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोशन को जारी विशेष प्रतिभूति	अन्य देयताएं	162,83,05	1988-89
	कुल		**16654710**	

अनुबंध 2.4

(पैराग्राफ 2.4.1 के संदर्भ में)

विदेश में किए गए क्रयों आदि के लिए उचंत लेखा में शेष राशि (2005 से)

(₹ हजार में)

क्रम संख्या	आयातक का नाम	मामलों की संख्या	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग गुजरात	1	1104
2.	परिवार स्वास्थ्य सहायता महाराष्ट्र	1	218
3.	मैसूर सीमेंट लिमिटेड	1	4326
4.	रेल मंत्रालय	2	8399
5.	पाईराईट्स फॉस्फेट एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
6.	रेल कोच कारखाना (कपूरथला)	1	1895
7.	रेलवे बोर्ड	1	13138
8.	रेल कॉयल स्प्रिंग	1	7111
9.	जल संसाधन मंत्रालय	2	5233
10.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
11.	दूर संचार विभाग	6	14737
12.	उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	1	341
13.	भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी लिमिटेड	3	14257
14.	गृह मंत्रालय	1	2255
15.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3	3952
16.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय-तकनीकी	3	15292
17.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	48297
18.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1	3648
19.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	1	78009
20.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
21.	कोल इंडिया लिमिटेड (पश्चिम बंगाल)	3	231832
22.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
23.	झांझरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
24.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
25.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड आन्ध्र प्रदेश	1	47476
26.	भारतीय हैलीकॉप्टर निगम	1	672356
27.	कृभको वर्षा कृषि तथा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	1	7079
28.	वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग	1	4560
	कुल	**45**	**2071293**

अनुबंध 2.5

(पैराग्राफ 2.4.2 के संदर्भ में)

ऋण, जमा तथा प्रेषण के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरणी सं. 13					
1.	8115.00.101	मूल्यह्रास आरक्षित निधि-रेलवे (वाणिज्यिक लाईन)	डेबिट	18518233	2009-10
2.	8121.00.103	रेलवे पेंशन निधि-वाणिज्यिक लाईनें	डेबिट	17909001	2009-10
3.	8229.00.121	निष्पादन पुरस्कार निधि	डेबिट	38	2013-14
4.	8229.00.200	अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट	1941602	2007-08
5.	8443.00.111	अन्य विभागीय जमा	डेबिट	464250	2006-07
6.	8445.00.104	रेलवे जमा-न्यास ब्याज खाता	डेबिट	198265	2005-06
7.	8445.00.800	रेलवे जमा-अन्य जमा	डेबिट	11235792	2005-06
8.	8446.00.800	डाक जमा-अन्य जमा	डेबिट	144456	2005-06
9.	8448.00.102	स्थानीय निधि जमा निगम निधियाँ	डेबिट	3	2007-08
10.	8448.00.104	स्थानीय निधियों के जमा-भारतीय बीमा संघ की निधियाँ	डेबिट	291	1976-77, से पूर्व
11.	8451.00.101	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे एवं राहत निधियाँ	डेबिट	9313410	2005-06
12.	8451.00.102	भोपाल गैस लीक आपदा राहत निधि-दावे राहत निधि निवेश खाता	क्रेडिट	9218721	2005-06
13.	8550..00.101	वन अग्रिम	क्रेडिट	15887	2013-14
14.	8550.00.103	अन्य विभागीय अग्रिम	क्रेडिट	129148	2013-14
15.	8670.00.110	इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएँ	डेबिट	44380	2013-14
16.	8670.00.111	चेक एवं बिल लेखा एवं संवितरण कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक सूचनाएँ	डेबिट	6379554	2011-12
विवरण सं.-14					
17	6002.00. 207	यूरोपियन आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट	858540	2000-01

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
18	6002.00. 208	फ्रांस सरकार से ऋण	डेबिट	16912526	2000-01
19	6002.00. 223	स्विस संघीय सरकार और स्विस बैंक से ऋण	डेबिट	147944	2010-11
20	6002.00. 226	अंतरराष्ट्रीय विकास ऐजेंसी, सं.रा.अ. से ऋण	डेबिट	7993721	1995-96
21	6002.00. 227	पी.एल.-480 के अंतर्गत यू.एस.ए. सरकार से कर्जा परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा जमा के अधीन	डेबिट	5243700	1995-96
विवरण सं.-14 A					
22	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण एवं विकास बैंक को जारी की गई प्रतिभूतियां	डेबिट	404339	2010-11
23	6001.00.105	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष को जारी प्रतिभूतियाँ	डेबिट	200120	2002-03
24	6001.00.106	क्षतिपूर्ति एवं अन्य ऋणपत्र- 7% बचत ऋणपत्र 2002	डेबिट	135646	2009-10
विवरण सं.-15					
25.	6202.01. 203	विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा	क्रेडिट	1568	2004-05
26.	6215.02.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	19307	2001-02
27.	6216.80.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	2	2008-09
28.	6216.80.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	11934	2010-11
29.	6225-01-800	अन्य ऋण	क्रेडिट	829	1994-95
30.	6245.01.101	उपदान सहायता	क्रेडिट	830	1986-87
31.	6245.02.101	उपदान सहायता	क्रेडिट	2157	1997-98
32.	6402.00.102	मृदा संरक्षण	क्रेडिट	7656	1995-96
33.	6402.00.203	भूमि-पुर्नुद्धार एवं विकास	क्रेडिट	592	2007-08
34.	6404.00.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	4642331	2004-05
35.	6405.00.106	मत्स्यन नौकाओं का मशीनीकरण	क्रेडिट	532	2006-07

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
36.	6416.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	212775	2012-13
37.	6425.00.108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	3978040	2003-04
38.	6515.00.102	समुदाय विकास	क्रेडिट	173	1986-87
39.	6801.00.201	जल विद्युत उत्पादन	क्रेडिट	3068415	2004-05
40.	6801.00.205	संचारण एवं वितरण	क्रेडिट	1312491	2005-06
41.	6851.00.102	लघु उद्योग	क्रेडिट	4638	2006-07
42.	7052.02.101	पोत-परिवहन विकास निधि समिति को ऋण	क्रेडिट	2941305	2011-12
43.	7053.00.190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण	क्रेडिट	377537	2010-11
44.	7425.00.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	3074	2005-06
45.	7475.00.102	व्यापार संस्थान	क्रेडिट	25000	2011-12
46.	7601.01.436	फसल कार्य-वाणिज्यिक फसलें	क्रेडिट	1	2012-13
47.	7601.03.413	सहकारिता-अन्य सहकारी समितियों को ऋण	क्रेडिट	4184	2012-13*
48.	7601.03.501	मृदा एवं जल संरक्षण -मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	2123	2012-13*
49.	7601.03.576	पशु-पालन-मवेशी एवं भैंस विकास	क्रेडिट	11	2012-13*
50.	7601.03.601	डेयरी विकास	क्रेडिट	29	2012-13*
51.	7601.03.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु उद्योग	क्रेडिट	139	2012-13*
52.	7601.03.786	बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	71707	2012-13*
53.	7601.03.787	समुद्री कटाव विरोधी योजनाएं-अन्य ऋण	क्रेडिट	1239	2012-13*
54.	7601.04.267	जल आपूर्ति-अन्य ऋण	क्रेडिट	149604	2012-13*
55.	7601.04.312	शहरी विकास- लघु/मध्यम शहरों का समेकित विकास	क्रेडिट	191427	2012-13*
56.	7601.04.360	अनुसूचित जन-जातियों का कल्याण-अन्य ऋण	क्रेडिट	408	2012-13*
57.	7601.04.411	सहद्योग सहकारी ऋण समितियाँ	क्रेडिट	32522	2012-13*

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
58.	7601.04.413	अन्य सहकारी समितियाँ	क्रेडिट	1686	2012-13*
59.	7601.04.436	फसल कार्य-वाणिज्यिक फसले	क्रेडिट	131283	2012-13*
60.	7601.04.443	फसल कार्य-अन्य ऋण	क्रेडिट	336715	2012-13*
61.	7601.04.501	मृदा एवं जल संरक्षण-मृदा संरक्षण योजनाएं	क्रेडिट	96229	2012-13*
62.	7601.04.579	पशु-पालन-भेड़ एवं ऊन विकास	क्रेड़िट	175	2012-13*
63.	7601.04.601	डेयरी विकास	क्रेडिट	36	2012-13*
64.	7601.04.726	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-हस्तकरघा उद्योग	क्रेडिट	6960	2012-13*
65.	7601.04.727	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-लघु उद्योग	क्रेडिट	853	2012-13*
66.	7601.04.729	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-कयर उद्योग	क्रेडिट	354	2012-13*
67.	7601.04.747	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-अन्य ग्रामीण उद्योग	क्रेडिट	1088	2012-13*
68.	7601.04.786	बाढ़ नियंत्रण-अन्य ऋण	क्रेडिट	4730	2012-13*
69.	7601.04.825	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग- सड़क कार्य	क्रेडिट	17910	2012-13*
70.	7601.04.826	अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व के मार्ग - मशीनरी एवं उपकरण	क्रेडिट	555	2012-13*
71.	7601.04.871	अंतर्देशीय जल परिवहन - अन्य ऋण	क्रेडिट	897	2012-13*
72.	7601.07.800	अन्य ऋण	क्रेडिट	1580	2012-13
73.	7602.04.412	सहोद्योग-उपभोक्ता सहकारी समितियाँ	क्रेडिट	14	2012-13
74.	7605.00.071	मोजाम्बिक सरकार को ऋण	क्रेडिट	1	2012-13
75.	7605.00.094	मॉरिशस सरकार को ऋण	क्रेडिट	24670	2012-13
76.	7610.00.203	अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिमें	क्रेडिट	388530	2004-05

क्र.सं.	लेखा शीर्ष (मुख्य/लघुशीर्ष)		31.03.2014 को शीर्ष (₹ हजार में)		अवधि जब से शेष प्रतिकूल हुए
विवरण सं.16					
77	8002.00.103	राजकोष बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट	6962	1976-77
78	8002.00.105	बचत प्रमाण पत्र-बैंक श्रृंखला	डेबिट	189	2007-08

**प्रतिकूल शेष का कारण 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप शेष राशियों को बट्टे खाते डालने का निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने हेतु लंबित रहना था।।*

अनुबंध 2.6

(पैराग्राफ 2.4.5 के संदर्भ में)

वार्षिक प्रोफार्मा लेखों की उपलब्धता

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम बार तैयार किये लेखों की अवधि
कृषि मंत्रालय		
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2012-13
2.	शीत- सह हिमीकरण, संयन्त्र, कोच्ची	2009-10
परमाणु ऊर्जा विभाग		
3.	परमाणु ईंधन परिसर, हैदराबाद	2010-11
4.	भारी पानी बोर्ड, मुबई	2010-11
रक्षा मंत्रालय		
5.	कैंटीन भंडारण विभाग	2013-14
वित्त मंत्रालय		
6.	सरकारी क्षारोद निर्माण, नीमच	2010-11
7.	सरकारी क्षारोद निर्माण, गाजीपुर	2009-10
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2010-11
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	2006-07
11.	केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान का वनस्पति उद्यान, कांके, राँची	2011-12
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		
12.	फिल्म प्रभाग, मुंबई	2009-10
13.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2013-14
ऊर्जा मंत्रालय		
14.	विद्युत विभाग, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2011-2012
15.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2009-10
नौपरिवहन मंत्रालय		
16.	दीपस्तंभ एवं दीपपोत निदेशालय, नोएडा	2011-12
17.	अण्डमान फेरी सेवा	2004-05
18.	पोत परिवहन सेवाएं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2009-10
19.	समुद्री विभाग (डाकयार्ड) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2003-04
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
20.	चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम	2009-10
21.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2013-14
शहरी विकास मंत्रालय		
22.	प्रकाशन विभाग	2000-01 से आगे
23.	भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली	2011-12
24.	भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड़, नई दिल्ली	2011-12

क्र.सं.	उपक्रम का नाम	अंतिम बार तैयार किये लेखों की अवधि
25.	भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	2011-12
26.	भारत सरकार मुद्रणालय, निलोखेड़ी	2011-12
27.	भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद	2011-12
28.	भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला	2011-12
29.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर	2012-13
30.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, भुवनेश्वर	2007-08
31.	भारत सरकार टेक्स्ट बुक मुद्रणालय, मैसूर	2011-12
32.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोलकाता	2011-12
33.	भारत सरकार मुद्रणालय, कोरट्टी	2012-13
34.	भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक	2012-13
35.	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़	2011-12
36.	भारत सरकार पाठ्यपुस्तक मुद्रणालय, चंडीगढ़	2011-12
37.	भारत सरकार मुद्रणालय, गंगटोक	2007-08
38.	भारत सरकार मुद्रणालय, सत्रगाची, हावड़ा	2011-12

अनुबंध 2.7

(पैराग्राफ 2.4.6 के संदर्भ में)

2013-14 के दौरान कुल बट्टे खाते/माफ किए गए हानियों एवं अप्राप्य बकायों का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	हानियों एवं अप्राप्य बकायों को बट्टे खाते में डालने के कारण									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/जालसाजी आदि		अन्य कारण		वसूली से छूट		अनुग्रही भुगतान	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	0	0	0	0	22	12.03	0	0	0	0
अंतरिक्ष विभाग	0	0	0	0	7	0.37	0	0	0	0
लोक सभा सचिवालय	0	0	0	0	1	0.06	0	0	0	0
जल संसाधन मंत्रालय	0	0	0	0	34	0.81	0	0	0	0
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग	0	0	0	0	0	0	1	0.02	0	0
कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग	0	0	0	0	1	0.35	0	0	0	0
विद्युत मंत्रालय	0	0	0	0	0	0	1	0.02	0	0
उपायुक्त, उत्तरी एवं मध्य अण्डमान, मायाबुन्दर	0	0	0	0	0	0	0	0	6099	126.95
उपायुक्त, दक्षिण अण्डमान	0	0	0	0	0	0	0	0	7997	187.65
पोतपरिवहन मंत्रालय	0	0	0	0	4	1.27	0	0	2	0.20
गृह मंत्रालय	0	0	0	0	3	12.50	0	0	0	0
रक्षा मंत्रालय	3	1.09	11	9.02	34	122.96	-	-	03	10.02
कुल	**3**	**1.09**	**11**	**9.02**	**106**	**150.35**	**2**	**0.04**	**14106**	**331.82**
बट्टे खाते मामले में डाली गई हानियां: मामले-120 राशि ₹160.46							**माफ की गई वसूली एवं अनुग्रह भुगतान: मामले 14108; राशि ₹ 331.86**			

अनुबंध 3.1

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

प्राधिकरण तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य (+)
क – सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	983713.42	40468.74	1024182.16	913172.25	(-) 111009.91
II. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम सहित)	190317.09	7691.20	198008.29	101220.20	(-) 96788.09
योग	**1174030.51**	**48159.94**	**1222190.45**	**1014392.45**	**(-) 207798.00**
प्रभारित					
III. राजस्व	451533.83	15682.40	467216.23	453259.37	(-) 13956.86
IV. पूंजीगत (ऋण एवं अग्रिम तथा लोक ऋण सहित)	4026298.92	112.29	4026411.21	3522406.01	(-) 504005.20
योग	**4477832.75**	**15794.69**	**4493627.44**	**3975665.38**	**(-) 517962.06**
कुल योग	**5651863.26**	**63954.63**	**5715817.89**	**4990057.83**	**(-) 725760.06**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			120951.06	99599.58	
कुल निवल प्रावधान			**5594866.83**		
कुल निवल संवितरण				**4890458.25**	

ख –डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	16875.97	0.00	**16875.97**	16796.44	(-) 79.53
II. पूंजीगत	433.31	0.00	**433.31**	268.30	(-) 165.01
योग	**17309.28**	**0.00**	**17309.28**	**17064.74**	**(-) 244.54**
प्रभारित					
III. राजस्व	0.20	0.22	**0.42**	0.27	(-) 0.15
IV. पूंजीगत	0.00	0.67	**0.67**	0.67	0.00
योग	**0.20**	**0.89**	**1.09**	**0.94**	**(-) 0.15**
कुल योग	**17309.48**	**0.89**	**17310.37**	**17065.68**	**(-) 244.69**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			680.58	593.19	
कुल निवल प्रावधान			**16629.79**		
कुल निवल संवितरण				**16472.49**	

(₹ करोड़ में)

संवितरणों की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत(-) आधिक्य(+)
		ग- रक्षा सेवाएं			
दत्तमत					
I. राजस्व	122472.65	8182.30	130654.95	130482.32	(-) 172.63
II. पूंजीगत	86685.29	0.02	86685.31	79092.91	(-) 7592.40
योग	**209157.94**	**8182.32**	**217340.26**	**209575.23**	**(-) 7765.03**
प्रभारित					
III. राजस्व	69.44	183.42	252.86	181.14	(-) 71.72
IV. पूंजीगत	55.42	0.00	55.42	32.15	(-) 23.27
योग	**124.86**	**183.42**	**308.28**	**213.29**	**(-) 94.99**
कुल योग	**209282.80**	**8365.74**	**217648.54**	**209788.52**	**(-) 7860.02**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			646.08	773.26	
	कुल निवल प्रावधान		**217002.46**		
	कुल निवल संवितरण			**209015.26**	
		घ -रेलवे			
दत्तमत	256939.00	7022.27	263961.27	253579.94	(-) 10381.33
प्रभारित	306.22	127.39	433.61	358.81	(-) 74.80
योग	**257245.22**	**7149.66**	**264394.88**	**253938.75**	**(-) 10456.13**
संवितरणों की कटौती में वसूलियां			110619.22	83652.48	
	कुल निवल प्रावधान		**153775.66**		
	कुल निवल संवितरण			**170286.27**	
		योग			

योग	**दत्तमत**	**1657436.73**	**63364.53**	**1720801.26**	**1494612.36**	**(-) 226188.90**
भा.सं.नि.	**प्रभारित**	**4478264.03**	**16106.39**	**4494370.42**	**3976238.42**	**(-) 518132.00**
कुल योग भा.सं.नि.		**6135700.76**	**79470.92**	**6215171.68**	**5470850.78**	**(-) 744320.90**
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां				**232896.94**	**184618.51**	**48278.43**
विनियोग लेखे (भा.सं.नि.) के अनुसार कुल व्यय				**5982274.74**	**5286232.27**	**696042.47**
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता					**0.00**	
वित्त लेखे के अनुसार भा.सं.नि. से कुल संवितरण					**5286232.27**	

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण के लिए यह अनुदान कहलाता है।

भा.सं.नि.: भारत की संचित निधि

अनुबंध 3.2
(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें

(₹ करोड़ में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत(-) निवल आधिक्य (+)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क – सिविल						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	111045.80	96791.04	35.89	2.95	(-) 111009.91	(-) 96788.09
अनुदानों की संख्या	92	67	1	1	--	--
प्रभारित (₹करोड़ में)	13957.61	504005.20	0.75	0.00	(-) 13956.86	(-) 504005.20
विनियोगों की संख्या	30	12	1	--	--	--
ख – डाक						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	79.53	165.01	--	--	(-) 79.53	(-) 165.01
अनुदानों की संख्या	1	1	--	--	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	0.15	0.00	--	--	(-) 0.15	(-) 0.00
विनियोगों की संख्या	1	--	--	--	--	--
ग – रक्षा सेवाएं						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	905.49	7592.40	732.86	--	(-) 172.63	(-) 7592.40
अनुदानों की संख्या	2	1	3	--	--	--
प्रभारित (₹करोड़ में)	72.58	23.27	0.86	--	(-) 71.72	(-) 23.27
विनियोगों की संख्या	4	1	1	--	--	--
घ– रेलवे						
दत्तमत (₹ करोड़ में)	8231.17	4834.53	1854.70	829.68	(-) 6376.47	(-) 4004.85
अनुदानों की संख्या	9	1	6	1	--	--
प्रभारित (₹ करोड़ में)	110.05	0.13	22.40	12.98	(-) 87.65	12.85
विनियोगों की संख्या	1	1	10	1	--	--

अनुबंध 3.3

(पैराग्राफ 3.3 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत प्राधिकरण एवं संवितरणों का वर्ष-वार समानुपात

(₹ करोड़ में)

		प्राधिकरण			संवितरण				
क्र.सं.	वर्ष	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	प्रतिशतता	
								दत्तमत	प्रभारित
1.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
2.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
3.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
4.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
5.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
6.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
7.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
8.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
9.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
10.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81
11.	2010-11	986064	3697775	4683839	918675	3104657	4023332	23	77
12.	2011-12	1060295	3875262	4935557	921280	3840960	4762240	19	81
13.	2012-13	1155063	4190305	5345368	977071	3816395	4793466	20	80
14.	2013-14	1222190	4493627	5715817	1014393	3975665	4990058	20	80

अनुबंध 3.4

(पैराग्राफ 3.6 के संदर्भ में)

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी (₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल					
11 - वाणिज्य विभाग					
1.	2407.01.789.01-चाय बोर्ड	मू. सं.	20.00 (-)18.60	10.00	8.60
2.	3453.00.102.01-व्यापार आयुक्त	मू. सं.	121.35 (+)10.90	142.24	9.99
14 - दूरसंसचार विभाग					
3.	2071.01.101.01-सामान्य पेंशन	मू. अ. सं.	2938.00 336.27 (+)6.18	3322.99	42.54
20 - रक्षा मंत्रालय					
4.	2037.00.102.06- तटरक्षक संगठन	मू. सं.	1054.81 (-)36.68	1047.73	29.60
5.	2052.00.092.02- रक्षा लेखा विभाग (र.ले.वि.)	मू. सं.	1137.41 (-)111.16	1037.14	10.89
6.	2055.00.104.02- ज. एवं क. लाईट इंफैंट्री के संबंध में अदा किए गए प्रभार	मू. सं.	885.32 (-)70.30	873.25	58.23
7.	4047.00.037.01- तटरक्षक संगठन	मू. सं.	1775.00 (-)715.00	1070.22	10.22
21 - रक्षा पेंशन					
8.	2071.02.101.01 -पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	मू. अ. सं.	38542.47 683.06 (+)81.44	39394.52	87.55
9.	2071.02.102.03 -अवकाश नकदीकरण	मू. अ. सं.	184.14 0.26 (-)21.41	168.56	5.57

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी (₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
10.	2071.02.103.03 - अवकाश नकदीकरण	मू. अ. सं.	183.78 33.92 (+)43.97	277.45	15.78
32 - विदेश मंत्रालय					
11.	2061.00.101.01 - प्रबंधन तथा स्थापना	मू. अ. सं.	1683.22 0.0025 (+)173.99	1975.86	118.65
12.	2061.00.103.01 - विवेकाधीन व्यय	मू. अ. सं.	1319.99 0.0025 (+)100.00	1432.08	12.09
35 -विनियोग -ब्याज भुगतान					
13.	2049.03.104.01 - सामान्य भविष्य निधि	मू. अ.	5662.60 310.80	5982.69	9.29
14.	2049.03.109.09 -कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशेष जमा	मू.	773.33	841.00	67.67
15.	2049.03.110.01 - भारत श्रेणी के असंवितरित वेतन हेतु बोनस	मू. सं.	37.76 (-)30.76	14.67	7.67
16.	2049.05.103 - रेलवे विकास निधि पर ब्याज	मू. सं.	141.67 (+)57.09	206.84	8.08
17.	2049.05.105.01 -रेलवे पेंशन निधि	मू. सं.	13.67 (-)13.02	10.35	9.70
18.	2049.05.105.04 - रेलवे पूंजीगत आरक्षित निधि पर ब्याज	मू. सं.	33.43 (-)31.30	14.63	12.50
19.	2049.05.105.08 - मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज	मू. सं.	62.00 (-) 27.99	68.01	34.00
38 - विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान					
20.	6001-.00.115-14 दिवसीय खजाना बिल	मू. सं.	2413650.00 (-)233650.00	2183501.92	3501.92

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
40 -पेंशन					
21.	2071.01.101.01-सामान्य पेंशन	मू. अ.	11110.10 (+)687.00	11932.83	135.73
22.	2071.01.102.01- सामान्य पेंशन	मू. सं.	1750.00 (-)150.00	1610.76	10.76
23.	2071.01.104.01- सामान्य पेंशन	मू.	2300.00	2327.25	27.25
24.	2071.01.105.02-परिवार पेंशन	मू. अ. सं.	2513.05 779.00 (+)162.43	3477.59	23.11
44 -अप्रत्यक्ष कर					
25.	2037.00.102.05 राजस्व आसूचना निदेशालय	मू. अ. सं.	62.05 0.01 (+)1.60	70.91	7.25
47 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
26.	2211.00.109.07- दवाईयों एवं उपकरणों का प्रापण (टीकों आदि के अलावा)	मू. सं.	287.50 (-)213.40	83.73	9.63
27.	3601.04.796.03-प.क. निर्देशन एवं प्रशासन	मू. सं.	537.13 (-)20.41	527.40	10.68
55 - पुलिस					
28.	2055.00.001.07- अप्रवास ब्यूरो	मू. अ. सं.	220.71 25.01 (-)1.06	255.00	10.34
29.	2055.00.119.01- निर्देशन एवं प्रशासन	मू. अ. सं.	3882.19 141.19 (-)3.29	4070.27	50.18
30.	4055.00.201.02-आवासीय इमारतें	मू. अ. सं.	144.93 0.01 (+)2.49	159.30	11.87
31.	4055.00.213.01-कार्यालय भवनें	मू. सं.	273.04 (-)163.00	123.18	13.14

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी (₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
59 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
32.	3601.04.187.06-राज्यों को सहायता	मू. सं.	8005.16 (-)831.73	7257.71	84.28
62 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
33.	2230.01.111.05-असंगठित क्षेत्र श्रमिक योजना हेतु सामाजिक सुरक्षा	मू. सं.	790.30 (-)134.68	662.67	7.05
82 -सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
34.	3054.02.337.05-सीमा सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	मू. सं.	158.60 (-)32.26	140.73	14.39
35.	3054.02.800.02- सड़क कार्य	मू. अ. सं.	88.58 0.01 (-)6.59	87.43	5.43
93 - वस्त्र मंत्रालय					
36.	2852.08.600.04-जूट	मू. अ. सं.	62.79 0.02 (+)66.40	143.94	14.73
95 - जनजातीय कार्य मंत्रालय					
37.	*3601.04.796.27*-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–शिक्षा (प्रभारित)	मू. सं.	1004.39 (-)4.57	*1008.10*	*8.28*
102 -लोक निर्माण कार्य					
38.	2059.01.104.01-स्थानीय निकायों आदि को किराया, दरों एवं करों का भुगतान	मू. सं.	142.00 (+)6.93	167.32	18.39
39.	4059.01.051.01-भवनें	मू. सं.	154.00 (-)25.99	134.32	6.31
104 -जल संसाधन मंत्रालय					
40.	2701.80.002.01-केन्द्रीय जल आयोग	मू. सं.	95.02 (-)12.18	88.64	5.80

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी (₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
105 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
41.	2235.02.102.18-समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.)	मू. सं.	42.00 (-)24.01	24.07	6.08
डाक सेवाएं **13 - डाक विभाग**					
42.	3201.01.101.01-परिमण्डल कार्यालय	मू. सं.	215.66 (+)0.37	223.55	7.52
43.	3201.01.101.03-डाक प्रभाग	मू. सं.	384.61 (+)22.85	458.33	50.87
44.	3201.01.101.04-रे.डा.से. प्रभाग	मू. सं.	77.26 (-)0.40	87.64	10.78
45.	3201.02.103.01-रेल	मू. सं.	99.53 (-)8.88	98.40	7.75
46.	3201.02.104.01-अनुसंधान एवं विकास	मू. सं.	217.12 (-)176.05	48.07	7.00
47.	3201.03.101.03-मुख्य डाक घरों में लघु बचत कार्य	मू. सं.	250.31 (-)45.14	216.47	11.30
48.	3201.03.101.08-डाक जीवन बीमा शाखा परिमण्डल कार्यालय	मू. सं.	58.83 (+)3.91	70.89	8.15
49.	3201.04.101.01-लेखापरीक्षा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों की लागत	मू.	70.00	84.57	14.57
50.	3201.05.053.03-भवन स्थापना	मू. सं.	41.41 (+)1.83	48.59	5.35
51.	3201.07.101.03-पहले के संयुक्त डा.एवं दू. के पेंशनरों को भुगतान	मू. सं.	8.20 (+)3.80	18.56	6.56
52.	3201.60.102.02- अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता समूह बीमा पर ब्याज	मू.	10.00	16.37	6.37
53.	5201.00.104.08-डाक घरों का आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण -दत्तमत	मू. सं.	242.02 (-)58.81	193.53	10.32

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी (₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
54.	5201.00.101.03-सामान्य सेवाओं हेतु डाक मोटर वाहन	मू. सं.	15.00 (-)10.64	9.45	5.09
रक्षा सेवाएं 23 - रक्षा सेवाएं- नौ सेना					
55.	2077.00.106 - मरम्मत एवं दुरस्ती	मू. सं.	710.00 (-)153.08	592.63	35.71
56.	2077.00.110 - भण्डार	मू. अ. सं.	4053.38 507.50 (+)25.00	4618.95	33.07
57.	2077.00.111 - निर्माण कार्य	मू. अ. सं.	749.01 66.02 (+)165.38	1030.22	49.81
58.	2077.00.800 - अन्य व्यय	मू. सं.	348.50 (+)1.00	368.01	18.51
24 -रक्षा सेवाएं-वायु सेना					
59.	2078.00.104 - गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. अ. सं.	895.76 31.24 (+)0.05	950.31	23.26
60.	2078.00.105 - परिवहन	मू. सं.	851.45 (-)215.37	661.28	25.20
26 -रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास					
61.	2080.00.111 - निर्माण कार्य	मू. अ. सं.	552.10 61.20 (+)50.00	669.10	5.80
27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत व्यय					
62.	4076.01.050 -भूमि	मू. सं.	141.00 (-)33.25	114.11	6.36
63.	4076.01.103 -अन्य उपकरण	मू. सं.	9757.86 (-)2047.86	7724.39	14.39
64.	4076.02.050 -भूमि (दत्तमत)	मू. सं.	20.00 (-)14.34	20.84	15.18

निधियों के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना अधिक व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरणी
(₹ 5 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु/उप शीर्ष	प्रावधान		वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
65.	4076.02.104 - संयुक्त स्टाफ	मू. सं.	738.11 (-)104.48	650.34	16.71
66.	4076.02.202 - निर्माण कार्य	मू. सं.	641.25 (-)158.19	515.65	32.59
67.	4076.02.205 -नौसैनिक डॉक्यार्ड	मू. सं.	2011.17 (-)1419.52	632.33	40.68
68.	4076.03.050 -भूमि	मू. सं.	90.00 (-)85.00	43.79	38.79
				कुल	**5048.92**

अनुबंध 3.5

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
सिविल				
राजस्व-दत्तमत				
1.	01-कृषि अनुसंधान एवं सहकारिता विभाग	22299.40	3317.48	15
2.	02-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	5729.20	849.26	15
3.	03-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2534.50	394.49	16
4.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	6636.39	197.70	03
5.	05-नाभकीय विद्युत योजना विभाग	4054.87	289.19	07
6.	06-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	1332.98	124.25	09
7.	07-उर्वरक विभाग	72629.72	1326.67	02
8.	11-वाणिज्य विभाग	4441.85	129.38	03
9.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	1509.32	175.27	12
10.	14-दूरसंचार विभाग	12629.14	2010.10	16
11.	15-इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2872.50	849.55	30
12.	16-उपभोक्ता मामला विभाग	582.95	152.13	26
13.	19-सांस्कृतिक मंत्रालय	2125.06	165.17	08
14.	28-उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	1847.98	193.80	10
15.	29-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	15265.70	3324.67	22
16.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1492.54	334.54	22
17.	31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2815.66	715.93	25
18.	33-आर्थिक कार्य विभाग	10291.10	188.59	02
19.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	11468.99	746.54	07
20.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	101945.69	17698.36	17
21.	42-राजस्व विभाग	10117.20	7536.54	74
22.	43-प्रत्यक्ष कर	3771.91	136.63	04
23.	44-अप्रत्यक्ष कर	3860.78	129.40	03
24.	46-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	719.14	177.20	25
25.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	33012.35	5474.46	17
26.	48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग (आयुष)	1249.62	533.77	43

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
27.	49-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1008.02	133.94	13
28.	50-एड्स नियंत्रण विभाग	1782.01	309.03	17
29.	51-भारी उद्योग विभाग	930.97	382.86	41
30.	53-गृह मंत्रालय	2108.55	876.91	42
31.	55-पुलिस	45609.12	1599.04	04
32.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1969.15	128.76	07
33.	57-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2263.43	524.80	23
34.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1468.06	381.82	26
35.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	77130.05	10152.69	13
36.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	26950.08	2417.46[1]	09
37.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	3006.89	200.12	07
38.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	5254.97	849.56	16
39.	64-विधि एवं न्याय	1971.17	112.77	06
40.	66-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	3210.95	660.26	21
41.	68-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	3410.99	384.25	11
42.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2648.21	1214.03	46
43.	71-पंचायती राज मंत्रालय	7200.70	3738.62	52
44.	74-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	85566.13	147.74	0.17
45.	75-योजना मंत्रालय	7181.53	5798.92	81
46.	76-विद्युत मंत्रालय	8045.87	4309.22	54
47.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	17203.60	533.44	03
48.	83-ग्रामीण विकास विभाग	113304.88	15817.28	14
49.	84-भू-संसाधन विभाग	5772.86	3276.92	57
50.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3372.22	776.36	23
51.	86-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	3561.31	409.77	12
52.	87-जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	1502.07	210.75	14
53.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	1691.64	200.60	12
54.	89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	6420.37	1203.02	19
55.	90-अंतरिक्ष विभाग	3052.21	324.53	11

[1] वि.अ.आ. ने वर्ष 2014-15 के लिए 25 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अग्रिम अनुदान के रूप में ₹594.58 करोड़ जारी किए।

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
56.	91-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	4949.36	109.59	02
57.	93-वस्त्र मंत्रालय	5519.98	1592.79	29
58.	94-पर्यटन मंत्रालय	1355.32	328.12	24
59.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	443.74	146.39	33
60.	97-चण्डीगढ़	2922.51	120.73	04
61.	101-शहरी विकास विभाग	1281.32	166.59	13
62.	104-जल संसाधन मंत्रालय	1902.13	906.47	48
63.	105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	20640.02	2601.43	13
राजस्व-प्रभारित				
64.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	400500.66	5301.07	01
65.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	62134.40	8229.86	13
66.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	3856.58	375.08	10
पूंजीगत -दत्तमत				
67.	04-परमाणु ऊर्जा	4111.36	1180.55	29
68.	07-उर्वरक विभाग	253.48	253.48	100
69.	10-कोयला मंत्रालय	1722.00	961.00	56
70.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	311.00	302.00	97
71.	14-दूरसंचार विभाग	2510.30	2293.77	91
72.	20-रक्षा मंत्रालय (सिविल)	1838.42	742.03	40
73.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	353.01	128.56	36
74.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	201.13	110.98	55
75.	33-आर्थिक कार्य विभाग	69431.73	63462.80	91
76.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	30900.40	14017.40	45
77.	43-प्रत्यक्ष कर	590.00	144.00	24
78.	44-अप्रत्यक्ष कर	149.26	126.95	85
79.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2862.69	1585.55	55
80.	51-भारी उद्योग विभाग	987.66	158.58	16
81.	55-पुलिस	9106.00	2760.84	30
82.	68-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय	120.00	120.00	100
83.	75-योजना मंत्रालय	900.00	549.23	61
84.	76-विद्युत मंत्रालय	2918.05	1141.02	39

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
85.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	32264.15	2950.74	09
86.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	658.42	279.27	42
87.	90-अंतरिक्ष विभाग	3738.96	1297.91	35
88.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	671.82	272.19	41
89.	97-चण्डीगढ़	549.19	163.77	30
90.	101-शहरी विकास विभाग	6945.08	863.04	12
पूंजीगत-प्रभारित				
91.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	12000.00	1000.25	08
92.	38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	4014248.55	502957.23	13
रक्षा सेवाएं				
राजस्व-दत्तमत				
93.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	88599.71	879.63	01
पूंजीगत-दत्तमत				
94.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	86685.31	7592.40	09
डाक सेवाएं				
पूंजीगत-दत्तमत				
95.	13-डाक विभाग	433.31	165.01	38
रेलवे				
राजस्व-दत्तमत				
96.	3-सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	5920.43	276.77	05
97.	4-स्थायी मार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य	9477.84	308.22	03
98.	9-परिचालन व्यय-यातायात	17173.95	388.88	02
99.	11-स्टाफ कल्याण एवं सुविधाएं	4816.69	311.40	06
100.	12-विविध कार्य व्यय	4889.00	694.65	14
101.	14-निधियों को विनियोग-मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूंजीगत निधि एवं ऋण सेवा निधि	42661.80	6156.40	14

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	कुल प्रावधान	बचतें	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)		
पूंजीगत-दत्तमत				
102.	16-परिसम्पत्तियॉ-अधिग्रहण, निर्माण एवं विस्थापन-रेलवे निधियॉ	16249.85	4788.64	29
		कुल	745509.80	

अनुबंध 3.6

(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान (₹ करोड़ में)	बचत (₹ करोड़ में)	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
सिविल					
राजस्व	(दत्तमत)				
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	2011-12	17450.74	745.54	04
		2012-13	20466.80	2480.33	12
		2013-14	22299.40	3317.48	15
2.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	2011-12	2021.25	373.79	18
		2012-13	2338.60	197.69	8
		2013-14	2534.50	394.49	16
3.	परमाणु ऊर्जा	2011-12	5636.46	242.10	04
		2012-13	5564.05	233.31	04
		2013-14	6636.39	197.70	03
4.	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	2011-12	1419.83	145.26	10
		2012-13	1764.00	100.78	06
		2013-14	1332.98	124.25	09
5.	वाणिज्य विभाग	2011-12	5629.41	1891.18	34
		2012-13	4054.85	186.76	05
		2013-14	4441.85	129.38	03
6.	औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	2011-12	1481.05	247.33	17
		2012-13	1494.19	173.78	12
		2013-14	1509.32	175.27	12
7.	दूरसंचार विभाग	2011-12	8745.83	111.54	01
		2012-13	11587.39	3985.03	34
		2013-14	12629.14	2010.10	16
8.	यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2011-12	2871.23	936.08	33
		2012-13	2877.54	1117.86	39
		2013-14	2872.50	849.55	30
9.	उपभोक्ता मामला विभाग	2011-12	588.40	104.04	18
		2012-13	614.42	135.60	22
		2013-14	582.95	152.13	26
10.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास का मंत्रालय	2011-12	1631.58	107.71	07
		2012-13	1750.33	236.34	14
		2013-14	1847.98	193.80	10
11.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	2011-12	11005.24	1007.54	09
		2012-13	14005.25	925.97	07
		2013-14	15265.70	3324.67	22
12.	भू-विज्ञान मंत्रालय	2011-12	1284.96	211.33	16
		2012-13	1464.45	406.00	28
		2013-14	1492.54	334.54	22
13.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	2011-12	2661.36	500.85	19
		2012-13	3012.34	1091.15	36
		2013-14	2815.66	715.93	25

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान (₹ करोड़ में)	बचत (₹ करोड़ में)	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
14.	आर्थिक कार्य विभाग	2011-12	8070.63	984.86	12
		2012-13	9199.72	1587.03	17
		2013-14	10291.10	188.59	02
15.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2011-12	16391.96	9880.35	60
		2012-13	8535.26	1270.16	15
		2013-14	11468.99	746.54	07
16.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	2011-12	91403.62	8476.79	09
		2012-13	105786.55	21476.42	20
		2013-14	101945.69	17698.36	17
17.	राजस्व विभाग	2011-12	13339.02	8082.07	61
		2012-13	1167.05	371.53	32
		2013-14	10117.20	7536.54	74
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2011-12	26912.38	2130.62	8
		2012-13	30685.78	5109.84	17
		2013-14	33012.35	5474.46	17
19.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग	2011-12	1064.08	303.75	29
		2012-13	1161.23	406.04	35
		2013-14	1249.62	533.77	43
20.	एड्स नियंत्रण विभाग	2011-12	1699.00	385.32	23
		2012-13	1751.56	436.85	25
		2013-14	1782.01	309.03	17
21.	गृह मंत्रालय	2011-12	4921.61	1828.47	37
		2012-13	2925.38	1345.01	46
		2013-14	2108.55	876.91	42
22.	संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	2011-12	2058.29	641.90	31
		2012-13	2154.89	305.68	14
		2013-14	2263.43	524.80	23
23.	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	2011-12	1107.63	147.14	13
		2012-13	1163.01	226.46	19
		2013-14	1468.06	381.82	26
24.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2011-12	60158.65	1009.08	02
		2012-13	70559.80	4691.40	07
		2013-14	77130.05	10152.69	13
25.	उच्चतर शिक्षा विभाग	2011-12	21981.74	2335.60	11
		2012-13	25379.08	4868.65	19
		2013-14	26950.08	2417.46	09
26.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2011-12	3789.20	299.77	08
		2012-13	4634.46	807.90	17
		2013-14	5254.97	849.56	16
27.	विधि एवं न्याय	2011-12	1417.28	391.64	28
		2012-13	1515.60	331.98	22
		2013-14	1971.17	112.77	06
28.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2011-12	2834.54	672.31	24
		2012-13	3071.88	632.60	21
		2013-14	3210.95	660.26	21

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
29.	अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	2011-12	2751.01	568.23	21
		2012-13	3054.70	980.02	32
		2013-14	3410.99	384.25	11
30.	पंचायती राज मंत्रालय	2011-12	5250.66	1143.21	22
		2012-13	5350.76	1413.49	26
		2013-14	7200.70	3738.62	52
31.	विद्युत मंत्रालय	2011-12	12018.97	7281.05	61
		2012-13	10949.40	9200.23	84
		2013-14	8045.87	4309.22	54
32.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2011-12	20026.47	651.83	03
		2012-13	22495.36	2836.25	13
		2013-14	17203.60	533.44	03
33.	ग्रामीण विकास विभाग	2011-12	149209.75	42368.46	28
		2012-13	129923.04	26266.79	20
		2013-14	113304.88	15817.28	14
34.	भू-संसाधन विभाग	2011-12	2706.20	280.44	10
		2012-13	3208.20	214.66	07
		2013-14	5772.86	3276.92	57
35.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	2011-12	2695.91	212.00	08
		2012-13	2842.89	340.10	12
		2013-14	3372.22	776.36	23
36.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2011-12	3378.52	169.50	05
		2012-13	3475.10	529.44	15
		2013-14	3561.31	409.77	12
37.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	2011-12	1426.96	218.53	15
		2012-13	1500.40	217.56	15
		2013-14	1502.07	210.75	14
38.	पोत परिवहन मंत्रालय	2011-12	2086.54	653.89	31
		2012-13	1403.45	566.08	40
		2013-14	1691.64	200.60	12
39.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2011-12	5183.05	333.97	06
		2012-13	5708.33	939.48	16
		2013-14	6420.37	1203.02	19
40.	अंतरिक्ष विभाग	2011-12	3676.97	916.54	25
		2012-13	3575.94	761.47	21
		2013-14	3052.21	324.53	11
41.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2011-12	4880.83	1761.88	36
		2012-13	4926.36	461.50	09
		2013-14	4949.36	109.59	02
42.	कपड़ा मंत्रालय	2011-12	6099.24	1220.55	20
		2012-13	7775.70	3513.98	45
		2013-14	5519.98	1592.79	29
43.	शहरी विकास विभाग	2011-12	1232.54	151.30	12
		2012-13	1321.73	232.27	18
		2013-14	1281.32	166.59	13

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)		
44.	जल संसाधन मंत्रालय	2011-12	1150.06	166.20	14
		2012-13	1937.32	966.23	50
		2013-14	1902.13	906.47	48
45.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2011-12	16183.04	506.98	03
		2012-13	18584.03	1547.22	08
		2013-14	20640.02	2601.43	13
राजस्व (प्रभारित)					
46.	राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2011-12	49298.62	5325.95	11
		2012-13	58357.46	13104.04	22
		2013-14	62134.40	8229.86	13
47.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	2011-12	3311.25	100.01	03
		2012-13	3627.80	905.69	25
		2013-14	3856.58	375.08	10
पूंजीगत (दत्तमत)					
48.	परमाणु ऊर्जा	2011-12	3448.86	818.98	24
		2012-13	3822.32	1240.57	32
		2013-14	4111.36	1180.55	29
49.	आर्थिक कार्य विभाग	2011-12	25804.18	11998.50	46
		2012-13	58961.13	52110.34	88
		2013-14	69431.73	63462.80	91
50.	प्रत्यक्ष कर	2011-12	905.70	644.70	71
		2012-13	809.29	384.78	48
		2013-14	590.00	144.00	24
51.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2011-12	1989.13	916.16	46
		2012-13	2298.32	998.37	43
		2013-14	2862.69	1585.55	55
52.	पुलिस	2011-12	8464.47	2983.03	35
		2012-13	9333.60	2999.21	32
		2013-14	9106.00	2760.84	30
53.	योजना मंत्रालय	2011-12	731.62	480.12	66
		2012-13	515.80	256.69	50
		2013-14	900.00	549.23	61
54.	विद्युत मंत्रालय	2011-12	3041.81	687.43	23
		2012-13	5464.22	235.64	04
		2013-14	2918.05	1141.02	39
55.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2011-12	22221.38	3282.64	15
		2012-13	24643.50	5610.90	23
		2013-14	32264.15	2950.74	09
56.	पोत परिवहन मंत्रालय	2011-12	623.68	392.46	63
		2012-13	583.09	217.55	37
		2013-14	658.42	279.27	42
57.	अंतरिक्ष विभाग	2011-12	2948.19	1918.03	65
		2012-13	3138.22	1096.57	35
		2013-14	3738.96	1297.91	35

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	वर्ष	कुल प्रावधान (₹ करोड़ में)	बचत (₹ करोड़ में)	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
58.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2011-12	604.33	136.97	23
		2012-13	739.25	269.91	36
		2013-14	671.82	272.19	41
पूंजीगत (प्रभारित)					
59.	राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण	2011-12	13000.00	3004.64	23
		2012-13	12000.00	1347.30	11
		2013-14	12000.00	1000.25	08
60.	विनियोग -ऋण का पुनर्भुगतान	2011-12	3524713.20	28784.50	01
		2012-13	3786074.35	359181.41	09
		2013-14	4014248.55	502957.23	13
डाक सेवाएं					
पूंजीगत (दत्तमत)					
61.	डाक विभाग	2011-12	518.14	317.51	61
		2012-13	615.77	470.18	76
		2013-14	433.31	165.01	38
रक्षा सेवाएं					
राजस्व (दत्तमत)					
62.	रक्षा सेवाएं- थल सेना	2011-12	73174.45	1341.79	02
		2012-13	79980.55	463.60	01
		2013-14	88599.71	879.63	01
पूंजीगत (दत्तमत)					
63.	रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2011-12	69148.01	1304.05	02
		2012-13	79526.99	9043.67	11
		2013-14	86685.31	7592.40	09
रेलवे					
राजस्व (दत्तमत)					
64.	निधियों का विनियोग-मूल्यह्रास आरक्षित निधि, विकास निधि, पेंशन निधि, पूंजीगत निधि एवं ऋण सेवा निधि	2011-12	28068.41	2802.84	10
		2012-13	43567.00	7730.75	18
		2013-14	42661.80	6156.40	14

अनुबंध 3.7

(पैराग्राफ 3.8 के संदर्भ में)

मामले जहाँ बचत से अधिक राशियों का अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	अनुभाग के अंतर्गत बचतें	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पण
सिविल **राजस्व –दत्तमत**				
1.	06-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	124.25	124.36	0.11
2.	08-औषधीय विभाग	99.37	99.50	0.13
3.	10-कोयला मंत्रालय	29.26	29.27	0.01
4.	32-विदेश मंत्रालय	39.59	125.02	85.43
5.	45-विनिवेश विभाग	36.34	38.26	1.92
6.	67-खनन मंत्रालय	54.07	54.58	0.51
7.	71-पंचायती राज मंत्रालय	3738.62	3738.84	0.22
राजस्व –प्रभारित				
8.	41-भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग	0.77	0.85	0'08
9.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	375.08	383.26	8.18
पूंजीगत-दत्तमत				
10.	15-इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	36.19	38.01	1.82
11.	44-अप्रत्यक्ष कर	126.95	127.40	0.45
12.	67-खनन मंत्रालय	4.71	6.17	1.46
13.	98-दादरा एवं नागर हवेली	49.14	49.17	0.03
पूंजीगत-प्रभारित				
14.	38-विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	502957.23	505198.94	2241.71
15.	93-वस्त्र मंत्रालय	35.34	35.35	0.01
रक्षा सेवाएं **पूंजीगत –दत्तमत**				
16.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7592.40	7854.78	262.38

अनुबंध 3.8

(पैराग्राफ 3.9 के संदर्भ में)

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें (₹ करोड़ में)	अभ्यर्पित राशि (₹ करोड़ में)	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि (₹ करोड़ में)	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि (₹ करोड़ में)
सिविल						
राजस्व (दत्तमत)						
1.	1-कृषि एवं सहकारिता विभाग	3317.48	3281.05	3281.05	99	36.43
2.	2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	849.26	848.46	848.46	100	0.80
3.	3-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग	394.49	364.28	364.28	92	30.21
4.	4-परमाणु ऊर्जा	197.70	177.57	177.57	90	20.13
5.	5-नाभिकीय विद्युत योजनाएं	289.19	182.33	182.33	63	106.86
6.	6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	124.25	124.36	124.36	100	*
7.	7-उर्वरक विभाग	1326.67	674.29	674.29	51	652.38
8.	11-वाणिज्य विभाग	129.38	58.13	58.13	45	71.25
9.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	175.27	155.24	155.24	89	20.03
10.	14-दूरसंचार विभाग	2010.10	1695.55	1695.55	84	314.55
11.	15-इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	849.55	836.40	6.78	01	13.15
12.	16-उपभोक्ता मामले विभाग	152.13	137.01	137.01	90	15.12
13.	19-संस्कृति मंत्रालय	165.17	104.60	104.60	63	60.57
14.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	193.80	192.94	1.94	01	0.86
15.	29-पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय	3324.67	3311.90	3311.90	100	12.77
16.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	334.54	297.16	5.27	02	37.38
17.	31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	715.93	582.69	8.94	01	133.24
18.	33-आर्थिक कार्य विभाग	188.59	10.92	10.92	06	177.67
19.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	746.54	745.96	745.96	100	0.58
20.	36-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	17698.36	17548.30	17548.30	99	150.06
21.	42-राजस्व विभाग	7536.54	7524.16	7524.16	100	12.38
22.	43-प्रत्यक्ष कर	136.63	117.95	117.95	86	18.68

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
			(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
23.	44-अप्रत्यक्ष कर	129.40	19.17	19.17	15	110.23
24.	46-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	177.20	176.88	176.88	100	0.32
25.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	5474.46	5223.90	5223.90	95	250.56
26.	48-आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग	533.77	500.96	500.96	94	32.81
27.	49-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	133.94	130.84	130.84	98	3.10
28.	50-एड्स नियंत्रण विभाग	309.03	296.29	296.29	96	12.74
29.	51-भारी उद्योग विभाग	382.86	52.82	52.82	14	330.04
30.	53-गृह मंत्रालय	876.91	695.18	695.18	79	181.73
31.	55-पुलिस	1599.04	500.23	500.23	31	1098.81
32.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	128.76	54.81	54.81	43	73.95
33.	57-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	524.80	524.79	524.79	100	0.01
34.	58-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	381.82	271.12	271.12	71	110.70
35.	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	10152.69	7172.35	7172.35	71	2980.34
36.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	2417.46	2361.72	2361.72	98	55.74
37.	61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	200.12	191.86	191.86	96	8.26
38.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	849.56	745.96	745.96	88	103.60
39.	64-विधि एवं न्याय	112.77	20.47	20.47	18	92.30
40.	66-सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय	660.26	636.00	636.00	96	24.26
41.	68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	384.25	378.48	378.48	98	5.77
42.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1214.03	1115.57	1115.57	92	98.46
43.	71-पंचायती राज मंत्रालय	3738.62	3738.84	3738.84	100	*

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
44.	74-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	147.74	147.74	147.74	100	--
45.	75-योजना मंत्रालय	5798.92	5783.09	5783.09	100	15.83
46.	76-विद्युत मंत्रालय	4309.22	4308.98	4308.98	100	0.24
47.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	533.44	451.53	451.53	85	81.91
48.	83-ग्रामीण विकास विभाग	15817.28	15810.12	15810.12	100	7.16
49.	84-भू-संसाधन विभाग	3276.92	3276.85	3276.85	100	0.07
50.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	776.36	770.89	--	--	5.47
51.	87-जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	210.75	209.87	24.87	12	0.88
52.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	200.60	186.32	186.32	93	14.28
53.	89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	1203.02	1190.58	1190.58	99	12.44
54.	90-अंतरिक्ष विभाग	324.53	322.38	322.38	99	2.15
55.	91-सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	109.59	109.23	109.23	100	0.36
56.	93-वस्त्र मंत्रालय	1592.79	1339.93	1339.93	84	252.86
57.	94-पर्यटन मंत्रालय	328.12	306.99	306.99	94	21.13
58.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	146.39	146.11	146.11	100	0.28
59.	97-चण्डीगढ़	120.73	117.20	117.20	97	3.53
60.	101-शहरी विकास विभाग	166.59	61.59	61.59	37	105.00
61.	104-जल संसाधन मंत्रालय	906.47	771.80	771.80	85	134.67
62.	105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2601.43	2574.02	2574.02	99	27.41
राजस्व -प्रभारित						
63.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	5301.07	1972.26	1972.26	37	3328.81
64.	36-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	8229.86	8229.86	8229.86	100	--
65.	95-जनजातीय कार्य मंत्रालय	375.08	383.26	383.26	102	*

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
पूंजीगत– दत्तमत						
66.	4-परमाणु ऊर्जा	1180.55	1154.38	1154.38	98	26.17
67.	07-उर्वरक विभाग	253.48	253.48	253.48	100	--
68.	12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग	302.00	301.99	301.99	100	0.01
69.	14-दूरसंचार विभाग	2293.77	2152.16	2152.16	94	141.61
70.	20-रक्षा मंत्रालय	742.03	729.56	729.56	98	12.47
71.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	128.56	127.06	10.52	08	1.50
72.	30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	110.98	90.05	--	--	20.93
73.	33-आर्थिक कार्य विभाग	63462.80	62523.67	62523.67	99	939.13
74.	34-वित्तीय सेवाएं विभाग	14017.40	14017.40	14017.40	100	--
75.	43-प्रत्यक्ष कर	144.00	120.94	--	84	23.06
76.	44-अप्रत्यक्ष कर	126.95	127.40	127.40	100	*
77.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1585.55	1480.47	1480.47	93	105.08
78.	51-भारी उद्योग विभाग	158.58	111.15	111.15	70	47.43
79.	55-पुलिस	2760.84	1719.88	1719.88	62	1040.96
80.	68-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	120.00	120.00	120.00	100	--
81.	75-योजना मंत्रालय	549.23	543.50	543.50	99	5.73
82.	76-विद्युत मंत्रालय	1141.02	1141.02	1141.02	100	--
83.	82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2950.74	2876.09	2876.09	97	74.65
84.	88-पोत परिवहन मंत्रालय	279.27	263.26	263.26	94	16.01
85.	90-अंतरिक्ष मंत्रालय	1297.91	1297.65	1297.65	100	0.26
86.	96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	272.19	271.57	271.57	100	0.62
87.	97-चण्डीगढ़	163.77	163.77	163.77	100	--
88.	101-शहरी विकास विभाग	863.04	803.17	803.17	93	59.87

मामले जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	बचतें	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2014 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)
पूंजीगत-प्रभारित						
89.	36-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण	1000.25	1000.25	1000.25	100	--
90.	38-विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान	502957.23	505198.94	505198.94	100	--
रक्षा सेवाएं **पूंजीगत (दत्तमत)**						
91.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7592.40	7854.78	7854.78	103	*

*अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी

नोट: अभ्यर्पित तिथि के अनुमान के लिए, लेखापरीक्षा आदेश की तिथि यथा जहां अभ्यर्पण वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है, को लिया गया है।

अनुबंध 3.9

(पैराग्राफ 3.10 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालय/विभाग में मूल तथा अनुपूरक अनुदानो/विनियोगों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूंजीगत		योग
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	
2005-06	मूल	260249	164936	32274	602709	1060168
	अनुपूरक	34784	612	2744	424882	463022
	प्रतिशतता	13	-	9	70	44
2006-07	मूल	310212	176989	38951	1103562	1629714
	अनुपूरक	90637	5146	9377	350290	455450
	प्रतिशतता	29	3	24	32	28
2007-08	मूल	360510	195865	80133	1616206	2252714
	अनुपूरक	89998	16937	20474	65742	193151
	प्रतिशतता	25	9	26	4	9
2008-09	मूल	437377	243991	43348	1750686	2475402
	अनुपूरक	285013	113	14577	445762	745465
	प्रतिशतता	65	-	34	25	30
2009-10	मूल	667430	268467	61658	1887527	2885082
	अनुपूरक	81044	49	20574	1369563	1471230
	प्रतिशतता	12	-	33	73	51
2010-11	मूल	729198	287617	90171	3390880	4497866
	अनुपूरक	135176	131	31519	19156	185982
	प्रतिशतता	19	-	35	1	4
2011-12	मूल	830436	325521	106393	3155266	4417616
	अनुपूरक	101994	11941	21472	382533	517940
	प्रतिशतता	12	4	20	12	12

2012-13	मूल	919615	387306	159441	3798124	5264486
	अनुपूरक	71562	4844	4444	31	80881
	प्रतिशतता	8	1	3	-	2
2013-14	मूल	983713	451534	190317	4026299	5651863
	अनुपूरक	40469	15682	7691	112	63954
	प्रतिशतता	4	3	4	-	1

अनुबंध 3.10

(पैराग्राफ 3.12 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्ष के पुनर्विनियोग जो अनुपयोग के कारण निष्फल थे
(₹ 5 करोड़ तथा उससे अधिक से ज्यादा का पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु /उप शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के पुनर्विनियोजित की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचतें
सिविल						
1.	4-परमाणु ऊर्जा	4861.01.207.01-भारी जल सयंत्रों से उत्पादन	मू.	996.00	39.00	86.72
2.	11-वाणिज्य विभाग	3453.00.101.01 -महानिदेशक विदेश व्यापार	मू.	94.80	10.47	11.71
3.	19-संस्कृति मंत्रालय	2205.00.102.04-अन्य योजनाएं	मू. अ.	353.46 100.01	7.84	18.24
4.	33-आर्थिक कार्य विभाग	2052.00.090.09-आर्थिक कार्य विभाग	मू. अ.	93.36 10.67	11.20	13.39
5.		7475.00.800.10-नई उधार व्यवस्था (न.उ.व्य.) के अंतर्गत आई.एम.एफ. को ऋण	मू. अ.	0.01 1830.01	99.98	443.95
6.	38-पुनर्विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.106.24 -8% राहत बंधपत्र, 2002 (गैर-करयोग्य)	मू.	13.31	9.85	13.58
7.		6001.00.106.31 -6.5% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर-करयोग्य)	मू.	13.46	16.88	19.79
8.	40-पेंशन	2071.01.117.01-सरकारी अंशदान	मू. अ.	1300.00 300.00	50.00	54.48
9.	44-अप्रत्यक्ष कर	2038.00.001.03-राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा संवेदनमन्दक अकादमी (रा.सी.उ.सं.अ.)	मू.	59.15	5.66	7.47
10.		2038.00.101.01-आयुक्तालय	मू.	2270.41	14.40	53.96
11.	47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210.05.105.31-स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ को अनुदानें	मू.	635.00	9.75	10.25

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु /उप शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष के पुनर्विनियोजित की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचतें
12.		2210.05.105.33-क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी	मू.	345.00	37.75	42.42
13.	55-पुलिस	2055.00.102.01-स्थापना	मू. अ.	10495.53 540.89	103.01	256.25
14.		2055.00.105.01- सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	मू. अ.	9663.11 595.00	110.30	194.30
15.		2055.00.105.03-भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	मू. अ.	2630.83 352.23	27.45	30.95
16.		2055.00.118.01-निर्देशन तथा प्रशासन	मू. अ.	244.52 6.73	5.04	12.52
17.	56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2070.00.109.03-नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम	मू. अ.	32.30 0.01	5.23	8.38
18.	105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2236.80.102.08-राष्ट्रीय पोषण मिशन (रा.पो.मि.)	मू.	105.00	10.85	31.05
डाक सेवा						
19.	13-डाक विभाग	3201.07.108.01-अवकाश नकदीकरण लाभ	मू.	250.10	7.90	19.25
रक्षा सेवा						
20.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	101 -थल सेना के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. अ.	47429.22 2427.82	22.29	314.25
21.	23-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	104 -गैर-सेनिकों के वेतन एवं भत्ते (दत्तमत)	मू. अ.	1590.00 42.97	9.10	26.47
				कुल	**613.95**	

अनुबंध 3.11

(पैराग्राफ 3.13 के संदर्भ में)

लघु/उप शीर्ष से पुनर्विनियोग का परिणाम अंतिम अधिक व्यय में हुआ
(₹ 5 करोड़ तथा उससे अधिक से ज्यादा का पुनर्विनियोग)

(₹करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	उप-शीर्ष		कुल प्रावधान	शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	शीर्ष के अंतर्गत अंतिम अधिक व्यय
सिविल						
1.	35-विनियोग-ब्याज भुगतान	2049.05.101.01-रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि	मू.	6.62	5.87	24.55
2.		2049.05.105.08-मूल्य स्थिरीकरण निधि पर ब्याज	मू.	62.00	27.99	34.00
डाक सेवाएं						
3.	13-डाक विभाग	3201.02.101.01-वर्तमान डाक घर	मू.	5790.54	201.55	244.85
4.		3201.02.103.04-सामान्य सेवाओं हेतु विभागीय डाक मोटर सेवाएं	मू.	103.60	9.43	12.82
5.		3201.02.103.06-अन्य	मू.	186.94	5.81	10.99
रक्षा सेवाएं						
6.	27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076.02.050 - भूमि	मू.	20.00	14.34	15.18
				कुल	**264.99**	

अनुबंध 3.12

(पैराग्राफ 3.14 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			(₹ करोड़ में)				
सिविल							
1.	9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय	3053.80.001. 01-महानिदेशक नागरिक उड्डयन	36.09	0.86	31.91	5.04	चिकित्सा उपचार, घरेलू यात्रा व्यय तथा लघु निर्माण कार्य के प्रति कम बिलों/दावों की प्राप्ति, कम संख्या में पेशेवरों को काम पर रखना तथा समय पर परियोजना को अंतिम रूप न देना।
2.	*35-विनियोग-ब्याज भुगतान*	*2049.01.11 6-14 दिवसीय खजना बिल*	*5500.00*	*1650.00*	*3616.53*	*3533.47*	केन्द्र सरकार के मध्यस्थ खजाना बिलों में राज्य सरकार द्वारा निवेश के कम आयाम के कारण।
3.	*47-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग*	*2210.06.101. 46-संक्रामक रोगों हेतु नम्य पुल नया*	*शून्य*	*34.55*	--	*34.55*	सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान के प्राधिकरण की स्वीकृति में विलम्ब।
4.	69-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2810.00.104. 01-नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अ.एवं वि.	112.00	5.40	91.88	25.52	कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
5.	85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3425.60.20 0.65-आम आदमी के सम्मिलित नवाचार हेतु निधि	--	200.00	--	200.00	व्यय वित्त समिति (व्य.वि.स.) को अंतिम रूप देने तथा मंत्रीमण्डल की स्वीकृति में विलम्ब के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती
रक्षा सेवाएं							
6.	22-रक्षा सेवाएं- थल सेना	113 -राष्ट्रीय कैडेट कोर्पस	880.62	10.28	874.46	16.44	भण्डार एवं प्रशिक्षण पर कम किए गए व्यय के कारण

लघु/उप-शीर्ष के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का विवरण	लघु/उप शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
			(₹ करोड़ में)				
7.	*23-रक्षा सेवाएं -नौ सेना*	*104 -गैर-सैनिकों के वेतन एवं भत्ते*	*10.00*	*6.31*	*6.00*	*10.31*	प्रत्याशित से कम व्यय तथा बुकिंग के कारण

अनुबंध 3.13

(पैराग्राफ 3.15 के संदर्भ में)

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
सिविल			
अनुदान सं.1-कृषि एवं सहकारिता विभाग			
1.	2401.00.111.28-राष्ट्रीय फसल सांख्यिकीय केन्द्र	10.00	10.00
2.	2401.00.789.13-राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान	30.00	30.00
अनुदान सं. 2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग			
3.	2415.01.796.02-राष्ट्रीय कृषीय अभिनव परियोजना/बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	17.00	17.00
4.	2415.80.120.02-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड को सहायता अनुदान	50.00	50.00
5.	2415.80.120.03-केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान	30.00	30.00
अनुदान सं. 3-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा मत्स्य पालन विभाग			
6.	3602.04.632.01-समुद्री मत्स्य पालन, अवसंरचना एवं फसलोत्तर प्रक्रियाओं का विकास	12.00	12.00
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा			
7.	2852.09.200.05-सामान्य सेवाएं संगठन, तारापुर	29.22	29.22
8.	2852.09.200.06-सामान्य सेवाएं, कल्पक्कम	13.27	13.27
9.	2852.09.203.02-तारापुर में विद्युत रियेक्टर ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र	36.01	36.01
10.	2852.09.203.03-ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र, कल्पक्कम	64.83	64.83
11.	2852.09.203.09-विद्युत रियेक्टर ईंधन पुनर्संसाधन	15.00	15.00
12.	2852.09.800.06-डी.ए.ई.- परियोजना	40.00	40.00
13.	4861.60.103.10-डी.ए.ई.- परियोजनाएं	11.00	11.00
14.	5401.00.283.05-टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान	16.00	16.00
15.	5401.00.800.25-सार्वभौम नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी संस्थान का विकास	22.00	22.00
16.	5401.00.800.29-विशाल विज्ञान परियोजना	40.00	40.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 5-नाभकीय विद्युत योजना			
17.	2801.03.103.01-तारापुर में अपशिष्ट स्थिरीकरण संयंत्र का संचालन व्यय	32.05	32.05
18.	2801.03.103.02-कल्पक्कम में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का संचालन व्यय	14.19	14.19
19.	2801.03.103.03-तारापुर में अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का संचालन व्यय	12.17	12.17
20.	6801.00.206.01-भारतीय नाभकीय विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण	24.00	24.00
अनुदान सं. 6-रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग			
21.	6857.01.190.04-हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड (हि.जै.र.लि.)	10.01	10.01
अनुदान सं. 7 - उर्वरक विभाग			
22.	6855.00.190.02-उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	211.43	211.43
23.	6855.00.190.08-मद्रास उर्वरक लिमिटेड	17.00	17.00
अनुदान सं. 12- औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग			
24.	4059.01.201.03-प्रदर्शनी-सह-समागम केन्द्र, द्वारका	300.00	300.00
अनुदान सं. 14- दूरसंचार विभाग			
25.	3275.00.796.02-सर्वभौम सेवा दायित्व हेतु सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	13.20	13.20
26.	5275.00.800.01-दूरसंचार अभियांत्रिकी केन्द्र	11.00	11.00
अनुदान सं. 28-उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय			
27.	4552.00.202.03-उ.पू. क्षेत्र में पचास सीटों वाली वायुयान सेवा हेतु सहायता	10.01	10.01
28.	4552.00.215.02-उ.पू. क्षेत्र में लघु एवं मध्यम शहरों का समेकित विकास	70.00	70.00
29.	4552.00.800.29-उत्तर-पूर्वी राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा का विकास	15.00	15.00
अनुदान सं. 30-पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय			
30.	3455.00.001.05-विमान-वाहित प्लेटफार्म	30.00	30.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 31-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय			
31.	3435.04.789.01-राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का बचाव	13.00	13.00
अनुदान सं. 33 - आर्थिक कार्य विभाग			
32.	5466.00.207.05-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को अंशदान (प्रतिभूति में)	42000.00	42000.00
33.	5466.00.207.06-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि को अंशदान (नकद में)	14000.00	14000.00
34.	5475.00.797.01-समाजिक तथा अवसंरचना विकास पूंजीगत निधि को अंतरण	7000.00	7000.00
अनुदान सं.. 34 - वित्तीय सेवाएं विभाग			
35.	5465.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि	14000.00	14000.00
अनुदान सं. 35 - विनियोग -ब्याज भुगतान			
36.	*2049.01.126- बाजार स्थिरीकरण योजना पर अदा किया ब्याज/छूट-बैंक में धन का जमा करना*	*1630.38*	*1630.38*
37.	*2049.03.108.06-डाक बीमा एवं जीवन वार्षिकी निधि*	*150.00*	*150.00*
38.	*2049.60.111.-डाक जीवन बीमा के अंतर्गत शेष के प्रतिभूतिकरण के प्रति जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज*	*1730.70*	*1730.70*
अनुदान सं. 36-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण			
39.	7601.06.200- अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	1000.00	1000.00
अनुदान सं. 42-राजस्व विभाग			
40.	3601.01.110.05 वैट को प्रारम्भ करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्यों को क्षतिपूर्ति	51.00	51.00
अनुदान सं. 47- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
41.	2210.05.800.05-राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को अनुदानें	30.00	30.00
42.	2210.06.101.43-राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	57.76	57.76
43.	2210.06.104.08-राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	57.76	57.76
44.	2210.06.789.01-राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम	73.75	73.75
45.	2210.06.789.07-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	30.31	30.31
46.	2210.06.789.08-ट्रॉमा केन्द्रों की क्षमता निर्माण हेतु सहायता	13.44	13.44
47.	2210.06.789.09-राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	20.20	20.20

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
48.	2210.06.789.14-राज्य खाद्य नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	11.11	11.11
49.	2210.06.789.15-राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	20.20	20.20
50.	2210.06.796.03 राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम	39.78	39.78
51.	2210.06.796.09-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	16.35	16.35
52.	2210.06.796.11-राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम	10.90	10.90
53.	2210.06.796.17-राज्य दवा नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	10.90	10.90
54.	2210.06.800.39-स्वास्थ्य बीमा (सी.जी.ई.आई.पी.एस.)	50.00	50.00
55.	2210.06.800.40-आपातकालिन चिकित्सा सेवाएं	14.20	14.20
56.	3601.04.246.01-जननीय एवं बाल स्वास्थ्य (ज.बा.स्वा.) दवाओं एवं उपकरणों की आपूर्ति	56.81	56.81
57.	4210.03.105.16-स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	40.00	40.00
58.	4210.04.200.22-स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी तथा प्रबंधन	65.00	65.00
59.	4210.04.200.24-एन.सी.डी.सी. की मौजूदा शाखाओं का सुदृढ़ीकरण तथा 27 शाखाओं की स्थापना	30.00	30.00
60.	4210.80.190.05-एच.एल.एल. लाईफ केयर लिमिटेड	135.00	135.00
अनुदान सं. 48- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग			
61.	2210.02.789.03-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष नम्य पुल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत)	14.45	14.45
62.	2210.05.101.12-आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों का विकास एवं उन्नयन	34.00	34.00
अनुदान सं. 51 - भारी उद्योग विभाग			
63.	2852.06.103.42 -पूंजीगत माल क्षेत्र का आधुनिकीकरण	70.00	70.00
64.	2852.80.003.12- राष्ट्रीय ऑटोमोटिव जांच तथा अ. एवं वि. अवसंरचना परियोजना	341.94	341.94
अनुदान सं. 55-पुलिस			
65.	2055.00.115.09-अधुनिकीकरण हेतु दिल्ली पुलिस को सहायता	100.00	100.00
66.	2055.00.800.10-बिना विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस बलों का अधुनिकीकरण	41.20	41.20
67.	3602.01.116.01विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस संगठन का सुदृढीकरण	13.20	13.20

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
68.	4055.00.214.04-भारत-म्यंमार सीमा निर्माण कार्य	15.00	15.00
69.	4055.00.214.06-भारत-भूटान सीमा निर्माण कार्य	40.00	40.00
अनुदान सं. 56 -गृह मंत्रालय के अन्य व्यय			
70.	3601.01.347.01-पुनर्वास अनुदानें	25.01	25.01
71.	4250.00.101.07-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	15.00	15.00
अनुदान सं. 60-उच्चतर शिक्षा विभाग			
72.	2202.03.789.15-राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	13.50	13.50
73.	2202.03.800.20-राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	69.75	69.75
74.	2203.00.112.62-सामुदायिक महाविद्यालयों सहित कुशलता आधारित उच्चतर शिक्षा हेतु सहायता	23.27	23.27
अनुदान सं. 61-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय			
75.	2251.00.800.06-राष्ट्रीय ऐनिमेशन, गेमिंग तथा विशेष प्रभाव विशिष्टता केन्द्र	11.00	11.00
76.	2251.00.800.11-राष्ट्रीय चलचित्र धरोहर मिशन	20.00	20.00
अनुदान सं. 64-विधि एवं न्याय			
77.	2014.00.104.01-न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदानें	20.00	20.00
78.	3602.04.891.01-न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु अनुदानें	40.01	40.01
अनुदान सं.66-सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय			
79.	2851.00.105.06 -खादी सुधार विकास पैकेज (ए.डी.बी. सहायता)	34.90	34.90
80.	2851.00.200.10-परम्परागत उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधियों की योजना	38.73	38.73
81.	2851.00.200.14-खादी उद्योगों तथा शिल्पकारों की उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की योजना	10.47	10.47
82.	2851-00-796.30 -भारत समाविष्ट अभिनव निधि (पहले राष्ट्रीय अभिनव निधि)	21.00	21.00
अनुदान सं.. 68-अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय			
83.	4225.04.190.01- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम	108.00	108.00
अनुदान सं. 73 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन			
84.	4059.80.051.37-केन्द्रीय सूचना आयोग	10.00	10.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 74-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय			
85.	2802.80.106.03-राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	41.00	41.00
86.	3601.01.457.01 राज्य को सहायता- ज.वि.प्र. मिट्टी के तेल लाभार्थियों को नकद में आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु सांस्थानिक रचना की स्थापना	90.00	90.00
87.	3602.01.457.01-सं.शा.क्षेत्र को सहायता- ज.वि.प्र. मिट्टी के तेल लाभार्थियों को नकद में आर्थिक सहायता के प्रत्यक्ष अंतरण हेतु सांस्थानिक रचना की स्थापना	20.00	20.00
अनुदान सं. 75-योजना मंत्रालय			
88.	3475.00.800.97-नए कार्यक्रम-केन्द्रीय योजना	5000.00	5000.00
अनुदान सं. 76-विद्युत मंत्रालय			
89.	2801.80.800.29-राष्ट्रीय विद्युत निधि (रा.वि.नि.)	151.92	151.92
90.	2801.80.800.33-डिस्कॉम की ऋण पुनर्संरचना हेतु वित्तीय सहायता	1500.00	1500.00
अनुदान सं. 82-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय			
91.	3054.04.337.07- बिना विधान सभा वाले सं.शा.क्षे. सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदानें	13.80	13.80
92.	3602.04.105.01- अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें	18.36	18.36
अनुदान सं. 83-ग्रामीण विकास विभाग			
93.	2501.06.102.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	64.83	64.83
94.	2501.06.789.03-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	41.27	41.27
95.	2501.06.796.03- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	28.90	28.90
96.	2505.02.101.14-मनरेगस श्रमिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना (रा.सु.बी.यो.) का विस्तार	200.00	200.00
97.	2515.00.105.01-लोक कार्य तथा ग्रामीण प्रौद्योगिक उन्नति परिषद को अनुदाने	15.00	15.00
अनुदान सं. 84-भू-ससांधन विभाग			
98.	3602.03.467.05-राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	10.84	10.84
अनुदान सं. 85-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
99.	3425.60.200.63-सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा तथा क्षमता निर्माण	95.12	95.12
100.	3425.60.200.65-आम आदमी के लिए समाविष्ट अभिनव निधि	200.00	200.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
अनुदान सं. 86-विज्ञान एवं औधोगिक अनुसंधान विभाग			
101.	3425.60.151.14-समाविष्ट साझेदारी तथा सहयोगी अनुसंधान एवं विकास हेतु सी.एस.आई.आर.पहल	10.00	10.00
102.	3425.60.151.15-राष्ट्रीय नागरिक वायुयान विकास	10.00	10.00
अनुदान सं. 88-पोत परिवहन मत्रांलय			
103.	5051.01.106.01 परिवहन सुविधाएं एवं नौसेना	30.00	30.00
अनुदान सं. 89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय			
104.	2225.01.789.21-डॉ.बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	14.00	14.00
105.	3601.03.789.15-सामाजिक कल्याण- विकलांग का कल्याण	18.50	18.50
106.	3601.04.362.03- विकलांग छात्र हेतु मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति	22.00	22.00
107.	3601.04.789.18-अनुसूचित जातियों का कल्याण- आर्थिक विकास	100.00	100.00
अनुदान सं. 90-अतंरिक्ष विभाग			
108.	3252.00.053.12 -जीसैट-15 उपग्रह लांच सेवाएं	10.00	10.00
109.	3252.00.053.14 -जीसैट-16 उपग्रह लांच सेवाएं	10.00	10.00
110.	5252.00.203.11 -जीसैट-17 उपग्रह एवं मिशनों पर अनुपालन	85.00	85.00
अनुदान सं. 92-इस्पात मत्रांलय			
111.	2852.80.800.34- कोल्ड रोल्ड ग्रेन अभिमुख (सी.आर.जी.ओ) इस्पात शीट एवं अन्य मूल्य संवर्धन अभिनव इस्पात उत्पादों (नए संघटक) हेतु प्रौद्योगिकी का विकास	32.00	32.00
अनुदान सं. 93-वस्त्र मत्रांलय			
112.	2851.00.104.33-उत्तर पूर्वी क्षेत्र हेतु विशेष योजना	15.27	15.27
113.	2851.00.108.13-समतल विद्युत करधा का इन-सितु उन्नयन योजना	29.90	29.90
114.	2852.08.202.56-समेकित संसाधन विकास योजना	43.40	43.40
115.	2852.08.789.02-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	100.25	100.25
116.	2852.08.789.03-समेकित वस्त्र उद्यान योजना	11.00	11.00
117.	2852.08.796.02-प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	19.00	19.00
अनुदान सं. 94-पर्यटन मंत्रालय			
118.	3452.01.102.06- बड़े राजस्व सृजन परियोजनाओं को सहायता	25.00	25.00
119.	3452.80.800.14-आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन	10.00	10.00

पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहा (₹10 करोड़ तथा उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग तथा उप-शीर्ष का विवरण	बजट प्रावधान	बचतें
120.	3602.04.826.01-गंतव्य तथा सर्किट हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	10.00	10.00
अनुदान सं. 96-अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
121.	5225.04.209.01-मेनलेण्ड तथा अ.नि. द्वीपसमूह के बीच समुद्र के नीचे ऑपटिकल फाईबर केबल डालना	153.00	153.00
अनुदान सं. 98-दादर एवं नागर हवेली			
122.	5425.00.208.02-भवन	10.00	10.00
अनुदान सं. 101-शहरी विकास विभाग			
123.	2217.05.191.09- राष्ट्रीय धारणीय आवास मिशन (रा.धा.आ.मि.)	10.00	10.00
अनुदान सं. 104-जल ससांधन मत्रांलय			
124.	2701.80.001.02-मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	38.01	38.01
125.	2701.80.800.19-सिचांई प्रबंधन कार्यक्रम	40.00	40.00
126.	3601.02.101.50-महाराष्ट्र की बोड़वार्ड परिसर सिंचाई योजना परियोजना	12.41	12.41
अनुदान सं. 105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय			
127.	2235.02.102.38-शिशु बालिका जिला कार्य योजना	13.50	13.50
128.	2235.02.103.28-राष्ट्रीय महिला क्रेडिट निधि	18.00	18.00
129.	2235.02.103.62-महिला हेल्पलाईन	18.00	18.00
130.	3601.04.356.01-कार्यकारी महिलाओं हेतु छात्रावास	200.01	200.01
131.	3601.04.356.07-बलात्कार पीड़ितों के लिए पुष्टिकर न्याय	67.50	67.50
132.	3601.04.356.10-घरेलू हिंसा से महिलाओं का बचाव विनियम का कार्यान्वयन	59.50	59.50
133.	3601.04.358.10-नवयुवकों के साकल्यवादी विकास की योजना	16.00	16.00
		कुल	**93447.66**

अनुबंध 3.14

(पैराग्राफ 3.16 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 1-कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.119.41-सूक्ष्म सिचांई पर राष्ट्रीय मिशन	1134.01	968.43	165.58	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
2.	2401.00.789.18-सूक्ष्म सिचांई पर राष्ट्रीय मिशन	360.00	167.33	192.67	प्रस्तावों को अंतिम रूप ने देने, कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा कार्यान्वयन अभिकरणो के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा पंजाब एवं हरियाणा में अधिकांश अनुसूचित जनजाति परिवारों के भूमिहीन होने के कारण भूमि आधारित कार्यों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
3.	3601.02.446.01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	10054.46	7000.03	3054.43	प्रस्तावों को अंतिम रूप ने देने, व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
अनुदान सं. 2- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
4.	2415.01.150.03- कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति बोर्ड एवं सूचना महानिदेशालय तथा कृषि प्रकाशन, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन	516.31	225.02	291.29	XII योजना की व्यय वित्त समिति को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण संशोधित अनुमानों में प्रावधानों की कटौती के कारण
5.	2415.01.150.10-राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना/बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं	368.00	235.00	133.00	कम प्रस्तावों/उप-परियोजनाओं की प्राप्ति के कारण संशोधित अनुमान में प्रावधानों की कटौती के कारण
अनुदान सं. 3-पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन विभाग					
6.	2404.00.111.02-प्रापण	371.97	257.02	114.95	मितव्ययी उपायों के कारण
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
7.	3401.00.004.05-टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान	655.76	514.80	140.96	परियोजना के पुनर्निधारण के कारण
8.	3401.00.004.07-टाटा स्मारक केन्द्र	476.04	340.91	135.13	कुछ कार्यों का अगले वित्तीय वर्ष में स्थगन तथा कार्य की धीमी प्रगति के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)		
9.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	145.00	40.00	105.00	परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय तथा प्रशासनिक अनुमति की प्राप्ति न होने के कारण।
10.	4861.60.203.44-तीव्र रियेक्टर ईंधन चक्र सुविधा (एफ.आर.एफ.सी.एफ.)	263.00	8.51	254.49	व्यवसायिक सेवाओं, कार्यालयी व्यय एवं मोटर वाहनों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण तथा वित्तीय संस्वीकृति की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 5- नाभिकीय शक्ति योजना					
11.	2801.03.101.07-तारापूर परमाणु शक्ति संयंत्र हेतु क्वथन जल रियेक्टर ईंधन	180.85	6.30	174.55	बी.डब्ल्यू.आर ईंधन के कम आयात के कारण
12.	2801.03.800.04-कुडनकुलम में प्रतिवेश विकास योजना	150.00	20.00	130.00	राधापूरम तथा वल्लीयूर ब्लाको में तेरह ग्रामों में घरो के निर्माण हेतु फील्ड स्तर पर निर्माण कार्यो में धीमी प्रगति के कारण।
अनुदान सं. 7- उर्वरक विभाग					
13.	**2401.00.106.02-** यूरिया का आयात	20158.84	15353.30	4805.54	अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया मूल्यों के कम होने तथा यूरिया की कम मात्रा के आयात के कारण।
अनुदान सं. 10- कोयला मंत्रालय					
14.	**4803.00.800.01-**कोयला उत्पादन क्षेत्रो का अधिग्रहण	1722.00	761.00	961.00	कोयला उत्पादन क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।
अनुदान सं. 11- वाणिज्य विभाग					
15.	**3453.00.194.03-** निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास सगंठनो को सहायता	1350.00	1192.23	157.77	टर्मिनल उत्पाद शुल्क के अतंर्गत नीति परिवर्तन के कारण दावों की प्रतिपूर्ति की गैर-स्वीकार्यता के कारण।
अनुदान सं. 14- दूरसंचार विभाग					
16.	**2071.01.102.01-**सामान्य पेंशन	925.00	686.67	238.33	दावों की कम प्राप्ति के कारण
17.	**2071.01.104.01-**सामान्य पेंशन	1191.47	1043.27	148.20	दावों की कम प्राप्ति के कारण
18.	**3275.00.103.01-**सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति	2683.80	2163.45	520.35	लेफ्ट विंग उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में मोबाईल सेवाएं प्रदान करने हेतु योजना की अस्वीकृति के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)		
19.	**3275.00.797.01**-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण	3000.00	2163.45	836.55	केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों की साझेदारी से प्रत्याशित लक्ष्य की अप्राप्ति तथा निविदा प्रक्रिया/कार्य के निष्पादन में विलम्ब के कारण।
20.	**5275.00.800.03**-रक्षा सेवाओं हेतु ऑपटिकल फाईबर केबल आधारित नेटवर्क	2180.50	211.51	1968.99	ऑपटिकल फाईबर केबल के अंतर्गत योजना के गैर-कार्यान्वयन के कारण।
अनुदान सं. 15- इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग					
21.	**2852.07.202.60**-इलेक्ट्रोनिक अभिशासन	523.61	332.45	191.16	उपयोग-प्रमाणपत्र की अप्राप्ति, कुछ राज्यों द्वारा राज्य अंश के जारी न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण
अनुदान सं. 29-पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
22.	**2215.01.789.01**- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2345.48	2013.69	331.79	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानो की कटौती तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
23.	**2515.02.105.21**-पूर्ण स्वच्छता अभियान	2470.80	1507.56	963.24	राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
24.	**2215.02.789.01**- पूर्ण स्वच्छता अभियान	937.20	505.99	431.21	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
25.	**2215.02.796.01**- पूर्ण स्वच्छता अभियान	426.00	229.99	196.01	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं.31- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
26.	**3435.04.103.03**-जल प्रदूषण से बचाव एवं नियंत्रण (उपकर)	250.00	134.92	115.08	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (रा.प्र.नि.बो.) से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा मितव्ययी उपायों के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 32-विदेश मंत्रालय					
27.	**2061.00.798.07**-नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	125.00	9.15	115.85	निविदा में विलम्ब के कारण निर्माण कार्य को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
28.	**3605.00.101.14**- म्यंमार को सहायता	450.00	164.86	285.14	स्थानीय परिस्थितियों तथा स्थानीय सरकार द्वारा निर्माण हेतु स्थल की सुपुर्दगी में विलम्ब तथा स्थल सबंधित चुनौतियों, हड़तालों, दंगो के कारण निविदा को अंतिम रूप देने तथा ठेकेदारों/परामर्शदाताओं को कार्य सौपने में विलम्ब तथा म्यानमार सरकार द्वारा संविधिक स्वीकृतियों में विलम्ब के कारण जिसका परिणाम परियोजना की धीमी प्रगति में हुआ।
अनुदान सं. 33- आर्थिक कार्य विभाग					
29.	**2235.60.797.02**-असगंठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि	609.55	200.00	409.55	योजना को अंतिम रूप न देने तथा मितव्ययी उपायों के कारण
30.	**5465.01.190.24**-राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (रा.कौ.वि.नि.)	1500.00	1250.00	250.00	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की तकनीकी सहायता योजना को अंशदान के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
31.	**5475.00.800.12**-अवसंरचना विकास हेतु सहायता-व्यवहार्यता अंतर निधीयन	678.00	450.00	228.00	विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्रायोजक प्राधिकरणों से कम दावों की प्राप्ति।
अनुदान सं. 34- वित्तीय सेवाएं विभाग					
32.	**2885.01.101.06**- आवास ऋण पर **1%** ब्याज सरकारी सहायता	200.00	80.00	120.00	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
33.	**3465.01.190.06**- भारतीय लघु उघोग विकास बैंक (भा.ल.उ.बै.) को वित्तीय सहायता	700.00	200.00	500.00	आम चुनाव तथा आदर्श आचार संहिता को लागू करने के कारण उपादान हेतु क्रेडिट प्रतिभूति निधि को स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मंत्रीमण्डल के निर्णय की गैर-अनुमति के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)		
अनुदान सं. 35- विनियोग-ब्याज भुगतान					
34.	**2048.00.200.13-** सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीदने पर प्रीमियम का भुगतान	2000.00	687.48	1312.52	प्रतिभूतियों की स्विचिंग तथा वापस खरीदने के कम आयात के कारण
35.	**2049.01.115-**अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज	2000.00	251.73	1748.27	सरकार की रोकड़ स्थिति में सुधार के कारण
36.	**2049.01.116- 14** दिवसीय खजाना बिल	7150.00	3616.53	3533.47	राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के मध्यस्थ खजाना बिलों निवेश के कम आयात के कारण।
37.	**2049.01.122-** 1999-2000 से लघु बचतों के निवल संग्रहणों के प्रति जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	3837.63	2951.29	886.34	योजना धारकों से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
38.	**2049.01.200.03-** क्षतिपूर्ति तथा अन्य बंधपत्र	1284.15	874.19	409.96	भारत सरकार की प्रतिभूतियों में कम निवेश तथा निवेशकों से कम दांवों की प्राप्ति के कारण।
39.	**2049.02.216-**पुनर्निमाण एवं विकास हेतु अतंर्राष्ट्रीय बैंक ऋणों पर ब्याज	603.69	388.79	214.90	विनियम दर परिवर्तन के कारण
40.	**2049.02.249-** एशियाई विकास बैंक से ऋण पर ब्याज	501.79	356.63	145.16	विनियम दर परिवर्तन के कारण।
41.	**2049.03.104.02-**अन्य राज्य भविष्य निधियां	3361.11	2442.27	918.84	निधि को कम निवल संवृद्धि के कारण।
अनुदान सं. 36- राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अतंरण					
42.	**3601.01.104.09-**सड़को एवं पुलों के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	5175.00	4600.00	575.00	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो को पूरा न किए जाने के कारण।
43.	**3601.01.104.13-** राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु सहायता अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	6723.75	3594.86	3128.89	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो को पूरा न किए जाने के कारण।
44.	**3601.01.104.17-** पर्यावरण हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	2500.00	1050.48	1449.52	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो को पूरा न किए जाने के कारण।
45.	**3601.01.104.18-** अभिशासन हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	3629.02	1879.35	1749.67	कुछ राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो को पूरा न किए जाने के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)		
46.	**3601.02.101.26-**त्वरित सिचांई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	12962.00	4630.00	8332.00	जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
47.	**3601.02.101.35-**पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पि.क्षे.अ.नि.)	5000.00	3530.52	1469.48	योजना आयोग से सिफारिश की अप्राप्ति के कारण।
48.	**3601.02.101.36-** जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	14000.00	7559.00	6441.00	राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्रों तथा सुधार कार्यसूची की अप्राप्ति के कारण।
49.	**3601.02.101.49-** अन्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अ.अ.के.स.)	540.00	166.00	374.00	योजना आयोग से सिफारिश की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 38- विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान					
50.	**6001.00.105.02-** अतंर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि (अं.वि.नि.)	2514.98	1443.60	1071.38	अं.वि.नि. की वित्तीय लेने देन योजना के अतंर्गत कम लेने-देनों के कारण।
51.	**6001.00.106.30- 8%** बचत बंध पत्र, 2003 (करयोग्य)	1063.60	429.45	634.15	बंधपत्र धारको से कम दावों की प्राप्ति के कारण।
52.	**6001.00.114-** अर्थोपाय अग्रिम	500000.00	242425.00	257575.00	अर्थोपाय अग्रिमो तथा ओवरड्राफ्ट के कम उपयोग तथा भारत सरकार के रोकड़ शेष में आधिक्य के कारण।
अनुदान सं. 40-पेंशन					
53.	**2071.01.115.01-** सामान्य पेंशन	1450.00	1290.81	159.19	कम दावों की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 42- राजस्व विभाग					
54.	**3601.01.110.07-** केन्द्रीय बिक्रीकर (के.बि.क.) को चरणबद्ध करने के कारण राजस्व हानि हेतु राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति	9300.00	1940.51	7359.49	राज्य सरकारों से के.बि.क. क्षतिपूर्ति के प्रति कम दावों की प्राप्ति।
अनुदान सं. 43- प्रत्यक्ष कर					
55.	**4059.01.202-** तैयार-निर्मित आवास का अधिग्रहण	547.00	430.25	116.75	कार्यालय भवन की खरीद/अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 46- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय					
56.	**3601.04.552.03-**खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	150.00	29.72	120.28	उत्तर-पूर्वी राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती।
अनुदान सं. 47- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
57.	**2210.05.105.50-**स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	625.08	27.44	597.64	उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा कुछ उप योजनाओं को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
58.	**2210.05.789.07-** स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	232.68	5.50	227.18	योजना को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
59.	**2210.05.796.07-** स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	125.53	3.00	122.53	योजना को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
60.	**2210.06.001.09-**संक्रामक रोग हेतु नम्य पूल	920.59	538.49	382.10	कम प्रापण तथा विज्ञापन एवं प्रचार, व्यवसायिकों को नियुक्त करने और अन्य स्थापना सबंधित मदों के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
61.	**2210.06.101.42-**राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम	210.79	3.90	206.89	अवसरंचनात्मक विकास से सबंधित कार्य में धीमी प्रगति के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
62.	**2210.06.101.47-** गैर-संक्रामक रोगों हेतु नम्य पुल	514.57	206.85	307.72	उपयोग प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
63.	**2210.06.789.18-** गैर संक्रामक रोगो हेतु नम्य पुल	173.75	37.16	136.59	उपयोग प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
64.	**2211.00.001.05-**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.)- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (प्र.बा.स्वा.) नम्य पुल	858.80	687.37	171.43	सामग्रियों के प्रापण में धीमी प्रगति के कारण।
65.	**2211.00.789.07-**रा.ग्रा.स्वा.मि.-प्र.बा.स्वा. नम्य पुल	2331.30	2044.51	286.79	राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों तथा उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवसों के रूप में दिनों की कम संख्या की घोषणा तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
66.	**3601.04.263.74**-संक्रामक रोग हेतु नम्य पुल	225.32	98.92	126.40	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
67.	**3606.00.237.05**-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम तथा पोलियो उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण हेतु सामग्री सहायता	332.36	159.43	172.93	दानकर्ता अभिकरण से कम सहायता सामग्री की प्राप्ति के कारण।
68.	**4210.01.110.07**-डा.राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	150.00	42.78	107.22	मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति तथा वाहनों/उपकरणों के कम प्रापण के कारण।
69.	**4210.01.800.07**-निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर विद्या संस्थान	195.00	65.00	130.00	मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति तथा वाहनों/उपकरणों के कम प्रापण के कारण।
70.	**4210.03.105.12**-अ.भा.अ.वि.सं. प्रकार के अति-विशिष्टता अस्पतालों-सह-शिक्षण संस्थानो की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालो का उन्नयन	1475.00	803.58	671.42	मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति तथा वाहनों/उपकरणों के कम प्रापण तथा समय बाधित दावों के कारण बिलो के गैर-निपटान के कारण।
71.	**4216.01.700.51**-अ.भा.अ.वि.सं. प्रकार के अति-विशिष्टता अस्पतालों-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन	250.00	71.24	178.76	योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों द्वारा दावों/बिलो के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण।
अनुदान सं. 48- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानि, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग					
72.	**2210.02.200.30**-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष नम्य पुल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि. के अंतर्गत)	**191.97**	**0.88**	**191.09**	उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 53 गृह मंत्रालय					
73.	**3454.02.800.08**-राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका (रा.ज.पं.)	1045.27	459.44	585.83	योजना आयोग से राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका हेतु प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कटौती तथा राज्य सरकार के अतंर्गत बायोमैट्रिक नामाकंन से यू.आई.डी.ए.आई. में परिवर्तन तथा रा.ज.पं. डाटा के संचयन की योजना की गैर-समाप्ति के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 55- पुलिस					
74.	**2055.00.001.06-** आसूचना ब्यूरों	1151.28	1026.29	124.99	रिक्त पदों को न भरने, 'आर.एवं.टी' परियोजना को स्थापित करने हेतु संहिता औपचारिकताओं का गैर-समापन, दावों की अप्राप्ति तथा लघु कार्य के प्रति कम निधियों की आवश्यकता के कारण।
75.	**2055.00.800.11-**अपराध एवं अपराधी नेटवर्क प्रणाली	276.25	135.00	141.25	राज्य सरकारों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता के कारण।
76.	**3601.01.116.01-**राज्य पुलिस संगठन का सुदृढ़ीकरण	1310.00	766.38	543.62	राज्य सरकारों द्वारा निधियों की कम आवश्यकता के कारण।
77.	**4055.00.210.09-**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान	194.25	27.54	166.71	संस्थान की ईमारत के निर्माण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।
78.	**4055.00.214.02-**भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य	230.00	86.72	143.28	सीमा क्षेत्रों पर गोलीबारी के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
79.	**4055.00.214.03-**भारत-चीन सीमा	300.00	178.74	121.26	विषम मौसम परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
80.	**4055.00.214.05-**भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	890.00	750.00	140.00	विषम मौसम परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
81.	**4055.00.214.07-**समेकित जांच पोस्ट की स्थापना	250.00	32.69	217.31	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब तथा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
82.	**4055.00.216.04-**केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	147.73	12.33	135.40	प्रस्तावों को अतिम रूप न देने तथा प्लान योजना हेतु व्यय वित्त समिति प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा मितव्ययी उपायों के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)		
अनुदान सं. 56 ग्रह मंत्रालय के अन्य व्यय					
83.	**2245.80.102.04**-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	387.48	251.58	135.90	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
अनुदान सं. 57- संघ शासित क्षेत्र सरकार को अतंरण					
84.	**3602.02.101.01**-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1075.31	582.52	492.79	शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं के अतंर्गत निधियों के निर्गम हेतु कम सिफारिश तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
85.	**2202.01.789.02**-सर्व शिक्षा अभियान	5287.96	4711.59	576.37	राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति के कारण।
86.	**2202.01.797.01**-प्रारम्भिक शिक्षा कोष को अतंरण हेतु निधियां	24429.00	19988.24	4440.76	शिक्षा उपकर के कम संग्रहण के कारण।
87.	**2202.02.110.17**-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	2484.70	2054.31	430.39	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
88.	**2202.02.789.07**- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रा.मा.शि.अ.)	785.70	624.60	161.10	राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
89.	**2202.04.200.14**-प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	356.10	209.66	146.44	राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 60- उच्चतर शिक्षा विभाग					
90.	**2202.03.102.14**-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (रा.उ.शि.अ.)	300.80	6.51	294.29	नई योजना होने से व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या की प्राप्ति तथा मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति में विलम्ब के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
91.	**2202.80.800.40**-सूचना संचार प्रौद्योगिकी (सू.सं.प्रौ.) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	263.48	93.31	170.17	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
92.	**3601.04.175.04**-राज्य में पालीटेक्निकों हेतु सहायता	446.01	245.91	200.10	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 62- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
93.	**2230.03.800.13**-कौशल विकास (विलीन)	298.15	125.15	173.00	उपयोग प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति तथा राज्यों से कम प्रस्तावों के कारण।
अनुदान सं. 66- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
94.	**2851.00.200.16**-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	924.60	813.45	111.15	योजना के देरी से मूल्यांकन तथा औचित्य निर्धारण के कारण इसकी निरंतरता हेतु छूट प्राप्त करने में विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 68- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय					
95.	**3601.04.378.04**-चयनित अल्पसंख्यक संकेन्द्रण जिलों में बहु-क्षेत्रीय अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम	1086.25	949.28	136.97	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 69- नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
96.	**2810.00.101.01**-ग्रिड इंटरेक्टिव नवीकरणीय शक्ति	1136.14	592.39	543.75	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
97.	**2810.00.101.02**- ऑफ-ग्रिड/संवितरित तथा संकेन्द्रीत नवीकरणीय शक्ति	846.94	524.27	322.67	उपयुक्त प्रस्तावों की अनुपलब्धता के कारण xiवीं से xiiवी योजना अवधि में योजना को जारी रखने में विलम्ब तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 71-पंचायती राज मंत्रालय					
98.	**3601.02.471.01**- पिछड़े वर्ग हेतु अनुदानें	4216.50	1817.20	2399.30	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
99.	**3601.02.789.01-** अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायतीराज	1008.94	434.00	574.94	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
100.	**3601.02.796.01-** अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायतीराज	1274.56	548.80	725.76	
अनुदान सं. 75- योजना मंत्रालय					
101.	**3454.02.206.01-**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	1819.00	1194.68	624.32	आधार कार्डों को तैयार करने में शामिल अभिकरणों से दावों की अप्राप्ति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती।
102.	**3475.00.800.83-** सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पहले का नाम-योजनागत लेखांकन एवं सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली)	160.99	59.95	101.04	रिक्त पदों को न भरने तथा मंत्रीमण्डल द्वारा योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण राज्य परियोजना मॉनीटरिंग की गैर-स्थापना।
103.	**5475.00.112.38-**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	800.00	349.78	450.22	सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर कटौती तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर, मशीनरी तथा उपकरण का कम प्रापण।
अनुदान सं. 76- विद्युत मंत्रालय					
104.	**2801.06.789.01-**राजीव गांधी ग्रामीण विघुतीकरण योजना (रा.गा.ग्रा.वि.यो.)	709.36	344.63	364.73	कुछ परियोजनाओं की अस्वीकृति, आवश्यक शर्तो की अपूर्ति के कारण 209 बंद परियोजनाओं में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अंतिम किश्त के गैर-आहरण तथा छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार तथा झारखण्ड के 11 राज्यों में चरण-II सहित 10वी. तथा 11वी. योजना के निर्माण कार्यो में धीमी प्रगति के कारण।
105.	**2801.06.800.03-**राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	3331.94	2593.89	738.05	
106.	**2801.80.004.02-**केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	298.73	17.76	280.97	व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा योजना की अस्वीकृति के कारण।
107.	**2801.80.800.15-** ऊर्जा दक्षता ब्यूरों	189.41	64.12	125.29	प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप न देने तथा विभिन्न राज्य नामित अभिकरणों से उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)		
108.	**2801.80.800.27-**ऊर्जा सरंक्षण	564.45	16.00	548.45	योजना 'राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन' की स्वीकृति को अंतिम रूप ने देने/विलम्ब के कारण।
109.	**4801.01.190.03-**टेहरी जल विकास निगम	133.72	30.00	103.72	इन परियोजनाओं हेतु वन भूमि के विचलन के लिए उतराखण्ड सरकार द्वारा सरकारी आदेश जारी न करने के कारण कार्य को प्रारम्भ न किए जाने के कारण।
110.	**4801.02.190.02-**राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम लिमिटेड	474.00	301.45	172.55	कोयला ब्लाक क्षेत्रो में खराब कानून एवं व्यवस्था परिस्थिति के कारण कार्य के बार-बार रूकने, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तलाईपल्ली कोयला ब्लाक खनन क्षेत्र की राहत एवं पुनार्वास योजना की गैर-स्वीकृति तथा भूमि के हस्तांतरण की लंबित स्वीकृति के कारण।
111.	**4801.05.001.04-**कारगील से होकर श्रीनगर से लेह तक 220 के.वी. ट्रांसमिशन लाईन का निर्माण	226.00	65.40	160.60	आर्थिक कार्य पर कैबिनेट समिति द्वारा योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण।
112.	**6801.00.190.06-**राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम	995.83	628.01	367.82	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
अनुदान सं. 82- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
113.	**3054.01.337.01-**सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	1925.32	1725.01	200.31	कम प्रस्तावों को अंतिम रूप देने तथा निर्माण, सर्फेसिंग एवं स्थायी निर्माण कार्यों के लक्ष्यों में कटौती के कारण।
114.	**5054.01.337.01-**सड़क स्कंध के अधीन निर्माण कार्य	3704.83	2533.17	1171.66	विश्व बैंक के साथ ऋण को अंतिम रूप न देने, कार्य की धीमी प्रगति तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
115.	**5054.01.337.03-** राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) मूल निर्माण कार्य	3024.50	2673.30	351.20	कार्य की धीमी प्रगति के कारण।
116.	**5054.01.796.01-**नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संयोजकता (रा.रा. तथा राज्य की सड़के) के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	800.00	359.34	440.66	नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कुछ निविदाओं की खराब प्रतिक्रिया के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)		
117.	**5054.02.337.03**-सीमा सड़क विकास बोर्ड (सी.स.वि.बो.) के अधीन निर्माण कार्य	2799.92	2231.13	568.79	पुनः सर्फेसिंग लक्ष्यों में कटौती, भण्डारों के कम प्रापण, भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप न देने तथा समय पर वन अनुमति की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 83- ग्रामीण विकास विभाग					
118.	**2501.06.102.01**-अजीविका-कार्यक्रम संघटक	1418.81	756.12	662.69	कम प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषो की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
119.	**2501.06.102.02**-अजीविका-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं संघटक	600.00	314.48	285.52	राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण।
120.	**2501.06.789.02**-अजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	855.96	397.97	457.99	कम प्रस्तावों की प्राप्ति, राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा सशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
121.	**2501.06.796.02**-अजीविका-राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	599.23	288.33	310.90	राज्य सरकारों के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों की उपलब्धता, कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
122.	**3054.04.338.01**-जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यकारी अभिकरणों आदि को सहायता	11221.69	4697.00	6524.69	
123.	**3054.04.338.07**-ई.ए.पी. संघटक	4266.00	681.17	3584.83	
अनुदान सं. 84- भू-संसाधन विभाग					
124.	**2501.05.101.07**-समेकित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	3611.51	1787.39	1824.12	व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
125.	**2501.05.789.01**-समेकित जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम	872.69	250.00	622.69	

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 85- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
126.	3425.60.200.64-राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली	189.88	1.00	188.88	व्यय वित्त समिति द्वारा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 88- पोतपरिवहन मंत्रालय					
127.	2852.06.102.21-गैर-केन्द्रीय लो.क्षे.उ. शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्र शिपयार्डो को आर्थिक सहायता	300.00	179.40	120.60	शिपयार्डों से पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति तथा जहाज निर्माण आर्थिक सहायता हेतु कम दावे की प्राप्ति के कारण।
128.	5051.01.104.07-अन्य व्यय	200.00	50.00	150.00	निकर्षण प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण।
अनुदान सं. 89-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
129.	2225.01.789.10-मैनुअल स्कैवंजरो के सुधार हेतु स्वंय रोजगार योजना	557.00	35.00	522.00	कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण।
130.	3601.03.789.08-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आर्थिक विकास	1028.00	789.78	238.22	कुछ राज्य सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 90-अतंरिक्ष विभाग					
131.	3252.00.053.08-इनसैट/जीसैट ट्रांसपोडंरो को पट्टे पर लेने हेतु सेवा प्रभार	200.00	52.45	147.55	इनंसेट/जीसेट ट्रांसपोडरो को पट्टे पर लेने के प्रति मैसर्स अंतरिक्ष के कम सेवा प्रभारों के कारण।
132.	5402.00.101.07- तरल प्रणोदन प्रणाली केन्द्र (त.प्र.प्र.के.)	240.18	135.23	104.95	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण व्यय के स्थगन के कारण।
133.	5402.00.101.17-सतीश धवन अतंरिक्ष केन्द्र-शार (स.ध.अ.के.-शार)	241.34	115.64	125.70	एम.ओ.टी.आर. परियोजना की विलम्बित संस्वीकृति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा सशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान की कटौती के कारण।
134.	5402.00.101.20-पोलर उपग्रह प्रारम्भ वाहन निरंतरता (पी.एस.एल.वी.-सी.) परियोजना	325.00	88.95	236.05	पी.एल.एसी.वी. सी.36-सी.50 परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब तथा वाणिज्यिक उपग्रह एस.पी.ओ.टी.-6 एवं एस.पी.ओ.टी.-7 को लांच करने के प्रति कम निधियों की कम आवश्यकता के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
			(₹ करोड़ में)		
अनुदान सं. 93-वस्त्र मंत्रालय					
135.	2852.08.202.13 -आधुनिकीकरण तथा तकनीकी उन्नयन (टी.यू.एफ.एस.)	2280.75	1730.59	550.16	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण।
136.	2852.08.202.27-समेकित वस्त्र उद्यान	284.50	110.98	173.52	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा वस्त्र उद्यानो की अवसरंचना के गैर-समापन के कारण।
137.	2852.08.202.35-मानव संसाधन विकास योजना	220.00	86.03	133.97	कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण।
अनुदान सं. 94-पर्यटन मंत्रालय					
138.	3452.80.104.01-प्रत्यक्ष व्यय	448.20	292.60	155.60	कम प्रस्तावों की प्राप्ति एवं विदेशी कार्यालयों द्वारा प्रोत्साहन एवं प्रचार हेतु सार्वभौमिक अभियान के गैर-समापन तथा भारत/विदेश में मीडिया अभियान कार्यों को प्रारम्भ करने में विलम्ब के कारण।
अनुदान सं. 95- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
139.	2225.02.796.08-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-शिक्षा	119.50	15.99	103.51	सं.शा.क्षे. प्रशासन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त/पूर्ण प्रस्तावों तथा उपयोग प्रमाणपत्रों की अप्राप्ति तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुदान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण।
140.	3601.02.796.01-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान (प्रभारित)	2517.00	2147.14	369.86	वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान स्तर पर लगाई गई कटौती के कारण।
अनुदान सं. 97-चण्डीगढ़					
141.	5055.00.102.01- चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	112.35	0.19	112.16	परिवहन विभाग द्वारा नई बसो की खरीद हेतु निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं. 101-शहरी विकास विभाग					
142.	4217.60.190.03- दिल्ली मैट्रो रेल निगम	650.00	514.50	135.50	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग की प्राप्ति के कारण।
143.	4217.60.190.08- अन्य मैट्रो परियोजनाएं	470.98	300.00	170.98	
144.	6217.60.191.12- जे.बी.आई.सी. हेतु दिल्ली मैट्रो रेल निगम को पारित सहायता	1750.00	1570.51	179.49	
145.	6217.60.191.18- उप-कोटि ऋण-ब्याज मुक्त कर्ज	1132.03	799.45	332.58	
अनुदान सं. 104-जल संसाधन मंत्रालय					
146.	2701.80.800.18-राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	108.13	0.71	107.42	व्यय वित्त समिति तथा मंत्रीमण्डल द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया के गैर-समापन के कारण।
147.	2702.02.005.16-भू-जल प्रबंधन तथा नियंत्रण	232.50	87.34	145.16	डी.जी.एस.एण्ड डी. द्वारा क्रय प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कम समन्वेषी कुओं के निर्माण के कारण।
148.	2711.01.800.29-बाढ़ पूर्वसूचना	130.00	24.67	105.33	व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रक्रिया के गैर-समापन तथा मशीनरी की खरीद हेतु प्रापण प्रक्रिया के गैर-कार्यान्वयन के कारण।
अनुदान सं. 105-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
149.	3601.04.356.06-इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (इं.गा.मा.स.यो.) पहले प्रतिबन्धित मातृत्व लाभ योजना (प्र.मा.ला.यो.)	359.68	185.93	173.75	राज्य सरकारों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा व्यय विवरणी की अप्राप्ति के कारण।
150.	3601.04.561.01-राष्ट्रीय पोषण मिशन (रा.पो.मि.)	164.00	38.21	125.79	योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण।
डाक सेवाएं अनुदान सं. 13- डाक विभाग					
151.	3201.02.104.01-अनुसंधान एवं विकास	217.12	48.07	169.05	वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान योजनागत व्यय में कटौती के कारण।
152.	3201.07.102.01-पैंशन का परिवर्तित मूल्य	418.90	315.63	103.27	प्रत्याशित से कम पैंशन मामलों के निपटान के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
रक्षा सेवांए अनुदान सं.22- रक्षा सेवांए-थल सेना					
153.	2076.00.800 - अन्य व्यय	2233.20	1770.98	462.22	मुख्यत:- राशन, ईंधन तेलों तथा स्नेहक (ई.ते.स्ने.) तथा भूतपूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (भू.अं.स्वा.यो.) की अति आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यय को कम करने के प्रयास का परिणाम।
अनुदान सं.23-रक्षा सेवाएं-नौसेना					
154.	2077.00.106 -मरम्मत एवं सुधार	710.00	592.63	117.37	जहाजों, पनडुब्बियों तथा वायुयानों की लघु मरम्मत हेतु व्यक्तिगत मामलों की प्रगति पर आधारित निधियों की कम की गई आवश्यकता के कारण।
अनुदान सं. 24-रक्षा सेवांए-वायु सेना					
155.	2078.00.105- परिवहन	851.45	661.28	190.17	विदेश यात्रा पर प्रतिबंध तथा पात्रता से निचली श्रेणी द्वारा वायु यात्रा के जैसे मितव्ययी उपायो के कड़े प्रवर्तन के कारण।
156.	2078.00.800- अन्य व्यय	473.66	342.85	130.81	मुख्य रूप से अवसरंचना की मरम्मत, अनुरक्षण तथा रखरखाव पर व्यय को पुन: प्राथमिकता प्रदान करने हेतु एक प्रयास में किया गया।
अनुदान सं. 25-रक्षा आयुद्ध कारखाने					
157.	2079.00.800- अन्य व्यय	934.01	794.97	139.04	125 एम.एम. फीन स्टेबलाईज्ड अर्मोर पाईर्सिंग डिस्कार्डिंग स्बोट (एफ.एस.ए.पी.डी.एस.) की टी.ओ.टी. के करार को अंतिम रूप न देने, विद्युत एवं जल प्रभारों की कम की गई आवश्यकता तथा मितव्ययी उपायों के कारण।
अनुदान सं. 27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01-थल सेना					
158.	4076.01.101 - वायुयान तथा हवाई इंजन	1527.79	1210.14	317.65	संशोधित अनुमान (सं.अ.) स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती के कारण।

उप-शीर्ष के अतंर्गत ₹100 करोड़ और अधिक की बचत, जो संस्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक है

क्र.सं.	लघु/उपशीर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
		(₹ करोड़ में)			
159.	4076.01.102 -भारी एवं मध्यम वाहन	2024.37	1325.20	699.17	सं.अ. स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती तथा डी.जी.ओ.एफ. लक्ष्यों का नीचे की ओर संशोधन।
160.	4076.01.103 - अन्य उपकरण	9757.86	7724.39	2033.47	सं.अ.स्तर पर वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती तथा डी.जी.ओ.एफ. लक्ष्यों की कटौती।
161.	4076.01.202 - निर्माण कार्य	4343.29	3865.37	477.92	डी.जी.एम.ए.पी. के अतंर्गत अनुबंधो के रद्दीकरण के कारण तथा परिणाम की प्रगति योजना के अनुसार नहीं हुई।
02- नौ सेना					
162.	4076.02.202 - निर्माण कार्य	641.25	515.65	125.60	एम.ए.पी. के अतंर्गत किए गए कम व्यय के कारण।
163.	4076.02.204- नौसेनिक बेड़ा	11772.26	8150.99	3621.27	पी.71 के संबंध में भुगतान के विसर्पण तथा वित्त मंत्रालय द्वारा लगाई गई कटौती के कारण भुगतानों के विलम्बन के कारण।
164.	4076.02.205- नौसेनिक गोदी	2011.17	632.33	1378.84	परियोजना वर्षा तथा परियोजना अम्बर के अतंर्गत व्यय की निम्न प्रवृति के कारण।
03- वायु सेना					
165.	4076.03.103 - अन्य उपकरण	11505.65	7761.08	3744.57	लघु शीर्ष 101 के तहत आवश्यक देयताओं को पूरा करने हेतु लगाई गई कटौती के प्रकाश में आवंटन को पुन: प्राथमिकता देने के कारण।
166.	4076.03.206- विशेष परियोजनाएं	650.15	348.33	301.82	ठेकेदारों के साथ समस्याओं मुख्यत: ई.ए.सी. तथा एस.डब्ल्यू.ए.सी. में, जो कम व्यय का कारण बने, के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण।

अनुबंध 3.15

(पैराग्राफ 3.17 के सदंर्भ में)

उप-शीर्ष के अतंर्गत निरन्तर बचतों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बजट प्रावधान से बचतों की प्रतिशतता
			(₹ करोड़ में)			
अनुदान सं.4- परमाणु ऊर्जा						
1.	4861.60.190.02-भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड	2011-12	154.00	--	154.00	100
		2012-13	216.00	--	216.00	100
		2013-14	145.00	40.00	105.00	72
2.	4861.60.203.44-तीव्र रियेक्टर ईंधन चक्र सुविधा (ती.रि.ई.च.सु.)	2011-12	150.00	--	150.00	100
		2012-13	580.00	--	580.00	100
		2013-14	263.00	8.51	254.49	97
अनुदान सं -15 इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग						
3.	2852.07.202.60-इलेक्ट्रोनिक्स प्रशासन	2011-12	865.14	199.89	665.25	77
		2012-13	752.83	375.05	377.78	50
		2013-14	523.61	332.45	191.16	37
अनुदान सं. 32- विदेश मंत्रालय						
4.	3605.00.101.14-म्यंमार को सहायता	2011-12	190.00	67.40	122.60	65
		2012-13	302.21	121.88	180.33	60
		2013-14	450.00	164.86	285.14	63
अनुदान सं. 35- विनियोग ब्याज भुगतान						
5.	2049.01.116-14 दिवसीय खजाना बिल (प्रभारित)	2011-12	4900.00	3795.52	1104.48	23
		2012-13	5200.00	4285.65	914.35	18
		2013-14	7150.00	3616.53	3533.47	49
अनुदान सं. 36- राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अतंरण						
6.	3601.01.104.18-प्रशासन हेतु सहायता अनुदान	2011-12	2028.82	723.23	1305.59	64
		2012-13	3528.82	1636.10	1892.72	54
		2013-14	3629.02	1879.35	1749.67	48
7.	3601.02.101.26-त्वरित सिचांई लाभ कार्यक्रम तथा अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	2011-12	12620.00	7459.01	5160.99	41
		2012-13	14242.00	6503.58	7738.42	54
		2013-14	12962.00	4630.00	8332.00	64
8.	3601.02.101.36-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	2011-12	12522.00	7337.78	5184.22	41
		2012-13	12522.00	5287.77	7234.23	58
		2013-14	14000.00	7559.00	6441.00	46

9.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम	2011-12	3000.00	--	3000.00	100
		2012-13	1000.00	--	1000.00	100
		2013-14	1000.00	--	1000.00	100
अनुदान 40- पेंशन						
10.	2071.01.115.01-सामान्य पेंशन	2011-12	1310.00	1172.44	137.56	11
		2012-13	1440.00	1283.64	156.36	11
		2013-14	1450.00	1290.81	159.19	11
अनुदान सं. 47 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग						
11.	2211.00.109.07-दवाईयों एवं उपकरण का प्रापण (टीकों आदि के अलावा)	2011-12	250.00	21.53	228.47	91
		2012-13	287.65	44.87	242.78	84
		2013-14	287.50	83.73	203.77	71
12.	3601.04.246.01-आर.सी.एच. दवाईयों तथा उपकरणों की आपूर्ति	2011-12	160.50	3.44	157.06	98
		2012-13	164.16	22.81	141.35	86
		2013-14	56.81	--	56.81	100
अनुदान सं. 48- आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) विभाग						
13.	2210.02.200.30-अस्पताल एवं औषधालय (आयुष नम्य पूल सहित रा.ग्रा.स्वा.मि.के अतंर्गत)	2011-12	228.00	93.43	134.57	59
		2012-13	234.00	71.95	162.05	69
		2013-14	191.97	0.88	191.09	100
अनुदान सं. -53 गृह मंत्रालय						
14.	3454.02.800.08-राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका	2011-12	2731.16	1328.60	1402.56	51
		2012-13	1754.82	759.43	995.39	57
		2013-14	1045.27	459.44	585.83	56
अनुदान सं. 56-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय						
15.	2245.80.102.04-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	2011-12	348.22	110.62	237.60	68
		2012-13	183.31	151.67	31.64	17
		2013-14	387.48	251.58	135.90	35
अनुदान सं. 57- संघ शासित सरकारों को अतंरण						
16.	3602.02.101.01-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2011-12	1192.73	582.30	610.43	51
		2012-13	1031.61	800.34	231.27	22
		2013-14	1075.31	582.52	492.79	46
अनुदान सं. 60- उच्चतर शिक्षा विभाग						
17.	2202.80.800.40-आई.सी.टी. के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन	2011-12	657.74	295.41	362.33	55
		2012-13	592.86	149.12	443.74	75
		2013-14	263.48	93.31	170.17	65

अनुदान सं. 75- योजना मंत्रालय						
18.	5475.00.112.38-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	2011-12	700.00	245.75	454.25	65
		2012-13	457.00	248.66	208.34	46
		2013-14	800.00	349.78	450.22	56
अनुदान सं. 76- विद्युत मंत्रालय						
19.	2801.06.800.03-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतकरण निगम	2011-12	4726.70	2237.31	2489.39	53
		2012-13	3810.00	647.73	3162.27	83
		2013-14	3331.94	2593.89	738.05	22
अनुदान सं. 82- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय						
20.	5054.02.337.03-बी.आर.डी.बी. के अतंर्गत निर्माण कार्य	2011-12	2611.77	2207.77	404.00	15
		2012-13	2630.71	2350.70	280.01	11
		2013-14	2799.92	2231.13	568.79	20
अनुदान सं. 88- पोत परिवहन मंत्रालय						
21.	2852.06.102.21-गैर-केन्द्रीय सा.क्षे.उ. शिपयार्डों तथा निजी क्षेत्र शिपयार्ड़ों को आर्थिक सहायता	2011-12	542.11	122.42	419.69	77
		2012-13	400.00	220.00	180.00	45
		2013-14	300.00	179.40	120.60	40
अनुदान सं. 89 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय						
22.	3601.03.789.08-अनुसूचित जातियों का कल्याण- आर्थिक विकास	2011-12	757.00	656.40	100.60	13
		2012-13	1174.00	872.05	301.95	26
		2013-14	1028.00	789.78	238.22	23
अनुदान सं. 90- अतंरिक्ष विभाग						
23.	5402.00.101.17-सतीश धवन अतंरिक्ष केन्द्र- शार (स.ध.अ.के.-शार)	2011-12	182.96	78.08	104.88	57
		2012-13	224.84	92.35	132.49	59
		2013-14	241.34	115.64	125.70	52

अनुबंध 4.1

(पैरा 4.7.3 के संदर्भ में)

वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 के नियम 8 में समाहित विषय शीर्षों तथा उनका विवरण

विषय शीर्ष	विवरण
विषय वर्ग 1 (कार्मिक सेवाएं एवं लाभ)	
01- वेतन	इसमें यात्रा खर्चों (अवकाश यात्रा रियायत के अलावा) के अतिरिक्त मानदेय तथा अवकाश नकदीकरण सहित इसमें कार्मिकों के सभी प्रकार के वेतन तथा भत्ते शामिल होंगे। यह विषय शीर्ष वर्गीकरण साकार भत्तों सहित राज्यों के प्रमुखों और अन्य उच्चाधिकारियों के भत्तों तथा परिलाभ पर हुए व्यय को दर्ज करने के लिए भी उपयोग किया जाएगा।
02- मजदूरी	इसमें आकस्मिकता से देय वर्तमान कर्मियों एवं श्रमिकों की मजदूरी शामिल होगी।
03- समयोपरि भत्ता	राशि का भुगतान अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को उनके कार्य दिवस के अतिरिक्त कार्यालयी समय के बाद कार्यालयी कार्य संपन्न करने हेतु किया जाएगा।
04- पेंशन संबंधी प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि के पेंशन के भुगतान एवं सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा सेवा निधि अनुदान एवं अंशदायी भविष्य निधि शामिल होगा। तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि शामिल नहीं होगा।
05- पारितोषिक	इसमें केवल सरकारी सेवकों को मंत्रालय/विभाग में परिचालित हो, योजनानुसार प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
06- चिकित्सकीय उपचार	इसमें सरकारी सेवकों/पेंशनरों के चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई राशि शामिल होगी।
विषय वर्ग 2 (प्रशासनिक व्यय)	
11- घरेलू यात्रा व्यय	इसमें भारत में की गई सेवा के लिए सभी प्रकार के यात्रा खर्च, परिवहन एवं निर्धारित यात्रा भत्ता सहित शामिल होगा लेकिन छुट्टी यात्रा रियायत को छोड़कर जो कि वेतन का भाग होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों को भारत में यात्रा के दौरान या.भ./म.भ. भी शामिल होगी।
12- विदेशी यात्रा व्यय	इसमें वैज्ञानिकों की विदेशी प्रतिनियुक्ति भारत से बाहर के दौरे, सहित पर किए जाने वाला व्यय शामिल होगा। इसमें गैर-कार्यालयी सदस्यों के भारत से बाहर किए जाने दौरों पर या.भ./म.भ. पर व्यय भी शामिल होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
13- कार्यालयी व्यय	इसमें कार्यालय संचालन के लिए किए जाने वाले वाली सभी आकस्मिक खर्चे शामिल होंगे जैसे कि फर्नीचर, डाक, कार्यालयी मशीनों एवं उपकरणों का अनुरक्षण एवं खरीद, सर्द और गर्म मौसम प्रभार (आकस्मिक निधि से कर्मचारियों को किए भुगतान को छोड़कर), टेलीफोन, विद्युत और जल प्रभार, लेखन-सामग्री, फार्मों की छपाई, कार्यालयी उद्देश्य के लिए स्टाफ कार एवं अन्य वाहनों जैसे- एम्बुलेंस, वैन इत्यादि की खरीद एवं अनुरक्षण। इसमें कार्यालयी उपयोग के लिए गाड़ियों पर किए जाने वाला पी.ओ.एल. व्यय भी शामिल होगा।
14- किराया, दर एवं कर	इसमें किराए पर लिए गए भवनों के किराये, निगम दर एवं करें आदि शामिल होंगी। इसमें भूमि का पट्टा प्रभार भी शामिल होगा।
15- रॉयल्टी	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
16- प्रकाशन	इसमें कार्यालयी कोड के छपाई, नियमावली एवं अन्य दस्तावेजों पर हुए व्यय शामिल होंगे चाहे वे मूल्यांकित हो या अमूल्यांकित लेकिन इसमें प्रकाशन की बिक्री पर अभिकर्ताओं को दिए जाने वाली छूट भी शामिल होंगी।
20- अन्य प्रशासनिक खर्चे	इसमें विभागीय कैंटीन, आवभगत/मनोरंजन खर्चे, उपहार तथा किए गए दौरों पर व्यय, सम्मेलनों/सेमीनारों/कार्यशालाओं आदि पर व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर व्यय शामिल होगा।
	विषय वर्ग 3 (संविदात्मक सेवाएँ एवं आपूर्तियाँ)
21- आपूर्तियां तथा सामग्रियां	इसमें सामग्रियों तथा आपूर्तियों, भण्डार तथा उपकरण आदि पर व्यय शामिल होगा।
22- शस्त्र और गोला बारूद	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं को शस्त्र और गोला बारूद पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
23- राशन की लागत	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक स्थापनाओं के राशन पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
24- पी.ओ.एल.	इसमें पुलिस एवं अन्य अर्द्ध सैनिक वाहनों के पी.ओ.एल. पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। यह क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए परिवहन वाहनों के पी.ओ.एल. पर किए जाने वाले व्यय को शामिल करेगा, लेकिन उनको छोड़कर जो कार्यालय चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं।
25- कपड़ा और तंबू	इसमें पुलिस तथा अन्य अर्द्ध सैनिक के कपड़े और तंबू पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा।
26- विज्ञापन एवं प्रचार	इसमें प्रचार सामग्री के प्रकाशन एवं बिक्री के लिए अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला कमीशन शामिल होगा। इसमें मेलों व प्रदर्शनियों पर व्यय भी शामिल होगा।
27- लघु निर्माण कार्य	इसमें निर्माण कार्यों, मशीनरी तथा उपकरणकी मरम्मत एवं अनुरक्षण पर किया गया व्यय दर्ज होगा।

विषय शीर्ष	विवरण
28- व्यवसायिक सेवाएं	इसमें कानूनी सेवाओं के प्रभार, परामर्श शुल्क, स्टाफ कलाकारों को शुल्क, परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षकों, निरीक्षकों आदि को पारिश्रमिक, आकाशवाणी, दूरसंचार, दूरदर्शन द्वारा नैमित्तिक कलाकारों को पारिश्रमिक तथा अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक के प्रभार शामिल होंगे। इसमें दी गई सेवाओं, अन्य विभागों जैसे रेलवे, पुलिस आदि द्वारा की गई आपूर्तियों के भुगतान शामिल होंगे, की गई आपूर्तियों तथा एक कार्यालय को चलाने के लिए की गई सेवाओं को पृथक करते हुए उन मामलों में व्यय खर्चे के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।
30- अन्य संविदात्मक सेवाएँ	इसमें सेवा या प्रतिबद्धता प्रभारों तथा प्राप्त उपहारों के सैद्धांतिक मूल्य आदि पर व्यय शामिल होगा।
विषय वर्ग 4 (अनुदान, इत्यादि)	
31- सहायता अनुदान- सामान्य	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
32- अंशदान	इसमें अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता पर व्यय शामिल होगा।
33- आर्थिक सहायता	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
34-छात्रवृत्ति/वृतिछात्र	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
35- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	इसमें पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
36- सहायता अनुदान- वेतन	इसमें वेतन के भुगतान हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी राशियां शामिल होंगी।
विषय वर्ग 5 (अन्य व्यय)	
41- गुप्त सेवा व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
42- एकमुश्त प्रावधान	इसमें योजनाओं/उप-योजनाओं/संगठनों जहाँ प्रावधान ₹10 लाख से अधिक न हो के संबंध में व्यय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, व्यय के अन्य विषयों का अलग-अलग ब्यौरा भी दिया जाएगा।
43- उचंत	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
44- विनिमय विभिन्नता	विदेशी स्रोतों से ऋण/अग्रिम की प्राप्ति तथा उसके पुनर्भुगतान के समय विनिमय की दर में विभिन्नता को संबंधित सेवा व्यय शीर्ष के अंतर्गत इस विषय शीर्ष के अंतर्गत डेबिट किया जाएगा।
45- ब्याज	इसमें पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर छूट शामिल होंगी।
46- केन्द्र राज्य संसाधनों का अंतरण	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।

विषय शीर्ष	विवरण
50- अन्य प्रभार	इसमें विवेकाधिकार अनुदानों में से भुगतान शामिल होगा। अन्य छूटें, उत्पाद शुल्क, क्षतिपूर्ति, इनाम तथा पुरस्कार आदि तथा अन्य व्यय जो इन विशिष्ट विषय शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किये जा सकते, वे इस शीर्ष में डेबिट किए जाएंगे।
विषय वर्ग 6 (पूंजीगत परिसम्पत्तियों की प्राप्ति और अन्य पूंजीगत व्यय)	
51- मोटर वाहन	कार्यालय को चलाने के लिए प्रयोग में आने वाले वाहनों से अलग कार्यात्मक गतिविधियों (जैसे-एम्बुलेंस वैन) के लिए प्रयोग किए जाने वाले परिवहन वाहनों का खरीद एवं अनुरक्षण शामिल।
52- मशीनरी तथा उपकरण	इसमें एक कार्यालय को चलाने के लिए आवश्यक के अलावा मशीनरी उपकरण औजार आदि तथा विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित विशेष औजार तथा संयंत्र शामिल होंगे।
53- मुख्य निर्माण कार्य	इसमें भूमि के अधिग्रहण तथा ढांचों की लागत भी शामिल होगी।
54- निवेश	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
55- ऋण तथा अग्रिम	इसमें अन्य सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, उपक्रमों तथा अन्य सरकारी निकायों आदि को दिए गए सभी ऋण तथा अग्रिम शामिल होंगे।
56- उधारों का पुनर्भुगतान	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
60- अन्य पूंजीगत व्यय	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
विषय वर्ग 7 (लेखा समायोजन)	
61- मूल्यह्रास	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
62- आरक्षितें	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।
63- अंतः खाता अंतरण	इसमें आरक्षित निधि से तथा को अंतरण शामिल होगा, इत्यादि पूंजी से राजस्व को वापस लिखना।
64- बट्टे खाते/हानियां	बट्टे खाते में डाली गई अवसूली योग्य ऋण, हानियां, व्यापारिक हानियां शामिल होंगी।
70- वसूलियां कटौती	वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमावली, 1978 में विवरण उपलब्ध न होना।

अनुबंध 4.2

(पैराग्राफ 4.7.3 के संदर्भ में)

पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान के बजाय सामान्य अनुदान सहायता के तहत दर्ज किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	अनुमोदन सं.	अनुदान सं.	विषय/उद्देश्य	स्वीकृत राशि
1.	तमिलनाडु	0.0021011/17/2013-पी.एम.-1 दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष के तहत निर्माण गतिविधियां	64.71
2.	पंजाब	VI-21011/15/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष के तहत निर्माण गतिविधियाँ	30.50
3.	हरियाणा	1-12020/84/2013-एन.सी.बी.-II दिनांक 06.3.2014	55	नशीली दवाईयों के अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए आई.टी. उपकरणों की खरीद	0.04
4.	महाराष्ट्र	23012/39/2013-पी.सी./2 दिनांक 21.1.2014	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	1.50
5.	मध्य प्रदेश	VI-21011/12/2013-पी.एम.-1 दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष के तहत निर्माण गतिविधियां	50.37
6.	गुजरात	VI-21011/05/2013-पी.एम.-1 दिनांक 23.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजना '2013-14- गुजरात के गैर योजनागत क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	0.38
7.	गुजरात	VI-21011/05/2013-पी.एम.-I दिनांक 11-11-2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजना '2013-14- गुजरात के गैर योजनागत क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	21.19
8.	गुजरात	VI-21011/05/2013-पी.एम.-I दिनांक 24-09-2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजना '2013-14- गुजरात के गैर	47.51

				योजनागत क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	
9.	ओडिशा	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 06.03.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना एच.एस./एच.एम. आकस्मिकता रिजर्व योजना के तहत निर्माण गतिविधियों के लिए ओडिशा को अनुदान सहायता जारी करना	5.77
10.	ओडिशा	VI-21011/14/2013-पी.एम.-I दिनांक 06.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना गैर-योजनागत शीर्ष के तहत अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार उपकरणों की खरीद के लिए ओडिशा को अनुदान सहायता जारी करना	13.16
11.	ओडिशा	23012/39/2013-पी.सी./3 दिनांक 04 अक्तूबर 2013	55	2013-14 के दौरान उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) के लिए ओडिशा सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	2.00
12.	ओडिशा	VI-21011/14/2013-पी.एम.-I दिनांक 26.09.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना '2013-14- निर्माण गतिविधियों के लिए योजनागत शीर्ष के तहत ओडिशा की राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	28.98
13.	ओडिशा	18015/29(ओ.डी.एस.)/2013-एन.एम..IV दिनांक 25.07.2013	55	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेष बलों के महत्वपूर्ण अंतर को भरने के लिए/उन्नयन के लिए एस.आई.एस. के लिए योजना के तहत ओडिशा सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	16.22
14.	ओडिशा	16011/5/2005-पी.एफ.IV दिनांक 24.06.2013	55	ओडिशा सरकार द्वारा छठी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि - अनुदान सहायता जारी करना (चौथी किश्त)	3.35

15.	ओडिशा	16011/5/2005-पी.एफ.IV दिनांक 24.06.2013	55	ओडिशा सरकार द्वारा छठी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि - अनुदान सहायता जारी करना (तीसरी किश्त)	3.35
16.	ओडिशा	16011/5/2005-पी.एफ.IV दिनांक 24.06.2013	55	ओडिशा सरकार द्वारा छठी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि - अनुदान सहायता जारी करना (दूसरी किश्त)	3.35
17.	ओडिशा	16011/5/2005-पी.एफ.IV दिनांक 24.06.2013	55	ओडिशा सरकार द्वारा छठी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि - अनुदान सहायता जारी करना (पहली किश्त)	2.85
18.	कर्नाटक	VI-21011/10/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.09.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजना 2013-14 निर्माण गतिविधियों के लिए योजनागत शीर्ष के तहत कर्नाटक राज्य सरकार को अनुदान सहायता जारी करना	71.27
19.	कर्नाटक	16011/6/2006.पी.एफ.IV दिनांक 10.12.2013	55	कर्नाटक सरकार द्वारा दूसरी भारत रिजर्व (आई.आर. बी.एन.) के उत्थान के लिए - निधि अनुदान सहायता जारी करना (पहली किश्त)	3.35
20.	केरल	VI-21011/11/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	29.94
21.	हिमाचल प्रदेश	VI-21011/07/2013-पी.एम.-I दिनांक 7.10.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	2.96
22.	हिमाचल प्रदेश	VI-21011/07/2013-पी.एम.-I दिनांक 26.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.55
23.	हिमाचल प्रदेश	16011/23/2004-पी.एफ.IV दिनांक 24.6.2013	55	चौथी भारतीय रिजर्व बी.एन.एस. का उत्थान	3.00

24.	हिमाचल प्रदेश	16011/23/2004-पी.एफ.IV दिनांक 24.6.2013	55	छठी भारतीय रिजर्व बी.एन.एस. का उत्थान (चौथी किश्त)	1.55
25.	हिमाचल प्रदेश	16011/23/2004-पी.एफ.IV दिनांक 24.6.2013	55	छठी भारतीय रिजर्व बी.एन.एस. का उत्थान (तीसरी किश्त)	1.21
26.	गोवा	21011/04/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.2.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये गैर योजनागत क्रिया-कलापों की योजना के तहत उपकरणों की खरीद	0.86
27.	गोवा	VI-21011/04/2013-पी.एम.-I दिनांक 26.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	1.90
28.	छत्तीसगढ़	18015/29(सी.एच.एच.)/2013-NM.IV दिनांक 21.11.2013	55	विशेष बलों के महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए/उन्नयन के लिए विशेष आधारभूत योजना के तहत जारी करना	16.34
29.	छत्तीसगढ़	23012/39/2013-पी.सी./1 दिनांक 4.10.2013	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	2.00
30.	छत्तीसगढ़	VI-21011/03/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	18.05
31.	आंध्र प्रदेश	18015/29(ए.पी.0/2013-एन.एम.IV दिनांक 25.7.2013	55	विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए आधारभूत योजना के तहत जारी	9.99
32.	सिक्किम	6/18/2013-एन.ई.I दिनांक 6.2.2014	55	उपकरणों की खरीद	1.50
33.	सिक्किम	6/18/2013-एन.ई.I दिनांक 21.11.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.29
34.	मेघालय	6/14/2013-एन.ई.I दिनांक 23.09.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	6.97
35.	उत्तर प्रदेश	I-12020/84/2013-एन.सी.बी.-II दिनांक 6.3.2014	55	नशीली दवाओं की अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत बनाने के	0.23

				लिए आई.टी. उपकरणों की खरीद	
36.	उत्तर प्रदेश	VI-21011/18/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनीकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	53.30
37.	उत्तराखण्ड	VI-21011/53/2013-पी.एम.-1 दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	2.08
38.	उत्तराखण्ड	VI-21011/19/2013-पी.एम.-1 दिनांक 9.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिये योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	2.84
39.	उत्तराखण्ड	VI-21011/19/2013-पी.एम.-1 दिनांक 30.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	6.26
40.	मणिपुर	8/9/2012-एन.ई.1 दिनांक 15.5.2013	55	एस.आर.ई. के तहत शिविरों का निर्माण	5.29
41.	अरूणाचल प्रदेश	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष के योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	1.62
42.	नागालैंड	I-12020/84/2013-एन.सी.बी.-II दिनांक 6.3.2014	55	नशीली दवाओं की अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए उपकरण की खरीद के लिए	0.36
43.	नागालैंड	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.99
44.	नागालैंड	6/16/2013-एन.ई.I दिनांक 11.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	9.06
45.	नागालैंड	6/16/2013-एन.ई.I दिनांक 21.11.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	19.96

46.	नागालैंड	23012/39/2013-पी.सी./4 दिनांक 4.10.2013	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	1.00
47.	त्रिपुरा	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.24
48.	त्रिपुरा	6/17/2013-एन.ई.I दिनांक 21.11.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	14.57
49.	त्रिपुरा	9/14/2012-एन.ई.I दिनांक 22.7.2013	55	एस.आर.ई. के तहत पुलिस आवास की स्थापना	3.54
50.	असम	6/19/2013-एन.ई.I दिनांक 27.12.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	0.09
51.	मिजोरम	I-12020/84/2013-एन.सी.बी.-II दिनांक 6.3.2014	55	नशीली दवाओं की अवैध खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए उपकरण की खरीद के लिए	0.30
52.	मिजोरम	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	3.00
53.	मिजोरम	6/15/2013-एन.ई.I दिनांक 6.2.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	1.62
54.	झारखण्ड	23012/39/2013/पी.सी./2 दिनांक 4.10.2013	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	2.00
55.	झारखण्ड	18015/29(जे.एच.)/2013-एन.एम.IV दिनांक 25.7.2013	55	विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए विशेष आधारभूत योजना के तहत जारी करना	16.52
56.	बिहार	18015/29(बी.एच.)/2013-एन.एम.IV दिनांक 21.11.2013	55	विशेष बलों के उन्नयन/महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए विशेष आधारभूत योजना के तहत जारी करना	15.06

57.	जम्मू व कश्मीर	VI-21011/53/2013-पी.एम.-I दिनांक 6.3.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	5.30
58.	जम्मू व कश्मीर	23012/39/2013-पी.सी./1 दिनांक 21.1.2014	55	उग्रवाद विरोधी और आतंकवाद निरोधी विद्यालय (उ.वि.आ.नि.वि.) की स्थापना	1.50
59.	जम्मू व कश्मीर	VI-21011/03/2013-पी.एम.-I (सी.आर.) दिनांक 17.1.2014	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत उपकरण की खरीद	12.13
60.	जम्मू व कश्मीर	VI-21011/08/2013-पी.एम.-I दिनांक 24.9.2013	55	राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनागत शीर्ष योजना के तहत निर्माण गतिविधियां	74.12
			कुल		**731.94**

अनुबंध-4.3

(पैराग्राफ 4.11 के संदर्भ में)

अंतरिक्ष विभाग में परिचालन में निलम्ब खातों का विवरण

क्र. सं.	अनुमोदन सं. व दिनांक	अनुमोदित धनराशि (₹ करोड़ में)	योजना का नाम तथा उद्देश्य	बैंक का विवरण	31 मार्च 2014 को शेष (₹ लाख में)	अर्जित ब्याज (₹ लाख में)
	द्रव प्रणोदक प्रणाली केन्द्र (द्र.प्र.प्र.कें.) के संबंध में					
1	3/5(5)/2002-III 27/3/2003 एवं 3/5/7/2002-III 28/3/2003	40.66	तरल हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना, मै. शुगर लि. थानुकु	भा.स्टे.बैं. वलियामाला, तिरूअनन्तपुरम	0.00	738.80
2	13015/5/2010 धारा-3 (खण्ड.II) 27/3/2010	9.71	क्रायो व सेमीक्रायो गतिविधियों के लिए सी.यू.-सी.आर.-जेड.आर.-टी.आई. तांबा मिश्रित धातु प्लेटों की बिक्री मै. नॉन-फेरस मेटेरियल टेक्नोलोजी डेवलपमेंट सेन्टर (एन.एफ.टी.डी.सी.) हैदराबाद	भा.स्टे.बैं. वलियामाला, तिरूअनन्तपुरम	1.74	237.79
	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वि.सा.अं.कें.) के संबंध में					
3	बी.12011/11/2009-धारा.2 21/12/2009	18.00	मिधानी में ई.बी. पिघलती भट्टी की स्थापना	भा.स्टे.बैं., कंचनबाग	1453.16	86.35
4	C.13011/24/2010-11 29/3/2010	28.14	नाइओबियम उत्पादन सुविधा की स्थापना	भा.स्टे.बैं., नचरम शाखा हैदराबाद	1292.98	100.96
5	C.13011/19/2010-11 24/3/2010 एवं सं.सी.13011/2010-11/ 4/3/2011	23.74	टी.सी.सी., कोच्चि में सोडियम क्लोरेट निर्माण की स्थापना	भा.स्टे.बैं., अलुवा, शाखा अलुवा	0.00	162.31
6	3/1/2/2004-III 18/2/2004 3/1/2/2004-III 21/7/2004	15.60	हिन्द हाई वैक्यूम, बंगलौर से रासायनिक वाष्प जमाव प्रधान तथा एस.आई.सी. परत सहित वैक्यूम इंडक्शन फरनैस की खरीद	भा.स्टे.बैं., पीनया, औद्योगिक, शाखा-बंगलौर	0.00	350.63
7	सी.13011/19/2006-धारा.3 24/3/2006	31.13	एल्युमिनियम एलॉय कास्ट हाऊस तथा विलेट्स की आपूर्ति	भा.स्टे.बैं., बाल्को टाउनशिप, शाखा-कोरबा	0.00	221.45

क्र. सं.	अनुमोदन सं. व दिनांक	अनुमोदित धनराशि (₹ करोड़ में)	योजना का नाम तथा उद्देश्य	बैंक का विवरण	31 मार्च 2014 को शेष (₹ लाख में)	अर्जित ब्याज (₹ लाख में)
8	3/1/10/2003 दिनांक 01.10.2003 सी.13011/5/2003-III सी.13011/5/2003-धारा.3 30/3/2009	39.50	बाल्को द्वारा सुविधा वृद्धि तथा चादरें	भा.स्टे.बैं., बाल्को टाउनशिप, शाखा-कोरबा	0.00	218.70
9	सी.13011/5/2006-धारा.3 दिनांक 20/2/2006 13011.5.2006/धारा-3 31/3/2010	143.13	के.एम.एम.एल. द्वारा टाइटेनियम स्पंज की स्थापना	भा.स्टे.बैं., व्यावसायिक शाखा-कोल्लम	0.00	3734.22
10	3/1/12/2005-III दिनांक 15/3/2005	31.01	हिन्द हाई वैक्यूम से वैक्यूम प्रणाली की खरीद	भा.स्टे.बैं., पीनया, औद्योगिक शाखा-बंगलौर	0.00	191.29
11	3/1/(15)2001-III दिनांक 27/3/2002 3/1/15/2001-III दिनांक 27/3/2003 3/1/15/2001-III दिनांक 24/3/2004 सी.13011/1/2001-धारा दिनांक 31/3/2008	75.40	बे फार्ज लिमिटेड द्वारा रिंग रॉलिंग मिल की स्थापना	भा.स्टे.बैं., व्यावसायिक शाखा, चेन्नई	0.00	46.50
12	3/1/5/03-III दिनांक 1/12/2003 3/1/5/01-III (खण्ड.II) 22/2/2005 सी.13011/1/2001-धारा दिनांक 17/1/2006 सी.13011/1/2001-III दिनांक 7/11/2006	20.00	बे फार्ज लिमिटेड द्वारा कच्ची सामग्री मिल की खरीद	भा.स्टे.बैं., विदेशी, चेन्नई	2000.00	11.33
13	सी.13011/42/2006-III दिनांक 20/2/2007	2.75	एस.आई.एफ.एल. में सुविधा वृद्धि	भा.स्टे.बैं., वलियामाला	0.00	0.21

क्र. सं.	अनुमोदन सं. व दिनांक	अनुमोदित धनराशि (₹ करोड़ में)	योजना का नाम तथा उद्देश्य	बैंक का विवरण	31 मार्च 2014 को शेष (₹ लाख में)	अर्जित ब्याज (₹ लाख में)
14	3/1/19/2005-III दिनांक 28/3/2005 13011/39/2005-III दिनांक 28.1.2009	159.50	एल एण्ड टी द्वारा हवा सुरंग प्रणाली का डिजाईन निर्माण	भा.स्टे.बैं., सी.ए.जी. शाखा, मुंबई	15950.00	426.42
15	3/1/2005-III 10/3/2005	20.10	न्यूमैन व ऐजर द्वारा उच्च दाब प्रणाली की खरीद	भा.स्टे.बैं., चिंचवाड़, पुणे	0.00	200.61
16	3/1/10/04 दिनांक 27/3/2004 3/1/10/2004-III दिनांक 24/3/2005 3/1/10/2004-III दिनांक 20/1/2006	60.30	मिधानी में सुविधा वृद्धि	भा.स्टे.बैं., चंद्रयानगुट्टा शाखा, हैदराबाद	0.00	1187.18
		718.67			**20697.88**	**7914.75**

अनुबंध 5.1

(पैराग्राफ 5.5.8 (डी) के सदर्भ में)

ऐसे अग्रिमों का विवरण जिनका भुगतान निर्माण एजेंसियों, स्टाफ सदस्यों, आपूर्तिकर्ताओं आदि को किया गया, किन्तु उ.प्र. में पृथक रूप से दर्शाया नहीं गया।

(₹ लाख में)

Sl. No.	संस्थान	2011-12	2012-13	कुल
1	पंडित दीन दयाल उपाध्याय विकलांग संस्थान (आई पी एच)	42.82	127.05	169.87
2	राष्ट्रीय दृश्य बाधित संस्थान (एन आई वी एच)	109.92	97.81	207.73
3	अलीयावर जंग, बधिर राष्ट्रीय संस्थान (एन आई एच एच)	86.87	79.13	166.00
4	राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान (एन आई ई पी एम डी)	703.20	105.58	808.78
5	राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान (एन आई ओ एच)	48.81	103.74	152.55
6	मानसिक विकलांग राष्ट्रीय संस्थान (एन आई एम एच)	232.20	255.41	487.61
7	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	35.02	600.74	635.76
8	भारतीय पुनर्वास परिषद	17.39	8.06	25.45
	कुल	**1276.23**	**1377.52**	**2653.75**

अनुबंध 5.2

(पैराग्राफ 5.5.10 (ई) के संदर्भ में)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

वित्तीय वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	बकाया उ.प्र. की कुल राशि (₹ लाख में)
1987-1988	208	156.02
1988-1989	519	618.68
1989-1990	247	338.64
1990-1991	432	459.71
1991-1992	462	517.35
1992-1993	332	585.04
1993-1994	545	885.68
1994-1995	690	1202.47
1995-1996	790	1303.37
1996-1997	395	754.65
1997-1998	430	9582.84
1998-1999	306	1075.40
1999-2000	238	2169.03
2000-2001	217	3623.17
2001-2002	335	4056.92
2002-2003	213	1098.86
2003-2004	306	1664.34
2004-2005	551	3271.39
2005-2006	422	1495.42
2006-2007	252	6779.39
2007-2008	758	13902.30
2008-2009	427	9963.09
2009-2010	108	616.01
2010-2011	267	2763.94
2011-2012	310	2633.94
2012-2013	577	7256.76
	10337	**78774.41**

अनुबंध 5.3

(पैराग्राफ 5.5.15 और 5.5.26 के संदर्भ में)

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा संसद को सूचित किए बिना निजी एवं स्वैच्छिक संगठनों को ₹10 लाख से ₹25 लाख तक अवमुक्त की गई अनुदान सहायता

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	2011-12	2012-13	2013-14
1.	मानव उत्थान सेवा धर्माथ न्यास	14.12	--	--
2.	उत्तर-पूर्व ग्रामीण विकास स्वैच्छिक संघ	15.96	--	--
3.	वनीता ज्योति महिला संगम	11.10	--	--
4.	बी.बी.एन. इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन	--	10.00	--
5.	भारतीय बायोटेक सहायता संघ लिमिटेड	--	17.50	--
6.	ग्रामीण विकास धर्माथ न्यास	--	10.55	--
7.	जनहित संस्थान	--	20.00	--
8.	ओएजोन	--	13.90	--
9.	डी.के.टी.ई. सोसाईटी कपड़ा एवं इंजिनीयरिंग संस्थान	--	10.50	11.70
10.	सेंट पीटर उच्चतर शिक्षा एवं शोध संस्थान	--	12.46	--
11.	श्री विष्णु शिक्षण संस्थान	--	10.56	--
12.	भारतीय उद्योग महासंघ मुख्यालय	--	13.74	--
13.	पांचाल चीनी मिट्टी संगठन विकास न्यास	--	18.00	--
14.	भारतीय रत्न एवं आभूषण व्यापार परिषद	--	--	11.80
15.	महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद	--	--	15.00
16.	शारदा विश्व विद्यालय (शारदा शिक्षण न्यास की एक इकाई)	--	--	13.29
17.	विद्यासागर धर्मार्थ न्यास	--	--	12.03
18.	जे.पी.एस.एसोसिएटस (प्रा.) लिमिटेड	--	--	20.98
19.	के.आई.आई.टी. तकनीकी व्यवसाय इनक्यूबेटर	--	--	24.59
20.	अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान	--	--	10.00
21.	एण्टीना न्यास	--	--	13.94
22.	मध्य प्रदेश उद्योग संघ	--	--	10.01
23.	एक्सियोम सामाजिक सेवा संस्था	--	--	13.96
24.	महिला उद्यमी महासंघ	--	--	15.60
25.	निर्धन एवं शिक्षण सेवा विकास संगठन	--	--	13.53
26.	आन्ध्र प्रदेश फाईबर ग्लास उद्योग संघ	--	--	17.53
27.	गुजरात चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज	--	--	11.72
28.	होसूर लघु एवं सुक्ष्म उद्योग संघ	--	--	10.28
29.	जामनगर कारखाना मालिक संघ	--	--	18.46
30.	भारतीय महिला उद्यमी महासंघ	--	--	10.00
31.	मेपको श्लेंक इंजीनियरिंग कॉलेज समिति शिवकाशी	--	--	24.47
32.	मातृ सामाजिक सेवा न्यास	--	--	10.80
33.	एन.आई.एफ.टी. टी निटवेअर फैशन संस्थान	--	--	17.99
34.	आफसेट प्रिंटर्स एसोसिएसन, लुधियाना	--	--	11.58
35.	ग्रामीण क्षेत्र विकास संगठन	--	--	11.73
36.	सहयोग अपंग बहुद्देशीय संस्था	--	--	16.30

37.	सामाजिक विकास संगठन	--	--	11.63
38.	मानव उन्नति एवं ग्रामीण शिक्षा संस्था	--	--	25.00
39.	स्वयं उद्योगी नारी	--	--	12.80
40.	दक्षिण भारत कोरूगेटेड बॉक्स उत्पादक संघ	--	--	10.33
41.	महिला उद्यमी कल्याण संगठन	--	--	23.92
42.	जिय्योन कल्याण न्यास	--	--	12.57
	कुल	**41.18**	**137.21**	**443.54**

अनुबंध 5.4

(पैराग्राफ 5.5.21 के संदर्भ में)

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में 31 मार्च 2014 को वर्ष-वार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2005-06	1	1.00
2006-07	1	1.25
2007-08	1	0.95
2008-09	8	5.43
2009-10	37	143.20
2010-11	70	699.05
2011-12	29	335.41
2012-13	95	6403.45
कुल	**242**	**7589.74**

शब्दावली

विनियोग	:	विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
विनियोग लेखे	:	विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) के प्रति हुए वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अंतर्गत बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
विनियोग अधिनियम	:	संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
विनियोग विधेयक	:	लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अंतर्गत अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय किन्तु जो संसद के समक्ष पहले से रखे गए विवरण में दर्शायी हुई राशि से किसी भी स्थिति में अधिक न हो की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
पूंजीगत व्यय	:	इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम आते हैं।

पूंजीगत प्राप्तियां	:	पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूलियां, विनिवेश से प्राप्तियां आदि शामिल है।
प्रभारित विनियोग	:	संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत समेकित निधि पर 'प्रभारित' व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)	:	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जो का प्रवाह होता है। भा.स.नि. से समस्त व्यय दत्तमत्त अथवा प्रभारित विनियोग द्वारा किया जाता है। यह राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्जे इत्यादि) नामक दो प्रभागों से निर्मित है।
भारत की आकस्मिकता निधि	:	संसद द्वारा विधि अनुसार अग्रदाय के रूप में, एक ऐसी आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है जिसमें विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी है जिसमें से अपपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु उनके द्वारा अग्रिम दिया जा सके जब तक संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अंतर्गत इस प्रकार का व्यय संसद द्वारा विधि अनुसार प्राधिकृत न हो जाए।

लो.वि.प्र.प्र. (इससे पहले के.यो.यो.मॉ.प्र. के नाम से प्रचलित)	:	लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (इससे पहले के.यो.यो.मॉ.प्र. के नाम से प्रचलित) केन्द्रीय योजनागत योजना मॉनीटरिंग प्रणाली (के.यो.यो.मॉ.प्र.) योजना आयोग की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजनागत योजना है जो लेखा महानियंत्रक द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अंतर्गत भारत सरकार की योजनागत योजनाओं के लिए एक समान लेन-देन आधारित ऑन-लाइन निधि प्रबंधन तथा भुगतान प्रणाली एवं एम.आई.एस. को स्थापित किया गया है। इस मंच का विस्तार अब राज्य खजानों में सीधे प्राप्त होने वाली योजनागत निधियों के प्रभावी भुगतान के लिए राज्य सरकारों तक किया जा चुका है।
ऋण शोधन	:	देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
अनुदान मॉगें	:	अनुदान मांगें किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए होती हैं तथा यह व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से दर्शाती है तथा इन्हें संसद में दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें लोकसभा में सम्बद्ध मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने के कुछ दिन पहले उस मंत्रालय द्वारा सदन के पटल पर रखी जाती है।
	:	चूंकि अनुदान मांगें सकल व्यय के लिए होती है तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले निवल व्यय को दर्शाता है, अत: सकल व्यय की कटौती में प्राप्तियों को समायोजित करने के पश्चात् दोनों के योग में सामंजस्य किया जाना चाहिए।

ई-लेखा	:	मूल लेखांकन समाधन (मू.ले.स.) लेखांकन प्रक्रिया की दक्षता तथा शुद्धता को सुधारने के उद्देश्य से सिविल लेखा संगठन हेतु एक इलेक्ट्रानिक भुगतान तथा लेखांकन साफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। वेतन एवं लेखा कार्यालयों में प्रयुक्त साफ्टवेयर तथा अन्य आफलाईन इंटरफेस पर तथा उसके इर्द गिर्द इसे निर्मित किया गया है। कॉम्पेक्ट आधारित तथा यह मूल्य संवर्धित रिपोर्टिग तथा मानीटरिंग क्रियाविधि हेतु दैनिक, मासिक तथा वार्षिक लेखांकन प्रक्रिया के समाकलन सहित मूल लेखांकन की एक प्रणाली प्रदान करता है।
अधिक अनुदान	:	ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में प्राधिकृत राशियों से सार्थक रूप में बढ़ जाते हैं, अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
बाह्य ऋण	:	सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अनुबन्धित ऋण अर्थात् विश्व बैंक, आई.बी.आर.डी. आई.डी.ए. आदि से कर्जा।
राजकोषीय घाटा	:	यह राजस्व प्राप्तियों तथा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि सहित हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार की कुल उधारी तथा लम्बित ऋण में हुए इजाफे को भी दर्शाता है।

बाजार मूल्य पर स.घ.उ. : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान देश में अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका आकलन चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान लागू कीमतों पर किया जाता है।

आन्तरिक उधार : भारत में जनता से लिए गए नियमित ऋण, आन्तरिक उधार के अंतर्गत आते हैं, इसे "भारत में उठाया गया कर्ज" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जो तक सीमित होता है।

मुख्य शीर्ष : लेखे में वर्गीकरण की प्रमुख इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड आवंटित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष एक प्राप्ति शीर्ष है या राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष या ऋण शीर्ष है।

लघु शीर्ष : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाला कोड आवंटित किया गया है, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होता है।

नई सेवा : इसका अभिप्राय पहले से संसद के संज्ञान में न लाये गये किसी नए नीतिगत निर्णय द्वारा उत्पन्न हुए तथा निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है जिसमें एक नया कार्यकलाप अथवा एक नए निवेश का तरीका शामिल होता है।

सेवा का नया साधन : किसी वर्तमान गतिविधि के एक महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न तथा निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक विशाल व्यय।

मूल अनुदान	:	किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए 'वार्षिक वित्तीय विवरण' में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
प्रारंभिक घाटा	:	राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा निकल आता है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके ब्याज रहित व्यय के आधिक्य के रूप में भी इसे देखा जा सकता है।
लोक लेखा	:	समेकित निधि में शामिल धन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अथवा उसके पक्ष में प्राप्त सभी प्रकार के धन को भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें 'कर्ज' से संबंधित ऐसे लेन-देन शामिल होते हैं जो समेकित निधि में शामिल नहीं होते। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।
लोक ऋण (भारत का)	:	भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
पुनर्विनियोजन	:	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
राजस्व घाटा	:	यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर होता है।
राजस्व व्यय	:	यह सरकार के सामान्य अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों सब्सिडी तथा अंतरण आदि चलाने के लिए किया जाता है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के उद्देश्य से किए गए हों।

राजस्व प्राप्तियां : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

स्टॉक : स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तातरणीय न हो बल्कि जो हस्तांतरण दर्ज करके तथा लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके हस्तांतरित किया जा सके।

अनुपूरक अनुदान : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित किसी कानून द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित न की गई किसी 'नई सेवा' पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई हो तो सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधान के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किया जाता है।

बचत का अभ्यर्पण : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में पायी गयी प्रत्याशित बचतों को वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की सूचना लेखापरीक्षा अधिकारी तथा लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित किया जायेगा।

बचत	:	जब व्यय बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती हैं।
दत्तमत्त अनुदान	:	अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित होता है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in